त्रयोदश माला, खंड 8, अंक 3

बुधवार, 26 जुलाई, 2000
4 श्रावण, 1922 (शक)

FOR REFERENCE ONLY
NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 61
Date 14/3/2001

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला खंड–8, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)

[अंक 3, बुधवार, 26 जुलाई, 2000/4 श्रावण, 1922 (शक)]

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1–2
कारगिल युद्ध में भारत की विजय की पहली वर्षगांठ के बारे में	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 44	2–24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 60	25–41
अतारांकित प्रश्न संख्या 449 से 631	41-256
सभा पटल पर रखे गये पत्र	257–259
राज्य सभा से संदेश	259–260
कार्य मंत्रणा समिति	
दसवां प्रतिवेदन	260
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	260
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
बासठवां और तिरेसठवां प्रतिवेदन	260–261
समिति के लिए निर्वाचन	
लोक लेखा समिति	261–262
नियम 377 के अधीन मामले	291–296
(एक) अगस्त क्रांति और राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को राजस्थान के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जसकौर मीणा	291–292
(दो) इटावा–भिण्ड–मुरैना–श्योपुर और सवाई माधोपुर को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक अर्गल	292

किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) उत्तर प्रदेश में कानपुर आयुध डिपो में हुए अग्निकांड की पूर्ण जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 292–293

(चार) उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में रह रहे अदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 293

(पांच) उड़ीसा में फुलनाखारा–नियाली–माघब–चानीछक–कोणार्क–पुरी ओर कटक–पारादीप सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगों 293–294

(छह) तमिलनाडु में सेलम जिले में नामक्कल और थलईवसल संकरी में रसोई गैस के और अधिक बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. वी. सरोजा 294

और हिंगोली जिलों में सड़कों की मरम्मत के लिए महाराष्ट्र सरकार ... वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने 294

(आठ) उड़ीसा में नन्दनकानन चिड़ियाघर में बाघों की हुई रहस्यमय मौतों की समुचित जांच किए जाने और चिड़ियाघर में स्थित अस्पताल में उपचार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव 295

(नौ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 295–296

मोटरयान (संशोधन) विधेयक 296–319

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राजो सिंह 296–300

श्री राम नाईक 300–302

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी 302–304

श्री जी. एम. बनातवाला 304–308

श्री रामदास आठवले 308–310

श्री सुन्दर लाल तिवारी 310–312

श्री राशिद अलवी 312–314

श्री राजनाथ सिंह 314–318

खंड 2 से 5 और खंड 1 318

पारित करने के लिए प्रस्ताव 319

नियम 193 के अधीन चर्चा 319–338, 343–376

जम्मू–कश्मीर विधान सभा द्वारा स्वायत्तता के लिए पारित संकल्प

श्री माधवराव सिंधिया 320–332

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी 333–338

श्री पूर्णो ए.संगमा 343–349

श्री सोमनाथ चटर्जी 349–358

श्री मुलायम सिंह यादव 358–362

श्री वैको 362–372

श्री चन्द्र शेखर 372–376

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री अरूण जेटली 339–342

लोक सभा

बुधवार, 26 जुलाई, 2000/4 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष महोदय : आज, सभा बहुत शान्त है।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

डॉ. बिक्रम सरकार (पंसकुरा)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

[अनुवाद]

कारगिल युद्ध में भारत की विजय की पहली वर्षगांठ के बारे में

अधयक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, 26 जुलाई, 2000 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस दिन पिछले वर्ष अंतिम पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को हमने अपनी धरती से मार भगाया था। यह सभा आज उन वीर सैनिकों और वायु सैनिकों को याद करती है, जिन्होंने भारत की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हम अपने वीर सैनिकों ओर सैन्य बलों द्वारा दिखाए गए साहस और शौर्य की गाथाओं को याद करते हैं तथा मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद वीर सैनिकों की स्मृति को नमन करते हैं और अपने सशस्त्र बलों की समर्पण भावना और उनकी वीरोचित प्रतिबद्धता की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हैं। यह सभा उन शहीदों के परिवारों और निःशक्त हुए सैनिकों के कल्याण के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता दोहराती है। यह सभा सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा संकट की घड़ी में दिखाई गई एकता, समवेत्ता और तन–मन–धन न्यौछावर करने की भावना का भी बड़े गौरव और हर्ष के साथ स्मरण करती है, जिसने यह दिखा दिया था कि अगर हमें किसी भी सैन्य संघर्ष में उलझाए जाने का दुस्साहस किया जाएगा, जैसा हमारे एक पड़ौसी ने खेदजनक रूप से गत वर्ष किया था, तो उसे विफल करने के लिए भारत कृतसंकल्प है।

आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर यह सभा किसी भी आक्रमण का मुंहतोड जवाब देने और शांति के पथ पर आगे बढ़ने तथा हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के प्रति वचनबद्धता के लिए भारत के संकल्प को दोहराती है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विशिष्ट क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की किस्में

+

***41. श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में "विशिष्ट क्षेत्र" में उगाई जाने वाली फसलो की किस्मों को बढावा देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं.?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सभी महत्वपूर्ण फसलों जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, कदन्न तथा वाणिज्यिक/नकदी फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थान विशेष फसल–किस्मों और प्रौद्योगिकियों के समन्वयन और विकास के लिए "अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं" (ए.आई.सी.आर.पी.) का अभिकल्पन ओर विकास किया है। उपर्युक्त परियोजनाएं राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, विविध फसल परियोजना निदेशालय इत्यादि सहित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। स्थान विशेष के लिए अपनाए जाने के लिए सिफारिश से पूर्व इस तरह से विकसित किस्मों ओर प्रौद्योगिकियों का विभिन्न कृषि परिस्थितिकी दशाओं में परीक्षण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र विशेष संबंधी फसल किस्मों के प्रोत्साहनार्थ

देश के विभिन्न राज्यों में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन संबंधी बीज मिनिकिट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत, इन फसलों की पूर्व निर्मुक्त/हाल ही में निर्मुक्त स्थान विशेष अधिक उपज वाली उन्नत किस्मों की खेती को किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है।

वर्ष 2000–2001 के दौरान चावल, गेहूं और मोटे अनाज के बीज मिनिकिट कार्यक्रम के लिए 707 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। दलहन और तिलहन बीज मिनीकिट को क्रमशः राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कवर किया जाता है। दलहन और तिलहन मिनिकिटों की आपूर्ति केन्द्रीय अभिकरणों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की आवश्यकतानुसार की जा रही है। वर्ष 2000–2001 में इस के कार्यान्वयन के लिए 800 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री जयभान सिंह पवैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कृषि से संबंधित है और नई कृषि नीति संयोग से आज लागू हो रही है। मैं श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और आज अनुसंधानों को कृषकों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने की विशेष जरूरत है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विशेष फसलों और औषधि से सम्बन्धित वनस्पतियों के प्रोत्साहन के लिए क्या कोई सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, ऐसी फसलों के निर्यात के लिए क्या कोई केन्द्रीय योजना बनाई गई है और क्या इसके लिए प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की आपकी कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में कहा है...

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न आप बाद में पूछिये।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है, उसका संबंध इससे है कि किसी स्थान विशेष के लिए फसल की कोई किस्म निकलती है, बीज की कोई किस्म निकलती है, उसके लिए सरकार की क्या योजना है और इस संबंध में क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन उन्होंने उसमें औषधि प्लान्ट्स के बारे में और उसके बाद कृषि विज्ञान केन्द्र के बारे में प्रश्न पूछा है, जिनका इससे सीधा ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहां तक कृषि विज्ञान केन्द्र का सवाल है, यह सरकार की नीति है कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाए और जहां तक खास इलाके के लिए, खास किस्मों के विकास के लिए जरूरत पड़ती है, इसके लिए आई.सी.ए.आर. का एक कार्यक्रम ऑल इंडिया कोऑर्डीनेटिड रिसर्च प्रोजेक्ट है। जो राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अपने संसाधनों के माध्यम से चलाया जाता है और विशेष रूप से किसी खास इलाके में कौन सी किस्म बेहतर होगी, इसका ट्रायल भी लिया जाता है और उसके बाद उसे अडॉप्ट करने की सिफारिश दी जाती है सरकार की तरफ से मिनीकिट के कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जिसमें जो नई किस्में निकलती हैं यहां तक कि प्री–रिलीज्ड वैराइटीज या रिलीज्ड वैराइटीज का मिनीकिट राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को दी जाती है। उसमें केन्द्र सरकार का शतप्रतिशत योगदान होता है और जिन किसानों को मिनीकिट मिलती है, वह बहुत ही नोमिनल, लगभग दस प्रतिशत की दर से मिलती है। अलग–अलग बीजों के लिए, अलग–अलग पौधों के लिए अलग दाम निर्धारित हैं और कितनी मिनीकिट की क्वान्टिटी होती है, वह अलग निर्धारित है। ये अलग–अलग योजनाएं अलग–अलग फसलों के लिए हैं, उनके विकास के लिए उसमें भी सर्टिफाइड सीड के लिए भारत सरकार की तरफ से राज सहायता दी जाती है।

श्री जयभान सिंह पवैया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह मेरे प्रश्न के आशय को पूरा नहीं करता है, मेरे प्रश्न का आशय यह था कि विशेष फसलों का जो उत्पादन होता है और जिसमें निर्यातक फसलें भी हैं, जो बाहर जाती हैं, उसके प्रोत्साहन के लिए क्या केन्द्र सरकार की कोई योजना है ?

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा मांगा था। उन्होंने वर्ष 2000–2001 में 800 लाख रुपया देने का उल्लेख तो किया है, लेकिन उसमें राज्यवार ब्यौरा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है और मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां विशेष फसलों के लिए जिलों में पहचान की गई है।

श्री नीतीश कुमार : इनका प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो एक–एक जानकारी उनको उपलब्ध करा देंगे। हमारे पास जानकारी पूरी है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए कई पृष्ठ पढ़ने पढ़ेंगे। अगर वह चाहें तो हम माननीय सदस्य को जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। इस पर कोई भी सदस्य दूसरे राज्यों की भी जानकारी चाहेंगे तो उनको हम देंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : इसमें ग्वालियर सम्मिलित है या नहीं?

श्री नीतीश कुमार : वह भी हम आपको बता देंगे।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष किस्म की फसल और उसका उन्नत बीज कुछ वर्षों

तक तो अच्छा उत्पादन देता है, लेकिन बाद में फिर वही बीज अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन पिछले वर्षों में बहुत अच्छा हुआ और देश का सबसे बड़ा सोया उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। लेकिन पिछले तीन–चार सालों से उन्नत बीज बोने के बाद भी सोयाबीन की फसल में लगातार नुकसान हो रहा है और किसान बर्बाद हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा कोई अनुसंधान करते हैं जिसके कारण उसी क्षेत्र विशेष में वही फसल जब नुकसान देने लगती है तो अनुसंधान करके किसानों को पहले से चेतावनी देकर, संभावित नुकसान से बचाया जा सके या कौन सा फसल चक्र किसान द्वारा अपनाया जाना चाहिए, इसमें वह मार्गदर्शन कर सके, क्या ऐसा कोई अनुसंधान उनका विभाग करता है? अभी मंत्री जी ने कहा कि मिनी किट कार्यक्रम केन्द्र सरकार चला रही है। राज्य बीज विकास निगम भी उन्नत बीज किसानों को कई वार प्रदान करता है लेकिन यह बीज कई बार घटिया निकलते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन के जो बीज दिये गये थे, उनमें अंकुरण ही नहीं हुआ जिससे किसानों को बहुत घाटा हुआ। क्या क्वालिटी कंट्रोल के लिए केन्द्र सरकार ऐसा कोई काम करती है जिससे ठीक बीज किसानों को मिल सके ?

श्री नीतीश कुमार : जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इस तरह की केन्द्र सरकार की योजना है जिसका उल्लेख ऑल इंडिया कोआर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में है। यह इसी क्षेत्र में काम करता है और इसमें राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों और आई.सी.ए.आर. के अपने रिसर्च सिस्टम के माध्यम से यह काम जारी रहता है। इस सिलसिले में राज्यों को, और किसी खास राज्य में कोई खास इलाका है, उसमें कोई खास किस्म के विकास का दायित्व मूलतः राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का है और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कवर किया जाता है ऑल इंडिया कोआर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से। हम लोग उसमें बताते हैं। जहां तक सवाल है कि कोई बीज कुछ दिन तक ठीक काम करता है और उसके बाद उसका असर समाप्त हो जाता है तो इन सब चीजों को, इन सब समस्याओं को ऐड्रेस किया जाता है और उसमें मुख्यतः जैसे चावल, गेहूं, कोर सीरियल हैं, इसमें जो तीन साल की वेराइटी होती है, उसी को सीड मिनी किट कार्यक्रम में दिया जाता है लेकिन पल्सेज का, ऑयलसीड का, इसमें 10 साल तक की वेराइटी है, उनके बीच दी जाती है। लेकिन बीज के क्षेत्र में निरन्तर कार्य चलता रहता है और जो भी नये बीज निकलते हैं, उनको इस तरह के कई कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। ट्रायल लेकर उसमें जो त्रुटि निकलती है, उसका परिमार्जन किया जाता है और अंत में उसको सर्टिफाइड सीड के तौर पर जो हमारा सिस्टम है, चाहे नेशनल लैवल पर नेशनल सीड कार्पोरेशन है, सीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया है और राज्यों के स्तर पर राज्य बीज निगम के माध्यम से सर्टिफाइड बीज दिये जाते हैं। कहीं–कहीं कुछ बीजों की खराबी के बारे में शिकायत आती है। सीड कार्पोरेशन में हम लोगों के पास इसकी व्यवस्था है और इस पर निरंतर नजर रखी जाती है लेकिन उनकी अगर किसी खास इलाके से संबंधित शिकायत है और वह हमें देंगे तो उसकी पूरी जांच हम कराएंगे।

श्री राजो सिंह : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से मोटे अनाज और मनी क्रॉप के लिए इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। मैं इनके आधार पर माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिहार के दो हिस्से हैं – एक दियारा हिस्सा है जो बेगूसराय इलाका, भागलपुर का इलाका है जहां मोटे अनाज का उत्पादन होता है और दूसरा क्षेत्र पटना से लेकर मोकामा बड़हैया शेखपुरा लक्खीसराय तक का क्षेत्र है जहां दलहन और तिलहन का उत्पादन बहुत अधिक होता है। अपने उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि किसानों को किट सप्लाई की जाती है। उसकी मात्रा बहुत कम होती है। मनी क्रॉप को बढ़ाने के लिए, दलहन ओर तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को क्या निदेश आप देना चाहते हैं और वह कार्यक्रम कब तक पूरा करना चाहते हैं, यही मैं सरकार से जानना चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के मूल प्रश्न, दियारा क्षेत्र और उत्तरी बिहार के संबंध में जो उन्होंने कहा है, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मक्की पर अनुसंधान का कार्य वहां चल रहा है और उसके लिए नैशनल लैवल का एक सेंटर बनाया गया है जिसको "प्रोजैक्ट डायरैक्टोरेट" कहते हैं, वह अपना कार्य कर रहा है। उत्तरी बिहार में मक्के के उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। पटना से लेकर लक्खीसराय तक के जिस इलाके का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, वह टाल का इलाका है। वहां दलहन की काफी संभावनाएं हैं। अभी हाल ही में वहां के किसानों की तरफ से हमें एक शिकायत मिली है कि वहां एक किस्म का कीड़ा फसलों में लग रहा है। हमने इस पूरे मामले को दलहन अनुसंधान संस्थान को सौंपा है जिसका मुख्यालय कानपुर में है। वह संस्थान वहां अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों को भेजने के लिए, वैज्ञानिकों की एक टोली गठित कर रहा है जो वहाँ पूरे इलाके में दलहन में आने वाली सभी बीमारियों और खासकर कीट प्रबन्धन को लेकर अध्ययन और परीक्षण करेगी और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट संस्थान को देगी तथा संस्थान उन बीमारियों के निदान हेतु समुचित दिशा–निर्देश देगा। उसके आधार पर जो भी सहायता वहां के लिए देनी होगी वह दी जाएगी और उसके आधार पर राज्य सरकार और कृषि विश्वविद्यालय को भी उस बारे में आगे आवश्यक अनुसंधान करने के निर्देश दिये जाएंगे।

श्री राजो सिंह : मंत्री महोदय, समय सीमा बता दीजिए?

श्री नीतीश कुमार : वह काम शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, नारियल और रबड़ भारत की दो मुख्य नकदी फसलें हैं और अब इन्हीं फसलों के उत्पादक संकट का सामना कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य उस क्षेत्र की फसल की किस्मों को बढ़ावा देना है। नारियल की खेती संकट का सामना कर रही है क्योंकि दूर–दूर तक फैले नारियल में लगने वाले कीड़े (माइट) द्वारा लगभग सभी पेड़ संक्रमित हो गए हैं। इसके उपचार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इसी तरह से रबड़ उत्पादक भी संकट का सामना कर रहे हैं। विश्वीकरण तथा अन्य कारणों से नारियल की कीमतों में प्रतिदिन गिरावट आ रही है। अब ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि नारियल उत्पादक भुखमरी का सामना कर रहे हैं। केरल राज्य की अर्थव्यवस्था खतरे में है। इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार नारियल तथा रबड़ जैसी नकदी फसलों का उत्पादन करने वाले राज्यों को क्या सहायता दे सकती है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है। इसका एक अच्छा उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मै माननीय सदस्य से सहमत हूं। लेकिन मेरी समस्या यह है कि यह अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन् : लेकिन, महोदय मंत्री महोदय ने नकदी फसलों का हवाला दिया है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित फसलों के सम्बंध में केरल और देश के अन्य दक्षिणी हिस्सों के उत्पादकों की दशा में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये हैं।

श्री आदि शंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या धान, गेहूं और तिलहन जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाने से कोई बढ़ावा देने वाले परिणाम सामने आये है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वे कौन से राज्य हैं जिनमें यह सीड मिनिकिट कार्यक्रम चलाया गया था और तमिलनाडु राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई थी।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रत्येक राज्य के आंकड़े दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपनी जमीन की किस्म, पानी की उपलब्धता आदि सारी चीजें देखकर किस एरिया में कौनसी क्रॉप बोनी है, उसके लिए तो देशव्यापी अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक उस अभियान की ज्यादातर रिपोर्टें फाइलों में हैं, क्षेत्र में उसका बिलकुल प्रचार नहीं हुआ है और किसान को इसके बारे में मालूम नहीं है कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में बोनी ज्यादा उपयोगी हो सकती है।

अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक बड़ी विचित्र बात यह है कि किसी वर्ष किसी विशेष फसल की पैदावार ज्यादा हो जाती है तो वह इतनी सस्ती हो जाती है जिसको देखका अगले साल उस फसल विशेष को किसान नहीं बोता जिससे अगले वर्ष उसके दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किस अनाज की देश को कब, किस वर्ष, कितनी आवश्यकता है, उसी मात्रा में उस फसल को बोया जाए और यदि उत्पादन ज्यादा होता है, तो उसको सरकार की ओर से खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्याज का इतना अधिक उत्पादन हो गया कि प्याज सड़ गया और किसान रोता रहा। कई बार प्याज इतना कम होता है कि लोग रोते रहते हैं क्योंकि वह बहुत मंहगा हो जाता है। इस तरह की स्थिति पर काबू पाने की अत्यंत आवश्यकता है। क्या कृषि मंत्री इसी सिलसिले में यह बताने का कष्ट करेंगे कि फसल की, पैदावार की जितनी आवश्यकता है उसके मुताबिक देश में कहां–कहां कितनी पैदावार करनी है, यदि इस बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे तो लोग अपने आप तय कर लेंगे। लेकिन जानकारी दी नहीं जाती, उसका प्रचार किया नहीं जाता। इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जनरल किस्म का सवाल है। माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सरकार ने कल ही राष्ट्रीय कृषि नीति को मंजूरी दी है जिसे हम आपसे इजाजत लेकर इस सदन में रखने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कृषि की स्थिति सुधरे, बेहतर बने, लोगों को बेहतर कीमत मिले, किसान अपनी फसल का डिस्ट्रैस सेल न करें और हमारी जरूरत की भी पूर्ति हो। अपनी जरूरत को पूरा करके हम दुनिया के बाजारों मे अपने कृषि उत्पादों को भेज सकें। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक कृषि नीति बनाई गई है जिसे हम सदन के समाने रखना चाहते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. एस. वेणुगोपाल : महोदय, अनेक योजनाएं और कार्यक्रम केन्द्र सरकार की मंजूरी के बाद कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेजे गए हैं। लेकिन यह सत्य है कि अनेक राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का उपयोग नहीं कर रही हैं।

महोदय दलहन तथा तिलहन के उत्पादन सहित लगभग 19–20 कार्यक्रम हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त हो गई है और उन्हें राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। क्या यह सत्य है कि अनेक राज्य सरकारें उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं और वास्तविक खर्च नहीं कर रही हैं?

दूसरा, क्या नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले के अन्दर नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : कृषि विज्ञान केन्द्रों के बारे मे पहले ही एक प्रश्न पूछा जा चुका है। उसका जवाब भी दिया जा चुका है।

डॉ. एस. वेणुगोपाल : नहीं, महोदय, उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री नीतीश कुमार : हालांकि यह प्रश्न कृषि विज्ञान केन्द्रों से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करना सरकार की नीति है .....*(व्यवधान)*

महोदय, प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करना सरकार द्वारा घोषित नीति है लेकिन हमने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। हम अभी भी लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी अनुमति से मैं पूछ सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ?

....(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : भिंड जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का आश्वासन सात वर्ष पूर्व दिया गया था लेकिन अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जो भी परिस्थिति हैं, उसे हम देख लेंगे। पहले मैं इनके प्रश्न का जवाब दे दूं।

[अनुवाद]

जहां तक कि अनुपूरक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, सरकार का यह विचार है, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अतः हम भारत सरकार के कम से कम 27 केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के स्थान पर एक योजना बना रहे हैं और यह कृषि के बृहत् प्रबंधन के रूप में जाना जाएगा। राज्य सरकारों को अपनी इच्छानुसार विभिन्न मदों पर खर्च करने की स्वतंत्रता होगी।

जहां तक कि तिलहन का सम्बन्ध है, उसे कृषि के इस बृहत् प्रबंधन में शामिल नहीं किया गया है। यह एक भिन्न कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं जिसका नाम है तिलहन तथा दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन। यह कार्यक्रम अभी भी इसी तरह रहेगा।

श्री वी.एम.सुधीरन : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने उत्तर में कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सभी महत्त्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थान–विशेष की फसल की किस्मों को समन्वित और विकसित करने के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं बनाई और विकसित की हैं।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या नारियल के लगने वाले कीड़े माइट संबंधी अनुसंधान को इस परियोजना में शामिल किया गया है जो नारियल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। माननीय मंत्री महोदय को नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों के संसद सदस्यों के साथ हुई बैठक के बारे में याद होगा। उस बैठक में, उन्होंने आश्वासन दिया था कि नारियल को लगने वाले कीड़े माइट संबंधी अनुसंधान कार्यों में तेजी लाई जाएगी। क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्य किया गया है? यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : ऐसा किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नारियल को लगने वाले कीडे (माइट) के सम्बन्ध में है।

श्री नीतीश कुमार : नारियल को लगने वाले कीड़े (माइट) के संबंध में पृथक रूप से अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं....*(व्यवधान)* हम सहायता भी प्रदान कर रहे हैं।

श्री. ए.सी.जोस (त्रिचूर) : क्या आप परिणामों की जांच करेंगे ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए कृपया व्यवधान न डालें।

....(व्यवधान)

श्री ए.सी.जोस : क्या आप उस अनुसंधान के परिणामों की जांच करेंगे?....*(व्यवधान)* मैं जानना चाहूंगा कि क्या इससे कोई ठोस परिणाम सामने आये हैं।

श्री के. मुरलीधरन् : माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो कहा गया है, वह गलत है....*(व्यवधान)* वहां कोई अनुसंधान कार्य नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं। कृपया माननीय मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दें।

श्री नीतीश कुमार : यह प्रश्न नारियल को लगने वाले कीड़े (माइट) के संबंध में नहीं है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन्, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पहले आप उनकी बात सुनिए।

....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : यह प्रश्न नारियल को लगने वाले कीड़े (माइट) से संबंधित नहीं है। अतः मैंने सामान्य रूप से उत्तर दिया है। यदि वे नारियल को लगने वाले कीड़े (माइट) संबंधी विशिष्ट प्रश्न पूछते उस प्रश्न का उत्तर देता....*(व्यवधान)* लेकिन यह प्रश्न नारियल न वाले कीड़े (माइट) से सम्बंधित नहीं है....*(व्यवधान)* इसलिए मेरे पास उनके समन्वित प्रयत्नों के परिणामों संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं....*(व्यवधान)*

श्री वी. एम. सुधीरन् : महोदय, यह प्रश्न अनुसंधान संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : यह नारियल को लगने वाले कीड़े (माइट) सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में है।

श्री नीतीश कुमार : हम यह सूचना पृथक रूप से दे सकते हैं। मैं यह जानकारी पृथक रूप से देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि क्या नारियल के लगने वाले कीड़े (माइट) के संबंध में कोई अनुसंधान किया जा रहा है।

श्री नीतीश कुमार : अनुसंधान किया जा रहा है। मैनें शीतकालीन सत्र में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था ....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें प्रश्न संख्या 42 पर चर्चा करनी चाहिए।

....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : इससे पहले, मुझे एक मिनट में अपना निवेदन करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं दूसरे प्रश्न पर आ गया हूं।

....*(व्यवधान)*

श्री के.येरननायडू : महोदय, मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मुझे केवल एक मामूली सा निवेदन करना है....*(व्यवधान)*

कृषि एक महत्त्वपूर्ण विषय है। कल, भारत सरकार ने कृषि संबंधी नीति की घोषणा की है। भारत सरकार ने उत्पादन को दुगुना करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में, हमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी है। कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए जिसमें सभी भाग ले सकें। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। अतः हमें इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री नीतीश कुमार : कृषि संबंधी नीति पर एक पूर्ण चर्चा होगी। हम निकट भविष्य में कृषि संबंधी पूरी नीति के दस्तावेज सभा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी यह प्रिंट किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने कल ही निर्णय लिया है ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के कार्य को कब तक पूरा करेंगे? ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मै अगले प्रश्न पर आ गया हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं अगले प्रश्न पर चला गया हूं।

फिजी में सशस्त्र क्रांति

[हिन्दी]

+

***42. श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री चन्दकान्त खैरे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिजी में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटे जाने तथा प्रधानमंत्री और अन्य को बंधक बनाये जाने के घटनाक्रम की जानकारी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र क्रांति के कारण भारतीय मूल के निवासियों का वहां से भारी संख्या में पलायन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने किन–किन देशों में शरण ली है;

(ङ) क्या सशस्त्र क्रान्ति के पश्चात् भारतीय मूल के लोगों की संपत्ति लूटी गई थी;

(च) यदि हां, तो उनको कितनी धनराशि की हानि हुई तथा कितने मूल्य की संपत्ति को क्षति पहुंची;

(छ) सरकार द्वारा भारतीय मूल के निवासियों की जान–माल की रक्षा हेतु और वैध रूप से चुनी हुई सरकार की बहाली के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है; और

(ज) सरकार द्वारा अन्य देशों में भारतीय मूल के निवासियों के हितों की रक्षा हेतु कौन–सी रणनीति तैयार किए जाने का प्रस्ताव है ?

(अनुवाद)

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 19 मई, 2000 को जार्ज स्पेट के नेतृत्व में सशस्त्र लोगों के एक समूह ने प्रधान मंत्री महेन्द्र चौधरी तथा अन्य कई मंत्रियों/सांसदों को बंधक बना लिया।

(ग) तख्ता पलट के कारण अब तक भारतीय मूल के लोगों का वहां से पलायन नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। तख्ता पलट के दिन सूवा में भारतीय मूल के फिजी वासियों की कुछ दुकानों और कारोबारों को लूट लिया गया। उसके बाद ऐसी लूट की घटनाओं की अधिकतर सूचनाएं फिजी के एक प्रदेश तैल्बू जहां से तख्ता पलटने वाले नेता का संबंध है, से मिली हैं। फिजी पुलिस के अनुसार 19 मई, 2000 को सूवा में लूट और आगजनी की घटनाओं में 30 मिलियन फिजियन डालर का नुकसान हुआ। अन्य क्षेत्रों में हुई घटनाओं के लिए ऐसे किसी मौद्रिक आकलन की सूचना नहीं मिली है।

(छ) भारत सरकार ने उस परिस्थिति में लोकतंत्र, विधिसम्मत शासन तथा भारतीय मूल के लोगों के साथ–साथ सभी शांतिप्रिय फिजीवासियों के हितों के संरक्षण के लिए यथासंभव सभी कदम उठाये हैं। मैं फिजी संकट के संबंध में कई देशों, विशेषकर आस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रियों के साथ निरन्तर संपर्क में रहा हूं। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ आधिकारिक शिष्टमंडल को जून, 2000 के आरंभ में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों के साथ विचार–विमर्श के लिए भेजा गया तथा इसी शिष्टमंडल ने स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए फिजी का दौरा किया। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री जॉन हावर्ड की 10-11 जुलाई, 2000 तक की भारत की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने उनके साथ फिजी की स्थिति पर चर्चा की।

भारत का जोर फिजी में प्रधान मंत्री चौधरी की कानूनी रूप से गठित सरकार की बहाली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरारंभ तथा जातीय सद्भाव की वापसी पर है। 1997 का संविधान इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त ढ़ाचा उपलब्ध कराता है।

(ज) भारतीय मूल के लोग चाहे वे किसी भी देश के नागरिक हैं, उन्हें अन्य नागरिकों के समान ही लोकतांत्रिक और राजनैतिक अधिकार मिलने चाहिए। जैसा कि हम फिजी में कर रहे हैं विश्व में जहां भी इन अधिकारों का हनन होगा हमारा प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के साथ समन्वय करके इन अधिकारों की रक्षा करना होगा।

(हिन्दी)

श्रीरामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, फिजी में 1997 के संविधान के मुताबिक जो निर्वाचित सरकार थी, उसका तख्ता पलट हुआ और 19 मई को जार्ज स्पेट, जो एक दिवालिया व्यापारी है, ने फिजी के प्रधानमंत्री श्री महेन्द्र चौधरी, सांसदों और दूसरे तमाम लोगों को 55 दिनों तक बंधक बनाए रखा। फिजी में 44 प्रतिशत भारतीय मूल के लोग रहते हैं और श्री महेन्द्र चौधरी को 62 फीसदी मत प्राप्त हुए। लगता यह है कि भारत सरकार को फिजी के मामले में जो तेजी दिखाई जानी चाहिए थी, वह तेजी नहीं दिखाई गई। माननीय विदेश मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि फिजी वासियों के हितों के संरक्षण के लिए यथासंभव सभी कदम उठाए गए हैं। एक तो मंत्री जी मेहरबानी करके यह बताने का कष्ट करें कि फिजी वासियों के हितों के संरक्षण के लिए क्या-क्या आवश्यक कदम उठाये गये? दूसरा निवेदन है कि श्री महेन्द्र चौधरी चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में जनमत संग्रह करवाकर उनकी सरकार की बहाली की जाए। मैं चाहूंगा कि इन दो सवालों के बारे में विदेश मंत्री जी सदन को बताएं।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं और एक टिप्पणी की है। टिप्पणी में माननीय सदस्य ने कहा है कि फिजी की स्थिति के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जो किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। मैं इस भ्रान्ति को दूर करना चाहूंगा। भारत की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट थी। बिल्कुल ही गैरकानूनी तरीके से जो लोग बन्दी बनाये गये थे, जिसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त उनकी सरकार के अन्य सदस्य भी थे, जब तक वे बन्दी रिहा नहीं हो जाते, तब तक बहुत ही संयम से और समझबूझ से कदम उठाना आवश्यक था, नहीं तो उनकी जान को खतरा था। उनके हितों की रक्षा के लिए, जब पिछले समय सन् 1987 का संविधान शुरू हुआ था, यह जानने की आवश्यकता है कि फिजी को स्वतंत्र हुए मात्र 30 वर्ष ही हुए हैं और उन 30 वर्षों में फिजी ने तीन बार अपना संविधान बदला है और दूसरी बार इस प्रक्रिया से सरकार बदली जा रही है। सरकार की ओर से सदैव यह प्रयत्न रहा है कि जो भारतीय मूल के फिजी के नागरिक हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक

व अन्य हितों की पूरी रक्षा, अन्य देशों से सलाह–मशविरा, यहां विशेष रूप से विदेश मंत्रालय से एक दल का भेजना, कॉमन वैल्थ से चर्चा करना, अन्य देशों से चर्चा करना, ये सब कदम उन्हीं के हितों के लिए उठाये गये थे।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, माननीय विदेश मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि यूनाइटिड किंगडम और आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के वे निरन्तर सम्पर्क में रहे हैं। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री यहां 10-11 जुलाई को तशरीफ लाये थे। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री जॉन हावर्ड ने कहा है : भारत ने अपेक्षानुसार सक्रिय भूमिका नहीं निभाया। यह जॉन हावर्ड की भारत के बारे में राय है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों इस सदन में और सदन के बाहर देखने में आया है कि भारत सरकार की जो कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी वाली भावना है, वह इसमें कहीं दिखाई नहीं देती। प्रधान मंत्री जी का बयान [illegible] है, "फिजी में प्रजातंत्र बहाल करने के लिए प्रबल कार्रवाई किए [illegible] आवश्यकता है।" अजित पांजा जी, जो विदेश राज्य मंत्री यहां [illegible] रखे हुए हैं, उनका एक बयान 20 जुलाई को चेन्नई से छपा है, "भारत श्री चौधरी की बहाली पर जोर नहीं देगा" अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में फिजी के पक्ष में जनमत बनाने के लिए जो काम होना चाहिए, वह काम नहीं हुआ। प्रधान मंत्री ने कहा है कि स्ट्रांग एक्शन की जरूरत है, विदेश मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह स्ट्रांग एक्शन क्या है, मेहरबानी करके खुलाया करें ?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जस ओर माननीय सदस्य इशारा कर रहे हैं, वैसा कोई विरोधाभास नहीं है। माननीय सदस्य ने जिस कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी की बात कही, वह इससे तो जुड़ी नहीं है। कई बातों को उन्होंने इसके दायरे में समेटने की कोशिश की है। जो माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि दृढ़ कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, इसमें आपने प्रधान मंत्री, आस्ट्रेलिया का भी कोई ब्यौरा दिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री, आस्ट्रेलिया यहां आये थे, उनके साथ पूरी बातचीत हुई है। जिस प्रकार की भावना को आपने यहाँ उद्धृत किया है, ऐसी भावना से कभी किसी वक्तव्य में उन्होंने हमें अवगत नहीं कराया है। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जहां फिजी के साथ भौगोलिक निकटता है, उसके अतिरिक्त उनसे आर्थिक सम्बन्ध भी हैं, उसमें एक प्रकार से बिल्कुल ही रेशियल चश्मा न डालकर, होशियारी से कदम उठाने के लिए आवश्यक था कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहल करें।

क्योंकि फिजी पहले ब्रितानी सरकार की कालोनी थी। इसलिए आवश्यक था कि उनको भी इसमें लाया जाए और विशेषरूप से कामनवैल्थ की ओर से कार्यवाही की जाए। इसीलिए कामनवैल्थ का मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप इस विषय पर बैठा है। उन्होंने इस पर पूरी सलाह कर ली है। जो कुछ उन्होंने किया, हमारी सलाह से किया। माननीय प्रधान मंत्री जी के स्ट्रांग एक्शन के पीछे इन सारे कदमों का एक रूप से इशारा था। प्रधानमंत्री जी स्ट्रांग एक्सन के लिए कहें और विदेश मंत्रालय स्ट्रांग एक्सन न ले, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, फिजी में 44 प्रतिशत लोग हिन्दुस्तान वंश के नागरिक हैं और उनमें भी अधिकाशं हिन्दू हैं।.... *(व्यवधान)* वहां के संविधान के तहत ही महेन्द्र चौधरी प्रधान मंत्री बनाए गए थे। वे भी हिन्दुस्तानी वंश के हैं। वहां के विद्रोही नेता जार्ज स्पेट और उनके साथियों ने हिन्दुस्तानी वंश के नागरिकों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया। फिजी में हिन्दुस्तानी वंश के नागरिकों का चाहे महेन्द्र चौधरी हों या अन्य हों, फिजी के विकास में, बहुत बड़ा योगदान है। अभी विदेश मंत्री जी ने अपने उत्तर में कई बातें बताई। अगर हिन्दुस्तान में किसी परदेश के व्यक्ति पर अन्याय हो या हमला हो तो वहां की सरकार भारत सरकार को चेतावनी देती हैं और इंटरफियर करने को कहती हैं। लेकिन भारत सरकार ने वहां के लोगों के लिए इतना भी नहीं किया, यह भावना यहां के लोगों में पैदा हुई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वहां के हिन्दुस्तानी वंश के कितने नागरिकों पर विद्रोहियों द्वारा हमला हुआ और उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तथा कितने लोग वापस हिन्दुस्तान लौट आए ? इसके साथ ही यह भी बताएं कि उनके लिए भारत सरकार ने क्या मदद की है ?

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा : वह हरियाणा के हैं इसलिए हमें भी मौका दीजिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फिर कई सारी बातें अपने प्रश्न में समेटने की कोशिश की हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को एक बात पूर्णरूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे भारतीय मूल के नागरिक अवश्य हैं, परंतु वे फिजी के नागरिक हैं। वे फिजी के नागरिक हैं। यह बहुत बड़ी गलती होगी उन्हें विस्तारित भारतीय नागरिकों के एक प्रकार की तरह माना जाता है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : यह तकनीकी मामला है। यह इसलिए हुआ क्योंकि वे भारतीय है। अगर वे भारतीय नहीं होते तो हमला होगा।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वघेला जी को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इसमें भी एक प्रकार का सरलीकरण है, क्योंकि मात्र वे भारतीय मूल के हैं, केवल इसीलिए उन पर हमला हुआ – मैं ज्यादा विस्तार से कहना नहीं चाहता। अभी जो फिजी में परिस्थिति है उसमें

मात्र भारतीय मूल के लोग हैं इसलिए इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हुई है, ऐसा कहना एक सरलीकरण होगा। आज हम फिजी में जो परिस्थिति देख रहे हैं....*(व्यवधान)* उस परिस्थिति के पीछे कई अन्य सामाजिक व आर्थिक कारण हैं।

संसद के सभी माननीय सदस्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे उन कारणों पर विचार करें। उसका एकमात्र कारण यह नहीं कि वे भारतीय मूल के नागरिक हैं, इस कारण उनके प्रति यह प्रतिक्रिया हो रही है इस विचार से न चलें क्योंकि उस पर चलने से हम वही कर रहे हैं जिसको हम फिजी में होने से रोकना चाहते हैं। वे भारतीय मूल के नागरिक हैं, यह विशेष बात है। कोई वहां तीन पीढ़ी से है और कोई चार पीढ़ी से है। वे सब फिजी के नागरिक हैं। भारत सरकार की निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी बनती है और मात्र फिजी के भारतीय मूल के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि जहां भी भारतीय मूल के नागरिक हैं, उनके लिए जो भी किया जा सके, सरकार करती है और सरकार ने अभी एक निर्णय भी लिया है। पहली बार विदेश मंत्रालय में पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉन–रेजीडेंट्स के लिए एक डिवीजन है और माननीय प्रधान मंत्री जी एक और कदम लेने के संबंध में विचार कर रहे हैं कि भारतीय मूल के नागरिकों के हित संरक्षण जहां तक हो सके, यह सरकार पूर्ण रूप से उस पर कटिबद्ध है परंतु वे भारतीय मूल के नागरिक होते हुए भी फिजी के नागरिक हैं और आज फिजी में वे तीन पीढ़ियों से, चार पीढियों से हैं। उनका स्थान फिजी में होना चाहिए, यह स्पष्ट करना आवश्यक है। उनका बहुत बडा आर्थिक योगदान फिजी के विकास में है और वह योगदान आगे भी काम आये, इस ओर सरकार प्रयत्नशील है और हम इसे उत्ससाहित कर रहें हैं।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, फिजी की घटना से भारत सरकार के बारे में यह धारणा पैदा हो गई है कि विभिन्न देशों में बस गए सभी भारतीय यह महसूस करते हैं कि भारत सरकार फिजी में भारतीय मूल के लोगों के बचाव के लिए आगे नहीं आई। माननीय मंत्री महोदय ने कार्रवाई करने में अपनी असमर्थता के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे श्री चौधरी की रिहाई का इंतजार कर रहे थे। अब श्री चौधरी को रिहा किया जा चुका है। प्रधान मंत्री जी ने यह वक्तवय दिया है कि इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जायेगी। भारत सरकार, फिजी में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया जारी रहने के साथ–साथ सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु किन कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव करती है ?

पूर्व में भी, श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान, जब फिजी में तख्ता पलट हुआ था, तब भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। उस समय राष्ट्रमंडल देशों ने फिजी को एक सदस्य के रूप में मानने से इंकार कर दिया था और इसे इसकी सदस्यता से बाहर निकाल दिया गया था। बाद में जब फिजी ने सदस्यता के लिए आवेदन किया तब राष्ट्रमंडल नेताओं द्वारा फिजी में इस स्थिति को न दोहराए जाने की कड़ी वचनबद्धता दी गई थी। चूंकि, इसे दोहराया गया है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने राष्ट्रमंडल देशों से संपर्क किया है। फिजी द्वारा उन्हें दिए गए आश्वासन का क्या हुआ ? क्या आपने उनसे पूछा कि तख्ता पलट दूसरी बार क्यों हुआ ? इस संबंध में आप लोग इतने निष्क्रिय क्यों हो गए हैं ?

श्री जसवंत सिंह : मैं, अपने माननीय मित्र श्री आर.एल. भाटिया द्वारा पूछे गये उलझाने वाले प्रश्न पर अवश्य ही कुछ हताशा व्यक्त करूंगा। उन्होंने प्रश्न पूछे जाने के क्रम में यह सुझाव देना जारी रखा कि कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी – निश्चित रूप से वे यहां बैठकर ऐसा करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। परन्तु, वे यह अवश्य बताएं कि कैसी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राष्ट्रमंडल द्वारा की गई पहले की कार्रवाई और अब भारत सरकार के प्रस्तावित कदमों के दो पहलू हैं। जहां तक पहले उठाए गए कदमों का संबंध है, राष्ट्रमंडल की मंत्रीस्तरीय कार्रवाई समूह की राबुका द्वारा किए गए तख्ता पलट के बाद बैठक हुई और उसने राष्ट्रमंडल से फिजी को निष्काषित किए जाने के संबंध में कुछ कदम उठाये। यह वह कदम था जो हरारे राष्ट्रमंडल के हरारे घोषणा पत्र और मिलब्रुक कार्रवाई कार्यक्रम के अनुपालन में था। यह किसी भी तख्ता पलट, सैनिक या कोई और कार्यवाही के प्रति राष्ट्रमंडल की प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। प्रचलन के अनुरूप यह सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि सांविधानिक रूप से निर्वाचित नागरिक सरकार को किसी अपराधी द्वारा उलटा जाना था।

जब यह हुआ, तो सबसे पहले मैने राष्ट्रमंडल के महासचिव से संर्पक किया। उन्होंने तत्काल राट्रमंडल मंत्रीस्तरीय कार्रवाई समूह की बैठक बुलाई। राष्ट्रमंडल की मंत्री स्तरीय कार्रवाई समूह ने सुवा में एक दल भेजा। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट पर, सितम्बर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि शिखर बैठक के पार्श्व में राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों द्वारा चर्चा किया जाना था। परन्तु, अब बंधकों को छोड़ा जा चुका है, हमने कार्रवाई शुरू कर दिया है। वस्तुतः इस सप्ताह राष्ट्रमंडल के प्रारंभिक समूह की एक बैठक प्रिटोरिया में होने जा रही है। उस बैठक में हमने राष्ट्रमंडल की मंत्री स्तरीय कार्रवाई समूह की रिपोर्ट, जिसपर पहलें सितम्बर में चर्चा किया जाना था, पर अब अवश्य चर्चा को आरंभ किए जाने और राष्ट्रमंडल हरारे घोषणापत्र और मिलब्रुक कार्रवाई कार्यक्रम दोनों के अनुपालन में सभी आवश्यक कदमों को अवश्य उठाने का आग्रह किया है।

महोदय, मैं, फिजी में उभर रही स्थिति के संबंध में सरकार के पास उठाए जाने वाले सभी अतिरिक्त बिन्दुओं का ब्यौरा नहीं देना चाहता।

परन्तु, अब मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार की कार्रवाई को सीमित करने वाले निषेध के पहले हिस्से, जिसे हम बंधकों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए चाहते थे, की समुचित रूप से देखभाल की गई है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज के बाद कड़े कदम उठाए जाऐंगे।

श्री किरीट सोमैया : मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नए समझौते में क्या है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय मूल के लोगों के अधिकार उसी रूप में विद्यमान रहेंगें जैसे कि वे तख्ता पलट के पहले थे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी पूछा है उसके अनुसार यह अपेक्षित है कि मैं, कम से कम 1997 के संविधान तात्विकों का विवरण दूं। फिजी द्वारा सभी संबंधितों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अपनाया गया 1997 का संविधान अभी भी फिजी के लोगों प्रमुखों की महान परिषदों द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति चुनने का अधिकार देता है। वे अभी तक फिजी की चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं थे। 1997 के संविधान ने जो कुछ किया उसमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि फिजी का कोई भी नागरिक अब बिना किसी जातिय विभेद के, उसके मूल स्थान पर विचार किए बिना, प्रधानमंत्री बन सकता था। भूमि के मामलों एवं फिजी के समाज के विवरणों और संवेदनशीलताओं के अन्य पहलुओं के संबंध में 1997 का संविधान पूर्ववत ही रहा। अब, वास्तविकता यह है कि हम यह नहीं समझ पाते कि किसी सरकार को अपराधिक तरीके से पलटने को स्वीकार किया जाएगा। सरकार यही कहती रही है कि 1997 के संविधान के सार को अवश्य बनाए रखा जाएगा क्योंकि सरकार फिजी में विधि व्यवस्था के साथ–साथ जातीय सद्भाव और प्रजातांत्रिक सरकार की बहाली का समर्थन करती है।

[हिन्दी]

कालापानी मुद्दे पर भारत-नेपाल विवाद

*43. **श्री योगी आदित्यनाथ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालापानी मुद्दे पर भारत और नेपाल के मध्य कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए कुछ निहित स्वार्थी तत्व सक्रिय हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत–नेपाल सीमा के पश्चिमी क्षेत्र, जहां कालापानी क्षेत्र है, में सीमा संरेखण के प्रश्न पर भारत और नेपाल के विचारों में कुछ भिन्नता है। हालांकि दोनों पक्ष 1815 की सगौली संधि, जिसके अनुसार काली नदी उस क्षेत्र में भारत–नेपाल की सीमा है, को स्वीकार करते हैं, इनके विचारों में भिन्नता इस नदी के सही उद्गम को लेकर है।

(ग) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो मैत्रीपूर्ण राष्ट्रों के बीच महसूस किए जा रहे इस मतभेद को दूर करने के प्रयास किये जा सकते हैं।

(घ) जून, 1997 में प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि संयुक्त तकनीकी स्तर सीमा समिति (जे सी टी) द्वारा गठित विशेषज्ञ स्तर की भारत–नेपाल संयुक्त कार्यकारी दल (जेडब्लू जी) को कालापानी क्षेत्र सहित पश्चिमी क्षेत्र में सीमा के निर्धारण से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों की जांच के लिए बैठक करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में अन्य उपायों का प्रस्ताव करना चाहिए। उसके बाद से जे. डब्लू. जी. की तीन बैठकें हो चुकी हैं और इस मसले पर विशेषज्ञ स्तर की चर्चा जारी रही।

श्री योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, आज कालापानी को लेकर नेपाल में एक सुगबुगाहट है। कालापानी को लेकर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा भारत और नेपाल के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भू–भाग भारत का हिस्सा है ?

सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस भू–भाग को विवादित करने की नेपाल की मंशा क्या है ?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारत की कभी किसी देश की एक इंच भूमि को भी हथियाने की मंशा नहीं रही है और न कभी इच्छा रही है। जिस प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, उन प्रश्नों से ही ऐसी भावनायें उत्पन्न होती हैं। जिन तत्वों की ओर वे इशारा कर रहे हैं, इससे उन तत्वों को अपने आपमें एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। भारत और नेपाल के बीच में संबंध इस प्रकार के हैं कि भारत किसी रूप में नेपाल की जमीन को लेना चाहे, ऐसा विचार किया नहीं जा सकता है। चूंकि, भारत और नेपाल की सीमा के बीच में कई नदियां आती हैं, नदियां, अध्यक्ष जी, जैसा आप जानते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से हो कर जाती हैं, उन नदियों का सीमांकन करने में कठिनाई उत्पन्न होती हैं। कालापानी के विषय में भारत सरकार का रुख और विचार बिल्कुल स्पष्ट है। इसको एक विवाद का रूप देना मेरे हिसाब से बुद्धिमता नहीं है।

श्री योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कालापानी पर पहली बार नेपाल ने अपना दावा कब जताया है ? कालापानी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह तीन देशों – भारत, नेपाल और तिब्बत – की सीमाओं को छूता है। सामरिक दृष्टि को देखते हुए, जब कालापानी से संबंधित संधि हुई थी, उस समय चीन में एक लाबी थी, जिसने कहीं–न–कहीं नेपाल के कुछ कम्युनिस्टों को प्रभावित करके नेपाल में एक आन्दोलन को प्रारम्भ किया था, जिससे भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक प्रकार के तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि काले पाने पर पहली बार नेपाल ने कब अपना दावा जताया था ? यह भू–भाग भारत का हिस्सा रहा है, क्योंकि आजादी के पहले भी गढ़वाल के राजा का वह राजस्व वसूल करने का केन्द्र था और उसके बाद भी भारतीय चौकी वहां स्थापित रही है। 1962 से भारतीय फौजें वहां पर हैं। यह भू–भाग भारत का हिस्सा बना रहे, इस पर नेपाल कोई आपत्ति न करे, क्या इस संबंध में भारत की ओर से कूटनीतिक प्रयास किए गए हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विचारों में जो तथ्य हैं, उनको रखने का उन्होंने प्रयत्न किया है। मैं स्पष्ट कर दूं, काले पानी को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि कालापानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है, वह अपने आप में ठीक नहीं होगा। कालापानी एक नदी है और नदी का स्रोत कहां से आरम्भ होता है, इस पर दो विचार अवश्य हैं। अब यह तो मुझे नहीं मालूम कि वहां गढ़वाल के राजा राज करते थे या कुमाऊं के। वैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वह कुमाऊं का एक हिस्सा है। इसलिए जब तक सारे तथ्यों की जानकारी न हो, मै निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के संवेदनशील मामलों को कम से कम हमारी संसद में व्यर्थ में उठाकर कहना कि यह विवादास्पद मामला है, ऐसा न करें।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विदेश मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1815 की सुगौली संधि में भारत ने कौन–कौन से हिस्से नेपाल को दिए ओर उसके बदले में भारत ने कौन–कौन से हिस्से नेपाल से लिए ?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस संधि का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, वह बात सही है। इस बारे में सारी जानकारी लिखित रूप में मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, सवाल के जवाब में और माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि इस नदी के उद्‌गम के बारे में विचारों में भिन्नता है। यह भी कहा गया है कि जून, 1997 में पहली दफा इस विषय पर चर्चा और वार्ता शुरू हुई है। अगर यह 1815 की सुगौली संधि के आधार पर अभी तक चल रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विवाद कब उत्पन्न हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने इसे कब सुलझाने की कोशिश की तथा क्या यह सही है कि जून 1997 से पहले इसके ऊपर कोई चर्चा वार्ता नहीं हुई ?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निहित है, नेपाल में कुछ राजनैतिक तत्वों ने अवश्य इस विषय को कई प्रकार से बढ़ाने की कोशिश की थी। सुगोली की ट्रीटी का उल्लेख सही है। यह प्रश्न सन् 1997 के बाद एक–दो बार उठाया गया है। जब भी यह प्रश्न उठाया गया, हमने स्पष्ट कर दिया है कि बाउंडरी कमीशन टेक्नीकल रूप से इसकी जांच कर रहा है। पिछली बार जब भारत के प्रधान मंत्री जी नेपाल गये थे, तब भी उस बारे में कह दिया गया था और मुझे विश्वास है कि इस विषय पर हम सही समाधान निकाल लेंगे।

भारत-इजराइल संबंध

[अनुवाद]

\+

***44. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने और गृह मंत्री ने हाल ही में इजराइल की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिन पर दोनों के बीच चर्चा हुई;

(ग) बातचीत के क्षेत्रवार क्या परिणाम निकले ?

(घ) क्या इजराइल द्वारा भारत को किसी उन्नत प्रौद्योगिकी का अन्तरण किये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस प्रौद्योगिकी से क्या लाभ होंगे; और

(च) दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बेहतर बनाने हेतु आगे क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री जसंवत सिंह) : (क) जी हां, विदेश मंत्री तथा गृह मंत्री ने हाल ही में इजराल की अलग–अलग यात्राएं की।

(ख) भारत और इज़राइल के बीच चल रहा सहयोग बहुआयामी है इसमें व्यपार, आर्थिक, निवेश, कृषि, पर्यटन, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल है। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भारत–इजराइल द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाना है। आतंकवाद का सामना करने के लिए वार्ता करने पर सहमति हुई। इन यात्राओं के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान आधारित उद्योगों सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को भी खोजा गया।

(ग) मंत्रीस्तरीय संयुक्त आयोग स्थापित करने पर सहमति हुई जो दोनों देशों के बीच विभिन्न कार्यकलापों को सतत आधार पर एक साथ जोड़ेगा तथा उनकी निगरानी करेगा।

(घ) और (ङ) भारत और इजराइल के बीच सहयोग के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र शामिल हैं।

(च) हम इजराइल के साथ अपने परस्पर लाभकारी कार्यकलापों को विकसित करने के उद्देश्य से लगे हुए हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी...

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री से प्रश्न पूछ सकती हैं, कुछ कह नहीं सकती।

श्रीमती श्यामा सिंह : मुझे जो उत्तर मिला है वह बड़ा ही संक्षिप्त और मुख्यतः 'रक्षा' शब्द को पूरे उत्तर से निकाल दिया गया है। मैं माननीय विदेश मंत्री से उनकी इजरायल यात्रा के अवसर पर यह भी पूछना चाहूंगी कि रक्षा तकनीक, निगरानी तकनीक, शस्त्र, हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली एवं सभी प्रकार की असूचना उपकरणों सहित सभी उपकरणों की खरीद, जिन्हें एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की इजरायल यात्रा के दौरान किया जाना था और जिसे कारगिल युद्ध के दौरान 'फालकॅन' कूट नाम दिया गया था, का क्या हुआ ? उसके बाद, इसके सिवाय कि अमेरिका ने उन शस्त्रों को भारत को बेचे जाने का विरोध किया है, उन सभी खरीद का कोई वर्णन नहीं किया गया था। क्या यह सत्य है और इसमें कोई तथ्य है ?....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं। प्रश्न श्रीमती श्यामा सिंह द्वारा पूछा गया है और मंत्री महोदय उन्हें 'जी हां, महोदय' कहते हुए जवाब दे रहे हैं।....*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : आपने लिग–भेद में गलती की है आपने महिला को पुरूष कह कर संबोधित किया है ! ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समय काफी कम है एक और पुरुष सदस्य को भी अपना प्रश्न पूछना है।

श्री जसवंत सिंह: मैं प्रश्न और व्यवधान दोनों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ....*(व्यवधान)* जहां तक व्यवधान का संबंध है, मेरा जवाब असल में अध्यक्ष पीठ को ही सम्बोधित है और अतएव, मैने 'जी, हां महोदय' कहा है। अतः लिगंभेद करने में मुझे कोई कठिनाई अथवा गलती नहीं हुई है।

दूसरे, माननीय सदस्य ने मुझसे एक प्रश्न पूछते हुए यह आरोप लगाया है कि जवाब पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें 'रक्षा' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं इस दोषारोपण से चकित हूं। परन्तु सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए गए हैं और मैं भी उनके द्वारा संभवतः विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित किए गए उपकरणों की खरीद से संबंधित विभिन्न पत्रों से कुछ हक्का–बक्का सा रह गया हूं। जब मैं वहां था तब मैनें इसपर चर्चा की परन्तु इसे मैनें सभा से दूर रखा। मैं आपको इस मुद्दे पर विश्वास दिला रहा हूं कि सब कुछ ऐसा नहीं है। रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित मामलों पर मेरे द्वारा चर्चा नहीं की गई थी। परन्तु इस पर कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसी कल्पित उपकरण की खरीद पर कोई विरोध प्रकट किया है या नहीं, यदि माननीय सदस्या मुझे लिखेंगी तो, मैं निश्चित रूप से यह प्रयास करूंगा कि इससे संबंधित और देश की नियमित सुरक्षा पहलुओं से संबधित विवरण एवं विशिष्टताएं क्या है, मैं निश्चित ही इस विषय पर उन्हें पूरी जानकारी दूंगा।

लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं जानता कि इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं। ....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, कृपया इस विषय पर विशेषतः माननीय विदेश मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के संदर्भ में आधे घंटे की चर्चा हेतु अनुमति प्रदान करें।....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान करें ।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य आधे घंटे की चर्चा हेतु मांग कर रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री जसवंत सिंह : क्या मैं इसका जवाब दूं ? मैं माननीय सदस्यों से इस मुद्दे पर उत्तेजित न होने का अनुरोध करूंगा। कृपया सीटों पर बैठ जाइए। मुझे केवल आधें घंटे की चर्चा बल्कि विदेश नीति पर एक सम्पूर्ण चर्चा करने पर भी कोई परेशानी नहीं है। हम चर्चा करना चाहते हैं।....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमें इस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी की इजरायल यात्रा, उनकी टिप्पणियों एवं सभी बातों के साथ चर्चा करना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इन सभी बातों पर उस समय चर्चा करेंगे।

....*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, मुझे अपना दूसरा अनपूरक प्रश्न पूछना है। ....*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दालों का उत्पादन

*45. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों की तुलना में देश में दालों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारत–चीन और आस्ट्रेलिया में वर्ष 1995 से 1997 तक दलहन का प्रति हैक्टेयर उत्पादन निम्नवत् रहा :–

देश	उत्पादन कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर में		
	1995	1996	1997
भारत	567	537	587
चीन	1409	1610	1478
आस्ट्रेलिया	1172	1227	1065

चीन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों की तुलना में हमारे देश में दलहन उत्पादन में आने वाली निम्नलिखित विभिन्न बाधाओं के कारण प्रति हैक्टेयर दलहन उत्पादन कम है :–

1. वर्षा सिंचित स्थितियों में सीमान्त/उप–सीमान्त भूमि पर दलहन की खेती करना।
2. दलहन अत्यधिक कीट एवं रोग प्रवण होती है।
3. न्यूनतम आदान उपयोग।
4. दलहन की खेती अनाज व वाणिज्यिक फसलों की अपेक्षा कम लाभकारी है। अतः किसान ऐसी फसलों के लिए बेहतर भूमि व संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं।

(ग) देश में दलहन उत्पादन व उत्पादकता संवर्धन हेतु भारत सरकार दलहन को 1990 में प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन ले आई। इस निमित्त राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रमाणित बीजों, मिनिकिटों, रिजोबियम कल्चर, स्प्रिंकलर सैटों, उन्नत कृषि उपकरणों आदि के उत्पादन तथा वितरण आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा, किसानों के खेतों तक उन्नत उत्पादन व संरक्षण प्रौद्यागिकियों के अंतरण के लिए खेतों पर प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि देश में दलहन उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।

परमाणु मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*46. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में न्यूयार्क में परमाणु अप्रसार की समीक्षा करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रायोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) भारत द्वारा इस सम्मेलन में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया;

(घ) क्या परमाणु शक्ति सम्पन्न पांच देशों ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को पूर्णतया समाप्त करने हेतु किसी समय–सीमा को मानने से इंकार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) नाभिकीय अप्रसार संधि का छठा समीक्षा सम्मेलन 24 अप्रैल से 20 मई, 2000 तक न्यूयार्क में हुआ था। सम्मेलन का कार्य नाभिकीय निरस्त्रीकरण, सुरक्षा उपायों और नाभिकीय शस्त्र मुक्त क्षेत्रों तथा नाभिकीय ऊर्जा और शान्तिपूर्ण अनुप्रयोगों से संबंधित तीन प्रमुख समितियों से संबंधित रहा। दूसरी प्रमुख समिति के अधीन "इजरायल सहित क्षेत्रीय मुद्दों" पर एक सहायक निकाय गठित किया गया। सम्मेलन ने एक अन्तिम दस्तावेज पारित किया।

(ग) विगत की तरह और सन्धि के संबंध में अपनी स्थिति के अनुरूप भारत ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था।

(घ) और (ङ) सम्मेलन के अन्तिम दस्तावेज में नाभिकीय निरस्त्रीकरण और सन्धि के अनुच्छेद VI के अन्तर्गत नाभिकीय निरस्त्रीकरण तेज करने के लिए कतिपय व्यावहारिक उपायों पर "स्पष्ट वचन" का उल्लेख किया गया है। तथापि, नाभिकीय निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध नाभिकीय शस्त्र रखने वाले राज्यों की नाभिकीय अप्रसार सन्धि की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर विदेश

मंत्रालय ने 9 मई, 2000 को संसद में सरकार की स्थिति का उल्लेख किया था।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि

*47. **श्री वरकला राधाकृष्णन :**
श्री जय प्रकाश :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि (सी.बी.बी.टी.) पर हस्ताक्षर करने के प्रश्न पर देश में आम सहमति बनाने की जरूरत महसूस करती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारत और अमरीका महत्वपूर्ण बातचीत के कई दौरों के बाद व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि (सी.टी.बी.टी.) पर समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कुल कितने देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिये हैं;

(च) क्य प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अमरीका–यात्रा से पहले संधि पर हस्ताक्षर करने का सरकार का कोई विचार है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की सर्वानुमति बनाने के लिए संसदीय समिति में वक्तव्यों तथा विचार विमर्श के माध्यम सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार परामर्श एवं वार्ता के इस दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहती है।

(ग) और (घ) जून, 1998 में भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सहित बहुत से मसलों पर अमरीका तथा अन्य प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत में लगा हुआ है। यह बातचीत मई, 1998 में किए गए परीक्षणों के पश्चात् भारत द्वारा रखे गए व्यापक प्रस्तावों के आधार पर की गई है। अमरीकी सीनेट द्वारा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को अस्वीकार करने के पश्चात् संबंधित देशों में इस मसले पर राष्ट्रीय सर्वानुमति बनाने की महत्ता की बड़े पैमाने पर प्रशंसा की गई है। हालांकि इन वार्ताओं को सम्पन्न करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी दोनों देशों की यह मंशा है कि अनुसुलझे मसलों पर यथाशीघ्र स्थायी समझबूझ तैयार कर ली जाए।

(ङ) अब तक 155 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(च) और (छ) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के मसले पर सरकार का दृष्टिकोण केवल राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों पर आधारित है तथा रहेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन

*48. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बौद्धिक सम्पदा अधिकारों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विनियमन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए इस अधिनियम को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में कार्यवाही करने के लिए किये गये वैकल्पिक प्रबंधों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे के नियमन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए इसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे के नियमन से उत्पन्न होने वाली बौद्धिक संपदा अधिकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रमशः कॉपीराइट और एक नया इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण अधिनियम लाने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान की परमाणु क्षमता

*49. **श्री रामदास आठवले :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र भण्डार और इन्हें चलाने के साधन भारत की तुलना में अधिक प्रभावी, परिष्कृत और अपेक्षाकृत अधिक विशाल हैं;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के निर्माण में चीन और उत्तरी कोरिया उसकी मदद कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार पाकिस्तान की ओर से इस खतरे का मुकाबला करने और परमाणु शस्त्रों के भण्डारण के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत बनाने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को किस प्रकार से उठाने का है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) सरकार को अमरीकी अधिकारियों के आकलनों पर आधारित उन खबरों की जानकारी है, जिनमें पाकिस्तान के नाभिकीय और मिसाइल कार्यक्रम को पूर्व आकलनों से अधिक उन्नत बताया गया है। सरकार पाकिस्तान की नाभिकीय और मिसाइल क्षमताओं पर अपने ही मूल्यांकन पर विश्वास करती है।

(ग) और (घ) यह बात प्रमाणित है कि उत्तरी कोरिया ने पाकिस्तान को लम्बी दूरी की मिसाइलों, मिसाइल प्रौद्योगिकी और उपकरण देने में सहायता की है, गौरी नाभिकीय हथियारों को ले जाने की क्षमता वाली उत्तरी कोरियाई 'नोडोंग' मिसाइल का एक पाकिस्तानी रूप है। पाकिस्तान ने चीन से नाभिकीय क्षमता वाली एम–11 ठोस ईंधन मिसाइलें भी प्राप्त की हैं। उसने चीन सहित ठोस ईंधन मिसाइलों के उत्पादन से संबद्ध प्रौद्योगिकी और उपकरण भी प्राप्त किए हैं। नाभिकीय क्षेत्र में, चीन ने अन्य बातों के साथ–साथ, एक असुरक्षित अनुसंधान रिएक्टर तथा प्लूटोनियम पुनः प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने, रिंग मेगनेट, भारी जल, नैदानिक उपकरण इत्यादि प्रदान कर, सहायता प्रदान की है। यह आकलन किया गया है कि पाकिस्तान के मिसाइल और नाभिकीय कार्यक्रम को बाहरी सहायता मिलनी जारी है।

(ङ) सरकार हमारी सुरक्षा के लिए चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के मूल्यांकन के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति पूर्णरूप से वचनबद्ध है। सरकार ने विभिन्न मंचों पर विभिन्न निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के विद्यमान होने, और निर्यातक देशों द्वारा संयम तथा प्रतिबन्धों की घोषणाओं के बावजूद पाकिस्तान में सतत् नाभिकीय और मिसाइल प्रसार के भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाल दुष्प्रभाव को सुसंगत रूप में उजागर किया है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

***50. श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में कपास उत्पादक देशों में कपास की उपज 550 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जबकि भारत में यह लगभग 260 किलोग्राम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कपास की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1995–96 से 1997–98 के दौरान देश में कपास के फाहे की औसत पैदावार इसी अवधि में 574 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के विश्व औसत की तुलना में 239 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी।

(ग) कपास की पैदावार तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जनवरी, 2000 में मंजूरी दे दी है। इस मिशन में चार मिनि मिशन शामिल हैं। देश में कपास की पैदावार तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कृषि मौसमीय परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त नई तथा बेहतर किस्में/प्रौद्योगिकियां विकसित करने से संबंधित अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिनि मिशन–1 के अन्तर्गत किया जाएगा।

गहन कपास विकास कार्यक्रम की चालू स्कीम में संशोधन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए मिनि मिशन–2 के कार्यान्वयन का दायित्व कृषि एवं सहकारिता विभाग का है। गहन कपास विकास कार्यक्रम में विभिन्न विस्तार/विकासात्मक गतिविधियों जैसे खेतों पर प्रदर्शन/कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी अन्तरण, पिछले पन्द्रह वर्षों में जारी किस्मों के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति, पानी की बचत करने वाले उपकरणों जैसे छिड़काव तथा टपका प्रणाली के उपयोग, बीज डीलिन्टिंग मशीनों की स्थापना तथा जैव एजेन्ट यूनिट की स्थापना सहित कीट नियंत्रण संबंधी विभिन्न गतिविधियों, निगरानी, समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण छिड़काव यंत्रों/फैरोमोन ट्रैप/जैव एजेन्टों की आपूर्ति के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

वस्त्रोद्योग मंत्रालय मिनि मिशन–3 तथा मिनि मिशन–4 के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष मंत्रालय है। मिनि मिशन–3 का कार्य विपणन यार्डों के निर्माण, नीलामी केन्द्रों, ग्रेडिंग सुविधाओं, कपास की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना के माध्यम से विपणन के आधारभूत ढांचे का विकास करना है। मिनि मिशन–4 का उद्देश्य गुणवत्ता वाली कपास के उत्पादन हेतु जिनिंग तथा प्रेसिंग कारखानों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करना है।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

***51. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दरलाल तिवारी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादक किसान अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण अन्य फसलें उगाने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इसका चीनी उत्पादन पर क्या असर पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने इस निर्णय के बाद की स्थिति की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों की बकाया धनराशि के तत्काल भुगतान किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में तथा अखिल भारतीय स्तर पर गन्ने का क्षेत्र एवं उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे सारणी–1 में दिए गए हैं :

सारणी-1

(क्षेत्र : लाख हैक्टेयर, उत्पादन : लाख मी. टन)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		अखिल भारत	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1993–1994	17.61	1040.82	34.22	2296.59
1998–99	19.71	1163.02	40.76	2957.26
1999–2000*	19.63	1199.74	40.56	3093.07

* (अग्रिम अनुमान)

सारणी–1 से स्पष्ट है कि यद्यपि 1999–2000 में वर्ष 1998–99 के मुकाबले गन्ने के तहत क्षेत्र में मामूली गिरावट आने की संभावना है, तथापि, उत्तर प्रदेश में तथा अखिल भारतीय स्तर पर गन्ने के तहत क्षेत्र और उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि हुई है। यहां तक कि अधिक पैदावार के कारण वर्ष 1999–2000 में गन्ने का उत्पादन वर्ष 1998–99 की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) किसानों की देय भुगतान की बकाया राशि कम करने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए हैं :

(i) देश में आयातित चीनी के आवाह को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में, विद्यमान समान शुल्क 850/– रुपये प्रति मी. टन के साथ–साथ उत्पादन शुल्क बढ़कर 60 फीसदी कर दिया गया है।

(ii) दिनांक 1.1.2000 से घरेलू चीनी कारखानों का लेवी भार भी 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है। इससे चीनी कारखानों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी और वे किसानों को गन्ने का मूल्य अविलंब भुगतान करने में सक्षम हो सकेंगे।

(iii) घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य में स्थिरता तथा उचित स्तर बनाए रखने का प्रोत्साहन देने हेतु खुली बिक्री चीनी कोटा की न्यायोचित निर्मुक्ति। इससे चीनी कारखानों को अपनी आय बढ़ाने तथा बकाया राशि के भुगतान में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

मध्यावधि मूल्यांकन

***52. जी.एम. बनातवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना का कोई मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) जी, हां। योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) की प्रक्रिया आरम्भ की गई है ताकि उन वर्षों के संबंध में योजना के निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके जिनमें यह कार्यान्वित की जा चुकी है, और योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। यह प्रक्रिया प्रगति पर है। मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज के लिए गठित योजना आयोग की संपादकीय समिति ने प्रारूप अध्यायों की पुनरीक्षा की है और दस्तावेज को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। योजना आयोग में आंतरिक रूप से दस्तावेज के मसौदे को अन्तिम रुप दिए जाने के पश्चात् इसे पूर्ण योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी वृत्तिक

*53. **श्री सुकदेव पासवान :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी, जापान और कई अन्य देशों ने अपने देशों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी वृत्तिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार हेतु प्रवेश द्वार खोल दिऐ हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी वृत्तिकों के विदेशों में रोजगार प्राप्त करने से पूर्व उनके लिए कोई योजना/स्कीम/नियम व शर्तें तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई है और मुक्त आवागमन की पक्षधर है जिससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दीर्घकालीन अवसरों में वृद्धि होगी।

श्रीलंका की जातीय समस्या

*54. **श्री माधवराव सिंधिया :**

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट ने श्रीलंका की स्थिति तथा दोनों देशों द्वारा वहां उग्रवाद समाप्त करने तथा शांति बहाल करने की दिशा में निभाई जा सकने वाली भूमिका पर चर्चा करने के लिए मई में नई दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस दौरे के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) वहां चल रहे इस जातीय संघर्ष में भारत की भूमिका पर आम राय बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संघर्ष के आरम्भ होने के बाद कितने तमिल शरणार्थी भारत पहुंचे हैं;

(च) इस कार्य के लिए स्थापित शिविरों की संख्या, स्थान और क्षमता यदि कोई हों, सहित इन शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ज) बड़ी संख्या में तमिल शरणार्थियों के आगमन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) राजनैतिक मामलों के अमरीकी अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री थोमस पिकरिंग विदेश कार्यालय परामर्शों तथा विदेश सचिव के साथ एशियाई सुरक्षा वार्ता के सिलसिले में 24–25 मई, 2000 को नई दिल्ली की यात्रा पर आए। क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करने के भाग के रूप में दोनों पक्षों ने श्रीलंका की स्थिति की भी समीक्षा की।

दोनों पक्षों ने श्रीलंका की एकता तथा श्रेत्रीय अखण्डता के प्रति अपना–अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने स्थायी शान्ति तथा राजनैतिक समाधान का आह्वान किया जिससे श्रीलंका के सभी समुदाय अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें।

(ग) और (घ) सरकार इस संबंध में सभी संबंधितों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है। प्रधानमंत्री ने 8 मई, 2000 को एक अन्तर–दलीय बैठक की अध्यक्षता की।

(ङ) से (ज) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल, 2000 में युद्ध भड़कने के मौजूदा चरण से लेकर जून, 2000 तक 686 शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए थे। अधिकतर शरणार्थियों को शिविरों में ठहराया गया है जिसमें से 129 शिविर तमिलनाडु तथा एक उड़ीसा में है।

श्रीलंका के शरणार्थियों को दी गई सुविधाओं में शिविरों में आश्रय देना, नकद अनुदान देना, पहनने के लिए कपड़ा, कम कीमत पर राशन, बर्तन, शैक्षिक सहायता और चिकित्सा सहायता देना शामिल है।

जुलाई, 1983 से लेकर मार्च, 2000 तक सरकार ने श्रीलंका के शरणार्थियों के राहत कार्य पर लगभग 229 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

श्रीलंका से शरणार्थियों का आगमन वहां की अशान्त स्थितियों को पारलक्षित करता है जिसके फलस्वरूप लोग आन्तरिक रूप से तथा भारत में विस्थापित हुए हैं। भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार को शान्तिपूर्वक राजनैतिक समाधान के जरिए श्रीलंका में स्थायी शांति की स्थापना की अपनी वचनबद्धता से अवगत कराया है जिससे श्रीलंका के तमिल तथा

अन्य समुदाय श्रीलंका में अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकेंगे।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा का विकास

*55. **श्री डॉ. बलिराम :**
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा के विकास के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्य के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) इससे गांवों के विभिन्न कार्य–क्षेत्रों में कितनी मदद मिलने की संभावना है; और

(घ) इंटरनेट के सुचारु कार्यचालन के लिए अबाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) इस संबंध में एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त परियोजना (iii) के अंतर्गत अबाधित विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) तथा आरक्षित जनरेटर सामुदायिक सूचना केन्द्रों में उपलब्ध कराने की योजना है।

विवरण

योजनाओं तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे :

(i) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण तथा शिक्षण प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों में, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के लिए रोज़गार सृजन प्रशिक्षण योजना (ईजीटीएस) कार्यान्वित कर रहा है। इस उद्देश्य से वर्ष 2000–2001 के दौरान 3 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आज तक 7.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है तथा 43 संस्थानों को सहायता दी गई है। 9वीं योजनावधि के दौरान 5000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

(ii) ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा वर्ष 2000–2001 के लिए बजट परिव्यय 2.50 करोड़ रुपए है

- मध्य प्रदेश के झबुआ जिले के झबुआ खण्ड के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तैयार करना।
- वाटरशेड प्रबंध पर उपयोगिता पैकेज का विकास करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न किस्म के वाटरशेडों की आयोजना तथा प्रबंध के लिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन तथा विकास करना।
- पारिस्थितिकी और ग्रामीण विकास केन्द्र (सीईआरडी), पांडिचेरी में "ग्रामीण सूचना नेटवर्क के लिए कम्प्यूटर अनुप्रयोग"।
- भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के लिए कम कीमत वाली श्रव्य दृश्य प्रणाली का विकास करना।
- इन परियोजनाओं के फलस्वरूप अन्य बातों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक सूचना प्रणाली, सॉफ्टवेयर कार्यविधियों तथा आंकड़ा, सूचना प्रणाली का विकास होगा। इससे ग्रामीण प्रशासन, फसल की आयोजना तथा प्रबंध के लिए ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्तर के स्रोत नक्शों, वाटरशेड प्रबंध, जन स्वास्थ्य, मृदा संरक्षण तथा उपज प्रबंध एवं शिक्षण तथा प्रशिक्षण में सहायता मिलने की उम्मीद है।

(iii) सरकार 7 पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के 486 खण्डों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मूलभूत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है। आरम्भतः 30 खण्डों को शामिल करते हुए एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई है।

(iv) उपर्युक्त (iii) के लिए प्रायोगिक परियोजना की कुल लागत 14.98 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चालू वर्ष के दौरान लगभग 9.98 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है।

उम्मीद है कि इस परियोजना से

- संचार नेटवर्क के जरिए खण्ड स्तर के प्रशासन तथा जिला स्तर के बीच सूचना का आदान–प्रदान आसान होगा।
- निम्नलिखित को सहयोग देने वाली संचार संबंधी मूलसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान होंगी –
  - परस्पर सक्रिय अनुप्रयोग
  - डॉटाबेस संबंधी प्रश्न

* फाइल अंतरण
* ई–मेल
* इन्टरनेट की उपलब्धता
* वेब प्रकाशन

* ई–प्रशासन तथा ई–वाणिज्य का संवर्धन

(v) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भू–अभिलेख कम्प्यूटीकरण परियोजना तथा कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना (क्रिस्प) कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2000–2001 के दौरान 2.5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(vi) इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी भू–राजस्व प्रबंध सुदृढ़ होने तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं की निगरानी सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

पारस्परिक परमाणु प्रतिबन्ध

***56. श्री रूपचन्द पाल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामाबाद ने पारस्परिक परमाणु प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) 13 जून, 2000 को पाकिस्तान ने एक सरकारी वक्तव्य के जरिए यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार और पाकिस्तान, "इस क्षेत्र में नाभिकीय और परम्परागत शस्त्र होड़ के परिहार के लिए और अन्योन आधार पर विश्वास पैदा करने के लिए सामरिक नियंत्रण व्यवस्था" का अनुसरण करें। यह वक्तव्य अप्रसार संबंधी मामले पर अमरीका के साथ पाकिस्तान की बातचीत फिर से शुरू हो जाने की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था।

विकलांगों के लिए आरक्षण

***57. श्री राजीव प्रताप रूड़ी :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य और केन्द्र स्तर पर विकलांगों की श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु बड़ी संख्या में रिक्तियां बकाया पड़ी हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाएं जा रहे हैं,

(ग) क्या सरकार निगमित और निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण अनिवार्य बनाने हेतु अशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों की संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता), अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का विचार कर रही है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए अन्य कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सरकार को यह जानकारी है कि विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति में राज्य तथा केन्द्र स्तर पर बैकलॉग है। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न उपाय आरम्भ किए गए हैं। इनमें जहां तक विकलांग व्यक्तियों की भर्ती का संबंध है, पदों की पहचान करना तथा विशेष भर्ती अभियान शुरू करना और रिक्त पदों को भरने पर रोक को समाप्त करना शामिल है।

(ग) से (ङ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन का प्रस्ताव है। सरकार ने स्व–रोजगार के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के माध्यम से आसान–ऋण तथा सूक्ष्म–ऋण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के लिए और सरकारी संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराने के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय भी किए हैं। श्रम मंत्रालय व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक पुनर्वास के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देश में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं।

अमरीकी राजनेताओं का कश्मीर दौरा

***58. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमेरिका की शीर्षस्थ राजनीतिक हस्तियों ने कश्मीर का दौरान किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या सरकार राज्य में इनके दौरे के कार्यक्रम से अवगत थी; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) हाल ही में जिस अमरीकी

राजनैतिक व्यक्ति ने कश्मीर की यात्रा की, वह श्री डेविड बोनिआर है जो अमरीकी कांग्रेस के एक सदस्य हैं और जिन्होंने 24 से 29 अप्रैल, 2000 की अपनी भारत यात्रा के दौरान 27–28 अप्रैल, 2000 को श्रीनगर की यात्रा की।

(ख) श्री बोनिआर ने कहा था कि उनकी इस यात्रा का प्रयोजन भारत की जानकारी प्राप्त करना और जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति को बेहतर ढंग से समझना था। किसी विदेशी राजनैतिक गणमान्य व्यक्ति की ऐसी यात्राओं से जम्मू तथा कश्मीर के संबंध में भारत की स्थिति की जानकारी देने तथा उस राज्य की स्थिति की सही तस्वीर पेश करने का अवसर मिलता है जिसमें राज्य में सीमापार से आतंकवाद के फैलाव के साथ–साथ केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लोगों के हित–कल्याण के संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयास भी शामिल हैं।

(ग) सरकार को वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूतावास के जरिए कांग्रेस सदस्य श्री बोनिआर के कार्यक्रम की पहले से सूचना मिल गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक ऋण

*59. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) को अपनी राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1998 में विश्व बैंक से 1000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक ऋण की कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार को वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कारवाई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय को इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से ऋण के रूप में 100.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रशन एण्ड डेवलपमेंट से 96.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहित 239.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा 861.30 करोड़ रु. (अगस्त, 1997 के मूल्य पर) की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) यह परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। अब तक इस परियोजना के अंतर्गत 174.40 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है, जिसमें अनुसंधान पर व्यय की गई 94.5 करोड़ रु. की राशि, संगठन एवं प्रबंधन प्रणाली पर व्यय की गई 62.9 करोड़ रु. की राशि तथा प्रौद्योगिकी प्रसार को नया रूप देने पर व्यय की गई 16.7 करोड़ रु. की राशि शामिल है।

(घ) से (छ) कंप्यूटर क्रय के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि

*60. **श्री कृष्णम राजू :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ब्याज दर कम किए जाने के कारण पेंशन के भुगतान और अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए संसाधन जुटाने पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सीटू (सी आई टी यू) और अन्य संघों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार इस स्थिति से किस प्रकार निपटेगी ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) अप्रैल, 2000 से निधि की औसत आय में गिरावट और ब्याज दरों में सामान्य कटौती को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अब कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पर मिलने वाली ब्याज की दर को वर्ष 2000–2001 के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। तथापि, उन कर्मचारियों के संबंध में जो अप्रैल–जून, 2000 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, अप्रैल–जून, 2000 के मासिक शेष पर 12 प्रतिशत ब्याज के कारण अधिक अदायगी को माफ कर दिया गया है/बट्टे खाते डाल दिया गया है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज को अंशदाताओं के खाते में डाला जाता है और इस प्रकार भविष्य निधि पर ब्याज दर में कमी का पेंशन भुगतान और भविष्य निधि संगठन के अन्य क्रियाकलापों के लिए साधन जुटाने पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) चूंकि अप्रैल, 2000 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की औसत आय लगभग 11 प्रतिशत है, अतः कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए 11 प्रतिशत की दर से ब्याज की घोषणा पर्याप्त समझी जाती है।

मछलियों का आयात

449. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों ने मछली आयात करने संबंधी सरकार के कदम के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय मछली पालक मंच जिन्होंने 12 जून, 2000 से आन्दोलन शुरू किया था, की एक मांग यह थी कि मछली का आयात बंद किया जाए।

(ख) और (ग) यह भय कि मछली के आयात से मत्स्यन उद्योग बर्बाद हो जाएगा, सही नहीं है। देश में मछली का आयात सीमित है। इस समय देश में मत्स्य प्रसंस्करण संरचना का उपयोग उसकी स्थापित क्षमता के केवल लगभग 20 प्रतिशत तक ही होता है। प्रसंस्करण कर्ताओं/निर्यातकों द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में मछली निर्यात सामान्यतया पुनः निर्यात के लिए है। इससे निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा रोजगार सृजन का काफी प्रोत्साहन मिलता है।

[हिन्दी]

अभ्यर्थियों और रिक्त पदों के बीच अनुपात

450. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों और साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में कोई दिशा–निर्देश तैयार किया गय है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए उम्मीदवारों की संख्या का निर्धारण भर्ती अभिकरणों/विभागों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

सूखे की स्थिति से निबटने के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

451. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के तकनीकी दल ने आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति से निबटने के लिए आपातकालीन सहायता के रूप में 150 करोड़ से 200 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने के लिए 15 मई, 2000 को राज्य का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में सूखा पीड़ित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उपाय के रूप में विश्व बैंक द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विश्व बैंक के तकनीकी दल द्वारा किए गए दौरे एवं विश्व बैंक से ऋण यदि कोई हो, हेतु किऐ गए अनुरोध के बारे में इस मंत्रालय को कोई ब्यौरा नहीं भेजा है।

केरल में मछुवारों द्वारा ज्ञापन

452. **श्री टी. गोविन्दन :**
श्री पोन राधाकृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मछुआरा समुदाय ने हाल ही में अपनी मांगों के बारे में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या केरल में मत्स्य शीत गृह बनाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। केरल स्वतंत्र मत्स्य थोझीलाली परिसंघ राज्य समिति ने मार्च, 2000 में केरल के पारम्परिक मछुआरों की मांग के संबंध में केरल सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) केरल सरकार के मात्स्यिकी मंत्री ने 5.6.2000 को परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी तथा उसमें निम्नलिखित निर्णय लिऐ गऐ थे।

(1) मिट्टी के तेल के आयात तथा मात्स्यिकी विकास लिमिटेड (मत्स्यफेड) के लिए केरल राज्य सहकारी परिसंघ के माध्यम से मछुआरों को इसके वितरण के लिए कार्रवाई शुरू करना;

(2) मछुआरों को पेंशन बकाया का शीघ्र वितरण;

(3) नमूना परियोजनाओं को तैयार करना ताकि मछुआरिनों को लाभ पहुंचाने के लिए मछुआरिनों के लिए बचत–सह–राहत योजना को स्थानीय योजना में शामिल किया जा सके;

(4) ग्राम पंचायतों के अधीन खुदरा मछली बाजारों का नवीनीकरण जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबाजार 4 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(5) केन्द्र सरकार के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद मछुआरिनों के लिए बचत–सह–राहत योजना के क्षेत्र का विस्तार करना। इस विषय पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की टिप्पणियों के लिए अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) मत्स्यफेड ने कोचीन में 600 टन की स्थापित क्षमता के साथ एक शीत भंडारण संयंत्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, इसने राज्य मात्स्यिकी विभाग से बंद पड़े बर्फ संयंत्रों तथा शीत भंडार गृहों को ले लिया है ताकि उनका नवीनीकरण किया जा सके तथा अधिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना की जा सके।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

453. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में लगातार खराबी के कारण राजस्थान में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में लगातार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और इन स्टेशनों के परमाणु अपशिष्ट के बेहतर निपटान हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विद्युत उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों में लगातार जारी गतिविधियां और संयंत्रों को योजनाबद्ध और मजबूरन बंद किया जाना कम करना, संयंत्रों के बंद होने के मूल कारणों का विश्लेषण करना और उनको दूर करने की कार्रवाई करना, जैसे उपाय शामिल हैं। इन परमाणु बिजलीघरों से निकले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिए उपयुक्त उपाय मौजूद हैं और इनका उन्मोचन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ही है।

[अनुवाद]

बागवानी के संवर्धन हेतु योजना

454. श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक बागवानी के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार विशेषकर बिहार के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार बागवानी के संवर्धन हेतु कोई अन्य योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.वी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां। देश में बागवानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष (2000–2001) के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता का बिहार सहित राज्यवार ब्यौरा विवरण–I तथा II में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने बागवानी क्षेत्र में कई नए कदम उठाए हैं। उदाहरणार्थ बागवानी में मानव संसाधान विकास एवं पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी का विकास, जिन्हें पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और इनका कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा रहा है। सिक्किम सहित उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में बागवानी के समेकित विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वयन हेतु मंजूरी के अंतिम चरण में है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बागवानी स्कीमों हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग (बागवानी प्रभाग) द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1314.49	2750.67	1558.22	143.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.75	224.17	195.35	35.62
3.	असम	43.51	28.00	42.55	7.83
4.	बिहार	127.82	169.65	150.33	14.16
5.	गोवा	46.90	200.72	26.27	9.41
6.	गुजरात	206.65	258.60	372.87	162.16
7.	हरियाणा	88.07	342.06	263.16	74.26
8.	हिमाचल प्रदेश	37.00	106.27	95.05	21.71
9.	जम्मू एवं कश्मीर	825.94	267.00	225.89	95.40
10.	कर्नाटक	2752.18	3521.93	3109.95	85.22
11.	केरल	1904.28	1943.54	1422.49	127.22
12.	मध्य प्रदेश	297.66	478.41	474.70	102.18
13.	महाराष्ट्र	3270.05	4205.26	3168.55	311.72
14.	मणिपुर	300.12	109.59	146.03	35.36
15.	मेघालय	64.48	118.00	64.01	22.25
16.	मिजोरम	71.27	167.00	148.44	34.28
17.	नागालैंड	169.24	249.60	196.27	33.64
18.	उड़ीसा	739.30	749.72	1809.38	185.18
19.	पंजाब	103.00	168.22	59.98	9.54
20.	राजस्थान	443.53	192.29	623.90	74.22

1	2	3	4	5	6
21.	तमिलनाडु	883.29	1646.54	1485.69	189.68
22.	त्रिपुरा	69.58	89.38	91.17	17.17
23.	उत्तर प्रदेश	198.32	174.14	505.46	126.16
24.	पश्चिमी बंगाल	110.00	37.00	45.35	24.22
25.	सिक्किम	147.85	388.83	220.00	47.69
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	34.62	24.99	24.96	11.50
27.	चंडीगढ़	12.50	1.00	5.00	0.45
28.	दादरा एवं नगर हवेली	13.30	2.50	11.41	4.50
29.	दमण एवं दीव	14.80	5.00	11.20	2.50
	दिल्ली	57.00	88.47	6.30	10.60
31.	लक्षद्वीप	15.40	14.00	17.09	2.70
32.	पांडिचेरी	10.50	110.40	11.00	11.75

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बागवानी स्कीमों हेतु भारत सरकार की अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रदत्त सहायता।

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5	6
(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड					
1.	आन्ध्र प्रदेश	150.20	111.50	107.38	—
2.	गोवा	3.00	—	—	—
3.	महाराष्ट्र	204.95	467.58	270.16	59.40
4.	तमिलनाडु	242.47	17.77	35.69	—
5.	कर्नाटक	642.36	493.81	213.26	24.33
6.	केरल	46.65	4.80	34.11	24.99
7.	उत्तर प्रदेश	330.00	182.34	58.405	1.00
8.	मध्य प्रदेश	93.00	314.45	126.70	—
9.	उड़ीसा	5.00	82.20	94.40	—
10.	गुजरात	121.80	53.30	23.822	10.00

1	2	3	4	5	6
11.	बिहार	30.875	24.77	112.09	0.50
12.	पश्चिमी बंगाल	53.40	296.75	98.16	—
13.	मेघालय	—	7.50	—	—
14.	मणिपुर	12.40	10.50	2.025	
15.	मिजोरम	4.50	—	4.50	—
16.	असम	—	—	6.33	—
17.	अरुणाचल प्रदेश	4.30	8.75	—	—
18.	नागालैंड	7.00	22.75	14.50	—
19.	त्रिपुरा	—	1.30	—	—
20.	सिक्किम	—	7.50	2.10	—
21.	राजस्थान	22.10	146.48	28.90	6.74
22.	हरियाणा	37.24	18.70	20.44	—
23.	हिमाचल प्रदेश	55.08	68.12	55.385	—
24.	पंजाब	99.24	171.02	136.66	20.76
25.	जम्मू एवं कश्मीर	2.50	5.00	37.00	—
26.	दिल्ली	17.10	8.85	17.28	1.00
(ख)	**राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम**				
1.	गुजरात	11.50	3.00	—	—
2.	हिमाचल प्रदेश	8.55	—	8.00	39.55
3.	कर्नाटक	39.739	55.02	36.00	—
4.	केरल	7.11	37.764	60.80	—
5.	मध्य प्रदेश	251.699	105.28	129.99	—
6.	महाराष्ट्र	169.20	11.325	836.48	32.625
7.	मणिपुर	—	15.925	—	—
8.	नागालैंड	12.878	38.265	—	—
9.	उड़ीसा	24.75	49.00	87.90	—
10.	तमिलनाडु	—	105.75	—	—
11.	पश्चिमी बंगाल	257.968	82.727	885.489	2.138

स्वरोजगार योजना

455. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनके लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषतः महाराष्ट्र सरकार को इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत योजना–वार और राज्य–वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए एक आवेदन को जिस प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसका ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोनस की सीमा को बढ़ाया जाना

456. श्री अबुल हसन खां : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कर्मचारियों और कामगारों के लिए बोनस की सीमा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि पात्रता सीमा तथा गणना की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जा सके।

यूरेनियम खानें

457. श्री राशिक अलवी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और केरल में यूरेनियम खानों के पर्यावरण और मनुष्यों पर पड़ने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं/करने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार राज्य विधायी परिषद की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकी यूनिट के विकिरण विशेषज्ञों और राज्य सरकार के तथा यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल) अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों के एक दल ने जादुगोडा के आसपास के 17 गांवों का घर–घर जाकर सर्वेक्षण किया और लगभग 4000 व्यक्तियों की जांच की। इस प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद चुनींदा व्यक्तियों का यूसिल के अस्पताल में और टाटा मुख्य अस्पताल, जमशेदपुर में विस्तृत रोगविज्ञानी व अन्य परीक्षण किए गए। इस दल ने अन्त में छटनी कर ऐसे 29 मामलों को चुना जिनकी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विकिरण विशेषज्ञों द्वारा इस बात के लिए आगे और जांच की जानी थी कि क्या इन मामलों के लिए विकिरण के प्रभावों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तदनुसार, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य भौतिकविदों के एक दल के जादुगोडा का दौरा किया तथा राज्य सरकार, यूसिल अस्पताल व टाटा मुख्य अस्पताल के डाक्टरों के साथ, छटनी के बाद चुने गए मामलों की जांच फिर से की। विशेषज्ञों के इस दल की जांच के निष्कर्षों के अनुसार, इन मामलों में से किसी में भी रोग के लक्षणों के लिए विकिरण के प्रभाव को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

संक्षेप में, यूसिल के परिचालनों से क्षेत्र विशेष में स्थानीय लोगों पर या पर्यावरण पर जिसमें पौधे, मछलियां, खाद्य पदार्थ, जल, भूमि आदि शामिल है, कोई खतरनाक प्रभाव नहीं पड़ता है।

केरल में यूरेनियम की कोई खाने नहीं हैं। कुछ मोनाजाइट युक्त पुलिन बालुका खनिजों का खनन और संसाधन, भारी खनिजों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) खान में काम करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं पहले से ही स्थापित हैं। यूसिल की खानों/संयंत्रों से उन्मुक्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों की वजह से जादुगोडा में और उसके आस–पास विकिरण के स्तरों को नियमित रूप से मापा जाता है और वे, इस संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं जोकि अन्तर्राष्ट्रीय विकिरण बचाव

आयोग (आईसीआरपी) की सिफारिशों पर आधारित होती हैं, के भीतर ही होते हैं।

[हिन्दी]

मिसाइल डाटा सेन्टर की स्थापना

458. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने अमरीका के साथ मिसाइल 'डाटा सेन्टर' की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत के हित की पूर्णतः उपेक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस ने भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को ताक पर रखकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) मास्को में पिछले महीने शिखर सम्मेलन की बैठक में रूस और अमरीका मिसाइलों को छोड़ने अथवा उपग्रह छोड़ने के यानों पर दोनों देशों के अंतरिक्ष और भू–आधारित चेतावनी प्रणालियों से प्राप्त डाटा के आदान–प्रदान के लिए संयुक्त समझौता ज्ञापन के तहत एक संयुक्त डाटा एक्सचेंज सेन्टर स्थापित करने पर सहमत हुए। अन्य राज्यों द्वारा छोड़े गए उपग्रहों से संबंधित सूचना के आदान–प्रदान को शामिल करके इसमें चरण बद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन उन डाटाबेसों के लिए परिस्थितियां तैयार करने का भी हवाला देता है जिनका बहुपक्षीय क्षेत्र के भाग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सौ दिवसीय रोजगार

459. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार आश्वासन योजना के तहत् गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सौ दिवसीय रोजगार देने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवार कितने हैं जहां परिवार में दो से अधिक सदस्यों को सौ दिवसीय रोजगार दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) रोजगार आश्वासन योजना का पुनर्गठन 1.4.1999 से किया गया तथा यह योजना वेतन रोजगार चाहने वाले समस्त ग्रामीण निर्धनों के लिए है। पुनर्गठित रोजगार आश्वासन योजना के अनुसार, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, निर्धारित संसाधनों के भीतर श्रम सघन कार्यों को करते हुए अधिकतम सीमा तक वेतन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है (60 : 40 वेतन–सामग्री का अनुपात बनाए रखा जाता है)।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मिल्क बूथ

460. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आठ वर्ष पहले निर्मित किए गए दिल्ली दुग्ध योजना के मिल्क बूथों ने आज तक काम करना शुरू नहीं किया है और इन मिल्क बूथों पर, विशेषकर दक्षिण दिल्ली में आपराधिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बूथ कितने हैं;

(ग) सरकार का विचार इन बूथों का उपयोग करने का अथवा इन्हें गिराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) आठ वर्ष पहले निर्मित किए गए दिल्ली दुग्ध योजना के सभी बूथ कार्य कर रहे हैं और इन पर, विशेषकर दक्षिण दिल्ली के आपराधिक तत्वों द्वारा कब्जा नहीं किया गया है।

ई.एस.आई. स्वास्थ्य सुविधाएं

461. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के किन–किन स्थानों पर ई एस आई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के कुछ अन्य भागों में भी ई एस आई स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) कर्नाटक

में 35 केन्द्रों पर कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तैयार किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना मनचनाहल्ली, बिदर, व्यासनकेरे और कारवार/बिनगा तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

अ.जा./अ.ज.जा. के रिक्त पद

462. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या प्रधान मंत्री "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद" के बारे में 26 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4817 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां,

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :

विभाग में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया उनकी संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति
1997	224	56	97
1998	288	51	221
1999	174	37	342

31–3–2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :

(i) अनुसूचित जाति = 78

(ii) अनुसूचित जनजाति = 413

(iii) अन्य पिछड़ी जातियां = 453

विभाग द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं :

(i) उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामांकन भेजन के लिए रोजगार कार्यालय/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठनों को जरूरी अधिसूचनाएं भेजी जा रही हैं और,

(ii) इन रिक्तियों के बारे में विज्ञापन भी दिया जा रहा है।

खानों में दुर्घटनाएं

463. **श्री मोइनुल हसन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खानों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं :

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष–वार कुल कितने व्यक्तियों की मौत हुई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) देश में खानों में हुई दुर्घटनाओं और हड़तालों की कुल संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नवत् रहीं :–

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या
1997	1155	242
1998	967	218
1999	761	219

ये घटनाएं खानों में मुख्यतः छत गिरने, दीवार गिरने, रस्सी टूटने, डंपर, ट्रक, टैंकर और अन्य मशीनों, विस्फोटों; व्यक्तियों के गिरने और सामानों के गिरने आदि से घटीं।

(ग) खानों में सुरक्षा के सुधार के लिये विस्तृत उपाय खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित किये गए हैं। उनका अनुपालन करना खान प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्रत्येक खान मालिक और अभिकर्ता वित्तीय और अन्य व्यवस्थाएं करने एवं सुरक्षा कानूनों के अनुपालन के लिये यथा आवश्यक कदम उठाने के लिये जिम्मेदार हैं। खान सुरक्षा महा निदेशालय की यह जिम्मेदारी है कि वह तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कानूनों को अद्यतन करें और साथ ही उन्हें व्यापक व्यवहारिक और कानूनी दृष्टि से सुदृढ़ बनायें एसं सुरक्षा कानूनों के अनुपालन की

निगरानी हेतु खानों का समय–समय पर निरीक्षण करें। सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसी दुर्घटना की जांच की जानी चाहिए जिसमें खान श्रमिकों की मृत्यु हुई हो। कानूनी उपायों के अतिरिक्त सरकार अन्य बातों के साथ प्रोत्साहन के रूप में निम्नलिखित कदम भी उठा रही है :–

1. खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन
2. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
3. व्यावसायिक प्रशिक्षण
4. सुरक्षा सप्ताह तथा अभियानों आदि को मनाया जाना
5. प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा प्रतियोगिता का आयोजन
6. सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी
7. प्रबंधन द्वारा स्व–नियमन
8. उन्नत पाठ्यक्रमों में निरीक्षण स्टॉफ को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उनकी कार्य क्षमता को अद्यतन किया जा सके।

राज्यों को अतिरिक्त सहायता

464. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी वर्षा से महाराष्ट्र समेत अनेक राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के किसी दल ने वर्षा के कारण हुए नुकसान का निर्धारण करने के लिए राज्यों का दौरा किया है अथवा दौरा करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, इसके परिणामस्वरूप राज्य–वार कितनी जानें गईं और पशुधन और फसलों का कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या राष्ट्रीय आपदा निधि के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वर्षा–प्रभावित राज्यों को दी जा रही है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी. के. सत्यनारायण राव) :- (क) जी, हां।

(ख) दलों ने गोवा और अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था।

(ग) अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, केरल तथा पंजाब सरकारों ने क्रमशः 26, 13, 5, 17 तथा 1 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना दी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने 6000 पशुओं के मारे जाने की सूचना दी है जिनमें बकरियों तथा कुक्कुट की संख्या के अलावा 1060 भैंसें तथा 2071 सुअर हैं। अरुणाचल प्रदेश तथा असम ने 0.03 लाख हैक्टेयर तथा 0.55 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र में नुकसान की सूचना दी है। अन्य राज्यों ने ये विवरण नहीं दिए हैं।

(घ) से (च) तत्काल राहत उपायों के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की किश्तें राज्यों को जारी कर दी गई हैं। वर्ष 2000–2001 के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय हिस्सा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	77.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.40
3.	असम	15.66
4.	गोवा	0.34
5.	गुजरात	131.14
6.	हरियाणा	15.69
7.	हिमाचल प्रदेश	8.44
8.	जम्मू और कश्मीर	6.17
9.	कर्नाटक	13.11
10.	केरल	17.34
11.	मध्य प्रदेश	31.98
12.	मणिपुर	1.56
13.	मेघालय	1.76
14.	मिजोरम	0.80
15.	नागालैण्ड	0.53
16.	उड़ीसा	30.70

1	2	3
17.	पंजाब	16.95
18.	राजस्थान	168.18
19.	सिक्किम	2.95
20.	तमिलनाडु	18.59
21.	त्रिपुरा	1.41
22.	उत्तर प्रदेश	39.18
23.	पश्चिम बंगाल	32.13
	कुल :	636.79

[हिन्दी]

पासपोर्ट छापने वाली मशीन

465. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट प्रिन्ट करने वाली मशीन की सुविधा प्रारम्भ की है;

(ख) दिल्ली में उक्त पद्धति लागू होने के बाद अब पासपोर्ट कार्यालय बनाने में कम से कम कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) बाकी क्षेत्रीय कार्यालयों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) पासपोर्ट जारी किये जाने की प्रक्रिया वही है। केवल इतना ही परिवर्तन किया गया है। कि हस्तलिखित पासपोर्ट पुस्तिकाओं के स्थान अब पासपोर्ट पुस्तिकाओं की लिखाई मशीन से की जाएगी। कोई भी पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एक पूर्वापेक्षा है और इसमें सामान्यतः कम से कम चार सप्ताह का समय लगता है। अतः कुल मिलाकर पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले 35 दिन के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) पासपोर्ट को मशीन से लिखने का काम एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली में आरंभ किया गया है। और इस प्रौद्योगिकी के सफल परीक्षण के पश्चात् अन्य कम्प्यूटरीकृत पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट मशीन से लिखने का काम चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा।

विदेश मंत्री का चीन दौरा

466. श्री प्रभात सामंतराय :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में चीन के साथ संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में उन्होंने बीजिंग की यात्रा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा जताई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (च) विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह जून, 1999 में चीन की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने विश्वासोत्पादक उपाय प्रक्रिया को तेज करने, कोई सुरक्षा संवाद आरम्भ करने, राजनयकि संबंधों की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ मनाने और अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और कार्यात्मक सहयोग को और आगे बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हाल ही में, राष्ट्रपति राजनयिक संबंधों की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर 28 मई से 3 जून, 2000 तक चीन की सरकारी यात्रा पर गए। दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए तथा लोगों–से–लोगों के बीच बेहतर संपर्क संवर्धित करने के लिए सहमत हुए।

हमारे संबंध अन्य बातों के साथ–साथ, सरकारी, संसदविद, विद्वानों और अन्य लोगों के स्तर पर आदान–प्रदानों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहें हैं तथा सुधर रहे हैं। भारतीय पक्ष की ओर से, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री क्रमशः फरवरी तथा जुलाई, 2000 में चीन की यात्रा पर गए। चीनी पक्ष की ओर से डै बिंगूओं, चीन के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री और विदेश मंत्री त्यैंग ज्यांन मार्च और जुलाई, 2000 में क्रमशः भारत के दौरे पर आए। दोनों पक्ष पंचशील की रूपरेखा के आधार पर चीन के साथ मैत्री, सहयोगी, अच्छे पड़ोसी और परस्पर रूप से लाभकारी संबंध संवर्धित करने के लिए सहमत हुए हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

467. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) अन्तर्राष्ट्रीय भूमि सीमा वाले सभी राज्यों के सीमा ब्लॉकों में पहले से अमल में है। बीएडीपी 16 राज्यों को कवर करता है यथा, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजराज, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर,मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा,उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के पास स्थित दूर–दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। बीएडीपी 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्तपोषित एक क्षेत्र कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली स्कीमों का निर्धारण संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा किया जाता है। स्कीमें, सीमा क्षेत्रों में रह रहे लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विशेष समस्याओं पर ध्यान देने के लिए डिजाइन की जानी है।

[अनुवाद]

बेरोजगारों को भत्ता

468. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास

469. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कितने पुनर्वास केन्द्र चल रहे हैं,

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों के उपचार हेतु बिहार में कुछ और एकीकृत पुनर्वास केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) बिहार के निम्नलिखित जिलों में राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों के सहयोग से 11 जिला केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है :– साहिबगंज (2) चम्पारण, (3) भागलपुर, (4) मुजफ्फरपुर, (5) गया, (6) हजारीबाग, (7) रांची, (8) दरभंगा, (9) सिंहभूमि, (10) देवगढ़ और (11) नवादा।

[हिन्दी]

कर्मचारी संघ

470. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.सी.एस. (आर.एस.ए.) नियम, 1993 के प्रावधानों के अधीन किन–किन केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इन मान्यताप्राप्त कर्मचारियों के संघों की सदस्यता अपेक्षित 35 प्रतिशत से ज्यादा थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रालय में द्वितीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के संघों की सदस्यता कितनी है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1993 के उपबन्धों के अनुसार दस सेवा संघों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था जिसमें से दो, अर्थात केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी–संघ तथा केन्द्रीय सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारी–संघ

को 35 प्रतिशत अथवा अधिक सदस्यता के मानदण्ड के आधार पर मान्यता दी गई है। पदोन्नत सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों/अवर श्रेणी लिपिकों तथा समूह "घ" कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन संघों का विलय करके एक संयुक्त संघ अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारी संघ बना दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भाग लेने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को मिलाकर 33 संवर्ग–नियंत्रक प्राधिकारी हैं, जो अपने–अपने संवर्गों से संबंधित समूह "ख" से समूह "घ" तक (श्रेणी–II से श्रेणी IV तक) के कर्मचारियों को नियंत्रित करते हैं। समूह "ख" से समूह "घ" के कर्मचारियों की संवर्ग–वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1993 के शर्तों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय के सेवा संघों को मान्यता श्रेणीवार दी जाती है, संवर्ग–वार नहीं। किसी श्रेणी विशेष में कर्मचारियों की कुल संख्या के न्यूनतम 35 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवा संघों को उक्त नियमों के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है। कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उसके प्रतिशत सहित मान्यता प्राप्त संघों द्वारा सदस्यता का प्रतिनिधित्व, श्रेणी–वार दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय सचिवालय में समूह "ख" (श्रेणी–II) से समूह "घ" (श्रेणी IV) तक के कर्मचारियों की संवर्गवार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण।

जून, 1998 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	संवर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या (समूह "ख" से समूह "घ" तक)
1	2	3
1.	कृषि एवं सहकारिता	772
2.	नागर विमानन	462
3.	कोयला	127
4.	वाणिज्य	976
5.	कम्पनी कार्य	196
6.	उपभोक्ता मामले	137
7.	रक्षा	1308
8.	शिक्षा	1469
9.	पर्यावरण	587
10.	उर्वरक	358
11.	वित्त	2285
12.	खाद्य	534
13.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	926
14.	गृह	3654
15.	औद्योगिक विकास	1462
16.	सूचना एवं प्रसारण	1120
17.	श्रम	926
18.	विधि	460
19.	खान	180
20.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	234
21.	योजना आयोग	774
22.	डाक	566
23.	विद्युत	1419
24.	ग्रामीण विकास	450
25.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	430
26.	इस्पात	221
27.	पूर्ति	1259
28.	भूतल परिवहन	722
29.	संचार	1488
30.	संघ लोक सेवा आयोग	1464
31.	शहरी विकास	1463
32.	जल संसाधन	1197
33.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	365
	कुल	29,991

विवरण-II

केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या और मान्यता प्राप्त संघों की सदस्यता दर्शाने वाला विवरण

जून 1998 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	स्टाफ–श्रेणी	पदासीनों की कुल सं.	संघ का नाम	चेक–आफ प्रणाली के अनुसार सदस्यता	सदस्यता का प्रतिशत
1.	पदोन्नत अनुभाग अधिकारी	1986	केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी–संघ	0765	38.52
2.	पदोन्नत सहायक	3353	केन्द्रीय सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारी–संघ*	1923	57.35
3.	उच्च श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक	9218	तदैव	4400	47.73
4.	समूह "घ" कर्मचारी	7649	तदैव	3713	48.54

* केन्द्रीय सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारी–संघ, केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की तीन श्रेणियों–पदोन्नत सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों/अवर श्रेणी लिपिकों और समूह "घ" का प्रतिनिधित्व करता है।

विकिरण से सुरक्षा हेतु नियम निदेशालयों की स्थापना

471. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकिरणों से सुरक्षा हेतु राज्य स्तरीय निदेशालय स्थापित करने तथा उसे विकिरण से सुरक्षा हेतु नियम बनाने के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या समय–सीमा तय की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य क्या निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विकिरण से सुरक्षा को मानीटर करने के लिए राज्य स्तर पर निदेशालय गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है,

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परियोजनाओं और परिचालनरत संयंत्रों के मामलों में सुरक्षा पुनरीक्षा की मौजूदा प्रणाली जारी रखी जाएगी। इस बात को नद्दे नजर रखते हुए, किन्हीं और निरोधक उपायों की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन

472. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद ने बकाया रिक्त पदों को भरने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक परिपत्र के कारण उत्पन्न अशक्तता को दूर करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा बकाया रिक्त पदों को भरने के संबंध में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों को जारी किए गए नए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा बकाया रिक्त पदों के

भरने के लिए अनुदेश कब तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) संसद द्वारा पारित संविधान (इक्यासिवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुपालन में, सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को विशिष्ट समूह के रूप में मानने तथा ऐसी रिक्तियों को आरक्षण की 50% की सीमा से अलग रखने के बारे में अनुदेश पहले ही 20.07.2000 को जारी कर दिए थे।

[हिन्दी]

मछलियों की खरीद

473. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जलपोतों और लदान केन्द्रों पर फेंकी गई मछलियों के कारण सरकार को हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने सस्ती दर पर उपलब्ध मछलियों के इस्तेमाल से सान्द्रित प्रोटीन (कॉनसन्ट्रेट), मछली के पतले बिस्कुट (फिश वेफर), मछली की चटनी, (फिश सॉस), मछली का शोरबा (फिश सूप), मछली के लड्डू (फिश बॉल) और मछलियों का चारा (फिश फीड) जैसे उत्पाद तैयार करने हेतु कोई पहल की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान जहाजों तथा लदान केन्द्रों पर मछली के ढेर लगाने के कारण हुए घाटे संबंधी किसी मामले की जानकारी नहीं मिली है।

(ख) और (ग) जी, हां। निम्नलिखित योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से कम मूल्य की मछली का उपयोग करके प्रोटीन सांद्रण, फिस वेफर, फिस सॉस, फिस सूप, फिस बॉल तथा फिश फीड जैसे वाणिज्यिक उत्पादों को तैयार करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं :—

(1) इस मंत्रालय के अंतर्गत एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन के माध्यम से मछली निकालने के बाद की प्रबंध व्यवस्था तथा विपणन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए कम मूल्य की मछली का उपयोग करने के साथ–साथ मछली का प्रसंस्करण, संरक्षण तथा विपणन के लिए मूलभूत सुविधाओं हेतु योजनाएं।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन द्वारा उक्त वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन के लिए अन्तरण योग्य प्रौद्योगिकियों का विकास।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जल का अभाव

474. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तेजी से घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने यह संकेत दिया है कि महाराष्ट्र राज्य की स्थिति राजस्थान की तरह होती जा रही है और भविष्य में उस गंभीर जलाभाव का सामना करना पड़ सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जल के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु लोगों को शिक्षित करने का है;

(ङ) क्या कई अन्य राज्य देश में अत्यधिक जलाभाव की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस प्रकार उत्पन्न हो रहे जलाभाव को रोकन हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (झ) प्राकृतिक जल वैज्ञानिक चक्र के अनुसार देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता कमोवेश एक समान रहती है। देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धतर, बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्तरोत्तर कम हो रही है। सन् 2000 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता लगभग 1869 घनमीटर होने का अनुमान है।

नदियों में जल की उपलब्धता का आकलन नदी बेसिन–वार किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 1993 में किए गए जल संसाधन क्षमता के आकलन के अनुसार देश में मुख्य नदी वेसिनों में जल की औसत वार्षिक उपलब्धता और सन् 2000 वर्ष के लिए अनुमानित जनसंख्या के वास्ते प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार 1000 घनमीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष से कम जल उपलब्धता वाली कोई भी स्थिति, जल की कमी की स्थिति मानी जाती है। इस मानदंड के अनुसार जल की कमी की स्थिति आठ नदी वेसिनों में मौजूद है अर्थात् पेन्नार, पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कावेरी, लूनी, साबरीमती तापी, माही सहित कच्छ और सौराष्ट्र को पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और महानदी तथा गोदावरी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। महाराष्ट्र राज्य का एक भाग जो तापी वेसिन में आता है उसमें भी जल की कमी वाली स्थिति है।

सरकार ने देश में सिंचाई जल उपयोग की कुशलता में सुधार करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा जल संसाधन समेकन परियोजनाएं जैसे विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने दीर्घकालिक उपाय के रूप में जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है, इसमें जल की कमी वाली वेसिनों को जल की अधिकता वाले वेसिनों से जल का हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत जल विभाजक प्रबंध कार्यक्रम कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और छत के वर्षा जल–संचयन के जरिए वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने कृत्रिम भूमि जल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं।

विवरण

भारत की वेसिन–वार जल संसाधन क्षमता और प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता

क्रम सं.	नदी वेसिन	औसत वार्षिक सतही जल उपलब्धता (बिलियन घन मी.)	प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता (घन मीटर) 2000
1	2	3	4
1.	सिन्धु	53.31	1482
2.	गंगा	725.02	1239
3.	ब्रह्मपुत्र और बराक	585.6	14057
4.	गोदावरी	110.54	1734
5.	कृष्णा	78.12	1088
6.	कावेरी	21.36	619
7.	सुवर्णरेखस	12.37	1118
8.	ब्राहमनी वैतरणी	28.48	2463
9.	महानदी	66.88	2131
10.	पेन्नार	6.32	550
11.	माही	11.02	888
12.	साबरमती	3.81	307
13.	नर्मदा	45.64	2628
14.	तापी	14.88	853
	निम्न के बीच पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां		
15.	क. तापी से ताप्ती	87.41	2870
16.	ख. ताप्ती से कन्याकुमारी	113.51	2950
17.	ग. लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की ओर बहने वाली नदियां	15.1	579
18.	पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	22.52	808
19.	ख. पेन्नार से कन्याकुमारी	16.46	311
20.	राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र		
21.	बंग्लादेश और म्यामार में छोटी नदियों का निकास	31	12500
	कुल	1869.35	

[अनुवाद]

गुजरात में कॅयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना

475. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में कॅयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार की क्या कार्य योजना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना

476. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अन्तर्गत प्रायोजित किये गये मुख्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं और सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) यह मंत्रालय, लघु, अति लघु, खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास की कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रमुख योजनाओं में से कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना देश के शहरी एवं ग्रानीण, दोनों क्षेत्रों में एक मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 1993 में शुरू की गई थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग क्रियाकलापों के संवर्धन और विकास के लिए खादी क्षेत्र को ब्याज आर्थिक सहायता तथा ग्रामोद्योग को मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है। एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार प्रत्येक केन्द्र को रुपये 2 करोड़ (पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए 4 करोड़) अनुदान के रूप में प्रदान करती है और सिडबी द्वारा रुपये 3 करोड़ ऋण के रूप में अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। परियोजना के लिए भूमि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 1999–2000 में इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के विद्यमान कार्यक्रम में सामजस्य स्थापित करके अग्रणी एवं पिछड़े संपर्कों सहित ग्रामीण कलस्टरों का विकास किया जाता है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग की मदों की आरक्षित सूची में परिवर्तन

477. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की आरक्षित सूची में परिवर्तन के लिए मंत्री स्तर की एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति किस तारीख को गठित की गई थी, इसके सदस्य कौन–कौन हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसे कौन–कौन से काम सौंपे गए हैं;

(ग) क्या इसके विचारार्थ विषयों में लघु उद्योग द्वारा विनिर्मित की जाने वाली आरक्षित मदों की सूची में परिवर्तन करने का काम भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आरक्षित सूची में परिवर्तन की क्या आवश्यकता है और लघु उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार ने 28 जून, 2000 को निम्न मंत्रियों से युक्त और विचारार्थ विषयों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया है :–

श्री एल. के. अड़वानी	–	गृह मंत्री
श्री मुरासोली मारन	–	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
श्री काशीराम राणा	–	वस्त्र मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	–	वित्त मंत्री
श्री के.सी. पंत	–	उपाध्यक्ष, योजना आयोग
श्रीमती वसुंधरा राजे	–	लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री, परमाणु

ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री

विचारार्थ मुद्दे :

(1) लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों तथा विशिष्ट सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, लघु उद्योग क्षेत्र को सशक्त बनाने विशेष रूप से क्यू आर को विखंडित करने के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसके परिणामस्वरूप वृद्धि करने हेतु आवश्यक और नीतिगत उपायों का समन्वित और संतुलित पैकेज बनाना।

(2) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वर्तमान में आरक्षित उत्पादों के सम्बन्ध में चुनिंदा अनारक्षण के लिए एक रोड मैप विचारार्थ तैयार करें ताकि चरणबद्ध और विधिवत पारगमन और बढ़ती राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के योग्य बनाने के सम्बन्ध में जो भी आवश्यक हो, विचार किया जाए।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में केवल विनिर्माण के लिए मदों के आरक्षण और अनारक्षण के सम्बन्ध में सरकार ने निरंतर आधार पर जांच–पड़ताल की है और इस सम्बन्ध में सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है।

वर्षा जल संग्रहण

478. श्री मोहन रावले :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वर्षा जल संग्रहण संबंधी दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सेमीनार में प्रधान मंत्री द्वारा कौन–कौन से मुख्य मुद्दे सुझाए गए ;

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई ; और

(घ) उपलब्ध जल संसाधन के उचित प्रबंधन और जल संकट पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी हां। वर्षा जल संचयन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 22 और 23 मई, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) प्रधानमंत्री ने जल को संरक्षित और जमा करने तथा भूजल का वैज्ञानिक और न्यायसंगत ढंग से उपयोग करने की प्रभावी नीति तैयार करने पर बल दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर उपयुक्त नीतियां और पद्धतियां तैयार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी बहस करने का भी आहवान किया।

(ग) संगोष्ठी में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गये सुझावों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई में नौंवी योजनावधि के दौरान 25.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन करना शामिल है। यह स्कीम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यान्वित की गई है। सरकार ने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा शहरी क्षेत्रों में भवनों की छत पर वर्षा जल एकत्र करने को आवश्यक बनाने के लिए भी कार्रवाई शुरू की है। भूजल को वैज्ञानिक और न्यायोचित ढंग से काम में लाना सुनिश्चित करने तथा इसका अति दोहन रोकने की दृष्टि से, सरकार ने केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया है जिसे क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियां दी गई है। यह भूजल निष्कर्षण संरचनाओं का पंजीकरण भी करता है। जहां तक इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहस के जरिए नीतियां और पद्धतियां तैयार करने का सम्बन्ध है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो चल रही है।

(घ) उपलब्ध जल संसाधनों के उपयुक्त प्रबन्धन तथा सुनिश्चित जल संकट पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा किए गये उपायों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने देश में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें राष्ट्रीय जल नीतियां (1987) अपनाना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के वास्ते जल प्रबन्धन पद्धतियां तैयार करना, अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित विभिन्न तरीकों से जल संरक्षण और जल के विविध उपयोगों के लिए जल के प्रबन्धन में लोगों की सहभागिता पर बल देना, सितम्बर, 1996 में एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना तथा चुनिंदा चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। सरकार, भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन और जल विभाजक प्रबन्धन को भी बढ़ावा दे रही है।

[अनुवाद]

उदारीकरण और वैश्वीकरण

479. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री अनंत गुढ़े :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन के कारण बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादों के आयात की वजह से भारतीय किसान अपने कृषि उत्पादों के मूल्य की वसूली नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि उत्पादों के आयात के संबंध में शुल्क संबंधी प्रतिबन्धों के प्रावधानों के प्रयोग पर विचार कर रही है;

(ग) क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ड) यदि नहीं, तो भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिये कौन से अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी. के. सत्यनारायाण राव) : (क) और (ख) किसानों के हितों की रक्षा के लिये सरकार धान, गेहूं, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन आदि जैसी प्रमुख कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम चला रही है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में न केवल उत्पादन लागत को बल्कि किसानों को प्रोत्साहन की दृष्टि से यथोचित लाभ को भी कवर किया जाता है। यथा संभव सरकार आयात पर कर लगाकर आयात को हतोत्साहित कर रही है और अपने देश के किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान कर रही है।

(ग) से (ड) कपास, नारियल, रबर, चाय, कहवा, गन्ना, खाद्य तेल, सुपारी के उत्पादकों/उत्पादक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो कि इन जिंसों के आयात पर फिर से प्रतिबंध लगाने/इनके आयात पर और ज्यादा शुल्क लगाने के बारे में हैं। अन्य बातों के साथ–साथ इन अभ्यावेदनों और अन्य सुसंगत कारकों पर ध्यान देते हुए सरकार ने हाल ही में कृषि जिंसों के आयात पर लगने वाले कर में वृद्धि कर दी है यथा :

(i)	चावल	70–80%	
(ii)	मक्का	50%	(3.5 लाख टन तक 15%)
(iii)	अनाज सारघम	50%	
(iv)	कदन्न (ज्वार)	50%	
(v)	सुपारी	100%	
(vi)	सेब	50%	
(vii)	चाय	35%	
(viii)	कॉफी	35%	
(ix)	रबर	35%	
(x)	चीनी	35%	(850/– रुपये प्रति टन की समान शुल्क के)
(xi)	खाद्य तेल		
(क)	खाद्य ग्रेड के कच्चा वनस्पति तेल (नारियल तेल, पाम आयल और इसके उत्पाद चाहे रिफाइन्ड हो या नहीं, को छोड़कर) जो वनस्पति तेल बनाने या रिफाइन्ड करने के लिए फुटकर या भारी मात्रा में आयात किये जायें।	25%	
(ख)	वर्जिन से भिन्न ओलिव आयल चाहे वे रिफाइन्ड हो या नहीं	40%	
(ग)	रिफाइण्ड वनस्पति तेल (नारियल तेल, आर.बी.डी. पाम आयल, आर.बी.डी. पाम कनेल आयल और पाम स्टेयरिन को छोड़कर) जो थोड़ी या भारी मात्रा में खाद्य तेलों से तैयार किये जाते हों।	40%	
(घ)	अन्य सभी खाद्य तेल चाहे वे रिफाइण्ड हों या नहीं (इसमें नारियल तेल, और रिफाइण्ड पाम आयल आते हैं)	45%	

इन सबके अलावा, सरकार भारतीय किसानों के बीच उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धा को बढाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है।

[हिन्दी]

आतंकवादी गुटों को मुशर्रफ का समर्थन

480. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पाकिस्तान के सैनिक शासक द्वारा पाकिस्तान स्थिति आतंकवादी गुटो, जिन्होंने भारत के खिलाफ जेहाद (धर्म युद्ध) छेडने का आह्वान किया है को खुलेआम समर्थन दिए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य तथा भारत में अन्य स्थानों पर सीमा–पार आंतकवाद के लिए प्रायोजन जारी है। पाकिस्तान में स्थित विभिन्न आतंकवादी समूहों का पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां समर्थन देती हैं। पाकिस्तानी नेताओं ने इन समूहों की आंतकवादी गतिविधियों को जेहाद के रूप में न्यायोचित ठहराने की बार–बार कोशिश की है।

[अनुवाद]

विदेशों में बंधक बनाए गए भारतीय

481. **श्री कमलनाथ :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियेरा लियोन और अन्य देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के भारतीय दल में से कई भारतीय तथा अन्य देशों के सैनिक बंधक बना कर रखे गए हैं अथवा ऐसी ही किसी अन्य स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे कब से बंधक बनाए गए हैं;

(ग) इनमें से कितने यदि कोई हों, तो लापता हैं;

(घ) इन्हें मुक्त कराने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं, अथवा किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्र ने सियोरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के कमांडर को बदलने हेतु कोई पहल की है अथवा निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी नहीं। इस समय सियरालियोन अथवा कहीं भी कोई भारतीय सैनिक नजरबंद अथवा बंधक नहीं है।

(ग) कोई भी भारतीय शान्ति स्थापना सैनिक गुम नहीं है।

(घ) से (छ) सैन्य स्तर में तेजी से विस्तार को देखते हुए तथा संयुक्त राष्ट्र के मानदण्डों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सियरालियोन में संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना बल के सैन्य कमाण्डर के पद का उन्नयन करने पर विचार कर रहा है।

श्रीलंका सेना द्वारा मछुवारों को मारा जाना

482. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री पोन राधाकृष्णन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका नौसेना द्वारा बड़ी संख्या में मछुवारों की जान उस समय ली गई जब वे भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मछलियां पकड रहे थे;

(ख) यदि हां, तो 1983 से 1999 तक के बीच कितने मछुवारे मारे गये;

(ग) क्या इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोनों देशों के बीच हुए सामुद्रिक समझौते के उपबन्धों के अनुसार भारतीय मछुवारों के परम्परागत अधिकार की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार काचा–थेवू द्वीपसमूह श्रीलंका से पुनः वापस लेने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोली बारी करने की घटनाओं के परिणामस्वरूप मछुआरों के घायल हो जाने और उनकी मृत्यु हो जाने की खबर समय–समय पर मिलती रहती है। भारत इस प्रकार की प्रत्येक घटना के मसले को उठाता रहता है। श्रीलंका की सरकार ने अधिकतर मामलों में अपनी नौसेना का हाथ होने से इंकार किया है। सरकार ने श्रीलंका की सरकार से धैर्य से काम लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा वह ऐसा करने पर सहमत है। उपलब्ध आंकडों के अनुसार गोली बारी की घटनाओं में मारे गए मछुआरों की संख्या 1992 में आठ, 1997 में सात तथा 2000 में चार है।

पाक खाडी क्षेत्र में एक दूसरे के जल क्षेत्र में भटक जाने के कारण दोनों देशों के मछुआरों के समक्ष होने वाली समस्याएं विचार

विमर्श के नियमित मुद्दे रहे हैं। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि ऐसे मामलों को स्थापित विधि प्रक्रिया के अनुसरण में तथा मानवीय आधार पर आपसी सहयोग तथा समझबूझ की भावना से देखा जाना चाहिए।

सरकार श्रीलंका की सरकार को उनके उत्तर–पूर्वी समुद्री क्षेत्र में मछुआरों को मछली मारने के लाइसेंस देने पर राजी कराने के लिए जोर देती आ रही है लेकिन वह अभी इस पर सहमत नहीं हैं।

1983 तथा 1999 के बीच मारे गए मछुआरों के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) 1974 तथा 1976 के समुद्री सीमा करार, भारतीय मछुआरों को कच्चातिवु तक पहुंचने के लिए परम्परागत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्रीलंका की सरकार तथा लिट्टे के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिकूल सुरक्षा परिस्थितियों के कारण 1983 से इन परम्परागत अधिकारों को आस्थागित रखा गया है। इन अधिकारों को पुनः बहाल करने का प्रश्न दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन रहा है।

(च) और (छ) जी, नहीं। सरकार जून 1974 में सम्पन्न सीमा संबंधी ऐतिहासिक जल क्षेत्र पर भारत–श्रीलंका करार का पालन करने के लिए वचन बद्ध है।

[हिन्दी]

आतंकवाद के सम्बन्ध में भारत-फ्रांस सहयोग

483. डॉ. अशोक पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद के विरुद्ध व्यापक, ठोस और अंतर्राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौता कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए फ्रांस के साथ कोई विशिष्ट करार संपन्न नहीं किया गया है। तथापि, दोनों देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध कोई सार्वभौमिक एकमत तैयार करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए सहमति दी है। फ्रांस अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय संबंधी भारत के मसौदे का समर्थन करता है। 28 जून, 2000 को लिस्बन में जारी, भारत–ईयू शिखर सम्मेलन संयुक्त घोषणा में भी दोनों पक्षों की आतंकवाद को रोकने तथा उससे लड़ने में सहयोग को और अधिक प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

घटिया दूध की बिक्री

484. श्री रामपाल सिंह :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री राशिद अलवी :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में मदर डेयरी के नाम पर दिल्ली के आस–पास के क्षेत्रों में घटिया दूध की बिक्री संबंधी एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर दिल्ली में, घटिया दूध की धोखे से बिक्री को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने सिंथेटिक दूध की पहचान हेतु कोई उपकरण विकसित किया है और यदि हां, तो इनमें से अब तक कितनों की बिक्री की गई है;

(च) इस उपकरण की संवेदनशीलता कितनी है और इससे मिलावट की कितनी पहचान की जा सकती है;

(छ) क्या सरकार का विचार दूध के संग्रहण हेतु नई तकनीकें अपनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) दूध की नमूना जांच नियमित रूप की जा रही है परन्तु यदि निदेशक, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम, द्वारा यादृच्छिक रूप से की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने इस संबंध में कोई योजना प्रतिपादित नहीं की है।

(ङ) विभिन्न अपमिश्रणो की मौजूदगी का पता लगाने के लिए अभिक्रमकों के उपयोग के लिए तैयार सिंथेटिक दूध का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक किट तैयार की है। अभी तक इस किट का उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर नहीं किया गया है।

(च) इस किट के बहुत सी मिलावटों का पता लग सकता है।

(छ) कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ज) उपरोक्त (छ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेटेन्ट कानून

485. श्री किरीट सोमैया : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना भारतीय पेटेन्ट अधिनियम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर/कम्प्यूटर/व्यवसाय पेटेन्ट कार्यक्रम के पंजीकरण की अनुमति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की मांग पर विचार करने की है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारत की कुछ कम्प्यूटर कम्पनियों ने अमेरिका में पेटेन्ट अधिनियम के अधीनियम अपना कार्यक्रम पंजीकृत करा लिया था लेकिन भारतीय पेटेन्ट अधिनियम में ऐसे प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण भारत में वे ऐसा नहीं करा सकीं;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योगों को अमेरिका में उत्पाद का विपणन करने की सुविधा देने के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के बजाय पेटेन्ट अधिनियम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर/कम्प्यूटर/व्यवसाय कार्यक्रम के पंजीकरण के पक्ष में है; और

(च) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) इस समय भारत में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर वर्ष 1999 में यथा संशोधित भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित है। एकस्व अधिकार (द्वितीय) संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है।

(ग) इस संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य

486. श्री भाल चन्द्र यादव : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष 2000–2001 के दौरान कृषि और ग्रामीण उद्योग का संवर्धन करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। के.वी.आई.सी. ने वर्ष 2000–2001 के लिए 3.50 लाख अतिरिक्त रोज़गार सृजित करने का एक लक्ष्य रखा है।

बेरोजगार युवा

487. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है और उनका श्रेणीवार अर्थात् विकलांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन लोगों को कब तक रोजगार दिए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) महाराष्ट्र सहित देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित तथा अशिक्षित रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों की श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प–रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब–सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है। रोजगार में वृद्धि तथा 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 100 मिलियन (प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन) रोजगार के अवसरों के सृजन के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा. मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक श्रम बल का गठन किया गया है। ये उपाय बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सहायक होंगे।

विवरण

31.12.1997 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (अखिल भारत एवं महाराष्ट्र)

(लाख में)

विवरण		चालू रजिस्टर पर संख्या अखिल भारत	महाराष्ट्र
1.	अशिक्षित (असाक्षरों सहित 10 वीं कक्षा से कम)	118.58	10.19
2.	शिक्षित (10 वीं कक्षा एवं अधिक)	272.82	29.05
3.	अनुसूचित जाति	56.26	57.31
4.	अनुसूचित जनजाति	15.87	1.39
5.	शारीरिक रूप से विकलांग	3.93	0.29

[अनुवाद]

आई. सी. ए. आर. तथा तम्बाकू की खेती करने वाले किसान

488. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. सी. ए. आर. का विचार उपयुक्त अनुसंधान तथा प्रयोगशाला का ज्ञान तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों तक पहुंचाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई. सी. ए. आर. तथा तम्बाकू पैदा करने वाले किसानों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने हेतु कौन से उचित कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या आई. सी. ए. आर. के तहत विभिन्न संस्थाओं को दी जाने वाली निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) : जी, हां। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित तम्बाकू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्रों ने अनेक उच्च उपजशील किस्मों, समेकित नाशीजीव और रोग प्रबन्ध प्रक्रियाओं, खाद डालने की उपयुक्त समय तालिका और विभिन्न प्रकार के तम्बाकू के लिए कृषि क्रियाओं को विकसित किया और तम्बाकू उगाने वाले किसानों के लिए उनकी सिफारिश की। विकास विभागों/एजेन्सियों जैसे–कृषि राज्य विभागों, तम्बाकू बोर्डों, अग्रणी बैंकों के माध्यम से किसानों के इसके परिणामों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। साथ ही रेडियो, समाचारपत्रों, कृषक दिवसों और कृषि बाजार समितियों (ए.एम.सी.) स्तर पर किसानों की बैठकों के माध्यम से किसानों को भी प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान और विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित तम्बाकू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के केन्द्र विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों से सम्पर्क रखती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा

489. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाने करने और उनकी सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए नियम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) खेतिहर मजदूरों के लिए एक व्यापक कानून अधिनियमित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसमें इन मजदूरों के लिए कार्य की शर्तों के विनियमन, कार्य के घंटों, न्यूनतम कटाई मजदूरी, विवाद के त्वरित निपटान, रोजगार की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की शिक्षा, आवास आदि जैसे कुछ कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए कल्याण कोष के सृजन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कार्यालयों में निष्क्रिय कर्मचारी

490. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कार्यालयों से निष्क्रिय कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) 58–60 आयु वर्ग के ऐसे कितने संयुक्त सचिव. अपर सचिव और सचिव हैं जो अपना दायित्व निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर रहे बल्कि राजकोष पर भार हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनकी सेवा पंजियों की जांच करने और निकम्मे लोगों की छंटनी की का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या हाल में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाने के मुद्दे पर भी विचार हुआ; और

(छ) यदि हां, तो उक्त बैठक किस निष्कर्ष पर पहुंची ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्षा विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां, एक राज्य सरकार के न्यायिक सेवा के अधिकारी के संबंध में हैं तथा उक्त न्यायालय ने श्री रमेश चंद्र आचार्य, सिविल न्यायाधीश, उड़ीसा सरकार की अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरुद्ध दायर की गई याचिका खारिज करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि सरकार के अंतर्गत केवल ऐसे व्यक्ति अपने पदों पर बने रह सकते हैं जो अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं न कि अकर्मण्य, अशक्त और संदिग्ध सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा अथवा उपयोगिता वाले व्यक्ति। बेहतर प्रशासन हेतु और निष्क्रिय कर्मचारियों अथवा संदिग्ध सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले कर्मचारियों को हटाए जाने के लिए उनकी उपयोगिता की आवधिक समीक्षा अथवा मूल्याकंन की प्रक्रिया अपेक्षित है।

(ख) मौजूदा सरकारी अनुदेशों में सरकारी कर्मचारी द्वारा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने अथवा 50 वर्ष की वय प्राप्त कर लेने पर, इनमें से जो भी पहले हो, कर्मचारी की सेवा का मूल्यांकन किए जाने का प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए मानदंड भी इसी प्रकार हैं।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 का नियम 16 (3) और मूल नियम 56 तथा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावाली, 1972 का नियम 48 केन्द्रीय सरकार को यह अनुमति प्रदान करता है कि वह किसी सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने की तारीख को अथवा 50 वर्ष की वय प्राप्त कर लेने पर अथवा उसके पश्चात् नोटिस में निर्दिष्ट करके किसी तारीख को सेवानिवृत्त कर सकती है। इन नियमों के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी के संबंध में यह निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि वह सरकारी सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त है।

(च) और (छ) इस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पशु कल्याण संबंधी समितियां

491. **श्री पी.डी. एलान गोवन :**
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु कल्याण समितियों को पशु अस्पतालों/क्लीनिकों के निर्माण के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न पशु कल्याण समितियों से राज्य–वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(घ) नौवीं योजना के दौरान पशुधन और डेयरी विकास के लिए कितनी राशि नियमत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय ने पशु कल्याण समितियों को सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) नवीं योजना में पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए 1545.64 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

विवरण

सहायता के लिए प्रस्तावों के ब्यौरे के साथ 1998–99 से 2000–2001 तक के दौरान पशु कल्याण समितियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य/ संघ शासित प्रदेश	पशुओं के लिए शरण गृह हेतु प्रदत्तसहायता						एंबुलैंस सुविधाओं हेतु सहायता						सहायतार्थ प्रस्ताव	
	1998–99		1999–2000		2000–2001 (20.7.2000 तक)		1998–99		1999–2000		2000–2001 (20.7.2000 तक)		शरण गृहों की संख्या	एंबुलैंस की संख्या
	संगठनों की संख्या	प्रदत्त सहायता	संगठनों की संख्या	प्रदत्त सहायता	संगठनों की संख्या	प्रदत्त सहायता	संगठनों की संख्या	प्रादत्त सहायता	संगठनों की संख्या	प्रदत्त सहायता	संगठनों की संख्या	प्रदत्त सहायता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आंध्र प्रदेश	1	4.50	1	4.70	4	29.78	3	11.50	2	8.00	0	0	15	28
असम	1	11.25	1	11.25	0	0	1	4.50	0	0	0	0	3	3
बिहार	1	5.27	2	16.52	0	0	3	11.51	2	8.45	0	0	7	10
गोवा	0	0	0	0	1	3.83	0	0	2	7.57	0	0	2	3
गुजरात	0	0	0	0	1	9.90	1	4.50	7	25.38	1	4.50	22	13
हरियाणा	5	29.40	7	45.74	1	4.56	6	21.11	4	13.23	1	0.92	30	19
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	1	8.51	0	0	0	0	1	4.50	0	0	1	2
कर्नाटक	3	24.27	4	34.78	2	21.47	2	7.69	3	12.50	0	0	16	14
केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.50	0	0	0	4
मध्य प्रदेश	2	14.63	2	15.75	3	7.98	0	0	4	16.20	0	0	14	12
महाराष्ट्र	1	11.25	5	47.19	2	6.53	3	12.40	2	8.00	1	4.50	15	16
मणिपुर	1	4.95	2	7.46	0	0	1	3.59	3	9.82	0	0	8	12
उड़ीसा	1	5.00	1	11.25	1	5.00	2	7.98	1	3.70	0	0	8	24
पंजाब	0	0	4	29.96	0	0	1	4.50	3	12.95	0	0	15	17
राजस्थान	1	11.25	9	53.85	3	17.74	4	14.74	2	8.02	2	7.67	28	18
तमिलनाडु	4	35.25	3	58.50	2	5.57	5	21.04	5	18.26	0	0	17	19
त्रिपुरा	0	0	1	3.25	0	0	0	0	1	3.89	0	0	1	3
उत्तर प्रदेश	1	6.30	5	34.94	3	24.26	4	16.25	3	11.32	0	0	38	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पश्चिम बंगाल	3	10.92	6	50.73	0	0	5	17.07	4	14.69	0	0	13	18
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
दिल्ली	4	30.13	8	93.34	4	33.04	4	14.71	6	22.65	0	0	20	18
पांडिचेरी	0	0	1	3.15	0	0	0	0	1	4.50	0	0	1	1

टिप्पणी : 1998–99 में आठ संगठनों को वाहन में सुधार करने के लिए दूसरी किस्त की स्वीकृति दी गई थी।

कृषि श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजना

492. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए कृषि श्रमिक कल्याणकारी बोर्ड स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का कृषि कामगारों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वास्थ्य, प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की शिक्षा, आवास, मृत्यु या चोट के मामले में कृषि कामगारों के परिवार को तत्काल सहायता इत्यादि कतिपय कल्याण/सामाजिक सुरक्षा उपायों के क्रियावयन के लिए राज्यों में कृषि कामगार कल्याण बोर्डों के गठन का प्रावधान है।

भारत-अमरीका के बीच सहयोग

493. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिष्टमंडल जिसमें मंत्री महोदय भी शामिल थे, की अमरीका यात्रा के दौरान भारत और अमरीका के बीच सूचना आधारित उद्योगों और 'साइबर' अपराधों का सामना करने के मसले पर द्विपक्षीय करार करने के संबंध में बातचीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोनों देश कहां तक समझौते पर पहुंचे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) भारतीय प्रतिनिधि मंडल की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के दौरान ज्ञान आधारित उद्योगों और साईबर अपराधों से निपटने के मुद्दे पर भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच किसी द्विपक्षीय सहयोग पर कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने यह जानने के लिए संघीय अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय का दौरा किया कि संयुक्त राज्य अमरीका में साईबर अपराधों से कैसे निपटा जाता है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मंत्रियों द्वारा विदेश दौरा

494. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** :
श्री विजय गोयल :
श्री जय प्रकाश :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् आज तक उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेश दौरा किया और उनके द्वारा कितने देशों का दौरा किया गया तथा इन देशों का कितनी बार दौरा किया गया;

(ख) उनके साथ कितने सरकारी अधिकारी गए;

(ग) इन दौरों पर कितनी धनराशि व्यय हुई;

(घ) उनके दौरों का उद्देश्य और परिणाम क्या है;

(ङ) क्या कुछ मंत्रियों को विदेश दौरे की स्वीकृति नहीं दी गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

धान का मूल्य

495. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक तरफ तो यूरिया के मूल्य में वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ धान विशेषकर उपज वाली किस्मों के मूल्य में अत्यधिक कमी आई है, जिसके कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा तथा उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये हाल में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) यूरिया का मूल्य 29 फरवरी, 2000 से बढ़ाया गया है। चावल के थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष के दौरान उतार–चढ़ाव आया है, तथा 8 जुलाई, 2000 तक चावल का थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की समानावधि से 0.5% तक नीचे गिरा है।

(ख) किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ फसल की कृषि लागत पर आधारित होती है तथा इसमें किसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए उर्वरकों जैसे आदानों का मूल्य शामिल होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान के प्रापण को भी केन्द्र/राज्य के शीर्ष अभिकरणों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

आरक्षण का क्रियान्वयन

496. श्री मानसिंह पटेल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण नीति का उचित क्रियान्वयन न करने के लिए अभी तक किसी भी अधिकारी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिम्मेदारी निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेवारी हैं तथा आरक्षण नीति का कार्यान्वयन न किए जाने की जिम्मेवारी निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि संगत अनुदेशों की अवज्ञा कदाचार ही है, जिसके परिणामस्वरूप दोषी अधिकारी (रियों), के विरुद्ध आचरण नियमावली के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

[हिन्दी]

मजदूरी तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं

497. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी और छोटी कम्पनियों में कार्यरत अस्थायी/स्थायी कामगारों को मजदूरी और स्वास्थ्य सुविधाएं देने में कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु निशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मजदूरी की सौदेबाजी के लिए 1.1.97 से प्रभावी दिशानिर्देश जारी किये हैं। मार्ग निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबंधन संसाधन सृजन/अपने लाभ के अनुरूप मजदूरी संरचना की सौदेबाजी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उद्यम सौदाकृत मजदूरी का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने के बाद करता है कि संशोधन अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया गया है। जहां तक स्वास्थ्य सुविधओं का संबंध है, इन्हें संबंधित इकाईयों पर छोड़ा गया है। जहां तक कारखानों का संबंध है, कर्मकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं। योजना के अंतर्गत शामिल कारखाना कर्मकारों की चिकित्सा देख–रेख और इलाज के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 130 अस्पताल और 1452 औषधालय स्थापित किए हैं। इस संबंध में कर्मकार नियोक्ता के पास जरूरी अंशदान जमा करते हैं। चूक की दशा में नियोक्ताओं के विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

498. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत छोटे और अत्यंत छोटे उद्योगों के संवर्धन हेतु कोई कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन उद्योगों ने क्या प्रगति की है;

(ग) क्या कुछ अनियमितताओं का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) (क) जी, हां। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में उद्योग, सेवा और बिजनेस क्षेत्रों में वर्ष में 2.20 लाख स्व नियोजित अति लघु इकाइयों की स्थापना करना शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत अति लघु और लघु उद्योगों के लिए अलग से लक्ष्य नहीं रखे जाते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 9वीं योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात् 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 में इस स्कीम के अंतर्गत प्रगति दर्शाने वाला विवरण (उद्योग, सेवा और बिजनेस यूनिटों के संबंध में) संलग्न है।

(ग) और (घ) अनियमितता, यदि कोई है तो उस मामले में सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा उचित अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

विवरण

नौंवी योजना अर्थात् 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत (उद्योग, सेवा और बिजनेस यूनिटों के संबंध में) प्रगति

			भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार	
क्रम सं.	वर्ष	योजना लक्ष्य	बैंक द्वारा स्वीकृति सं.	बैंक द्वारा संवितरण सं.
1	2	3	4	5
1.	1997–98	2,20,000	2,63,623	2,08,979
2.	1998–99	2,20,000	2,72,704	1,89,850
3.	1999–2000	2,20,000	2,50,544	1,37,774 *

* संवितरण अधिक भी हो सकता है।

परमाणु परियोजना में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा

499. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्री ए. कृष्णास्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय परमाणु रिएक्टर परियोजनाओं में काम करने वाले लोगों को हाइड्रोजन के एक रेडियोधर्मी समस्थानिक, ट्रिटियम की उच्च मात्रा वाली परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जिससे स्वास्थ्य को खतरे पैदा हो जाते हैं जिनमें कैन्सर भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लोगों को ट्रिटियम के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत में परिचालनरत सभी परमाणु विद्युत रिएक्टरों ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा निर्धारित सीमाओं की लगभग पूर्ण अनुपालन हालिस कर ली है। अब तक कोई भी कर्मचारी

ट्रीटियम या किसी अन्य विकिरण के प्रभाव की वजह से स्वास्थ्य संबंधी किसी खतरे जिसमें कैंसर भी शामिल है, प्रभावित नहीं हुआ है। टाटा स्मारक केन्द्र द्वारा किए गए जानपदिक अध्ययनों से यह पता चला है कि कार्मिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों में कैंसर का होना, जन–सामान्य के नियंत्रण वर्ग में कैंसर के होने जैसा ही है।

(ख) हमारे परमाणु रिएक्टरों में, भारी पानी से संबंधित प्रक्रिया प्रणालियों और संघटकों का अभिकल्पन और अभियांत्रिकी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस प्रकार से की जाती है कि, सामान्य परिचालन के दौरान, कार्य करने के स्थल के वातावरण में ट्रीटियम युक्त भारी पानी की किसी बड़ी मात्रा का रिसाव नहीं होता है, इसके अतिरिक्त, छोटे से छोटे रिसाव का भी पता प्रारंभिक अवस्था में ही लगाने के लिए पर्याप्त यंत्रीकरण की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त, वायु में ट्रीटियम की विद्यमानता का पता लगाने के लिए ट्रीटियम वायु मानीटरों की व्यवस्था की जाती है, ताकि आवश्यकता पडने पर उपशमन कार्य किए जा सकें। जब कभी भी संयंत्र के कार्मिकों कम स्तर के ट्रीटियम सक्रियता वाले क्षेत्रों में भी अनुरक्षण–कार्य करना पड़ता है, तो उन्हें हवादार प्लास्टिक सूट व स्वच्छ वायु श्वसन यंत्र जैसे बचाव वस्त्र/उपस्कर उपलब्ध कराए जाते हैं। संयंत्र के सभी कार्मिकों की आवधिक रूप से चिकित्सीय जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि कार्मिकों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा नियामक सीमाओं के भीतर ही है। इन चिकित्सा जांचों से अब तक, कार्मिकों पर ट्रीटियम या किसी अन्य विकिरण के प्रभाव की वजह से स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने का पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

सीमान्त और मध्यम दर्जे के किसान

500. प्रो. दुखा भगत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमान्त और मध्यम दर्जे के किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सीमान्त किसानों की दशा सरकार के प्रयासों के बावजूद नहीं सुधरी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कई केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं और जिससे सीमान्त और मध्यम श्रेणी के किसानों सहित सभी श्रेणियों के किसानों की दशा में सुधार होगा। इस संबंध में कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्य स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यह इंगित करने के लिए कोई अभिलेखी साक्ष्य नहीं है कि किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों से कभी–कभार निराशा के मामलों की भी सूचना मिलती है।

विवरण

कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित मुख्य स्कीमों की सूची

क्र.सं.	स्कीमों का नाम
1	2
1.	चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.–चावल)
2.	गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.–गेहूं)
3.	मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के लिए समेकित मोटे अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.–मोटे अनाज)
4.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (पहले गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी. – कपास)
5.	विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
6.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
7.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
8.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
9.	आयल पाम विकास कार्यक्रम
10.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
11.	समेकित मसाला विकास कार्यक्रम
12.	कोको सहित काजू विकास
13.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
14.	उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग
15.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
16.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

1	2
17.	नदी घाटी परियोजना के जलसंग्रहण तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
18.	ऊसर मृदा का सुधार और विकास

भारत-सीरिया संबंध

501. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सीरिया के साथ कुछ और क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) हम सीरिया के साथ अपने जारी सहयोग को महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों देशों के बीच आपसी लाभकारी यह कार्यकलाप विभिन्न क्षेत्रों में है, नामतः व्यापार उद्योग, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना, संस्कृति इत्यादि। भारत–सीरिया संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 25–26 जुलाई तक नई दिल्ली में होगी। बैठक के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा हमारे आपसी लाभकारी कार्यकलापों में और अधिक विविधता लाने संबंधी तौर–तरीकों पर निर्णय लिए जाएंगे।

पूंजी उद्यम संबंधी योजना

502. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात के सभी जिला उद्योग केन्द्रों में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और पथप्रदर्शक उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या बहुचर्चित पूंजी उद्यम योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन प्रमाणन (आईएसओ सर्टिफिकेशन) 9002 से संबंधित दिशानिर्देश न तो सूचना विज्ञान केन्द्र और न ही जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में, विशेषकर गुजरात में इस प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) इस हेतु क्या समयावधि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए गुजरात राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति में उद्यम पूंजी निधि की स्थापना का प्रावधन किया गया है। राज्य सरकार ने विशिष्ट अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1999–2000 के दौरान 9 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है। चालू वर्ष में इस निधि के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की संग्रह राशि से राष्ट्रीय उद्यम पूंजी निधि की स्थापना दिसम्बर, 1999 में पहले ही कर ली है। प्राप्त 123 मामलों में से दस मामले निपटा दिए गए हैं जिसमें 25 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है।

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, आईएसओ 9002 प्रमाणन के संबंध में दिशा निर्देश जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने उद्योगों को आईएसओ 9002 प्रमाण–पत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहन की योजना शुरू की है। जिला उद्योग केन्द्र उद्योगों को दिशा निर्देश देने और आईएसओ योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीईएस), उद्योग सेवा संस्थान (एसआईएसआई), भारत सरकार और संबंधित जिला उद्योग संघों के साथ मिलकर जिला स्तर पर जागरूकता अभियान/सेमीनार आयोजित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी

503. श्री ए. नरेन्द्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में काम की तलाश कर रहे श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले ट्रेवल एजेन्टों के खिलाफ कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख)

उत्प्रवासियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गैरपंजीकृत भर्ती एजेंटों की गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से विभिन्न राज्य सरकारों को ऐसी एजेंसियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर तक आवश्यक अनुवेशणकारी करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जब भी कोई ऐसा मामला केन्द्र सरकार की जानकारी में लाया जाता है, उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

किशोर न्याय अधिनियम

504. **श्री जसवंतसिंह यादव :**
श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपराधों और उपेक्षित बच्चों के पुनर्वास और उनके अधिकार दिलाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए कानून को बाल श्रम पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते के आधार पर बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक संशोधित कर दिया जाएगा ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार उपेक्षित तथा अपराधी किशोरों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए तथा अपराधी किशोरों से संबंधित कुछ मामलों के अधिनियम के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को बदलने की सोच रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रस्तावित विधेयक संबंधी संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन (सी. आर. सी.) बाल अधिकार के अनुसार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सी. आर. सी. को 20 नवम्बर, 1989 को अपनाया था। इस कन्वेंशन ने एक बच्चे के सर्वोच्च हितों को सुरक्षित रखने में सभी राज्य पक्षकारों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का एक सेट निर्धारित किया है। यह न्यायिक कार्यवाहियों का सहारा लिए बिना संभव सीमा तक बाल पीड़ितों को समाज से पुनः जोड़ने पर भी बल देता है। भारत सरकार ने 11 दिसम्बर, 1992 को कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है। चूंकि सी आर सी किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की पारित तथा प्रवर्तन के बाद का परिवर्तन तथा भारत सी आर सी पर हस्ताक्षरकर्त्ता है इसलिए सरकार सी आर सी के अनुसार किशोर कानून लाने पर विचार कर रही है।

(ङ) प्रस्तावित विधान के अधिनियम के लिए कोई समय सीमा बताना कठिन है।

आई. सी. ए. आर. में अनियमितताएं

505. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान पोर्टब्लेयर में भ्रष्टाचार संबंधी अनियमितताओं और धन दुरुपयोग संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर में 1998 से उपकरणों की खरीद तथा वित्तीय अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) उपकरणों की खरीद के बारे में शिकायतों की जांच की गई। कार्यप्रणाली संबंधी कोई खामी नहीं पाई गई।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृष्णा नदी जल विवाद

506. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच उत्पन्न कृष्णा नदी जल विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार विवाद को हल करने के लिये एक नया अधिकरण बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन विवादों को स्थायी रूप से हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) इस समय, कृष्णा नदी के जल के संबंध में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कोई विवाद नहीं है। कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट द्वारा कृष्णा नदी के जल का आबंटन किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा कृष्णा बेसिन के तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य की ओर से अनुरोध प्राप्त करने पर सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकरण द्वारा 31.05.2000 के बाद किसी भी दिन अधिकरण के इस पंचाट की समीक्षा की जा सकती है। तथापि, कृष्णा बेसिन के तीनों राज्यों में से किस ने भी नए अधिकरण के गठन के लिए केन्द्र सरकार से अब तक अनुरोध नहीं किया है।

[हिन्दी]

बाढ़ और सूखा

507. **श्री बृजलाल खाबरी :**
श्री राजो सिंह :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :
श्री उत्तम राव ढिकले :
श्री अनंत गुढे :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हर साल बाढ़ और सूखा की स्थिति का सामना करने के दीए दीर्घावधि या अल्पावधि योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार और वर्ष–वार इस योजना के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) वर्ष 1999–2000 के दौरान और आज तक देश में बाढ़ और सूखे की समस्या के निपटने हेतु अतिरिक्त राहत के लिये राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) 11वें वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने किन सिफारिशों को मंजूर किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) राज्यों को प्रत्येक वर्ष आपदा राहत कोष से जारी किए जाने वाले केन्द्रीय हिस्से के अलावा बाढ़ नियंत्रण स्कीमें, नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों और बाढ़ प्रवण नदी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, आपदा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसी कई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें पहले से ही क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें दीर्घकालिक पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए आपदाओं के शमन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आपदा राहत कोष से राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान तथा त्रिपुरा सरकार ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।

(ङ) ग्यारहवें वित्त आयोग की अन्तरिम सिफारिशों के अनुसरण में आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की वर्ष 2000–2001 की किस्तें इन राज्यों को जारी कर दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1999–2000 हेतु आपदा राहत कोष

(लाख रुपये में)

राज्य	आपदा राहत कोष		
	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	13105	13773	14359
अरुणाचल प्रदेश	743	781	813
असम	5277	5547	5783
बिहार	5483	5763	6007
गोवा	113	119	124
गुजरात	14731	15483	16140
हरियाणा	2644	2779	2897
हिमाचल प्रदेश	2844	2989	3116
जम्मू और कश्मीर	2079	2184	2279
कर्नाटक	4416	4641	4839
केरल	5847	6144	6405
मध्य प्रदेश	5389	5665	5905

1	2	3	4
महाराष्ट्र	7197	7564	7885
मणिपुर	261	275	287
मेघालय	295	309	323
मिजोरम	133	140	147
नागालैण्ड	180	188	196
उड़ीसा	5172	5436	5667
पंजाब	5715	6005	6261
राजस्थान	18893	19856	20700
सिक्किम	407	523	544
तमिलनाडु	6263	6583	6863
त्रिपुरा	475	499	520
उत्तर प्रदेश	13203	13876	14467
पश्चिम बंगाल	5416	5692	5933
योग	126371	132815	138460

[अनुवाद]

भारत-मध्य और दक्षिण अमरीकी संधि

508. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य और दक्षिण अमरीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) उन विभिन्न क्षेत्रों, का ब्यौरा क्या है जिनमें ये देश भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) मध्य और दक्षिणी अमरीका के सभी देशों के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं। विदेश कार्यालय स्तर पर परामर्शों सहित अनेक उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं जिनसे हमारे संबंध और अधिक बढ़े हैं। हाल के वर्षों में वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित 'फोकस–एल ए सी' कार्यक्रम के माध्यम से अपने संबंधों को सशक्त आर्थिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए हैं। भारत अपने तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में अनेक देशों को सहयोग भी प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् जैसी एजेन्सियों के माध्यम से सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग के अन्तर्गत अनेक क्षेत्र आते हैं जिनमें कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, और प्रौद्योगिकी, गैर–पारम्परिक ऊर्जा संस्थान और रेलवे शामिल हैं। अधिकांश सहयोग तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है जिसमें इन देशों में विशेषज्ञ भेजने और भारत में विदेशी कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

पत्रकारों का वेतनमान

509. श्री विजय गोयल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमानों के अध्ययन के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(घ) बछावत आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) जी, हां। श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर–पत्रकार समाचार पत्र एवं समाचार एजेन्सी कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित तथा संशोधित करने हेतु गठित मणिसाना वेतन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2000 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार उक्त वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कम से कम संभव अवधि के भीतर लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

(घ) 30.06.2000 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 1716 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से 643 ने बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह से और 26 ने आंशिक रूप से लागू कर दिया है तथा 1047 ने इन्हें लागू नहीं किया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटन

510. श्री समर चौधरी :
श्री के. ए. सांगतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के विकास के लिए कुल आबंटन का 10 प्रतिशत आबंटन करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष व्यपगत न होने वाले कोष के अंतर्गत कितनी धनराशि जमा की गई;

(ग) इस कुल कोष से मंत्रालय–वार कौन–कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(घ) इस कोष में योगदान न देने वाले मंत्रालय का नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

योजना आयोग में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की स्कीमों/परियोजनाओं पर व्यय किया जाना अपेक्षित है। कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनके बजटों में योजना प्रावधान की स्थिति/स्कीम विशिष्ट प्रकृति के कारण विशेष रूप से छूट दी गई है। इस लक्ष्य को पूरा करने में कमियों को संसाधनों को केन्द्रीय पूल में मिलाया जाना है।

(ख) और (घ) संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय पूल से अब तक शुरू की गई परियोजनाओं/स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने अनुदान हेतु अपनी मांग में पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए अलग से लघुशीर्ष खोले हैं। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों हेतु खर्च की निधियों की पहचान करने में सुविधा होगी।

विवरण

राज्य	परियोजना का नाम
1	2
अरुणाचल प्रदेश	रंगानाडी पारेषण
	इटानगर–नाहरलागुन जल आपूर्ति
	आलोंग में जल आपूर्ति स्कीम
	कठालगुड़ी–देओमाली 220 किलोवाट पारेषण लाइन
	आलोंग में रामकृष्ण मिशन स्कूल
	बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (8)
	बाढ़ नियंत्रण और क्षरण रोधी कार्य (6)
	तेजु में जल आपूर्ति सुविधाओं की विशेष बहाली
	फुट ट्रैक और सस्पेंशन पुलों का रख–रखाव
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
असम	श्रीमन्त शंकरदेव कलक्षत्र परियोजना
	दिगुनछेरा से एयरपोर्ट रोड
	लघु सिंचाई स्कीमें
	बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन स्कीमें/ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी की विभिन्न अवस्थितियां
	220 किलोवाट डी/सी कठालगुड़ी–तिनसुकिया लाइन (30 किलोमीटर)
	नामरूप सब स्टेशन 2 × 50 एम वी ए 220/132 के वी
	तिनसुकिया सब स्टेशन 2 × 50 एम वी ए 220/132 के वी
	शंकर देव नेत्रालय
	वानिकी में आधारिक संरचना अंतरालों को पाटने की परियोजना
	एक लाख उथले ट्यूबवैलों की स्थापित करना
	गुवाहाटी मेडीकल कालेज

1	2
	आई आई टी गुवाहाटी
	असम विश्वविद्यालय
	तेजपुर विश्वविद्यालय
	असम विश्वविद्यालय का दीफू कैम्पस
	लघु सिंचाई स्कीमें
	काटन कालेज में नई आधार संरचना का सृजन
	एन सी पर्वत स्वायत्त परिषद हाफलोंग के लिए सड़क स्कीमें
	जरीघाट से लखीछेरा तक सड़क
	हटीछेरा–दूदपतिल–मुदारनामुख तक सड़क
	प्लाज्मा भौतिकी केन्द्र, गुवाहाटी
मणिपुर	लेइमाखोग भारी ईंधन आधारित विद्युत परियोजना
	राष्ट्रीय खेलों के लिए आधारिक संरचना
	इम्फाल नगर के लिए जल आपूर्ति का वर्धन चरण–1 (29.5 एम एल डी)
	मोरेह शहर पर 2 × 5 एम वी ए के वी सब स्टेशन स्थापित करना
	बी एम एस के लिए ए सी ए
	सेनापति फाइबंग रोड (50 किलो.मी.)
	भवन रहित 205 स्कूलों के लिए 2 कक्षा कमरों के विद्यालय भवन का निर्माण
	172 राज्य सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2 (दो) कक्षा कमरों का विस्तार
	नए उन्नत किए गए 21 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों सहित राज्य सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 (दो) कक्षा कमरों का विस्तार
	विश्वविद्यालय और मणिपुर (राज्य) से 60 सम्बद्ध कालेज
मेघालय	ग्रेटर शिलांग जल आपूर्ति स्कीम
	एन एच 51 रचना का व्यापक बनाना और मजबूत करना

1	2
मिजोरम	आइजोल (चरण–II) जल आपूर्ति स्कीम
	राज्य रैफरल अस्पताल
	दाना और चारा संसाधनों का जुटाव और विकास
	एकीकृत सूअरबाड़ा विकास परियोजना
	जालनुआम, जोबाक, लेंगपुई, फुरा में मत्स्य बीज फार्मों की स्थापना
	विपणन सुविधाएं और देश और विदेश में मिजोरम के टंग बीज और तेल
	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय
	बी एम एस के लिए ए सी ए
	विपणन भवनों का निर्माण
	ग्रेटर चम्फाई जल आपूर्ति स्कीम
	स्कूल भवन का निर्माण और नवीनीकरण
नागालैंड	कोहिमा में अस्पताल
	लिकीमरो एच ई पी
	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
	नागालैण्ड विश्वविद्यालय
	दीमापुर के लिए जल आपूर्ति का संवर्धन
	दीमापुर में रेल ऊपरी पुल
	चांगटोंग्या– लोंगेइंग रोड (23 किलोमीटर)
	दीमापुर नुईलैण्ड रोड
	चुकूकेडिमा में दीमापुर जिला मुख्यालय के लिए सड़क का निर्माण
	स्कूल भवनों का निर्माण
	विज्ञान शिक्षा में सुधार
	स्कूल में कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर शिक्षा
सिक्किम	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम
	मुख्य ओवर होलिंग 2 × 6 मेगावाट

1	2
	लोअर लग्यप हाइडिल परियोजना पर हाइडिल जेनेरेशन स्टेशन
	बाढ़ नियंत्रण भूतल जल निकास, क्षरण रोधी कार्य
	कारपेटिंग स्टैण्डर्ड डब्लू बी एम रोड (9)
	नई सड़कों का निर्माण (28)
	देओराली में टस्टलिंग तक रोपवे
	कम्प्यूटर और संचार तकनीकी पोलिटेक्निक केन्द्र
	भू–स्खलन रोधी और क्षरण रोधी कार्य
त्रिपुरा	पारेषण स्कीमें
	I × 21 मेगावाट गैस थर्मल परियोजना (विस्तार) रोखिया (चरण–II)
	त्रिपुरा विश्वविद्यालय का विकास
	अगरतला में नया राजधानी काम्प्लैक्स
पूर्वोत्तर और सिक्किम के समान लिए स्कीमें	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जे एन यू में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास
	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि का सृजन

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रचार हेतु योजनाएं

511. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा का प्रचार करने हेतु एक विशेष योजना तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) प्रतिवर्ष देश में कितने सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायविद् तैयार किए जा रहे हैं;

(घ) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायविद् पर्याप्त नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) 43 इंजीनियरिंग कालेजों का दर्जा भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों के स्तर तक बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है।

(ग) औपचारिक शिक्षा क्षेत्र (विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानों) से प्रतिवर्ष लगभग 75000 बी.टेक/एमसीए और अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र (डीओईएसीसी और निजी संस्थानों) से लगभग 10,000 सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ निकलते हैं।

(घ) विश्वस्तरीय मांग तथा घरेलू लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीटों की संख्या में वृद्धि करने और इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने का निर्णय किया है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) विभिन्न स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने समय–समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, आभासी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन, डीओईएसीसी योजना के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों की सीटों को बढ़ाना शामिल है।

भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारी

512. **श्री शीशराम सिंह रवि :**

श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.ए.एस. अधिकारियों की छवि लोगों की नजर में गिर रही है;

(ख) सरकार द्वारा सिविल कर्मचारियों की गिरती छवि को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. और ई.डी. अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और इस दौरान कितने अधिकारियों की आय उनके ज्ञात स्रोतों से अधिक थी; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस संबंध में कोई भी शासकीय अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि अधिकारियों के विरुद्ध, उनके द्वारा किए गए कदाचार के लिए, संगत सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ख) सरकार, स्वच्छ प्रशासन देने तथा लोक सेवाओं के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह सजग है। भ्रष्टचार के विरुद्ध अभियान एक सतत प्रक्रिया है तथा नीतियों को, बदलते परिवेश के प्रति अधिकाधिक अनुकूल बनाने हेतु इनमें समय–समय पर संशोधन किया जाता है। सरकार द्वारा की गई कतिपय मुख्य पहलें इस प्रकार हैं :–

(I) उक्त आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, दिनांक दिसम्बर 20, 1999 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया है। इस विधेयक को दिनांक 21-12-1999 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को विचारण और सिफारिशें करने के लिए भेज दिया गया है।

(II) केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित निगम, उक्त सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके नियंत्राधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(III) यह मानते हुए कि निवारक सतर्कता का महत्वपूर्ण पहलू, लोक प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, अतः नागरिक चार्टर तैयार करने तथा सुविधा पटल खोलने जैसे प्रशासनिक सुधार के उपाय शुरू किए गए हैं। कानूनों, नियमावलियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा सरलीकरण का कार्य भी हाथ में लिया गया है।

(ग) और (घ) कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन–मंत्रालय केन्द्र के कार्यों से जुड़े भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी है। राज्य सरकारें अपने अधीन कार्यरत उक्त सेवा के सदस्यों द्वारा किए गए किसी कदाचार के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। राज्य सरकारों के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से न तो रखी जाती है अथवा न ही मॉनीटर की जांती है। अन्य सेवाओं के संबंध में भी सूचना केन्द्रीकृत रूप से न तो रखी जाती है अथवा न ही मॉनीटर की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के 27 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 6 मामले आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां रखने के संबंध में हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्ति

513. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में इन रोजगार नियोजनालयों में पंजीकृत निःशक्त व्यक्तियों और उग्रवाद से प्रभावित महिलाओं इत्यादि का श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के अंत में, जम्मू एवं कश्मीर के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, निम्नानुसार थी :–

(हजार में)

वर्ष के अंत में	कुल रोजगार चाहने वाले	रोजगार की इच्छुक महिलायें	रोजगार चाहने वाले विकलांग
1997	164.7	26.5	0.5
1998	164.8	26.8	0.7
1999	162.5	24.7	0.8

इन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उग्रवाद से प्रभावित विकलांग व्यक्ति एवं महिलाओं इत्यादि का ब्यौरा रखा नहीं गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्य निष्पादन

514. **डॉ. संजय पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों के क्रियाकलापों की कभी कोई समीक्षा अथवा मूल्यांकन किया गया है;

(ग) वे दस कृषि विज्ञान केन्द्र कौन–कौन से हैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है तथा दस केन्द्र कौन से है जो अपने वांछित परिणामों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं; और

(घ) बिहार राज्य में इन सभी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों में अग्रपंक्ति प्रदर्शन और खेतों पर परीक्षण के जरिए प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना तथा किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर प्रौद्योगिकी का प्रसार करना शामिल है।

वर्ष 1999 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलाप निम्नवत थे :–

- 11,881 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनसे 1.92 लाख किसान, 0.45 ग्रामीण युवक और 0.28 लाख विस्तार कार्मिक लाभान्वित हुए।
- किसान मेला, खेत दिवस, किसान गोष्ठी, प्रदर्शनी, दूरदर्शन और रेडियो वार्ताएं आदि सहित 47,660 विस्तार कार्यक्रम चलाए गए।
- 7333 हैक्टर भूमि पर 20,334 अग्रपंक्ति प्रदर्शन किये गये।
- 139 टन क्वालिटी बीजों और बागवानी पादपों तथा वन्य जातियों के 5.29 लाख पौधों का उत्पादन किया गया।

(ख) और (ग) आठ क्षेत्रीय समन्वयन यूनिटों द्वारा ध्यानपूर्वक निगरानी करने के अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों की राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। नौ पंचवर्षीय समीक्षा दलों ने भी कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य की समीक्षा की है तथा स्थान विशेष के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के ऐसे क्षेत्रों, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, का विकास करने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। इन दलों के विचाराणीय विषयों में कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्य–निष्पादन के रूप में श्रेणीकरण करना शामिल नहीं है।

(घ) बिहार में 21 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जिनमें 11 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत हैं और शेष 10 गैर–सरकारी संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत हैं जिन्हें संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

बिहार में 21 कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम
1	2
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय डाकघर–शंकरपुर, मुंगेर–811201 (बिहार)
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जाले दरभंगा (बिहार)
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय हरिहरपुर फार्म, वैशाली (बिहार)
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय खोडावनपुरा, बेगूसराय–848202 (बिहार)
5.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय अगवानपुर, सहरसा–852201 (बिहार)
6.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय डाकघर–हरनौट, नालन्दा–803110 (बिहार)
7.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय डाकघर–जगतपुर, बांका–813101 (बिहार)
8.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय बाढ़, पटना–803214 (बिहार)
9.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय डाकघर–अरियारी, शेखपुरा–811105 (बिहार)

1	2
10.	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय सरैया फार्म, मुज्जफरपुर–843126 (बिहार)
11.	कृषि विज्ञान केन्द्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डाकघर–जगन्नाथपुर, पश्चिम सिंहमूभि–833203 (बिहार)
12.	कृषि विज्ञान केन्द्र, सोन कमान क्षेत्र विकास एजेन्सी, डाकघर–आरा, भोजपुर–802301 (बिहार)
13.	कृषि विज्ञान केन्द्र, सोन कमान क्षेत्र विकास एजेन्सी जहानाबाद (बिहार)
14.	कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राम निर्माण मण्डल आश्रम, डाकघर–सोखोदेवड़ा, नवादा–805106 (बिहार)
15.	कृषि विज्ञान केन्द्र, वाराणसी सेवा केन्द्र, डाकघर–अधौरा, भाबुआ–821116 (बिहार)
16.	कृषि विज्ञान केन्द्र, संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल, सुजानी, डाकघर–घोरलाश, देवघर–814152 (बिहार)
17.	कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती खादीग्राम, खादीग्रामोद्योग संघ, खादीग्राम, डाकघर–जमुई–811313 (बिहार)
18.	कृषि विज्ञान केन्द्र, रामकृष्ण मिशन आश्रम, डाकघर–मोराबादी, रांची–834008 (बिहार)
19.	कृषि विज्ञान केन्द्र, होलीकॉस वी.टी.आई., हजारीबाग–825301 (बिहार)
20.	कृषि विज्ञान केन्द्र, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, धनबाद–828122 (बिहार)
21.	कृषि विज्ञान केन्द्र, एस.के. चौधरी शिक्षा ट्रस्ट, वी.पी.ओ.बसाइत, चांदपुरा, मधुबनी–847102 (बिहार)

[अनुवाद]

योजना आबंटन

515. श्री जी.जे. जावीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात सरकार केन्द्र को अधिकतम राजस्व, उत्पाद शुल्क, निगम कर तथा सीमा शुल्क का अंशदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त तथ्यों के बावजूद केन्द्रीय आबंटन में हर वर्ष कमी की गई है;

(ग) गुजरात को दिए जाने वाले आबंटन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) गुजरात सरकार द्वारा योजना आयोग के समक्ष क्या–क्या मांगें प्रस्तुत की गई हैं;

(ङ) मांगों की विशेषताएं क्या–क्या हैं; और

(च) योजना आयोग किसी सीमा तक मांगों को मानने पर सहमत हो गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) योजना आयोग द्वारा राज्यों को संसाधनों के आबंटन का, प्रत्येक राज्य के राजस्व सृजन और कर संग्रहण से सीधा संबंध नहीं है। इसका निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित एक फार्मूले के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में भी राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक योजना प्रस्तावों पर योजना आयोग सहमत हो गया है। योजना आबंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

योजना	राज्य का प्रस्ताव	सहमत/अनुमोदित परिव्यय	पिछली वार्षिक योजना से वृद्धि	नौवीं योजना का प्रतिशत
		(करोड़ रु.)		
नौवीं योजना	28000	28000	43.48 प्रतिशत (आठवीं योजना से)	
1997–98	4500	4500	33 प्रतिशत	16.07 प्रतिशत
1998–99	5450	5450	21.11 प्रतिशत	19.46 प्रतिशत
1999–2000	6550	6550	20.18 प्रतिशत	23.39 प्रतिशत
2000–2001	7600	7600	16.03 प्रतिशत	27.14 प्रतिशत

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की विकास दर

516. श्री जे.एस. बराड़ :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आगामी वर्षों के लिए देश में खाद्यान्नों के उत्पादन की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक विकास दर निर्धारित करने का मापदण्ड क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु उन खाद्यान्नों की पहचान की है जिनकी विकास दर अविलम्ब बढ़ाई जा सके;

(घ) यदि हां, तो इन खाद्यान्नों के नाम क्या हैं;

(ङ) उक्त विकास दर में किस सीमा तक बढ़ोतरी होने की संभावना है; और

(च) यह वर्तमान दर से कितनी अधिक होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत संदर्शी योजना में खाद्यान्नों के लिए पंद्रह वर्ष 1996/97 से 2011/12 की अवधि के दौरान 3.57 प्रतिशत का विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि तथा देश के विभिन्न कृषि जलवायु मंडलों की अभिज्ञात उत्पादन संभावना के संबंध में उपभोग और पोषण आवश्यकता के मद्देनजर निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अवधि में जिन खाद्यान्नों के उत्पादन को महत्वपूर्ण ढंग से बढाया जाएगा, उनमें दलहन, गेहूं तथा चावल शामिल है।

(ङ) और (च) विद्यमान उत्पादन वृद्धि दर की तुलना में प्रक्षेपित उत्पादन वृद्धि दर निम्नवत है :–

	विद्यमान* वृद्धि दर	प्रक्षेपित वृद्धि दर
चावल	1.48	3.08
गेहूं	3.68	4.31
दलहन	3.42	4.93
कुल खाद्यान्न	2.18	3.57

* वर्ष 1994/95 से 1998/99 के दौरान वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि

[अनुवाद]

जल बंटवारा समझौता

517. श्री चिंतामन वनगा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधु नदी के जल के बंटवारे के बारे में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते के अन्तर्गत कुछ परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) नदियों की सिन्धु प्रणाली के जल के प्रयोग के संबंध में भारत और पाकिस्तान के अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के लिए भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच वर्ष 1960 में सिन्धु जल सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस सन्धि के अनुसार, सभी पूर्वी नदियों अर्थात् रावी, व्यास तथा सतलज का जल भारत के असीमित उपयोग के लिए उपलब्ध है। तथापि, पाकिस्तान को सतलज और रावी मुख्य का जल घरेलू और गैर–खपतकारी उपयोग के लिए प्रयोग करने की अनुमति है। पाकिस्तान को 45,500 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए रावी नदी की कुछ सहायक नदियों से भी जल लेने की अनुमति दी गई है।

भारत सभी पश्चिमी नदियों अर्थात्, सिन्धु, झेलम और चेनाव जल बहने देगा लेकिन इसे घरेलू उपयोग, गैर–खपतकारी उपयोग, सीमित कृषि उपयोग तथा नदी प्रवाह संयंत्र से जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। भारत को विभिन्न उपयोगों के लिए पश्चिमी नदियों पर 3.6 मि. ए. फुट जल भंडारण की भी अनुमति दी गई है। भारत को रणवीर और प्रताप नहरों से विनिर्दिष्ट जल निकालने की भी अनुमति है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए सन्धि में उपलब्ध प्रावधानों की अनुपालना करते हुए, भारत में अब तक शुरू की गई परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं में बहुत–सी नदी प्रवाह–जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे–सलाल (690 मेगावाट), उरी (400 मेगावाट) और लोअर झेलम (105 मेगावाट) लेकिन पश्चिमी नदियों पर कोई भंडारण कार्य नहीं किया गया है। पश्चिमी नदियों के बेसिन में सिंचित फसली क्षेत्र 13,43,477 एकड़ की अनुज्ञेय सीमा की तुलना में वर्ष 1998–99 के दौरान 8,11,225 एकड़ था। पूर्वी नदियों पर भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना जैसे–मुख्य कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। रंजीत सागर बांध, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज यमुना संपर्क नहर, सिद्धमुख–नहर परियोजना तथा शाहपुर कांडी बैराज के कार्य अभी पूरे किए जाने हैं।

फूड पार्क

518. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में फूड पार्क की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड ने जनवरी, 2000 में बूटीबोरी, नागपुर में एक खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना के वास्ते एक प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव अपूर्ण था इसलिए पूरा करने के लिए उसे निगम के पास वापस भेज दिया गया।

(ग) जब तक महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड से सभी दृष्टि से संपूर्ण एक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता तब तक न तो कोई निर्णय लिया जा सकता है और न ही अनुमोदन के लिए समय निर्धारित करना संभव है।

कृषि हेतु धनराशि

519. **श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) :**
श्री राजो सिंह :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष 2000–2001 के लिए राज्य–वार और योजना–वार कृषि विकास हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों ने उक्त उद्देश्य के लिए चालू वर्ष के लिए और धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में धन का राज्यवार आबंटन नहीं करता है। धन की निर्मुक्ति राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाती है जिसमें स्कीमों के क्रियान्वयन, पहले निर्मुक्त किये गये धन के उपयोग आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त धन और उनके द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जारी धनराशि और उनके खर्च का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	1997–98		1998–99		1999–2000	
	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय
आन्ध्र प्रदेश	7725.48	8848.09	7540.81	7435.45	8217.88	8014.52
अरुणाचल प्रदेश	504.66	542.11	528.87	541.02	592.55	363.08
असम	397.48	1191.12	600.7	929.29	543.11	498.85
बिहार	1198.83	826.39	591.46	834.29	519.65	225.84
गोवा	100.06	185.08	237.22	233.4	200.07	120.54
गुजरात	4066.3	3365.3	5364.36	5238.07	5507.6	3948.64
हरियाणा	2913.54	2665.91	2956.85	2033.17	2939.4	2386.23
हिमाचल प्रदेश	1152.47	1108.5	1533.7	1491.92	1240.16	842.52
जम्मू और कश्मीर	1528.6	1545.01	1061.74	954.09	1088.36	881.24
कर्नाटक	8122.59	8732.93	9429.92	10026.68	8758.48	5762.07
केरल	3568.26	3606.69	4255.46	3009.36	3181.32	2565.18
मध्य प्रदेश	6995.95	6507.37	8168.25	7865.3	8201.21	8016.4
महाराष्ट्र	9947.47	10137.52	12611.17	10036.18	12176.94	12254.06
मणिपुर	1164.4	878.95	653.34	786.98	1125.58	665.22
मेघालय	256.28	396.75	569.21	463.58	759.02	381.15
मिजोरम	723.77	789.52	1408.75	1172.44	1311.77	1181.08
नागालैण्ड	884.73	826.24	1626.31	1865.26	1586.02	1397.91
उड़ीसा	4116.26	4089.13	3599.91	3678.33	4725.85	2542.86
पंजाब	2538.78	3026.29	3231.31	2745.12	2960.32	2044.34
राजस्थान	9716.43	9982.33	10242.02	9794.11	9791.82	5985.46
सिक्किम	340.76	350.25	504.83	573.81	560.85	390.88
तमिलनाडु	5886.95	5514.00	6484.51	6414.59	6308.6	6575.82
त्रिपुरा	533.97	508.17	745.81	712.96	1124.08	616.69
उत्तर प्रदेश	10306.87	10062.32	12205.96	11996.69	10738.75	11736.45
पश्चिम बंगाल	1056.2	1704.43	1445.96	1472.38	1650.08	1197.28
कुल	35729.09	87388.4	97598.43	92304.47	95809.47	81194.31

डी.एम.एस. का दूध और घी

520. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्यों में वृद्धि होने के पहले और बाद में उत्पादित दूध और घी की पृथकतः प्रमात्रा कितनी है;

(ख) मूल्य वृद्धि होने के पहले और बाद के दौरान बिक्री किए गए दूध और घी की प्रमात्रा कितनी है;

(ग) मशीनों के क्षमता से कम उपयोग होने और कर्मचारियों की संख्या कम नहीं किए जाने के कारण हो रहा घाटा कितना है;

(घ) 900 करोड़ रुपए के पूर्व घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ;

(ङ) क्या सरकार का विचार मशीनों और कर्मचारियों का पूर्ण उपयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) मूल्य वृद्धि से पहले तथा बाद दूध तथा घी का औसत उत्पादन/बिक्री नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है :

अवधि	दूध (लाख लीटर/दिन)		घी (मीटरी टन में)	
मूल्य वृद्धि से पहले (नवम्बर, 99 से फरवरी, 2000)	3.96	3.95	396	372
मूल्य वृद्धि के बाद (मार्च, 2000 से जून, 2000)	2.21	2.18	148	201

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना में कर्मचारियों का कम उपयोग नहीं होता। मशीनरी के कम उपयोग के कारण घाटे की मात्रा का आकलन करना मुश्किल है।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना का पहले का घाटा मार्च, 2000 तक अनन्तिम रूप से 553.14 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है तथा घाटे की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर बजटीय सहायता के माध्यम से की जाती है।

(ङ) और (च) मशीनरी का पूर्ण उपयोग करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे रियायत प्राप्तकर्ताओं/डिपो एजेंटों के कमीशन में वृद्धि करने, थोक में दूध की खरीद को प्रोत्साहन, होम डिलीवरी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, बूथ खुलने तथा बंद करने के समय को बढ़ाना, दूध की थोक आपूर्ति के लिए नये चैनल खोलना, पूर्ण दिवसीय दुग्ध स्टॉल में बूथों का परिवर्तन, फील्ड अधिकारियों को रियायत प्राप्तकर्ताओं/एजेंटों को नियुक्त करने का अधिकार देना तथा दिल्ली दुग्ध योजना की आपूर्ति के लिए क्षेत्र का विस्तार इत्यादि।

विश्व बैंक सहायता

521. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में तालाबों से गाद निकालने के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता मांगी गई है और कितने तालाबों से गाद निकालने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) 5,000 टैंकों के सुधार के लिए कर्नाटक टैंक सुधार परियोजना की अनुमानित लागत 994.75 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने विश्व बैंक से 696.20 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है।

(ग) मंत्रालय में यह प्रस्ताव जून, 2000 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है और इसके तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

पासपोर्ट के लिए आवेदनों का निपटान

522. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राजस्थान के पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किये गये;

(ख) पासपोर्ट जारी करने में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा औसत कितना समय लिया जाता है;

(ग) इन कार्यालयों में पासपोर्टों के जारी करने हेतु लगाने वाले सामान्य औसत समय से अधिक समय से कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(घ) इन आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : (क) राजस्थान में एक पासपोट कार्यालय अर्थात् पासपोर्ट कार्यालय जयपुर है। विगत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	जारी किए गऐ पासपोर्टों की संख्या
1997	58,722
1998	60,078
1999	73,292

(ख) पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर द्वारा पासपोर्ट जारी करने में आवेदन–पत्र प्राप्त होने से लेकर पासपोर्ट भेजने तक 62 दिन का औसतन समय लग जाता है बशर्ते कि आवेदन–पत्र सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सही–सही भरा हुआ हो और स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई हों।

(ग) पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर में 62 दिन से अधिक समय से या तो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्रतीक्षा में अथवा आवेदन–पत्रों के साथ अपूर्ण दस्तावेज जानकारी प्राप्त होने के कारण लगभग 6000 पासपोर्ट आवेदन–पत्र लम्बित पड़े हैं।

(घ) आवेदन–पत्रों के लम्बित मामलों को निपटाने के लिए नियमित रूप से विशेष अभियान चलाए जाते हैं। पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय करता है।

बीजों के लिए खेती

523 **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार किसानों और बीज उत्पादकों के पारम्परिक अधिकारों की रक्षा करने का है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश में बीजों के लिए खेती के संवर्धन हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) इस विभाग ने पादप किस्म और कृषक अधिकारी संरक्षण विधेयक, 1999 तैयार किया है जिसे 14.12.1999 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को जांच के लिए भेजा गया। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ–साथ इस अधिनियम में संरक्षित किस्म के बीजों सहित अपने फार्म उत्पादों को बचाने, उपयोग करने, बोने, आदान–प्रदान करने अथवा बेचने के लिए किसानों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने का प्रस्ताव है बशर्ते इस अधिनियम के अधीन किसान संरक्षित किस्म के ब्रांड वाले बीज को बेचने के हकदार होंगे।

(ग) यह विभाग देश में बीजों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए सब्जी फसलों की आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन स्कीम, बीज बैंक की स्थापना और अनुरक्षण की स्कीम, बीज फसल बीमा स्कीम आदि जैसी कई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है।

[अनुवाद]

भीमकुंड बांध

524. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में वैतरणी नदी पर भीमकुंड बांध के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) बांध निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वैतरणी नदी पर प्रस्तावित भीमकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण किया जा रहा है। इस परियोजना के फेज–I की मौजूदा अनुमानित लागत 325 करोड़ रुपये है, जिसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की योजना की गई है।

परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड

525. **श्री अनंत नायक** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम को ए.ई.आर.बी. के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए अलग से कोई पैनल गठित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) का गठन परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन परिकल्पित कुछ नियामक तथा सुरक्षा कार्यों को करने के लिए वर्ष 1983 में किया गया था। अन्य बातों के साथ–साथ बोर्ड के मुख्य कार्यों में, सुरक्षा मानक निर्धारित करना, नियम तथा विनियम बनाना, विकिरणात्मक तथा अन्य सुरक्षा मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए परिचालनात्मक अनुभव की समीक्षा करना और अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देना शामिल है।

(ख) से (ङ) सामरिक गतिविधियों के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि अन्य परमाणु शस्त्र देशों (एनडब्ल्यूएस) में अपनाई गई पद्धतियों के अनुरूप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) और उसकी सुविधाओं के संबंध में नियामक तथा सुरक्षा कार्य जोकि अब तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा किए जाते थे, अब से निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा गठित "आंतरिक सुरक्षा समिति संरचना" द्वारा किए जाएंगे। उपर्युक्त कार्यों को करते समय, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, अन्य बातों के साथ–साथ, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विकसित संगत सुरक्षा कोडों, संदर्शिकाओं, मानकों, आदि में दिए गए अच्छे सुरक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों का और जनसामान्य पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा के बारे में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

स्थानांतरण नीति

526. श्री रामसागर रावत : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र स्तर पर अपने कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भी यह नीति अपने कर्मचारियों के संबंध में या अनुपालन के लिए सलाह देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी पदों के लिए कोई एक समान और सामान्य स्थानांतरण नीति निर्धारित नहीं की है, चूंकि, कार्यात्मक आवश्यकताएं, संवर्ग संरचना और पदों के स्थानों को लेकर एक विभाग से दूसरे विभाग में व्यापक अंतर है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पशु और भैंस विकास

527. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने 1999–2000 के दौरान राज्य में पशु और भैंस विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 10 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अनुदान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के लिए राशि जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने अगस्त, 1999 में एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें प्रजनन सांडों की खरीद सहित राज्य पशु फार्म, शुक्राणु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, तरल नाइट्रोजन भंडारण तथा दुलाई पद्धति सहित वीर्य बैंकों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के सुदृढ़ीकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को द्वार तक पहुंचाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए 10.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी।

(ग) और (घ) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विस्तार (420.49 लाख रुपए) तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम (105.00 लाख रुपए) की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 1999–2000 के दौरान राज्य को 525.49 लाख रुपए की कुल राशि जारी की गई थी। राज्य ने 2000–2001 के दौरान उपयोग के लिए उक्त धनराशि के पुनर्वैधीकरण का अनुरोध किया। पुनर्वैधीकरण आदेश जारी कर दिए गए हैं और सहायता की निर्मुक्ति पर उपयोग प्रमाण पत्र तथा वास्तविक प्रगति की रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज

528. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनुवंशिक रूप से संशोधित (जेनेटिकली मोडिफाइड) बीज कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उपयोगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बीजों का आयात किया जाएगा;

(घ) क्या ये बीज आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से दिए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) सूचनानुसार बायोटिक अबायोअिक दबाव वाली स्थितियों में अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों से कृषि उत्पादकता बढ़ाने की संभावना है। तथापि, फिलहाल भारत में ऐसे बीजों का कोई वाणिज्यिक दोहन नहीं होता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन अनुवांशिक बहुलीकरण संबंधी समीक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के अंतर्विष्ट अनुसंधान प्रयोग किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) फिलहाल, इस विभाग के पास अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है। सभी अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरणीय सुरक्षा के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऐसे बीज भारतीय पर्यावरण में मूल्यांकित और सुरक्षित पाये जाने पर ही देश में आयात हेतु पात्र होंगे। ऐसे बीज प्राप्त करने वाले निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी संगठन के लिए नियम भारतीय कानून द्वारा संचालित होंगे। जिसके लिए वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत वाणिज्यिक उपयोग के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से तथा अनुसंधान उपयोग के लिए जैव–प्रौद्योगिकी विभाग से सुरक्षा स्वीकृति जरूरी है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन

529. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कामगारों तथा नियोजकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधित करने और नामतः औद्योगिक संबंध विधेयक नामक एक नया विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों में सम्मिलित किए जाने वाले सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नया विधेयक कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विभिन्न संशोधन प्रस्ताव सामाजिक भागीदारों की आवश्यकताओं पर आधारित है। सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार करने के बाद अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक सजग नीति अंगीकृत की जाती है। अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना

530. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना (एचएडीएस) के अन्तर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) इस योजना में सम्मिलित किए गए विभिन्न जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान एचएडीएस के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) एचएडीएस के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और वास्तविक रूप से इन पर कितना व्यय किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचडीपी) और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) में निम्नलिखित नामित पर्वतीय क्षेत्रों/तालुकों को सम्मिलित किया गया है :

(1) असम के दो पर्वतीय जिले — उत्तर कछार और कारबी आंगलांग।

(2) उत्तर प्रदेश के 12 जिले — देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तर काशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग और ऊधमसिंह नगर।

(3) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का अधिकांश भाग।

(4) तमिलनाडु का नीलगिरी जिला।

(5) पश्चिमी घाट क्षेत्र के 159 तालुक जिनमें महाराष्ट्र (62 तालुके), कर्नाटक (40 तालुके), तमिलनाडु (25 तालुके)

केरल (29 तालुके) और गोवा (3 तालुके) के भाग शामिल हैं।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता को एचएडीपी के अन्तर्गत नामित पर्वतीय क्षेत्रों और डब्ल्यूजीडीपी के नामित तालुकों के बीच 84 : 16 के अनुपात में बांटा जाता है। एचएडीपी के अर्न्तगत उपलब्ध आबंटन को नामित पर्वतीय क्षेत्रों के बीच, उनके क्षेत्र और जनसंख्या, दोनों मानदण्डों को समान महत्व देते हुए विभाजित किया जाता है। डब्ल्यूजीडीपी के अर्न्तगत उपलब्ध आवंटन के 75% क्षेत्र को और 25% जनसंख्या को महत्व देते हुए, क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर तालुकों के बीच विभाजित किया जाता है। (गोवा को छोड़कर, जिसके लिए कुल एससीए के 5% का तदर्थ आबंटन किया गया है क्योंकि क्षेत्र और जनसंख्या के भारण के समान मानदण्ड को अपनाते हुए गोवा का हिस्सा नगण्य बैठता है।)

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मूल्यांकन अध्ययन कराए गए थे। यद्यपि, कार्यक्रम के प्रभाव को अलग करना कठिन है क्योंकि निधियां राज्य योजनाओं के सामान्य प्रवाह के संबंध में केवल योगात्मक हैं, माइक्रो स्तर पर अध्ययन दर्शाते हैं कि बागवानी, मृदा संरक्षण और लघु सिंचाई जैसे क्षेत्रकों में लाभकारी उन्मुख कार्यक्रमों का क्षेत्र में अच्छा प्रभाव पड़ा था।

(ङ) कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन और किया गया व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एचएडीपी/डब्ल्यू जीडीपी के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन और व्यय

(करोड़ रुपये)

राज्य	1996–97		1997–98		1998–99		1999–2000	
	आबंटन	सूचित किया गया व्यय	आबंटन	सूचित किया गया व्यय	आबंटन	सूचित किया गया व्यय	आबंटन	सूचित किया गया व्यय
(क) राज्यों के पर्वतीय क्षेत्र								
असम	46.32	46.32	46.32	46.32	50.16	50.16	50.90	50.90
तमिलनाडु	19.62	19.62	19.62	19.62	21.70	21.70	22.01	22.01
उत्तर प्रदेश	217.07	217.07	217.07	217.07	237.41	237.41	240.86	240.86
पश्चिमी बंगाल	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23
उप–जोड़ (क)	305.24	305.24	305.24	305.24	331.50	331.50	336.00	336.00
ख. पश्चिमी घाट क्षेत्र								
महाराष्ट्र	15.27	15.19	15.67	15.35	19.11	18.81	20.97	20.83
कर्नाटक	11.29	10.48	11.22	10.07	14.48	12.78	16.84	15.68
केरल	9.52	9.40	9.96	9.77	11.91	11.75	13.51	13.37
तमिलनाडु	7.96	7.96	8.00	8.00	9.97	9.97	10.94	11.60
गोवा	2.34	2.29	2.33	2.24	2.95	2.92	3.20	3.33
उप–जोड़ (ख)	46.38	45.32	47.18	45.43	58.42	56.23	65.46	64.81
कुल जोड़ (क + ख)	351.62	350.56	352.42	350.67	389.92	387.73	401.46	400.81

[हिन्दी]

ई.एस.आई.

531. **श्री रामशकल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी हेतु बीमा योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने बेरोजगार व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इस योजना के पूर्ण सफलता हासिल न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण विकास

532. **श्री दिन्शा पटेल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी थी;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान इन दोनों क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में कितने रोजगार पैदा हुए और ग्रामीण विकास से देश में विशेषत: गुजरात में गरीबी उन्मूलन में कितनी सहायता मिली है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि के लिए नियत लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। ग्रामीण विकास क्षेत्रक की सभी स्कीमों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां संलग्न विवरण–I–क में दी गई हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्रक में हुए उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। किस सीमा तक कृषि क्षेत्रक में रोजगार सृजित हुए हैं, इसका आकलन अभी नहीं किया गया है।

नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सामान्य रूप से देश में तथा विशेष रूप से गुजरात में गरीबी उन्मूलन की दिशा में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं करवाया गया है। हालांकि, सरकार ने गरीबी में कमी लाने के लिए त्रिपक्षीय कार्यनीति अपनाई है, जिसमे शामिल हैं, (i) रोजगार गहन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए त्वरित आर्थिक विकास, (ii) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास, तथा (iii) लक्षित गरीबी–रोधी कार्यक्रम। प्रमुख गरीबी–रेखा कार्यक्रम हैं : स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई पहले जो आईआरडीपी थी), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई जो पहले जवाहर रोजगार योजना थी), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)।

विवरण-I

नौवीं योजना में कृषि उत्पादों के उत्पादन के लक्ष्य

मद	उत्पादन लक्ष्य (मिलियन टन)	
1	2	
I. कृषि फसलें		
(ख) अनाज	234.00	
(v) चावल	99.00	
(vi) गेहूं	83.00	
(vii) मोटे अनाज	35.50	
(viii) दालें	16.50	
(ख) तिलहन	30.00	
(ग) गन्ना	336.00	
(घ) फल व सब्जियां	179.00	
(ङ) अन्य कृषि उत्पादन जिनमें हैं :		
(vi) कपास	15.70	(मिलियन बेल्स)

1	2
(vii) चाय	1000.00 (मिलियन कि.ग्रा.)
(viii) काफी	300.00 (मिलियन कि.ग्रा.)
(ix) मसाले	3.36
(x) रबर	0.83

1	2
2. पशुधन	
(घ) दुग्ध उत्पाद समूह	96.49
(ङ) मांस व कुक्कुट समूह	
(च) अन्य पशु उत्पाद	
3. मत्स्य	7.04

विवरण-I क

प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 का वास्तविक निष्पादन

अखिल भारत

क्रम. सं.	कार्यक्रम	यूनिट	1997–98			1998–99			1999–2000		
			लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	अवधि
1.	जेआरवाई/ जेजीएसवाई	* लाख मानव दिवस	3867.00	3958.00	102.35	3966.57	3752.10	94.59		1711.11	12/99 तक
2.	ई.ए.एस.	लाख मानव दिवस		4717.74			4165.31		4089.50	2024.75	12/99 तक
		लाख परिवार/ सहायता प्राप्त									
3.	आईआरडीपी/ एसजीएसवाई #	स्वयंसेवी समूह		17.07			16.64			2.08	12/99 तक
4.	आई.ए.वाई.	लाख मकान	7.18	7.71	107.38	9.87	8.35	84.60	12.72	6.56	12/99 तक

* जेआरवाई को 1999–2000 से जेजीएसवाई के रूप में पुनः संरचित किया गया है।

\# 1999–2000 से आईआरडीपी एवं उसके संबंध कार्यक्रमों जैसे ट्राइसेम, डवाकरा, सिद्धा तथा जीकेवाई एवं एमडब्ल्यूएस को मिलाकर एसजीएसवाई के रूप में पुनः संरचित किया गया है।

& 1999–2000 के सहायता प्राप्त स्वयंसेवी समूह

(स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय)

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्रक में उत्पादन

	फसलें	यूनिट	अखिल भारत			गुजरात		
			1997–98	1998–99	1999–2000	1997–98	1998–99	1999–2000
	1		2	3	4	5	6	7
1.	अनाज	मिलियन टन	192.26	203.04	205.91*	5.71	5.57	उ.न.
	(क) चावल	–वही–	82.53	85.99	88.28	1.04	1.02	उ.न.
	(ख) गेहूं	–वही–	66.35	70.78	74.25	1.65	1.70	उ.न.
	(ग) मोटे अनाज	–वही–	30.40	31.46	30.35	2.41	2.21	उ.न.
	(घ) कुल दालें	–वही–	12.98	14.81	13.06	0.61	0.63	उ.न.
2.	नौ तिलहन	–वही–	21.32	25.21	21.18	3.83	3.88	उ.न.
3.	गन्ना	–वही–	279.54	295.73	309.31	11.84	13.57	उ.न.
4.	कपास	–वही–	10.85	12.18	11.99	3.18	3.94	उ.न.
5.	फल व सब्जियां	–वही–	112.88	122.00	उ.न.	4.07	उ.न.	उ.न.
6.	मसाले	–वही–	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
7.	चाय	मिलियन कि.ग्रा.	838	850	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	काफी	लाख टन	2.28	2.65	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
9.	रबर	–वही–	5.89	6.05	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
10.	दूध	–वही–	706.00*	747.00@	उ.न.	49.13*	उ.न.	उ.न.
11.	अण्डे	मिलियन सं.	28549*	30150@	उ.न.	48.85*	उ.न.	उ.न.
12.	ऊन	मिलियन कि.ग्रा.	44.7*	45.5@	उ.न.	2.6*	उ.न.	उ.न.
13.	मछली	लाख टन	53.88	52.62*	उ.न.	8.16	6.30*	उ.न.

* अनंतिम @ = प्रत्याशित उ.न. = उपलब्ध नहीं।

साइबर सिक्योरिटी पैनल

533. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीकी राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा संरक्षण केन्द्र की तर्ज पर एक उच्च स्तरीय साइबर सिक्योरिटी पैनल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ठिकानों और उपयोगिता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूचना मूलसंरचना

का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में गठित राष्ट्रीय मूलसंरचना संरक्षण केन्द्र की ही तरह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा पैनल गठित करने पर विचार कर रही है। लेकिन, इस संबंध में कोई निश्चित प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किया गया है।

(ग) देश में जिन संस्थानों में अधिक मात्रा में कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित हैं तथा कम्प्यूटर नेटवर्क हैं वे सामान्यतया पर्याप्त सुरक्षा उपाय करते हैं तथा अपनी सूचना प्रणालियों एवं सुविधाओं के लिए उपयुक्त सुरक्षा उत्पाद प्रतिष्ठापित करते हैं। देश की महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की प्रत्यक्ष सुरक्षा का प्रबंध संबंधित एजेंसियों/संस्थानों तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा भी प्रत्यक्ष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता

534. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समक्ष मांग रखी है और जन समस्याओं से निपटने के लिए मुंबई हेतु 1,355 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने मुख्य मंत्री द्वारा किए गए अभ्यानेदन पर विचार किया है;

(ग) योजना आयोग को मुख्य मंत्री द्वारा क्या मुख्य बुनियादी प्रस्ताव किए गए हैं;

(घ) इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना आयोग कहां तक सहमत हो गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ङ) वार्षिक योजना 2000–2001 को अंतिम रूप देने के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच दिनांक 24 मई, 2000 को हुई बैठक में राज्य सरकार ने दस वर्षों के लिए मुम्बई की नागरिक समस्याओं से निपटने के लिए 1,355 करोड़ रु. की वार्षिक केन्द्रीय सहायता, जल की कमी के संकट के समाधान हेतु 100 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता, वर्ष 2003–04 के दौरान नासिक में होने वाले कुंभ मेले के लिए सहायता और 12330 करोड़ रु. के योजना आकार को पूरा करने हेतु 748 करोड़ रु. के घाटे को पूरा करने के लिए कुछ योजना सहायता का अनुरोध किया है। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000–01 के लिए महाराष्ट्र हेतु 11500 करोड़ रु. के योजना आकार पर सहमति की गई है। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत क्षेत्रकीय ब्यौरा इस योजना आकार में समायोजित किया जाएगा।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

535. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहायता से वास्तव में क्रियान्वित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्यमंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) 1997–98 से 1999–2000 की अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 1980 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश वाले 137 विदेशी निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। तीन वर्ष की अवधि के दौरान वास्तविक कार्यान्वयन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। वैसे 1991 से दिसम्बर, 1999 के दौरान 114 परियोजनाओं को लागू किया गया जिसमें 2299 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी पूंजी निवेश भारत में किया गया।

(घ) (i) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के मामले में, कतिपय शर्तों के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन उपलब्ध है।

(ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र की सूची से शामिल कर लिया गया है।

(iii) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदें, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के दायरे से मुक्त हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की मदों की बिक्री में कमी

536. **श्री जय प्रकाश :** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से खादी ग्रामोद्योग आयोग को बिक्री से होने वाली आय में कमी आई है जिसके कारण यह बंद होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी विदेशी कंपनी द्वारा इसकी समीक्षा करने के लिए कोई करार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तराखंड क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

537. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तराखंड क्षेत्र के विकास के संबंध में अप्रैल, 21–23 को आयोजित वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की कार्यशाला में इस क्षेत्र में सूचना उद्योग के विकास के लिए रणनीति तैयार की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रणनीति में 'हाई वाइड–बैंड–इण्टरनेट' संपर्क की व्यवस्था भी शामिल है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) 'उत्तराखंड के एकीकृत विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका' विषय पर 21–23 अप्रैल, 2000 को कोसी–कटरामल, अल्मोड़ा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला मात्र सूचना उद्योगों के विकास पर ही केन्द्रित नहीं थी बल्कि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के माध्यम से क्षेत्र के एकीकृत विकास के व्यापक मुद्दे शामिल थे, जैसे कि (i) भू–संसाधन, (ii) जैव–संसाधन, (iii) आधारभूत सुविधाएं और प्रौद्योगिकीय कार्य तथा (iv) सामाजिक–आर्थिक पक्ष। इस कार्यशाला में दिए गए सुझावों में से एक सुझाव इस क्षेत्र में हाई वाईड बैंड इंटरनेट संयोजन से संबंधित है।

उत्तर–पूर्व और सिक्कम के संबंध में जनवरी, 2000 में लिए गए निर्णय के अनुरूप, उत्तराखण्ड क्षेत्र के सभी ब्लॉकों में पूर्ण इंटरनेट संयोजन सहित सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने का भी अलग से निर्णय लिया गया है।

(घ) अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उपर्युक्त कार्यशाला की सिफारिशों के आधार पर एक मिशन मोड परियोजना तैयार करने और पारस्परिक संबंध, समन्वय तथा संसाधन जुटाने के तरीकों और साधनों का सुझाव देने के लिए हाल ही में एक स्थायी समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

अम्लीय भूमि का सुधार

538. **श्री राजो सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने लवणीय–क्षारीय भूमि के सुधार, जलभराव वाले क्षेत्रों को ठीक करने और केन्द्र प्रायोजित योजना, अम्लीय भूमि के सुधार को लागू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव मंजूरी और वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) जी, हां। बिहार सरकार ने दिनांक 30.9.1999 के पत्रांक सी/प्लान/99/388/पटना के माध्यम से गंडक कमाण्ड एरिया के 8 जिलों में 2.20 लाख है. लवण प्रभावित भूमि के सुधार तथा विकास के लिए विश्व बैंक से 1340.00 करोड़ रु. की सहायता मांगने हेतु एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कृषि मंत्रालय द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित टिप्पणियां बिहार सरकार को 29.12.1999 को भेज दी गई थीं।

[अनुवाद]

पेंशन निधि

539. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए कोई पेंशन निधि स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने इस पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निधि को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) पांचवें वेतन आयोग ने सरकार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पेंशन निधि का सृजन किए जाने की सिफारिश की है जिसमें वर्ष 1997–98 से सेवा में आने वाले कर्मचारियों के वेतन को 17.73 प्रतिशत भाग अलग से रख दिया जाए ताकि पेंशन दायित्व को पूर्णतः प्रस्तावित पेंशन निधि में से पूरा किया जा सके। इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योगों पर व्यापक नीति

540. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में व्यापक नीति अपनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या नीति का प्रारूप तैयार कर इसे अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) लघु क्षेत्र पर व्यापक नई नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विमान यात्रियों के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज

541. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने अक्टूबर 2000 से दोनों देशों के विमान यात्रियों द्वारा पासपोर्ट सहित पहचान संबंधी दस्तावेजों को अपने साथ रखना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमान द्वारा यात्रा तय करने की शर्तें सड़क मार्ग से यात्रा करने पर लागू होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) भारत और नेपाल मौजूदा व्यवस्था को और चुस्त बनाने के लिए सहमत हुए हैं जिसमें दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा करने वाले भारतीय और नेपाली राष्ट्रिकों को अपनी राष्ट्रीयता प्रमाणित करने के लिए फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है। स्वीकार्य यात्रा दस्तावेजों की एक चुनिंदा सूची 1 अक्टूबर 2000 से लागू की जाएगी।

भारतीय नागरिकों को दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपने पास रखना होगा :

* वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट।
* भारत सरकार/किसी राज्य सरकार अथवा भारत में संघ शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान–पत्र/भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया पहचान–पत्र।
* आपात काल में, भारतीय राष्ट्रिकों को काठमांडू स्थित भारत के राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकालीन प्रमाण–पत्र।

नेपाली नागरिकों को दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपने पास रखना होगा :–

* वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट।
* नेपाल की सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान–पत्र।
* आपात कालीन परिस्थितियों में नेपाली राष्ट्रिकों को नई दिल्ली स्थिति शाही नेपाली राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकालीन प्रमाण–पत्र।

10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, भारत और नेपाल के बीच हवाई यात्रा करने के लिए ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) फिलहाल दोनों देशों के बीच भू–सीमा को पार करने की यात्रा के लिए उपर्युक्त शर्तों को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, दोनों पक्ष भारत–नेपाल सीमा के आर–पार आंतकवादियों, अपराधियों और अन्य अवांछित तत्वों की अवांछित गतिविधियों और आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सहमत हुए हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुविधा जायज उपयोग कर्त्ताओं के लिए उपलब्ध रहे, आरक्षित भारत–नेपाल सीमा के दुरुपयोग को रोकने संबंधी संयुक्त प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है।

प्रतिष्ठानों को बन्द किया जाना

542. श्री मोइनुल हसन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आज तक केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के बंद होने के कारण कुल कितने कर्मचारियों और कामगारों को नौकरी से हाथ थोना पड़ा;

(ख) कर्मचारियों की नौकरियों और रोजगार परिदृश्य पर "विनिवेश" का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) केन्द्र सरकार के कार्यालयों में "आवश्यकतापरक भर्ती" और "कार्यात्मक आवश्यकता" पदों के अर्थ का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों के बन्द होने के कारण प्रभावित कर्मचारियों तथा कर्मकारों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गैर–सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में विनिवेश की प्रक्रिया उनके परिचालन की पुनर्संरचना, उत्पादकता में सुधार तथा कार्य निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से शुरू की गई है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता लगता हो कि इससे कर्मचारियों की नौकरियों तथा रोजगार परिवेश पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा।

(ग) सरकार की परिवर्तित भूमिका, कार्यों और नीतियों से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में परिचालन अपेक्षाओं तथा जरूरतों में बदलाव आने की संभावना है। कुछ विभागों/कार्यालयों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। जबकि अन्यों के संबंध में स्टाफ/अधिकारियों में कुछ परिवर्तन/समायोजन आवश्यक हो सकते हैं। इसलिए भर्ती, आवश्यकता आधारित तथा सरकारी कार्यालयों में किए जा रहे कार्यों तथा परिचालन कार्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

विवरण

1997–2000 के दौरान क्षेत्रवार बन्द हुए कारखानों तथा इससे प्रभावित कामगारों की संख्या

	बन्दी					
	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र		जोड़	
वर्ष	क	ख	क	ख	क	ख
1997 (अनंतिम)	2	150	152	12794	154	12944
1998 (अनंतिम)	—	—	175	13386	175	13386
1999 (अनंतिम)	1	21	143	15234	144	15255
2000 (जन.–मई) अनंतिम	—	—	22	1374	22	1374

क– इकाइयों की संख्या
ख– प्रभावित कामगार
–– शून्य
अनंतिम
स्रोत – श्रम ब्यूरो शिमला

[हिन्दी]

यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग

543. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अन्य कौन–कौन से संबंधित क्षेत्र हैं जिनमें भारत के साथ फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों का सहयोग है;

(ख) क्या परस्पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) भारत और फ्रांस के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में वैज्ञानिक अनुसंधान, वाह्य अन्तरिक्ष के अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग, 'इनसैट' शृंखला उप–ग्रहों के छोड़े जाने में सहयोग, दूर संचार सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, ऊर्जा कृषि जिसमें खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं, रसायनों और पैट्रो रसायनों में वैज्ञानिक अनुसंधान के औद्योगिक अनुप्रयोग आदि के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। यूरोप में अनेक देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार सहयोग, पर्यटन, विमान सेवाएं, दोहरे कराधान से परिहार, निवेश संवर्धन और संरक्षण, कृषि दूर संचार, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय करार भी हुए हैं।

(ख) और (ग) संयुक्त आयोगों और कार्यकारी दलों की आवधिक माध्यम से द्विपक्षीय आदान–प्रदानों और परामर्शों के तंत्र स आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने और उनका पता लगाने के अवसर उपलब्ध होते हैं। यूरोप में विभिन्न देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, गैर पारम्परिक ऊर्जा, बिजली, समुद्र विज्ञान, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, विनाश प्रबन्धन और सुदूर संवेदन के क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।

राष्ट्रीय जल नीति

544. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री जय प्रकाश :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, हाल ही में नई राष्ट्रीय जल नीति की यथाशीघ्र समीक्षा के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या कई राज्य सरकारों ने इस नीति के दिशानिर्देशों के प्रारूप के कुछ प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) जी, हां। संशोधित राष्ट्रीय जल नीति अपनाने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की चौथी बैठक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 जुलाई, 2000 को आयोजित की गई थी यद्यपि इस विचार–विमर्श के दौरान प्रस्तावित नीति में निहित अधिकांश मुद्दों पर राज्यों के बीच व्यापक सहमति हुई, तथापि कुछ मुद्दों में मतभेद भी रहा, मतभेद वाले मुद्दे इस प्रकार हैं :–

(i) मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए विधान;

(ii) सांविधिक शक्तियों वाले उपयुक्त नदी बेसिन संगठन की स्थापना;

(iii) राज्यों के बीच जल का बंटवारा, और

(iv) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन

इन मुद्दों पर विचारों में अधिक समानता लाने तथा आम सहमति करने के लिए माननीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों का एक कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

अवैध रूप से भारतीयों को विदेश भेजना

545. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
डॉ. रमेश चन्द्र तोमर :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों से भारतीयों को अवैध रूप से देश से बाहर भेजने के करोड़ों रुपयों के संगठित अपराध की जांच करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गिरोहों की कार्य पद्धति क्या है; और

(ग) यह जांच कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं। विदेशों में भारतीयों की संगठित तस्करी की जांच करने के लिए विशेषरूप से किसी जांच एजेंसी से नहीं कहा गया है, तथापि

जैसे ही और जब कभी विदेशों में भारतीयों की तस्करी के मामले सरकार की जानकारी में आते हैं, संबंधित एजेंसियों से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उस मामले की जांच करने के लिए कहा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ठेका श्रम कानून

546. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री जी.जे. जावीया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा ठेका श्रम अधिनियम, 1970 को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और प्रमुख मजदूर संघों के बीच इस संबंध में कोई परामर्श हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित कानून कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) आर्थिक उदारीकरण और अधिनियम के प्रशासन से प्राप्त अनुभवों और विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को देखते हुए ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। प्रमुख श्रमिक संघों से भी परामर्श किया गया है और सभी संबंधितों की प्रतिक्रियाओं के दृष्टिगत मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा

547. श्री रामदास आठवले :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री रेणुका चौधरी :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जून, 2000 में श्रीलंका की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रीलंका सरकार के साथ किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई ;

(घ) बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या भारत ने श्रीलंका को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव किया;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति के एक विशेष दूत ने हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा की थी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे क्या संदेश ले आये थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (च) विदेश मंत्री 11–12 जून, 2000 को श्रीलंका की यात्रा पर गए तथा वहां उन्होंने श्रीलंका की राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता एवं अन्य कई राजनीतिक नेताओं से बातचीत की। विदेशमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बी.एस.एम.) भी गए थे।

इस यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ट तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने के संदर्भ में बातचीत हुई। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के संबंध में यह बातचीत श्रीलंका की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता की रूपरेखा के भीतर राजनीतिक समझौते के जरिए स्थायी शांति प्राप्त करने के उपायों पर इस प्रकार केन्द्रित रही जिससे सभी समुदायों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके।

इस यात्रा के दौरान भारत ने श्रीलंका को 100 मिलीयन अमरीकी डालर के ऋण की पेशकश की। भारत से श्रीलंका द्वारा आपसी व्यापार के आधार पर गेहूं, चावल, और चीनी की खरीद की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

इस यात्रा के अंत में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य का पाठ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) श्रीलंका की राष्ट्रपति के विशेष दूत बुद्ध ससना, संस्कृति एवं धार्मिक मामलों के मंत्री श्री लक्ष्मण जयकोड़ी ने 4 – 6 जुलाई, 2000 तक दिल्ली की यात्रा की उन्होंने श्रीलंका की राष्ट्रपति का एक पत्र हमारे प्रधानमंत्री को सौंपा जिसमें हाल के संकट के समय श्रीलंका को भारत द्वारा दिए गए राजयिक तथा नैतिक समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया था। विशेष दूत ने विदेशमंत्री और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री से भी मुलाकात की।

विवरण

श्रीलंका–भारत संयुक्त वक्तव्य

(12 जून, 2000)

भारत के विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह ने श्रीलंका सरकार के आमंत्रण पर 11 से 12 जून तक श्रीलंका की सरकारी यात्रा की। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति कुमारतुंग और विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिमगमर के साथ चर्चा की। उन्होंने विपक्ष के नेता श्री रानिल विक्रमेसिंघे तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की।

चर्चा के आरंभ में यात्रा पर गये मंत्री ने श्रीलंका की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता के प्रति भारत सरकार की सतत् वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने स्थायी शांति, जो एक ऐसी राजनैतिक प्रक्रिया के द्वारा संभव होगा जिससे कोई ऐसा समाधान निकलता है जो सभी समुदायों की आकांक्षाओं को पूर्ण करे, बहाल करने में भारत की सद्भावना और समर्थन को व्यक्त किया।

चर्चा में वर्तमान स्थिति और भारत तथा श्रीलंका के बीच विद्यमान [illegible] घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और संवर्द्धित करने से [illegible] व्यापक मसलों को भी शामिल किया गया।

राष्ट्रपति कुमारतुंग ने दौर पर गये मंत्री को सरकार और अन्य राजनैतिक दलों के बीच परामर्शों तथा नार्वे की मध्यस्थता के प्रयासों सहित अन्य सामयिक राजनैतिक घटनाओं से भी अवगत कराया।

राष्ट्रपति कुमारतुंग ने श्रीलंका द्वारा इस समय सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए मानवीय और आर्थिक क्षेत्र में भारत द्वारा सहायता दिये जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया। इस संबंध में श्री जसवंत सिंह ने यह भी कहा कि भारत श्रीलंका को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आपसी सहमत शर्तों पर 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सुविधा देने के लिए तैयार है। श्रीलंका द्वारा आपसी व्यापार के आधार पर भारत से गेहूं, चावल और चीनी खरीदे जाने की संभावना पर भी चर्चा हुई।

अंत में दोनों पक्षों ने यह नोट किया कि चर्चा लाभदायक रही और दोनों पक्ष श्रीलंका में स्थायी शांति लाने के लिए भारत और श्रीलंका द्वारा सामूहिक रूप से और साथ ही अलग–अलग किये जाने वाले उपायों के संबंध में एक समझबूझ पर पहुंचने में समर्थ हो सके। श्री जसवंत सिंह ने इस बात पर बल दिया कि अपनी यात्रा के बाद श्रीलंका छोड़ते समय वे भारत–श्रीलंका संबंधों की गहराई, मजबूती एवं दिशा तथा दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की अपनी–अपनी क्षमता के संबंध में आश्वस्त हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा

548. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान प्रतिबंधों के मुद्दे को उठाये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी यात्रा की तिथि निर्धारित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन अन्य विषयों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) अमरीका के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर प्रधान मंत्री की अमरीका की यात्रा से भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच घनिष्ठ और बेहतर नए संबंध स्थापित करने और सहयोग प्रगाढ़ करने की दिशा में योगदान मिलना अपेक्षित है जैसा कि 21 मार्च को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री और अमरीका के राष्ट्रपति ने 21वीं शताब्दी में द्विपक्षीय संबंध के बारे में कल्पना व्यक्त की थी। इस बात की अपेक्षा की जाती है कि आपसी हित चिंता के सभी मामलों, जिनमें भारत पर अमरीका के शेष रह गए एकपक्षीय प्रतिबंध शामिल हैं, पर दोनों पक्षों द्वारा चर्चा की जाएगी।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री 15 से 17 सितंबर, 2000 तक वाशिंगटन की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। वे न्यूयार्क और सांन फ्रांसिसको भी जाएंगे।

(ङ) दोनों पक्ष सभी प्रकार की द्विपक्षीय क्रियाकलापों में सहयोग तेज करने पर बातचीत करेंगे जिनमें व्यापार और वाणिज्य, वित्त और निवेश, ऊर्जा और पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आतंकवाद से मुकाबला और विधि प्रवर्तन शामिल है। आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भी चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

549. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री कृष्णम राजू :
श्री रतन लाल कटारिया :

डॉ. अशोक पटेल :
श्री ए. नरेन्द्र :
डॉ. जसवंत सिंह यादव :
श्री अनिल बसु :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री जी. पुट्टास्वामी गोडा :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री सुंदरलाल तिवारी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने गत छः महीनों के दौरान और आज की तिथि तक किन–किन देशों की यात्रा की है;

(ख) उनके साथ कौन–कौन से मंत्री गए थे;

(ग) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा की गई और उन मुद्दों पर भारत और मेजबान देशों का क्या दृष्टिकोण रहा;

(घ) इस अवसर पर देश–वार किन–किन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;

(ङ) यात्रा के परिणामस्वरूप क्या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है; और

(च) इस यात्रा से ऐसे देशों के साथ भारत के निकट संबंध किस प्रकार मजबूत होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (च) ये ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और इन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

बकायों का भुगतान न करना

550. डॉ. बलिराम : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर्मचारी भविष्य–निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए बिल चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार इन दोनों राज्यों में लंबित श्रमिक मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन लंबित मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने हेतु क्या उपाय किए जो रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :–

(i) कर्मचारी राज्य बीमा चूककर्ता

	1997–98	1998–99	1999–2000
दिल्ली	813	1120	1017
उत्तर प्रदेश	1368	1483	740

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि चूककर्ता

	1997–98	1998–99	1999–2000
दिल्ली	417	394	685
उत्तर प्रदेश	2314	1337	2423

(ख) 31–5–2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालय उत्तर प्रदेश में 713 तथा नई दिल्ली में 1084 मामले लम्बित हैं।

(ग) 6–4–99 को सभी पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक हुई थी जिसमें लम्बित मामलों के निपटान की जरूरत पर जोर दिया गया था। मामलों के शीघ्र निपटान में सुविधा प्रदान करने के लिए पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु एक विभागीय प्रक्रिया नियम पुस्तक को अन्तिम रूप दिया गया है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

551. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिडिल स्कूलों में कम्प्यूटर लगाने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि का संवितरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) :

(क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं में कम्प्यूटर के संस्थापन हे ु निधियों का उपयोग किया जा सकता है। जिला प्राधिकारियों को लागत की प्रतियोगितात्मकता तथा आवश्यक विन्यास के मद्देनजर कार्यकारी अभिकरणों को कार्य सौंपने होते हैं तथा तदनुसार निधियां अवमोचित करनी होती हैं।

(ग) योजना के अंतर्गत निधियां, भारत सरकार द्वारा एक करोड़ रु. प्रति किस्त की दर से जिला कलक्टरों को सीधे अवमोचित की जाती हैं। सांसदों द्वारा अनुशासित व्यक्तिगत पात्र कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी अभिकरणों को आवश्यक निधियां जिला कलेक्टर द्वारा वितरित की जाती हैं।

लागत में वृद्धि

552. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक विलंब होने के कारण उनकी लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने अधिकारियों के विरुद्ध उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के पश्चात् कार्यवाही की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। 31.3.2000 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर केंद्रीय क्षेत्र की 20 करोड़ रुपए तथा अधिक लागत वाली 473 परियोजनाओं में से 216 परियोजनाएं अपनी अद्यतन अनुमोदित समय सूची से पीछे चल रही हैं। मूल अनुसूची और लागत के संबंध में समय और लागत वृद्धि की सीमा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) अगस्त, 1998 में योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार स्थायी समितियों का तंत्र, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को 50 करोड़ रुपए तथा अधिक लागत वाली परियोजनाओं के संशोधित लागत प्राक्कलन भेजे जाने से पूर्व, समय और लागत वृद्धि के सभी मामलों में जिम्मेदारी निर्धारित करने की संभावना पर विचार करता है। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित है कि वे समय और लागत वृद्धि के मामलों की जांच करने तथा ऐसी वृद्धि के लिए जिम्मेदार अभिकरणों और व्यक्तियों की पहचान करने के लिए योजना आयोग व्यय विभाग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक स्थाई समिति गठित करें। समिति की यह रिपोर्ट, समय एवं लागत वृद्धि वाले संशोधित लागत प्राक्कलनों की जांच एवं अनुमोदन के लिए आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति को भेजने से पूर्व टिप्पणी का एक हिस्सा होती है।

22 मंत्रालयों ने परियोजनाओं की समय और लागत वृद्धि का अध्ययन करने के लिए स्थाई समितियां गठित की हैं। अब तक ऐसे 40 मामले स्थाई समितियों के पास भेजे गए हैं। 10 मामलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा एक मामले में व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। कानून और व्यवस्था की समस्याओं तथा उपयुक्त जन–शक्ति संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों की परियोजनाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। कुछ अन्य परियोजनाओं में, समय और लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों के रूप में कुछ संस्थागत कमजोरियों को अभिज्ञात किया गया है। स्थाई समितियों ने केंद्रीय मंत्रालयों को आवश्यक उपचारी कार्रवाई करने का सुझाव दिया है।

विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	परि. की संख्या	कुल लागत (करोड़ रुपए)			परियोजनाओं की लागत वृद्धि				परियोजनाओं की समय वृद्धि			
			मूल लागत	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि (प्रतिशत)	सं.	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	प्रति. वृद्धि (आधार)	संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	रेंज (माह)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	परमाणु ऊर्जा	26	6246.8	15559.7	149.1	5	4959.0	14460.7	191.6	6	2092.8	5891.5	33–76
2.	नागर विमानन	15	492.2	535.8	8.8	5	160.5	204.1	27.1	9	258.9	290.9	2–57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	कोयला	65	12161.8	13747.5	12.8	16	4995.5	6798.3	36.1	36	8203.0	9772.4	2—189
4.	वित्त	1	118.3	348.8	194.9	1	118.3	348.8	194.9	1	118.3	348.8	96—96
5.	उर्वरक	6	739.0	749.5	1.4	1	28.0	38.5	37.5	1	28.0	38.5	6—6
6.	सूचना एवं प्रसारण	5	202.5	249.9	23.4	1	34.2	81.6	138.9	5	202.5	249.9	24—132
7.	खान	5	3965.0	3971.3	0.2	1	157.5	163.8	4.0	3	238.4	244.7	8—14
8.	इस्पात	11	3177.9	4275.7	34.5	4	2739.1	3836.9	40.1	9	3048.9	4146.7	2—35
9.	पेट्रो रसायन	1	3484.4	4335.0	24.4	1	3484.4	4335.0	24.4	1	3484.4	4335.0	40—40
10.	पेट्रोलियम	45	29201.5	29747.0	1.9	6	4050.7	4835.7	19.4	17	13704.2	14396.8	3—58
11.	विद्युत	29	27554.0	45830.3	66.2	17	18797.4	37292.1	98.4	15	9079.7	24552.1	22—136
12.	रेलवे	192	26508.0	36295.7	36.9	125	15971.1	25948.8	62.5	63	9969.6	15646.7	2—132
13.	भूतल परिवहन	55	5460.7	7824.4	43.3	27	3441.1	5897.6	71.4	38	4230.4	6329.8	1—132
14.	दूर संचार	8	927.2	927.2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	7	896.1	896.1	1—48
15.	अन्य	9	5220.2	5726.0	9.7	6	5072.0	5578.4	10.0	5	281.4	403.6	29—53
	कुल	473	125459.3	170063.8	35.6	216	64008.8	109820.3	71.6	216	55836.5	87543.5	

सेंट्रल वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन

553. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे ने निर्धारित तिथि के तेरह वर्ष बीतने के बाद भी व्यासमापन प्रयोगशाला परियोजना पूरी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में अंशशोधन (कैलिब्रेशन प्रयोगशाला स्कीम की स्थापना संबंधी समस्त कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

इस परियोजना के तहत निर्माण की जाने वाली सुविधा में परिशुद्धता एवं संगतता के उच्च मानकों के लिए आवश्यक, इलैक्ट्रानिक्स, मैकेनिक्स, इलैक्ट्रीकल और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उन्नत एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल है। इसके डिजाइनों को अन्तिम रूप देने के लिए भारतीय एवं विदेशी परामर्शदाताओं की सहायता मांगी गई थी, जिसके कारण विलम्ब हुआ। जिन ठेकेदारों को सिविल कार्य दिया गया था उनमें से अधिकांश ने अपना कार्य पूरा नहीं किया। इसलिए, ये कार्य पुनः दूसरों को दिए गए जिसके परिणाम स्वरूप इसमें और समय लगा।

बाढ़ नियंत्रण

554. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री जोर सिंह मान :
डॉ. मदन प्रसादन जायसवाल :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री नवल किशोर राय :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की ओर से आने वाली नदियों के कारण उत्तरी राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बाढ़ और भूमि कटाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में किसी उच्च–स्तरीय केन्द्रीय दल ने प्रस्तावित बहुउद्देशीय सप्ता कोशी उच्च बांध परियोजना हेतु संयुक्त स्थल निरीक्षण करने के लिए नेपाल का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन (नैम मीटिंग) के दौरान भारत और नेपाल दोनों ही के प्रधानमंत्रियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना का कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी हां, नेपाल की ओर से आने वाली नदियों के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है।

(ख) वर्ष 1999 के मानसून मौसम के दौरान बिहार के 24 जिले और उत्तर प्रदेश के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे।

(ग) जी हां, मुख्य इंजीनियर (यमुना वेसिन), केन्द्रीय जल आयोग के नेतृत्व में एक दल ने भारत और नेपाल के बीच परियोजना संबंधी प्रथम तकनीकी स्तर की बैठक में भाग लेने तथा प्रस्तावित सप्त कोशी उच्च बांध और सन कोशी बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र के संयुक्त भारत–नेपाल क्षेत्र कामुआयना करने के लिए 5–12 जून, 2000 तक नेपाल का दौरा किया था।

(घ) इस दौरे के दौरान सप्त कोशी उच्च बांध और सन कोशी बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्य के ब्यौरे और प्रारंभिक अनुमानित लागत संयुक्त रूप से तैयार की गयी थी।

(ङ) किए गए विचार–विमर्श का कोई सरकारी रिकार्ड नहीं है।

(च) प्रश्न नही उठता।

[अनुवाद]

वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया जाना

555. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 2000–2001 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने संबंधी कार्य को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार की खस्ता वित्तीय हालत की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने संबंधी कार्य को स्थगित करने का क्या औचित्य है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं, योजना आयोग वर्ष 2000–01 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दे रहा है और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब व संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति से अवगत है, और तदनुसार प्रत्येक माह केन्द्र से राज्यों को योजना और गैर योजना सहायता के रूप में संसाधनों का उचित अंतरण किया जाता है। वर्ष 2000–01 के लिए वार्षिक राज्य योजना विचार–विमर्श में कुछ देरी ग्यारहवें वित्त आयोग के विचारों को ध्यान में रखने के लिए और परिमाणतः राज्य योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्धता की स्थिति के कारण हुई थी। तथापि, इससे राज्यों के लिए संसाधनों के अंतरण पर प्रभाव नहीं पड़ा है, और वे योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए अनंतिम आबंटनों के आधार पर प्रत्येक माह भारत सरकार से निधियां प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

एक परिवार - एक रोजगार

556. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने 'एक परिवार – एक रोजगार' योजना के मानकों को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई अनुदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो अनुदेशों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) हरियाणा सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य ने एक परिवार एक रोजगार योजना आरंभ नहीं की है।

(ख) हरियाणा राज्य में 1.12.1992 से, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत ऐसे उम्मीदवारों जिनके परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार के रोजगार में नहीं है, के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक परिवार एक रोजगार योजना आरंभ की गई है।

इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 1992 से मई, 2000 की समयावधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 4702 उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

557. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सम्मेलन में कौन से प्रस्ताव पारित किए गए;

(ग) क्या सम्मेलन के दौरान रोजगार सृजन तथा गरीबी उपशमन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) 30 मई से 15 जून, 2000 को जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 88वें सत्र में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित पर विचार–विमर्श किया गया :–

(1) मूल सिद्धान्तों और कार्यस्थल पर अधिकारों संबंधी अं.श्र.सं. घोषणा के फलस्वरूप कार्यस्थल पर "आपकी आवाज" नामक विश्व रिपोर्ट।

(2) मातृत्व संरक्षण

(3) कृषि में सुरक्षा और स्वास्थ्य

(4) मानव संसाधन प्रशिक्षण और विकास

(5) अभिसमय और सिफारिशों के अनुप्रयोग संबंधी रिपोर्ट, और

(6) अं.श्र.सं. के 5 अभिसमयों का वापस लिया जाना।

सम्मेलन में मौजूदा मातृत्व संरक्षण संबंधी अं.श्र.सं. लिखतों का संशोधन करके इस विषय पर एक अभिसमय और सिफारिश अंगीकार किए गए। नए लिखतों में कई क्षेत्रों में पूर्ववर्ती लिखतों की तुलना में संरक्षण का सुदृढ़ीकरण किया गया और व्याप्ति का क्षेत्र बढ़ाया गया। कृषि में सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रश्न पर सम्मेलन में कुछ आम निर्णय लिये गये ताकि 2001 में आयोजित होने वाले 89वें सत्र में एक अभिसमय और एक सिफारिश अंगीकार किये जा सकें। मानव संसाधन प्रशिक्षण और विकास पर हुए विचार–विमर्श से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अं.श्र.सं. को मानव संसाधन विकास संबंधी अं.श्र.सं. सिफारिश संख्या 150 का संशोधन करना चाहिए। सम्मेलन में पांच समयातीत अंतर्राष्ट्रीय श्रम अभिसमयों का प्रत्यर्पण करने का भी निर्णय लिया गया।

सम्मेलन में एक संकल्प अंगीकार किया गया जो म्यांमार सरकार को बलात् श्रम पर अं.श्र.सं. अभिसमय संख्या 29 का अनुपालन करने के लिए विवश करने के बारे में अनेक उपायों का सुझाव देता है। सम्मेलन में एच आई वी एड्स पर एक संकल्प भी अंगीकार किया गया जो सरकार और सामाजिक भागीदारों को सामाजिक भागीदारों की क्षमता बढ़ाने के लिये आग्रह करता है ताकि जोखिम में पड़े ग्रुपों की रक्षा करने के लिए इस महामारी पर नियंत्रण किया जाए और राष्ट्रीय व उद्यम स्तर पर एड्स के प्रभाव को कम करने के लिये सामाजिक व श्रम नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन किया जाए।

सम्मेलन के पूर्ण सत्र में महानिदेशक की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श करते हुए विभिन्न देशों से आए आमंत्रित मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने रोजगार के महत्व और निर्धनता से लड़ने की जरूरत पर जोर दिया। तथापि, रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन के लिए सम्मेलन द्वारा कोई विशिष्ट कार्रवाई योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया गया।

प्याज का उत्पादन

558. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री वसन गौडा रामन गौड पाटिल :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश में प्याज की अच्छी फसल हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्याज के समर्थन मूल्य की घोषणा न होने की वजह से प्याज उत्पादकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या प्याज के निर्यात के बारे में निर्णय लेने के विलंब होने के कारण लाखों टन प्याज सड़ गया है जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा करने और प्याज संकट से उभरने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) प्याज का उत्पादन वर्ष 1998–99 के दौरान 54.67 लाख मी. टन के मुकाबले वर्ष 1999–2000 में 47.50 लाख मी. टन होने की संभावना है।

(ख) प्याज को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के तहत कवर नहीं किया गया है और इसलिए इस फसल के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, प्याज को मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत कवर किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1998–99 के दौरान निर्यात की गई 2.16 लाख मी. टन प्याज के मुकाबले जुलाई, 2000 तक निर्यात के लिए 3.00 लाख मी. टन प्याज का कोटा आबंटित किया गया, जिसमें से 2.55 लाख मी. टन प्याज का निर्यात पहले ही किया जा चुका है। प्याज के मूल्य स्थिरीकरण में मदद के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मंडी हस्तक्षेप भी किया गया था। भारत सरकार उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर इस फसल की संभावनाओं को निरंतर मानीटर करती है तथा किसानों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करती है।

विदेशी पदाधिकारियों की भारत यात्रा

559. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री राम शकल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 के दौरान और आज की तारीख तक कितने विदेशी/पदाधिकारियों ने भारत की यात्रा की;

(ख) ये पदाधिकारी किन–किन देशों के थे;

(ग) इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था और किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(घ) इनके साथ हुई वार्ताओं के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

कोणार सिंचाई परियोजना

560. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोणार–अंतर्राज्यीय–सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) परियोजना का कार्यान्वयन कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मार्च, 1984 में बिहार के गिरीडीह और हजारी बाग जिलों में 93.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के कोणार सिंचाई परियोजना शुरू करने पर विचार किया था। यह परियोजना अन्तर्राज्यीय मुद्दों के कारण स्वीकृत नहीं की गई थी। इन मुख्य अन्तर्राज्यीय पहलुओं में शामिल हैं अर्थात् (i) बिहार द्वारा कोणार बांध की देय साझा लागत के लिए दामोदर घाटी निगम की सहमति और (ii) पंचेत जलाशय के लिए भूमि का अधिग्रहण। अंतर्राज्यीय बैठकें 2 जून, 1988, 16 नवम्बर, 1989 और 5 दिसम्बर, 1997 को हुई थी लेकिन इन मुद्दों का समाधान नहीं हो सका। इसी बीच, राज्य सरकार ने पहले अगस्त, 1988 में 187.67 करोड़ रुपये का और बाद में जुलाई, 1999 में 350.55 करोड़ रुपये का अद्यतन अनुमान प्रस्तुत किया। राज्य सरकार को अनुपालना करने के लिए पिछले प्राक्कलन पर वित्तीय पहलुओं, लागत सिंचाई, उपस्कर आयोजना तथा सिंचाई आयोजना संबंधी टिप्पणियां क्रमशः नवम्बर, 1999, दिसम्बर, 1999 और मई 2000 में भेजी गई हैं। इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

नौकरी के झांसे संबंधी रैकेट

561. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) विदेशों में रोजगार दिलाने के झूठे वायदे करके रोजगार चाहने वाले युवकों से मोटी रकम ऐंठने और ठगने सहित नौकरी के झांसों के कितने रैकेट का देश में राज्य–वार पता चला है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार विदेशों में कर्मचारियों/श्रमिकों की भर्ती में कदाचार हेतु देश में किन–किन भर्ती एजेंसियों के लाइसेंस रद्द किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे रैकेटों को प्रभावी रूप से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) इच्छुक उत्प्रवासियों को धोखा देने के संबंध में विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय कर्मकारों की भर्ती के कार्य में लगी एजेंसियों के खिलाफ छुटपुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। कुछ एजेन्सियां, जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं, सरकार के पास पंजीकृत हैं, जबकि अन्य अनाधिकृत रूप में कार्य कर रही हैं। ये शिकायतें सामान्यतः नियमानुसार निर्धारित राशि से अधिक सेवा प्रभार लगाने, इच्छुक उत्प्रवासियों से धन वसूलने, लेकिन वस्तुतः उन्हें रोजगार के लिए विदेश न भेजने, कुछ कर्मकारों को गैर–रोजगार वाले अन्य देशों में भेजने और कुछ मामलों में कर्मकारों के विदेशों में पहुंचने पर रोजगार की शर्तों में परिवर्तन करने से संबंधित हैं। वर्ष 1999 के दौरान ऐसी 163 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य–वार स्थित निम्नानुसार है :–

आंध्र प्रदेश	08
दिल्ली	39
गोवा	01
कर्नाटक	04
केरल	22
महाराष्ट्र	48
पंजाब	08
राजस्थान	06
तमिलनाडु	22
उत्तर प्रदेश	01
पश्चिम बंगाल	04
कुल	163

गत तीन वर्षों के दौरान 32 पंजीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित किए गए और दो पंजीकरण प्रमाणपत्र अर्थात् मैसर्स समरीन ट्रैवल्स, मुम्बई और मैसर्स अपमेक्स इन्टरप्राइजेज को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए।

ऐसे रैकटों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों को ऐसे एजेन्टों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर तक अधिकार देने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

कृतिक बल का गठन

562. श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कृतिक बल के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या–क्या हैं; और

(ग) सरकार ने कृतिक बल में किसानों, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कैपिटेशन फीस

563. श्री किरीट सोमैया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय को "फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र से अपनी कैपिटेशन फीस बढ़ाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र की सरकार ने भी केन्द्र सरकार को कर्मचारी राज्य सीमा योजना (ईएसआईएस) के चिकित्सकों की कैपिटेशन फीस बढ़ाने हेतु सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बीमा चिकित्सा व्यवसायियों के अभ्यावेदन कैपिटेशन शुल्क को 60/– रुपये से बढ़ाकर 120/– रुपये प्रति माह बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक प्रतिवर्ष करने से सम्बद्ध है।

हज अधिनियम का निरसन

564. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मौजूदा हज अधिनियम को निरर्थक घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत सरकार का विचार मौजूदा हज अधिनियम को निरस्त करने का है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) अंजुमन के हज्जाज द्वारा दायर की गई 1998 की रिट याचिका (सिविल) सं. 584 पर अपने 5 मई, 2000 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने हज समिति मुम्बई की संरचना से संबंधित हज समिति अधिनियम, 1959 में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिए थे। इस आदेश को संकलित किया गया है।

सरकार ने हज समिति विधेयक 2000 का मसौदा तैयार किया है जो वर्तमान हज समिति अधिनियम का स्थान लेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। विधि मंत्रालय ने हाल ही में विधेयक के प्रारूप के पाठ में कुछ संशोधन सुझाए हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है।

परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी

565. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में भारत और किसी अन्य देश के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं; और

(घ) सरकार के पास कितने प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित पड़े हैं और उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जी, हां सरकार ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहकार करने के लिए विभिन्न देशों के साथ करार किए हैं। परमाणु विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में, तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर 2 × 1000 मेगावाट क्षमता के वी वी ई आर (दाबित पानी रिएक्टर) स्थापित करने के लिए 20 नवंबर, 1988 को भारत गणराज्य और पूर्व में सोवियत संघ (एफ एस यू) के बीच एक अन्तर्सरकारी करार (आई जी ए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में, इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए संशोधित शर्तों को सम्मिलित करने के वास्ते 21 जून, 1998 को भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच एक "अन्तर्सरकारी करार के अनुपूरक" पर हस्ताक्षर किए गए, इसके परिणामस्वरूप, प्रस्तावित परियोजना के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) तथा रूसी संगठन "एटम्स ट्राय एक्सपोर्ट" द्वारा 20 जुलाई, 1998 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। "अन्तर्सरकारी करार का अनुपूरक", भारत सरकार के अनुसमर्थन के बाद, 18 सितम्बर, 1998 से लागू हुआ है। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट संबंधी अनुबंध 4 अप्रैल, 2000 से प्रभावी हुआ है। इस समय, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की जा रही है और इसके वर्ष 2001 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। रूसी पक्ष द्वारा एक तकनीकी–वाणिज्यिक पेशकश प्रस्तुत की जाएगी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जिसके बाद परियोजना को स्थापित करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। किए जाने वाले कुल व्यय का पता उस समय ही लगेगा।

[हिन्दी]

हसदेव बागो जैव उत्तरी तट सिंचाई परियोजना

566. **श्री पी. आर. खूंटे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार अलग–अलग कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं तथा कितनी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) क्या हसदेव बागो जैव उत्तरी तट सिंचाई परियोजना गत कई वर्षों से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस परियोजना को पूरा करने हेतु शत–प्रतिशत धनराशि प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) देश में चल रही एवं लंबित सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा हसदेव बागो बायो बांया तट सिंचाई परियोजना नामक कोई भी परियोजना संघ सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	चल रही सिंचाई परियोजना		लंबित (मूल्यांकनाधीन) सिं. परि.	
		वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12	20	9	8
2.	असम	4	9	1	3
3.	बिहार	4	29	10	—
4.	गोवा	—	1	—	—
5.	गुजरात	3	3	1	1
6.	हरियाणा	5	—	4	1
7.	हिमाचल प्रदेश	—	1	1	1
8.	जम्मू व कश्मीर	—	9	—	15
9.	कर्नाटक	4	15	5	1
10.	केरल	—	5	2	1
11.	मध्य प्रदेश	23	32	11	—
12.	महाराष्ट्र	36	66	12	24
13.	मणिपुर	2	2	1	1
14.	मेघालय	—	1	—	—
15.	नागालैंड	1	—	—	1
16.	उड़ीसा	5	10	10	8
17.	पंजाब	—	1	9	2
18.	राजस्थान	6	6	5	3
19.	तमिलनाडु	—	2	2	1

1	2	3	4	5	6
20.	त्रिपुरा	—	3	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	17	2	12	—
22.	पश्चिम बंगाल	3	17	1	—
	कुल	155	234	96	71

नोट : 7 वृहद परियोजनाएं (6 गुजरात एवं 1 उत्तर प्रदेश) तथा मध्यम परियोजनाएं गुजरात में नौवीं पंचवर्षीय अवधि में पूरी की गई हैं।

[अनुवाद]

भारत और अमरीका के विदेश मंत्रियों की बैठक

567. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने हाल ही के वारसा दौरे के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों के बीच कौन–कौन से मुख्य मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ;

(ग) क्या अमरीकी राष्ट्रपति के भारत दौरे और 'विजन स्टेटमेंट' को अपनाये जाने के बाद यह पहली बैठक थी;

(घ) यदि हां, तो दोनों नेताओं द्वारा 'विजन स्टेटमेंट' को पूरा करने हेतु आगे के लिए क्या रणनति तैयार की गयी है;

(ङ) क्या वार्ता के दौरान कोई नया मुद्दा उभर कर सामने आया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां, हमारे विदेश मंत्री और अमरीकी विदेश मंत्री ने 26 जून, को वारसा में हाल में शुरू की गई लोकतांत्रिक देशों के समुदाय की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक के अवकाश के क्षणों में मुलाकात की।

(ख) दोनों पक्षों ने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की एवं विचारों का आदान–प्रदान किया।

(ग) जी हां। अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष 21वीं सदी में हमारे प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित भारत और अमरीका के बीच नए संबंधों के मनोरथ के एक भाग के रूप में व्यापक संस्थागत वार्ता की संरचना करने पर सहमत हुए थे। इस वार्ता संरचना में विदेश मंत्री स्तर की नियमित बैठकों की व्यवस्था पर विचार किया गया है।

(घ) दोनों पक्षों ने वार्ता संरचना के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा इसमें हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस प्ररिप्रेक्ष्य में उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर सितंबर में हमारे प्रधानमंत्री की आगामी अमरीका यात्रा पर भी चर्चा की।

(ङ) और (च) दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संचालन में सियरालोन में भारतीय दल के कुछ कार्मिकों को बंधक बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा की। अमरीकी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संचालन में भारत की लंबे अर्से से चली आ रही भागीदारी तथा अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने भारतीय सैनिकों की गुणवत्ता की प्रशंसा की तथा उन्होंने सियरालोन में उनकी भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने भारतीय शांति स्थापना की टुकड़ियों को बंधक बनाने पर गहरी चिंता व्यक्त की और उनकी रिहाई के लिए अमरीकी सरकार का पूरा समर्थन व्यक्त किया।

[हिन्दी]

नदियों की जल वहन क्षमता

568. श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रमुख नदियों की जल वहन और जल भंडारण क्षमता में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं। और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई अध्ययन नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाईयों की स्थापना

569. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय अनुसंधानकर्ता पर हमला

570. श्री तूफानी सरोज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी में हाल ही में भारतीय अनुसंधानकर्ता पर हमला हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जर्मन सरकार के साथ कोई विरोध दर्ज कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जर्मनी में अध्ययन दौरे के समय एक भारतीय अनुसंधानकर्ता पर 12 जून, 2000 की रात को लेपजिंग में तीन अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया था। हमले का शिकार व्यक्ति भागने में सफल रहा। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया तथा आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।

इस घटना की 13 जून, 2000 को पुलिस में रिपोर्ट की गई। इसके तत्काल बन्द लेपजिंग विश्वविद्यालय ने सुरक्षा कारणों से अनुसंधानकर्ता तथा उसके भारतीय मित्रों को अन्य अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बर्लिन स्थित भारतीय राजदूतावास का एक अधिकारी लेपजिंग गया तथा यह मामला स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाया गया।

(ग) से (ङ) ऐसी सभी मामलों में भारतीय राजदूतावास को स्थानीय प्राधिकारियों से तुरंत सहयोग प्राप्त हुआ है। कोई औपचारिक विरोध दर्ज करने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि जर्मनी में भारतीय समुदाय (लगभग 40,000 की संख्या) के विरुद्ध किसी संगठित भेदभाव अथवा हिंसा की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कृषि नीति

571. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई कृषि नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) नई कृषि नीति कब तक घोषित कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति मसौदा प्रतिपादन के अंतिम चरण में है तथा शीघ्र ही घोषित किए जाने की संभावना है। इस नीति में कृषि संबंधी सभी पहलू व्यापक और एकीकृत ढंग से समाहित होंगे।

कृषि अनुसंधान संस्थान

572. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में विशेष फसल और पौधारोपण हेतु अनेक सुसम्बद्ध कृषि अनुसंधान संस्थानों को शुरू करने का है;

(ख) क्या वर्तमान अनुसंधान ढांचा और संस्थागत परिवेश किसानों की समस्या को सुलझाने में सहायक नहीं है;

(ग) क्या देश में कृषि अनुसंधान परिदृश्य को पुनः व्यवस्थित करने हेतु अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहले ही कई संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/प्रायोजना निदेशालयों/अखिल भारतीय अनुसंधान प्रायोजनाओं की स्थापना की है जो देश के विभिन्न भागों में विशिष्ट फसलों या रोपण फसलों पर अनुसंधान कर रहे हैं। इनके अलावा कुछ फसलों के समूहों पर अनुसंधान करने के लिए सुगठित संस्थान भी कार्यरत है।

(ख) मौजूदा अनुसंधान संस्थान किसानों की समस्याओं के समाधान में सहायक हैं।

(ग) और (घ) 'विजन 2020' का प्रकाशन भारत में कृषि अनुसंधान को भावी स्थितियों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस दस्तावेज में कृषि के परिदृश्य को दर्शाया गया है तथा इसमें संबंधित दिशा निर्देशों और इस दिशा में की जाने वाली कार्रवाई का वर्णन है। इसमें विज्ञान, इंजीनियरी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली तथा वृद्धि उन्मुख कृषि को कार्यान्वित करने की दिशा में जो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। इस दस्तावेज के प्रमुख घटक हैं — दक्षता, सिस्टम, एप्रोच, अग्रवर्ती विज्ञान, मानव संसाधन विकास, भागीदारी, प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण तथा सोच में बदलाव।

बंगला में छिपे हुए उग्रवादी

573. **श्री समर चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने भारत – बंगलादेश सीमा के समीप बंगलादेश के भीतर उग्रवादियों के छिपने के ठिकानों का मामला बंगलादेश के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बंगला देश में भारत – विरोधी उग्रवादी समूहों तथा प्रशिक्षण शिविरों की मौजूदगी सुरक्षा से संबंधित उन मसलों में से एक है जिसे भारत सरकार राजनयिक माध्यमों तथा दोनों देशों के बीच विद्यमान संस्थागत प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न स्तरों पर बंगलादेश की सरकार के साथ उठाती रही है। हाल में नई दिल्ली में अप्रैल, 2000 में आयोजित भारत – बंगलादेश गृह सचिव स्तर की वार्ता के दौरान इस विषय पर चर्चा की गयी थी। बंगलादेश पक्ष ने भारतीय पक्ष को आश्वासन दिया कि वे अवांछनीय तत्वों को बंगलादेश के भूक्षेत्र का उपयोग भारत की रक्षा हितों के विरुद्ध की जाने वाली गतिविधियों के लिये किये जाने की अनुमति नहीं देंगे।

कपास उत्पादकों की समस्याएं

574. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों के कपास उत्पादक गत तीन वर्षों से अधिक उत्पादन या कम उत्पादन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भी कपास उत्पादकों को समय पर सहायता प्रदान करने में असफल रही है जिसके परिणामस्वरूप वे आत्महत्या कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कपास उत्पादकों को कपास के अधिक उत्पादन अथवा कम उत्पादन होने की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए कोई ठोस नीति बनाने पर विचार कर ही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में कपास के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सारणी से यह स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर देश में कपास का उत्पादन लगभग 11 मिलियन गांठों तथा 12 मिलियन गांठों के बीच रहा। राज्यवार विवरण से भी इसकी पुष्टि होती है, सिवाय महाराष्ट्र के, जहां कपास का उत्पादन 1997–98 में 1.7 मिलियन गांठों से बढ़कर 1999–2000 में 3.1 मिलियन गाठें हो गया। इस प्रकार देश में फसल को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है जिसके परिमाणतः कपास उत्पादकों को नुकसान हुआ हो। कपास के उत्पादन में वृद्धि से उत्पादक तभी लाभान्वित होते हैं जब उनकी समग्र आय में वृद्धि हो।

(ख) से (घ) कपास उत्पादकों की सहायतार्थ सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(1) विभिन्न कारकों, जिसमें किसानों को मिलने वाले लाभ की समुचित गुंजाईश भी शामिल है, पर विचार करने के बाद भारत सरकार प्रत्येक कपास मौसम में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। किसानों द्वारा जल्दबाजी में कपास की बिक्री को रोकने के लिए भारतीय कपास निगम, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के लिए

प्राधिकृत सरकारी अभिकरण है, द्वारा कपास की किसी भी किस्म के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर आते ही मूल्य समर्थन प्रचालन के तहत खरीद शुरू की जाती है, जिसमें खरीद की मात्रा की कोई सीमा निश्चित नहीं होती।

(2) लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार प्रत्येक मौसम में विभिन्न अभिकरणों को चरणबद्ध रूप में उदारतापूर्वक निर्यात कोटा जारी करती है।

(3) देश में कपास के उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने और इस प्रकार कपास की खेती की लागत को कम करके कपास उत्पादकों की समग्र आय बढ़ाने, समुचित प्रौद्योगिकी अंतरण आदि द्वारा प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ने के लिए सरकार द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

(4) सरकार ने ऋणी तथा गैर–ऋणी दोनों प्रकार के किसानों को कवर करने के लिए रबी 1999–2000 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम लागू की है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में कपास की फसल भी शामिल है और इस समय इसका कार्यान्वयन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सहित 14 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है।

(5) राज्यों के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में फसल चौपट होने पर खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुलभ कराने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

(6) भारतीय कपास निगम, जो कपास से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, निम्नलिखित के माध्यम से कपास उत्पादकों को समुचित सहायता दे रहा है :– (क) राजसहायता प्राप्त दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री, (ख) गांव अपनाने संबंधी कार्यक्रम तथा (ग) सही कीटनाशियों आदि जैसे गुणवत्ता आदानों की बिक्री।

विवरण

वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान कपास उत्पादन के अनुमान

(170 कि.ग्रा. प्रत्येक की हजार गांठें)

राज्य/केन्द्र शा. प्रदेश	1997–98	1998–99	1999–2000 (अग्रिम अनु.)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1320.4	1486.6	1595.0
असम	0.8	0.7	
बिहार	0.2	0.0	
गुजरात	3180.0	3935.0	2163.0
हरियाणा	1129.0	873.0	1309.0
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.0	
जम्मू व कश्मीर	0.0	0.0	
कर्नाटक	721.0	855.0	838.0
केरल	20.0	19.0	23.0
मध्य प्रदेश	508.9	426.3	457.0
महाराष्ट्र	1753.1	2618.9	3126.0
मणिपुर	0.2	0.2	
मेघालय	5.6	5.6	
मिजोरम	2.5	2.9	
नागालैण्ड	0.3	0.4	

1	2	3	4
उड़ीसा	36.0	50.0	61.0
पंजाब	937.0	595.0	950.0
राजस्थान	867.5	872.0	984.0
तमिलनाडु	358.0	429.5	459.0
त्रिपुरा	1.2	0.9	
उत्तर प्रदेश	8.3	5.8	10.0
पश्चिम बंगाल	0.5	0.1	
पांडिचेरी	0.7	0.6	
अन्य	0.0	0.0	13.0
अखिल भारत	10851.4	12177.5	11988.0

*29.6.2000 की स्थिति के अनुसार

[हिन्दी]

सत्यम समिति

575. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम की गतिविधियों के संबंध में गठित सत्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कौन–कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सत्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट 14.1.1999 को प्रस्तुत कर दी थी। समिति की रिपोर्ट क. रा. बी.नि. को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। चिकित्सा देखरेख पर होने वाले व्यय को प्रतिवर्ष प्रति बीमित व्यक्ति 500/– से बढ़ाकर 600/– रु. करने, बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को फोटो पहचान पत्र जारी करने, निर्धारित मानकों के आधार पर मेडिकल पदों को सृजित करने, क.रा.बी. अस्पतालों की आन्तरिक क्षमताओं में वृद्धि करने, प्रत्येक लाभभोगी के लिए स्वास्थ्य रिकार्ड पुस्तिका रखने की शुरूआत करने, औषधियों की आपूर्ति के लिए लघु उद्योगों के संबंध में अनारक्षण करने, बहुस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण जांच करने, घटिया दवाइयों की आपूर्ति के लिए निवारक दण्डात्मक कार्रवाई करने, स्ट्रिप पैकों में दवाइयों की खरीद करने, औषधियों की स्थानीय खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तियों का प्रत्यायोजन करने, ओ पी डी समय में एकरूपता लाने आदि के संबंध में समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। कुछ सिफारिशें क.रा.बी. अधिनियम 1948 में संशोधन के बारे में हैं। इसलिए यह बताना मुश्किल है कि कब इन सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदाता

576. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदाताओं को उद्योगों के लॉक आउट/बंद होने की स्थिति में बीमा के लाभ नहीं दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ मिलकर उन उद्योगों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का है जिन्होंने अपने उन कर्मचारियों को जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदाता हैं, बकाया राशि/बकाया का भुगतान रोक दिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना "जोखिम और संसाधनों की पूलिंग" की अवधारणा पर आधारित एक अंशदायी योजना है। कर्मचारी राज्य बीमा के लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनिमयों में कुछ अर्हक अंशदायी शर्तें निर्धारित की गई है। तालाबंदी वाले, बंद कारखानों/प्रतिष्ठानों के श्रमिक एक लाभ अवधि के लिए चिकित्सा लाभ के पात्र होते हैं चाहे उनके संबंध में अंशदान का भुगतान किया गया है या नहीं और अंशदान रिर्टन जमा किया गया है या नहीं। बंद कारखानों/प्रतिष्ठानों के बीमित श्रमिकों के मामले में जिनके बारे में अंशदान का भुगतान नहीं किया गया है या संगत अवधि के लिए अंशदान रिटर्न प्राप्त नहीं हुए हैं – को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होते हैं। तथापि, बंद/तालाबंदी कारखानों के नियोजकों द्वारा यह सत्यापित करने पर कि उनके श्रमिकों को देय मजदूरी से अंशदान काट लिया गया है, तो ऐसे श्रमिक चिकित्सा देख–रेख व अन्य लाभों के पात्र बने रहते हैं।

[अनुवाद]

डी.ई.ओ. सिंचाई परियोजना

577. **श्री अनंत नायक** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में डी.ई.ओ. सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत और कुल सिंचाई क्षमता कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजना को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) उड़ीसा में 15,640 हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई वाली देव सिंचाई परियोजना की मौजूदा लागत अनुमानित 123.55 करोड़ रुपये आंकी है। सिंचाई के राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन, उनके संसाधनों से, उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

पंचेश्वर बांध

578. **श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों से संयुक्त दल ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय बांध की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बांध का निष्पादन कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए एक संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते एक अधिदेश के तहत एक संयुक्त परियोजना कार्यालय–पंचेश्वर अन्वेषन 10 दिसंबर, 1999 को काठमांडू में खोला गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बांध के कार्य के निष्पादन का प्रश्न केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही उठेगा।

[अनुवाद]

चालू सिंचाई परियोजनाएं

579. **श्री जी.जे. जावीया** :
श्री चिंतामन वनगा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार, और परियोजनावार अनुमानित लागत क्या है तथा इन्हें करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि सभी लंबित परियोजनाएं अगले दो वर्षों के दौरान पूरी हो जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर गुजरात को इस उद्देश्य के लिये कितना धन जारी किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) नौवी योजना में लायी गयी, चल रही 162 वृहद और 240 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, की अनुमानित लागत, उस पर व्यय

की गयी कुल राशि के राज्य–वार ब्यौरे और उनके पूरा होने के लिए अपेक्षित अनुमानित राशि संलग्न विवरण–I में दी गयी है। किसी परियोजना के पूरा होने की अवधि इसके आकार, भूमि की उपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करने, भू वैज्ञानिक स्थितियों आदि पर निर्भर करती है। अलग–अलग परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा आबंटित निधियों का भी इतना ही महत्व है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरी होने वाली संभावित परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से और अपनी प्राथमिकता के अनुसार शुरू किया जाता है। तथापि, केन्द्र ने चल रही सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं, जिन पर पर्याप्त प्रगति हुई है और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर है, को तेजी से क्रियान्वयन करने के वास्ते राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई वी पी) शुरू किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण–III के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या (वृहद)	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना के अंत तक व्यय	नौवीं योजना में आगे लायी गयी लागत
1	2	3	4	5	6
	आन्ध्र प्रदेश	12	10130.44	4754.95	5375.49
2.	असम	4	432.82	211.48	221.34
3.	बिहार	14	7365.53	2105.27	5260.26
4.	गोवा	1	678.59	258.65	419.94
5.	गुजरात	9	23300.92	6522.47	16777.85
6.	हरियाणा	5	1013.51	725.67	287.84
7.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	7.47	143.31
8.	जम्मू व कश्मीर	1	151.18	122.84	28.34
9.	कर्नाटक	14	11190.19	5131.64	6058.55
10.	केरल	7	1879.50	942.41	937.09
11.	मध्य प्रदेश	23	10729.65	3131.15	7598.50
12.	महाराष्ट्र	36	12958.17	5374.43	7583.74
13.	मणिपुर	2	491.65	225.85	265.80
14.	मेघालय	—	—	—	—
15.	नागालैंड	1	111.02	2.95	108.07
16.	उड़ीसा	5	4953.85	1156.55	3797.30

1	2	3	4	5	6
17.	पंजाब	— (1—आई. एस.)	3379.53	2704.93	674.60
18.	राजस्थान	6	4692.81	2346.01	2346.80
19.	तमिलनाडु	—	—	—	—
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	18	7359.44	3339.74	4019.70
22.	पश्चिम बंगाल	3	2037.41	933.83	1098.58
	कुल :	162	103186.89	39003.29	64183.60

टिप्पणी : नौवीं योजना के दौरान 7 वृहद परियोजनाएं (6 गुजरात में और 1 उत्तर प्रदेश में) पूरी कर ली गयी हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या (मध्यम)	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना के अंत तक व्यय	नौवीं योजना में आगे लायी गयी लागत
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	623.34	323.51	299.79
2.	असम	9	155.92	99.72	56.20
3.	बिहार	29	1065.18	429.37	635.81
4.	गोवा	1	40.00	2.40	37.60
5.	गुजरात	9	337.53	260.02	77.51
6.	हरियाणा	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	1	11.30	11.26	0.04
8.	जम्मू व कश्मीर	9	223.55	55.88	167.67
9.	कर्नाटक	15	943.67	510.72	432.95
10.	केरल	5	478.93	150.56	328.37
11.	मध्य प्रदेश	32	1012.09	733.15	278.94
12.	महाराष्ट्र	66	2076.06	1021.98	1054.08
13.	मणिपुर	2	66.58	56.50	10.08
14.	मेघालय	1	17.81	8.14	9.67
15.	नागालैंड	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
16.	उड़ीसा	10	499.95	410.23	89.72
17.	पंजाब	1	88.49	0.20	88.29
18.	राजस्थान	6	240.24	127.22	113.02
19.	तमिलनाडु	2	103.75	29.53	74.22
20.	त्रिपुरा	3	154.00	92.96	61.04
21.	उत्तर प्रदेश	2	54.81	39.99	14.82
22.	पश्चिम बंगाल	17	90.42	60.78	29.64
	कुल	240	8283.62	4424.12	3859.50

टिप्पणी : गुजरात में नौवीं योजना के दौरान 6 मध्यम परियोजनाएं पूरी कर ली गयी हैं।

विवरण–II

क्र.सं.	राज्य का नाम	वृहद	मध्यम	कुल	
1	2	3	4	5	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	11	13	
2.	असम	असम की कोई भी परियोजना पूरी होने की स्थिति में नहीं पाई गई थी।			
3.	बिहार	1	8×	9×	×एक मध्यम परियोजना पहले ही पूरा होने की सूचना है।
4.	गोवा	1	—	1	
5.	गुजरात	7*	8*	15*	* 6 वृहत और 6 मध्यम परियोजनाएं पहले ही पूरा होने की सूचना है।
6.	हरियाणा	कोई उत्तर प्राप्त नहीं			
7.	कर्नाटक	7	9	16	
8.	केरल	3	1	4	
9.	मध्यम प्रदेश	9	11	20	
10.	महाराष्ट्र	3	3	6	
11.	मेघालय	—	—	—	राज्य में कोई वृहद/मध्यम परियोजना नहीं है।
12.	मिजोरम	—	—	—	राज्य में कोई वृहद/मध्यम परियोजना नहीं है।
13.	नागालैंड	—	—	—	राज्य में कोई वृहद/मध्यम परियोजना नहीं है।
14.	उड़ीसा	सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई।			
15.	पंजाब	कोई उत्तर प्राप्त नहीं।			
16.	राजस्थान	—	6*	6*	दो मध्यम परियोजनाएं पहले ही पूरा होने की संभावना है।
17.	सिक्किम	—	—	—	राज्य में चल रही वृहद/मध्यम परियोजना कोई नहीं है।

1	2	3	4	5	
18.	तमिलनाडु	कोई भी परियोजना पूरी होने की स्थिति में नहीं थी।			
19.	उत्तर प्रदेश	7*	4*	11*	*दो वृहद और दो मध्यम परियोजनाएं पहले ही पूरा कर लिए जाने की सूचना है।
20.	पश्चिम बंगाल	2	10*	12*	दो मध्यम परियोजनाएं पहले ही पूरा कर लिए जाने की सूचना है।
	कुल	42	69	111	8 वृहद और 13 मध्यम परियोजनाएं पहले ही पूरा कर लिए जाने की सूचना है।

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य का नाम	के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता		
		1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	074.000	0079.670	0065.015
2.	असम	012.400	0013.950	0013.020
3.	बिहार	014.040	0047.825	0144.040
4.	गोवा	005.250	0000.000	0003.500
5.	गुजरात	196.900	0423.820	0272.700
6.	हरियाणा	012.000	0000.000	0000.000
7.	हिमाचल प्रदेश	006.500	0005.000	0014.455
8.	जम्मू व कश्मीर	000.000	0000.000	0004.680
9.	कर्नाटक	090.500	0094.500	0157.140
10.	केरल	015.000	0000.000	0000.000
11.	मध्यम प्रदेश	114.500	0090.750	0105.845
12.	महाराष्ट्र	055.000	0050.860	0048.875
13.	मणिपुर	026.000	0010.780	0020.310
14.	उड़ीसा	085.000	0071.500	0081.350
15.	पंजाब	100.000	0000.000	0042.000
16.	राजस्थान	042.000	0140.050	0106.665
17.	तमिलनाडु	000.000	0000.000	0000.000
18.	त्रिपुरा	005.100	0003.975	0006.300
19.	उत्तर प्रदेश	078.000	0076.000	0286.000
20.	पश्चिम बंगाल	020.000	0010.000	0025.000
	कुल :	952.190	1119.180	1397.895

सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर विकास संबंधी कृतिक बल

580. श्री दिन्शा पटेल : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998 में योजना आयोग द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर विकास संबंधी कृतिक बल की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा अब तक लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए तैयार किया गया योजना परिव्यय कितना है; और

(घ) भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और संवर्धन हेतु अब तक योजना परिव्यय का उपयोग किस प्रकार किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 22.5.98 की अधिसूचना सं. 360/31/सी/10/98–ई.एस. II के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया गया था।

(ख) कार्यदल की मुख्य सिफारिशें वित्तीय प्रोत्साहन, प्रक्रिया के सरलीकरण, जनशक्ति विकास, दूरसंचार क्षेत्र में सुधार, साइबर कानून, उद्यम पूंजी निधि एवं बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हैं। रिपोर्ट के भाग I की 108 सिफारिशों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

कार्यान्वित की गई	=	64
कार्यान्वित नहीं की गई	=	4
स्वीकार नहीं की गई	=	3
कार्यान्वयन का कार्य जारी	=	37
योग	=	108

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में 542.37 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान है।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्धन की निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई हैं :–

– ई – वाणिज्य
– वाई2के समाधान प्रक्रिया
– सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उद्यम पूंजी निधि का गठन
– ई–शासन
– सुपर कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग
– शिक्षण तथा अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट)
– भाषा प्रौद्योगिकी विकास
– इंटरनेट आधारित सुदूर शिक्षण
– सूचना प्रौद्योगिकी में मानकीकरण
– सॉफ्टवेयर क्षमता संवर्धन
– पूर्वोत्तर में सामुदायिक सूचना केन्द्र

एन.सी.सी.एफ., सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार का विलय

581. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार, एन.सी.सी.एफ., डी.जी.एस. एंड डी. के लेखन सामग्री विभागों और छपाई और लेखन–सागग्री विभाग का एक एकाई में विलय करके उस इकाई को उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि एन.सी.सी.एफ. के आपूर्तिकर्त्ता कम मूल्य वाली वस्तुओं की आपूर्ति कम मात्रा में कर रहे हैं लेकिन अधिक मात्रा के लिए अधिक कीमत वाली वस्तुओं के बिल दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामले प्रकाश में आए हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा

582. श्री जय प्रकाश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के संबंध में गरीबी रेखा का पुनर्निर्धारण करने का अनुरोध किया है ताकि 15,000/– रुपये का वार्षिक आय वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना जा सके जबकि इस समय 9,000/– रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने वर्ष 1996–97 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा का अनुमान 272.53 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 320.84 रुपये प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में किया है।

सूखा

583. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने सूखे के लिए 10 लाख डालर की सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह धनराशि अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

कैगा परमाणु विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित लोग

584. श्री एस.डी.एन. आर. वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कैगा विद्युत संयत्र स्थापित करने के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) प्रत्येक प्रभावित परिवार को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कैगा विद्युत संयंत्र की स्थापना की वजह से, 160 परिवार प्रभावित हुए थे जिनमें से वास्तव में केवल 60 परिवार ही विस्थापित हुए थे।

(ख) और (ग) मुआवजें तथा पुनर्वास पैकेज का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराता है। इस आधार पर कर्नाटक सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, भूमि के अधिग्रहण के संबंध में मुआवजे के लिए 1.21 करोड़ रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, 38.40 लाख रुपए का पुनर्वास अनुदान उपलब्ध कराया गया था।

(घ) जी, हां। कैगा परियोजना के संबंध में, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को दी गई नौकरियों की संख्या मई, 2000 तक 183 थी।

वार्षिक योजना परिव्यय

585. श्री मोहनुल हसन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय हेतु क्या अवधारणा और कार्यविधि अपनाई गई है;

(ख) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के लिए राज्य–वार योजना परिव्यय कितना है; और

(ग) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के लिए राज्य–वार सकल घरेलू उत्पाद कितना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) राज्यों के योजना परिव्यय, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में

रखते हुए उपाध्यक्ष, योजना आयोग और संबंधित मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों के बीच परस्पर विचार–विमर्श के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। इनमें राज्य के अपने स्वयं के संसाधन और केन्द्रीय सहायता शामिल है। इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों और अनुदानों के रूप में उपलब्ध कराई जाती है जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1991 में अनुमोदित गाडगिल–मुखर्जी फार्मूले के आधार पर आबंटित किए जाते हैं। कुल योजना परिव्यय के भीतर क्षेत्रकवार आबंटन राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं और उनकी विकासात्मक प्राथमिकताओं, उनकी अवशोषी क्षमता और पंचवर्षीय योजना के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के परामर्श से उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के लिए राज्यवार योजना परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के लिए चालू और स्थिर कीमतों (1993–94) पर राज्यवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

वार्षिक योजनाओं 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के लिए अनुमोदित परिव्ययों को दर्शाने वाला एक विवरण – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1998–99 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 1999–2000 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 2000–2001 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4678.95	5480.00	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	625.00	665.00	*
3.	असम	1650.00	1750.00	*
4.	बिहार	3768.74	3630.00	*
5.	गोवा	291.34	281.19	*
6.	गुजरात	5450.00	6550.00	7600.00
7.	हरियाणा	2260.00	2300.00	*
8.	हिमाचल प्रदेश	1440.00	1600.00	*
9.	जम्मू व कश्मीर	1900.00	1750.00	*
10.	कर्नाटक	5353.00	5800.00	*
11.	केरल	3100.00	3250.00	3317.00
12.	मध्य प्रदेश	3700.00	4000.00	*
13.	महाराष्ट्र	11600.73	12162.00	11500.00
14.	मणिपुर	425.00	475.00	*
15.	मेघालय	400.00	465.00	*
16.	मिजोरम	333.00	360.00	*
17.	नागालैण्ड	300.00	315.00	*
18.	उड़ीसा	3084.43	3309.17	*
19.	पंजाब	2500.00	2680.00	2420.00
20.	राजस्थान	4300.00	4750.00	*
21.	सिक्किम	237.00	250.00	*
22.	तमिलनाडु	4500.00	5250.00	5700.00
23.	त्रिपुरा	440.00	475.00	*
24.	उत्तर प्रदेश	10260.00	11400.00	9025.00
25.	पश्चिम बंगाल	4594.85	5787.00	5657.86
	जोड़ (राज्य)	77192.04	84734.36	
	संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	320.00	400.00	*
27.	चंडीगढ़	137.76	151.39	*
28.	दादरा व नगर हवेली	41.58	45.62	*

1	2	3z	4	5
29.	दमन व दीव	33.39	36.62	*
30.	दिल्ली	2700.00	3000.00	*
31.	लक्षद्वीप	54.54	59.88	*
32.	पांडिचेरी	241.00	312.00	312.00
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	3528.27	4005.51	
	जोड़ (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र)	80720.31	88739.87	

* योजना का आकार अभी निर्धारित किया जाना है।

विवरण-II

चालू और स्थिर (1993–94) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चालू कीमतों पर जीएसडीपी			1993–94 की कीमतों पर जीएसडीपी		
		1997–98 (पी)	1998–99 (क्यू)	1999–2000 (ए)	1997-98 (पी)	1998–99 (क्यू)	1999–2000 (ए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	95918	114154	एन.ए.	68015	75530	एन.ए.
2.	अरुणाचल प्रदेश	1353	1542	एन.ए.	996	1072	एन.ए.
3.	असम	23053	25381	एन.ए.	16975	17273	एन.ए.
4.	बिहार	60870	66253	72084	48027	49335	50922
5.	गोवा	4285	एन.ए.	एन.ए.	3212	एन.ए.	एन.ए.
6.	गुजरात	92573	102206	एन.ए.	72010	74911	एन.ए.
7.	हरियाणा	37928	43671	एन.ए.	27357	29001	एन.ए.
8.	हिमाचल प्रदेश	8175	9258	एन.ए.	6083	6504	एन.ए.
9.	जम्मू व कश्मीर	9782	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
10.	कर्नाटक	76705	90333	एन.ए.	57508	63570	एन.ए.
11.	केरल	53642	62926	एन.ए.	33254	35092	एन.ए.
12.	मध्य प्रदेश	81042	90737	एन.ए.	61428	65520	एन.ए.
13.	महाराष्ट्र	214199	250775	एन.ए.	157147	171766	एन.ए.
14.	मणिपुर	2428	2605	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
15.	मेघालय	2624	2996	3388	2018	2164	2288
16.	मिजोरम	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
17.	नागालैण्ड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उड़ीसा	32669	35834	एन.ए.	22358	23418	एन.ए.
19.	पंजाब	49968	55171	एन.ए.	36749	एन.ए.	एन.ए.
20.	राजस्थान	59140	65635	एन.ए.	45163	45704	एन.ए.
21.	सिक्किम	665	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
22.	तमिलनाडु	104683	117044	एन.ए.	78114	81292	एन.ए.
23.	त्रिपुरा	3125	3438	एन.ए.	2397	2637	एन.ए.
24.	उत्तर प्रदेश	150473	171767	एन.ए.	106162	109972	एन.ए.
25.	पश्चिम बंगाल	95951	110007	एन.ए.	68611	73360	एन.ए.
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	चंडीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
28.	दिल्ली	35261	39951	44510	26289	27827	29775
29.	पांडिचेरी	2295	2905	एन.ए.	1570	1792	एन.ए.
	अखिल भारतीय जीडीप	1384446	1612383	1766589	1012816	1081834	1145436

स्रोत : 1–29 के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी

पी : अनन्तिम क्यू : त्वरित अनुमान ए : अग्रिम अनुमान एन.ए. : उपलब्ध नहीं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र

586. श्री जयमान सिंह पवैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (ट्राइबल सब प्लान एरिया) में कृषि हेतु किसानों को वित्तीय सहायता और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में ऐसे किसानों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) क्या इन्हें कृषि विकास हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग जनजातीय किसानों सहित सभी श्रेणी के किसानों को विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित वित्तीय और साथ ही साथ गैर–वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। तथापि, जनजातीय, उप–योजना (टी एस पी) के तहत कुछ स्कीमों के विशिष्ट घटकों के अंतर्गत जनजातीय उप–योजना (टी.एस.पी.) क्षेत्रों के जनजातीय किसानों के लिए निधियां विनिर्दिष्ट करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न स्कीमों से होने वाले लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जनजातीय किसानों सहित सभी श्रेणियों के किसानों को मिलते हैं, अतः विभिन्न स्कीमों के तहत कवर किए गए किसानों की संख्या का पता लगाना कठिन है। तथापि, जहां भी संभव है, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की वार्षिक योजनाओं के तहत देश में कम से कम जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में निधियां विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(घ) स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन स्कीमों/कार्यक्रमों का विवरण जिनके अंतर्गत जनजातीय उप–योजना (टी. एस. पी.) शीर्ष के तहत केंद्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम
1.	समेकित कीट प्रबंध केन्द्र
2.	नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
3.	पूर्वोत्तर में झूम खेती
4.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
5.	चावल आधारित फसल क्षेत्र में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
6.	गेहूं आधारित फसल क्षेत्र में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7.	मोटे अनाज फसल क्षेत्र में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8.	गहन कपास विकास कार्यक्रम
9.	गन्ना विकास कार्यक्रम
10.	चावल के तहत मिनिकिट कार्यक्रम
11.	विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
12.	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए विशेष सहकारी ऋण स्कीम
13.	गेहूं के तहत मिनिकट कार्यक्रम
14.	मोटे अनाज के तहत मिनिकट कार्यक्रम
15.	पनघारा आधार पर जल प्रबंध
16.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण संवर्द्धन।

[हिन्दी]

प्रशासन में उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

587. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन में उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा व्यापक परिवर्तन लाने हेतु किन्हीं नीतिगत उपायों पर विचार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रशासन में आने वाले सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के बाद आम जनता प्रशासन के बारे में जानकारी सरलता से प्राप्त नहीं कर सकेगी और इसके परिणामस्वरूप लोगों को अधिक भ्रष्टाचार और अकुशलता का सामना करना पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन दुष्परिणामों को दूर करने हेतु किन्हीं उपायों पर विचार करेगी; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रशासन में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सरकारी कार्य में व्यापक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग 10 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है। सन् 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों के लिय प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के योजना बजट का 2–3% प्रावधान करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था। सभी मंत्रालय/विभागों को अलग से इस आशय के अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे सूचना प्रौद्योगिकी की पंचवर्षीय योजना तैयार करें और समुचित विषय–वस्तु के साथ वबेसाइट प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को कहा गया है कि वे संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में नामित करें ताकि मंत्रालय/विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य के संचालन के लिये एक नोडल प्वाइंट निश्चित किया जा सके। इन प्रयासों से सूचना की उपलब्धता में सुधार होगा तथा प्रशासनिक कार्य–कुशलता में सुधार के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से जनता को ऐसी सूचना की सुलभता में काफी सुधार होगा जो कि वह विशेषकर इन्टरनेट के माध्यम से सरकार से चाहती है। ऐसी आशा है कि एक समयावधि के भीतर इलेक्ट्रानिकी के माध्यम से फार्म प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी तथा राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ सेवाओं का संचालन इलेक्ट्रानिक के माध्यम से करना सुगम होगा।

(ग) जी नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से जनता को अधिकाधिक सूचना उपलब्ध होगी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूषित भू-जल

588. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
डॉ. रमेश चंद तोमर :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से देश के विभिन्न भागों में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आस-पास के शहरों में भू-जल स्तर के काफी कम होने समेत नदियों का जल दूषित होने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां भू-जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने उन क्षेत्रों की भी पहचान की है जहां भू-जल मानक उपयोग के योग्य नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन सर्वेक्षणों से पता चला है कि देश के विभिन्न भागों में भू-जल के स्तर में गिरावट आई है। जहां भू-जल स्तर में चार मीटर (1980-99) से अधिक की गिरावट पाई गई है। उन स्थानों को दर्शाते हुए राज्यों/जिलों के नामों संबंधी ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

भूमि जल के स्तर में गिरावट मुख्यतः वार्षिक पुनर्भरण की अधिक निकासी, वर्षा की मात्रा और वितरण में विभिन्नता, बढ़ते शहरीकरण, वनों की कटाई, और किसानों द्वारा अधिक जल वाली फसलें अपनाने के कारण भूमि जल के पनुर्भरण में कमी हुई है। उन राज्यों और स्थानों के नाम जहां पर भूजल में संदूषण पाया गया है और उनके कारण विवरण-II में दर्शाए गए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश के 14 राज्यों में 22 बड़ी नदियों में प्रदूषित स्थलों की पहचान की गई है। नदियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। इन नदियों में प्रदूषण मुख्यतः बड़े नगरों के असंसाधित सीवेज जल और नदी बेसिनों में स्थित अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बहने वाले कचड़े के कारण होता है।

(घ) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा भू-जल स्तर में बढ़ोत्तरी करने के लिए उठाये गये कदम में निम्न शामिल हैं :-

(I) भू-जल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के वास्ते पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का गठन करना।

(II) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल बिल परिचालित करना ताकि वे भू-जल विकास एवं नियंत्रण के वास्ते उचित कानून बना सकें।

(III) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भू-जल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पनुर्भरण स्कीमों को तैयार कर सकें।

(IV) देश के कुछ "अतिदोहित" एवं "डार्क" ब्लाकों में भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का क्रियान्वयन।

(ङ) पेय जल आपूर्ति विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, 11 राज्यों में पेय जल में फ्लोराइड की अधिकता है, 7 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में जल लवणता की अधिकता है, 15 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में जल में लौह की अधिकता है और पश्चिम बंगाल राज्य में जल में आरसेनिक की अधिकता का पता चला है। यह पानी लोगों के पीने योग्य नहीं है।

(च) पेय जल आपूर्ति का प्रावधान करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राजीव गांधी, राष्ट्रीय पेयजल मिशन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत् ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के प्रावधान करने में और ऐसे क्षेत्रों में जहां भूजल में फ्लोराइड, लौह, आर्सेनिक, नाइट्रेट और खारेपन जैसे गंभीर समस्याएं हैं ऐसे क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चलाने के लिए राज्यों को सहायता और दिशानिर्देश देती है। ऐसे गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, जहां पर भूजल पीने योग्य नहीं है, वहां पर सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति या तो वैकल्पिक स्रोतों, सतही जल का उपयोग करके अथवा जल से फ्लोराइड हटाने, लोहा हटाने और आर्सेनिक हटाने जैसे सुधारात्मक उपायों के जरिए अन्य साधनों से की जाती है। इसके अतिरिक्त, भूजल प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(I) केन्द्र सरकार ने भूमि जल प्रबंधन और विकास को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया है।

(II) जल मितव्ययिता, कुशल उपयोग, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता पर जल जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(III) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों में बहिःस्राव के निस्सरण को सीमित करने, कई लघु औद्योगिक इकाइयों को एक साझा बहिःस्राव जल सुधार संयंत्र लगाने के लिए सहायता देने के वास्ते स्कीम शुरू करने और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में मानीटरी की गुणवत्ता स्कीम को शुरू करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के जरिए उद्योगों को निर्देश देने जैसे कई उपाय अपनाये हैं।

विवरण-I

भू–जल स्तर में 4 मीटर (1980–99) से अधिक गिरावट वाले राज्य/जिलों के पाकेटों के नाम।

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, चित्तूर
2.	महाराष्ट्र	अकोला, नागपुर, जलगांव, उस्मानाबाद, सतारा, औरंगाबाद, सांगली, बुलधाना, अमरावती।
3.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, फतेहगढ़।
4.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र, कैथल, महेन्द्रगढ़, जीन्द।
5.	उत्तर प्रदेश	गोण्डा, फर्रूखाबाद, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, नैनीताल।
6.	बिहार	पूर्वी सिंघभूम, रांची, समस्तीपुर, छपरा, दरभंगा।
7.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया, मिदनापुर।
8.	उड़ीसा	कोरापुट, मयूरभंज।
9.	राजस्थान	नागौर, बीकानेर, जयपुर।
10.	मध्य प्रदेश	उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर, धार, सागर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, गुना, नरसिंहपुर।
11.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, बंगलौर, मैसूर, गुलबर्गा।
12.	तमिलनाडु	सलेम, दक्षिण आरकट, कोयम्बटूर, मदुरई, तंजावुर, पद्दकोट्टाई, कामराजार, तिरूनागनार, उत्तरी कन्नड़।

विवरण-II

विभिन्न संदूषणों के कारण जिलों के कुछ क्षेत्रों में भूजल संदूषण का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	लवणता	लौह	फ्लोराइड	नाइट्रेट	आर्सेनिक	भारी तत्व
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकासम		प्रकासम, नेल्लोर, अनन्तपुर, नालगोंडा, रंगारेड्डी आदिलाबाद	विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, प्रकासम, नेल्लोर, चित्तूर, अनन्तपुर, कडप्पा, कुरनूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी मेडक, आदिलाबाद, नालगोंडा, खम्मम	अनन्तपुर, महबूब नगर प्रकासम विशखापट्टनम कुडप्पा, नालगोंडा	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	ब्रह्मपुत्र का उत्तरी तट					डिगबोई
3.	बिहार	बेगूसराय	चम्पारन, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, देवघर, मधुवनी, पटना, पलामू, नालन्दा, नवादा, बांका	गिरिडीह, जमुई धनबाद	पलामू, गया, पटना, नालंदा, नवादा, भागलपुर, साहेबगंज, बांका		धनबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय
4.	गुजरात	बनासकांठा जूनागढ़, भरूच, सूरत, मेहसाना, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, खेडा, जामनगर		कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाना, बनासकांठा, सबरकांठा, पंचमहल, खेडा			
5.	हरियाणा	सोनीपत रोहतक, हिसार, जींद, सिरसा, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेन्द्रगढ़		रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद	अम्बाला, सोनीपत, जींद, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़		फरीदाबाद
6.	हिमाचल प्रदेश				कुलु, सोलन, उना		परवानू, कालाम्ब
7.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, रायचूर, बेल्लारी, धारवाड़		तमकुर, कोलार, बंगलौर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर			भद्रावती
8.	केरल	एर्नाकुलम, त्रिचूर, अलेपी		पालघाट			
9.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भिंड, मुरेना, झबुवा, खरगांव, धार, शिवपुरी, शाजापुर, गुना, मंदसोर, उज्जैन		भिंड, मोरेना, गुना, झबुवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, रायपुर, विदिशा	सिहोर		बस्तर, कोरबा, रतलाम, नागदा

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	महाराष्ट्र	अमरावती, अकोला		भण्डारा, चन्द्रपुर नांदेड़ औरंगाबाद	थाणे, जालना, बीड, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, धूले, जलगांव, औरंगाबाद, अहमद नगर, पुणे, बुल्धाना, अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चन्द्रपुर, गडचिरोली		
11.	उड़ीसा	कटक, बालेश्वर, पुरी	तटीय उड़ीसा के हिस्से	बोलंगीर			अंगुल तालचेर
12.	पंजाब	भटिंडा, संगरूर, फरीदकोट, फिरोजपुर		लुधियाना, फरीदकोट, भटिंडा, संगरूर, जालंधर, अमृतसर	पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, भटिंडा		लुधियाना, मण्डी गोबिन्दगढ़
13.	राजस्थान	भरतपुर, जयपुर, नागपुर, जालौर, सिरोही, जोधपुर	बीकानेर, अलवर, डूंगरपुर	बाडमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही	जयपुर, चुरू, गंगा नगर, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर, बूंदी, सवाई माधोपुर		पाली, उदयपुर खेतड़ी
14.	तमिलनाडु	कराईकल, पांडिचेरी नागपट्टनम, कादिमिल्लेत, पुदुकोट्टाई, रामानंथपुरम, उत्तरी अर्काट अम्बेदकर,– धर्मपुरी, सलेम, त्रिची, कोयम्बटूर		धर्मपुरी, सलेम, उत्तरी अर्काट– अम्बेदकर, बिलीपुरम पदायतचिम, मुथुरामलिंगम्, तिरूचिरा पल्ली, पुदुकोट्टाई	कोयम्बटूर, पेरियार सलेम		मनाली, उत्तरी अर्काट
15.	त्रिपुरा		धर्मनगर, कौलेशहर, खोवाई अम्बासा,				

1	2	3	4	5	6	7	8
			अमापुर और अगरतला घाटी के हिस्से				
16.	उत्तर प्रदेश	आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बांदा		बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, रायबरेली	उरई, झांसी, ललितपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया		सिंगरौली, बस्ती, कानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़
17.	पश्चिम बंगाल		मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, बांकुरा	वीरभूम	उत्तर दिनाजपुर, हाल्दा, वीरभूम, नादिया, मिदनापुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद पुरूलिया	माल्दा, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, हावड़ा	दुर्गापुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, नादिया
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			सिटी, शाहदरा और मेहरौली ब्लाक		अलीपुर, कंझावाला, नजफगढ़, महरौली सिटी और शाहदरा ब्लाक	

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	नदी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. गोदावरी
2.	बिहार	2. सुबर्णरेखा
		3. दामोदर
		4. गंगा
3.	गुजरात	5. साबरमती
4.	कर्नाटक	6. तुंगा
		7. तुंगभद्रा
		8. कावेरी
		9. भद्रा
5.	मध्य प्रदेश	10. खान
		11. ताप्ती
		12. क्षिप्रा
		13. बेतवा
		14. नर्मदा
		15. वेनगंगा
		16. चम्बल

1	2	3
6.	महाराष्ट्र	17. कृष्णा
		गोदावरी
7.	उड़ीसा	18. महानदी
		19. ब्राहमणी
8.	पंजाब	20. सतलज
9.	राजस्थान	चम्बल
10.	तमिलनाडु	कावेरी
11.	हरियाणा	21. यमुना
12.	दिल्ली	यमुना
13.	उत्तर प्रदेश	गंगा
		यमुना
		22. गोमती
14.	पश्चिम बंगाल	गंगा
		दामोदर

[हिन्दी]

कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं

589. **श्री रामदास आठवले :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से प्रति यात्री 500 डालर वसूल करता है परंतु उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्य केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को चीन की सरकार के साथ उठाया है या उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चीन कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को लद्दाख के रास्ते जाने की अनुमति देने पर राजी नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) चीन की सरकार अपनी सीमा में उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं के एवज में प्रति यात्री 500 अमरीकी डालर का शुल्क लेती है। यात्रियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर भारत की सरकार ने चीनी सरकार से चीनी सीमा में सुविधाओं में और सुधार लाये जाने का अनुरोध किया है। चीन की सरकार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी ओर से किए गए प्रयासों के बावजूद इस तथ्य को लेकर उनकी कुछ सीमाएं हैं कि कई वर्षों से यात्रा के शुल्क में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) हमने चीन की सरकार से लद्दाख (जम्मू और कश्मीर) में दमचौक के जरिए एक वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव किया है। चीनी पक्ष ने सूचित किया है कि वैकल्पिक मार्ग के हमारे प्रस्ताव पर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने नया मार्ग खोले जाने में इन आधारों पर कठिनाइयों का उल्लेख किया है कि इसमें दुर्गम क्षेत्र में लंबी यात्रा करनी पड़ेगी जहां सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है और आवास तथा संचार के लिए समुचित बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया है कि उन सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना आसान कार्य नहीं होगा और वैकल्पिक मार्ग के लिए सुविधाओं के निर्माण में काफी समय लगेगा। इससे भारतीय तीर्थयात्रियों से लिये जाने वाले शुल्क में भी काफी वृद्धि हो सकती है (इस समय सन् 2000 तक 500 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति ही लिया जा रहा है)।

[अनुवाद]

साइबर कानून

590. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
श्री पी.डी. एलानगोवन :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना सुरक्षा नीति और साइबर कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये क्या समय–सीमा तय की गई है;

(ग) क्या सरकार की देश में कम्प्यूटर अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर पुलिस प्रणाली विकसित करने की भी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इंटरनेट पर दिखाई जा रही अश्लील वेबसाइटों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद

महाजन) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को संसद ने अधिनियमित किया है और राष्ट्रपति जी ने 9 जून, 2000 को इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लागू करने के लिए सूचना सुरक्षा नीति तथा नियम एवं विनियम तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

(ग) वर्तमान पुलिस बल को कम्प्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अलग से किसी साइबर पुलिस प्रणाली का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई, किसी ऐसी सामग्री जो कामोत्तेजक या दुष्चरित्र इच्छाओं को बढ़ाने वाली है, को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रकाशित या सम्प्रेषित करता है या प्रकाशित होना कारित करता है और सभी संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें सम्मिलित या सन्निहित सामग्री का प्रभाव ऐसा है कि इसमें उन व्यक्तियों को दूषित या भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति है जो इसे पढ़ते, देखते या सुनते हैं, को प्रथम अभियोजना में किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा और पश्चातवर्ती अभियोजना में किसी ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो दस वर्षों तक हो सकेगा और जुर्माने से भी जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री की विदेश यात्रायें

591. **डॉ. बलिराम :**
श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा पिछले चार महीने के दौरान और आज तक की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) माननीय मंत्री के साथ गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) विदेश यात्राओं के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों/प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके द्वारा किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उनका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रूस से भारतीयों का निर्वासन

592. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को ने हाल ही में कई भारतीयों को निर्वासित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रूसी प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जनवरी – मई 2000 के दौरान रूसी प्राधिकारियों ने रूसी परिसंघ में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवास को उनके कानूनों का तथाकथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में 69 भारतीय राष्ट्रिकों को निष्कासित किया। सरकार ने इन भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षित भारत वापसी को सुगम बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है।

रूसी विमान चालकों को मुक्त करना

593. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पुरूलिया में हथियार गिराने के मामले के आरोपी पांच विमान चालकों को मुक्त करने के लिए रूस की सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रूसी नेताओं ने विभिन्न स्तरों पर पायलटों के लिए क्षमादान/राज्यक्षमा का मसला उठाया था। चालक दल के परिवार के सदस्यों ने क्षमादान की अपील की थी। रूसी परिसंघ के स्टेट डूमा से रूसी संसद के निचले सदन ने 9 फरवरी, 2000 को क्षमादान का प्रयास करते हुए दोषी पायलटों की घर वापसी की अनुमति देने के लिए एक वक्तव्य पारित किया था। भारत सरकार ने इस बात का समर्थन किया कि इस मामले में निर्णय लिया जाएगा और भारतीय विधि के पूर्णतः अनुरूप एक स्थायी हल निकाला जाएगा।

भारत–रूस संबंधों की पुष्टि पर विचार करते हुए, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और एक सामरिक सहभागिता में सुदृढ़ हो रहे हैं और इस समस्या के मानवीय पहलुओं पर भी विचार करते हुए तथा सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति ने पांच रूसी पायलटों के अधूरे कारावास की सजा को तुरन्त प्रभाव से क्षमा किया था।

[हिन्दी]

भारत और मोरोक्को के बीच समझौता

594. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मोरोक्को के बीच इस वर्ष कृषि क्षेत्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह समझौता अब तक कार्यान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धियां हुई हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो इस समझौते के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) इस वर्ष कृषि क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं पर उपकर

595. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से लाभ पा रहे किसानों तथा अन्य लोगों से उपकर वसूलने का राज्य सरकारों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा किन–किन राज्यों ने उक्त निर्देशों का पालन किया है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गरीब किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्य में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने पर सहमत हो गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सिंचाई दरें भी राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित वित्तीय समझौते के तहत् वैधानिक प्रसंविदा के अनुसरण में, संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के प्रबन्धन में और उनके प्रचालन और अनुरक्षण लागत को वसूल करने के लिए जल प्रभार एकत्र करने के लिए किसानों/लाभग्राहियों की क्रमबद्ध भागीदारी की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है। भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है अर्थात् सामान्य राज्यों के मामले में 70% ऋण और 30% अनुदान तथा विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 90% अनुदान और 10% ऋण केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता भी देती है। ए आई बी पी के तहत सहायता अंशदायी आधार पर अर्थात सामान्य राज्यों के मामले में 2/3 केन्द्र सरकार और 1/3 राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और विशेष श्रेणी राज्यों तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण के.वी.के. जिलों के मामले में 3/4 केन्द्र सरकार और 1/4 राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता

596. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश की कुछ बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ओवरसीज इकॉनॉमिक को–आपरेशन फंड से प्रतिवर्ष राज्य–वार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) अब तक राज्य–वार कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है;

(ग) उन परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिनका कार्यान्वयन निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिऐ जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की श्रेणी	प्राप्त बाह्य सहायता			स्थिति	पूरा होने की निर्धारित तिथि
				1997–98	1998–99	1999–2000		
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल कुडप्पा नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	वृहद	—	103.868	1384.054	चल रही है और निर्धारित समय से जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है।	26.03.2003
2.	मध्य प्रदेश	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	वृहद	—	599.600	828.600	चल रही है और निर्धारित समय से जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है।	31.03.2002
3.	उड़ीसा	रेंगाली सिंचाई परियोजना	वृहद	141.536	664.186	1075.111	चल रही है और निर्धारित समय से जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है।	05.02.2003
4.	उड़ीसा	अपर कोलाव सिंचाई परियोजना	वृहद	377.824	412.791	—	20.07.1998 को पूरी कर ली गयी है।	
5.	उड़ीसा	अपर इन्द्रावती परियोजना	वृहद	565.406	547.064	—	20.01.1999 को पूरी कर ली गयी है।	
			कुल	1084.766	2327.509	3287.765		

[अनुवाद]

बेरोजगारी बीमा योजना

597. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक सुरक्षा संबंधी एक कृतिक बल में सामाजिक सुरक्षा के अभिन्न अंग के रूप में एक सुनियोजित बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सामाजिक सुरक्षा संबंधी कृतक बल ने *अन्य बातों के साथ–साथ* संगठित क्षेत्र के कामगारों को अनिश्चित बेरोजगारी की अवधि के दौरान उचित स्तर के आवधिक लाभ प्रदान करने के लिए एक बेरोजगारी बीमा योजना आरंभ करने की सिफारिश की है। बेरोजगारी बीमा से संबंधित सिफारिश सहित कृतक बल की सिफारिशों से अत्यधिक वित्तीय विपक्षाएं उत्पन्न होंगी इसलिए कृतक बल की सम्पूर्ण रिपोर्ट गहन अध्ययन के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजन का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें सरकार को मिलते ही बेरोजगारी बीमा योजना आरंभ करने या न करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक करोड़ लोगों को रोजगार देना

598. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष एक करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय विभागों में अस्थाई पदों को समाप्त करने और स्थाई पदों की संख्या में दस प्रतिशत कटौती करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क), (ख) और (घ) सरकार ने, अगले दस वर्षों के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ व्यक्तियों के रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए "रोजगार के अवसरों पर कार्यबल" का गठन किया है। कार्यबल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :– (i) देश में विद्यमान रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति की जांच करना। (ii) अगले 10 वर्षों में, 10 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन की नीतियां सुझाना। (iii) उपरोक्त विचारार्थ विषय से संबंधित या उसके अनुषंगिक किसी अन्य मामले पर विचार करना।

(ग) भारत सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया था कि स्वीकृत पदों की संख्या में 10% कटौती दिनांक 1.1.92 को लागू होगी। इस निर्णय के कार्यान्वयन की निगरानी व्यय विभाग द्वारा की जा रही है। इस निर्णय में, अस्थाई एवं स्थाई पदों के मध्य भेद नहीं रखा गया है।

भू-जल को सामान्य स्तर पर लाना

599. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम वर्षा और अनवरत अंतर्राज्यीय जल विवादों के कारण लगातार गिरते जा रहे भू–जल स्तर की वजह से जल संकट से निपटने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना शुरू की गई है;

(ख) क्या पुनः पूरित होने वाले कुएं और जल संग्रहण सहित भू–जल स्रोतों को भी ऐसी योजना का अभिन्न अंग समझा गया है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे पुनः पूरित होने वाले कुओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल के राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों को बढ़ाने संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, जल संरक्षण और भूजल संसाधनों में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं :–

1. देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों पर 25.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन्द्र क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन। इस स्कीम के परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे हैं। पुनर्भरण कुएं और वर्षा जल संचयन इस स्कीम के अविभाज्य अंग हैं।
2. वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए)
3. नदी–घाटी–परियोजना के आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण
4. बाढ़ प्रवण नदियों (एफ पी आर) के आवाह क्षेत्र में एकीकृत जल विभाजक प्रबंधन
5. उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती के नियंत्रण के लिए जल विभाजक विकास परियोजना (डब्ल्यू डी पी एस सी ए)
6. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी)
7. रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी डी पी)
8. एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना (आई डब्ल्यू डी पी)

इन कार्यक्रमों को सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन

600. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल और चारे के संकट के कारण राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वर्ष 1999–2000 (जून–जुलाई) फसल कटाई के दौरान कृषि उत्पादन पर जल संकट का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो 1999–2000 के दौरान पानी की कमी के कारण कितना उत्पादन प्रभावित हुआ;

(ग) क्या 2000–2001 के दौरान पानी की कमी से कृषि उत्पादन के और अधिक प्रभावित होने के संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.वी.के. सत्यनारायण राव) : वर्ष 1999–2000 के दौरान प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थिति के कारण देश के कुछ भाग प्रभावित हुए जिसके कारण जल और चारे की कमी हो गई। इन प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियों के बावजूद आशा है कि देश में 205.91 मिलियन मी. टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन होगा। हालांकि तिलहन के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने समूचे देश में 2000–2001 के दौरान सामान्य मानसून का पूर्वानुमान लगाया है।

(ग) और (घ) वर्तमान कृषि वर्ष अर्थात् 2000–2001 के दौरान पर्याप्त जल की उपलब्धता अथवा अन्यथा की भविष्यवाणी करना समय पूर्व बात होगी। लेकिन भारत सरकार देश में जल की उपलब्धता की स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही है। 19.7.2000 की स्थिति के अनुसार समग्र देश में क्षेत्रवार वर्षा सामान्य से 6% अधिक है।

[हिन्दी]

गेहूं का उत्पादन

601. श्री तूफानी सरोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में मई–जून के दौरान असामायिक वर्षा के कारण गेहूं की फसल की गहाई शुरू नहीं की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप गेहूं की अधिकतर फसल खेतों में सड़ चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कारण हुए घाटे की सीमा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी.पी.वी.के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से गोरखपुर तथा फैजाबाद क्षेत्र में वर्षा के कारण आंशिक क्षति की सूचना प्राप्त हुई है परन्तु उत्तर प्रदेश के शेष भागों में कोई क्षति नहीं हुई है। वास्तव में, राज्य सरकार ने वर्ष 1999–2000 के दौरान गेहूं का 259.7 लाख मीटरी टन रिकार्ड उत्पादन होने की सूचना दी है जो गत वर्ष की तुलना में 25.11 लाख मीटरी टन अधिक है। इसके आगे सर्वेक्षण स्थानीय कृषि अधिकारियों द्वारा किया गया है, परन्तु क्षतिपूर्ति संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जनसंख्या संबंधी समस्या

602. श्री एन. जर्नादन रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में जनसंख्या की समस्या से निपटने हेतु महत्वपूर्ण समर्थन समूह (एस.एस.जी.) की बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) योजना आयोग में स्थित जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग, न कि स्वयं योजना आयोग, ने हाल ही में कार्यनीतिक समर्थन दल की बैठक आयोजित की थी।

(ख) आयोग की पहली बैठक के लिए कार्य–सूची मदें निर्धारित करने, संबंधित विभागों में अंतर–क्षेत्रकीय समन्वय की जांच करने और यह देखने के लिए कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभाग की वर्तमान नीतियों और कार्यक्रमों का किस प्रकार क्रमवेशन किया जा सकता है, कार्यनीतिक समर्थन दल की पहली बैठक दिनांक 31 मई, 2000 को आयोजित की गई थी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

603. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए अस्पतालों को संस्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम देश में चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन नहीं कर रही है;

(ग) बीमाकृत व्यक्तियों को किन क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही है; और

(घ) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के और अस्पतालों की संस्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) प्रति 1000 बीमित व्यक्तियों के मानकों के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्यतया 12,500 बीमित व्यक्तियों के लिए कम से कम एक 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण करता है।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख–रेख की व्यवस्था का संचालन, दिल्ली और नोएडा को छोड़कर जहां इसका संचालन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वयं करता है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। फिर भी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देख–रेख संबंधी व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 7 : 1 के अनुपात में वहन किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों के कार्य में सुधार लाने के उद्देश्य से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में एक कार्य–योजना तैयार की है और उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कार्यान्वित किए जाने हेतु राज्य सरकारों के पास भेज दिया है। कार्य–योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अल्ट्रासोनेग्राफी, पल्स ऑक्सीमटेर, ऑटो एनालाइजर, सेमी ऑटो एनालाइजर, कार्डियक मॉनीटर, दन्त इकाई, रीससाइटेशन उपस्कर आदि उपलब्ध करवाकर इनकी चिकित्सा देख–रेख सुविधाओं को समुन्नत बनाना/उनका आधुनिकीकरण किया जाना शामिल है। उक्त कार्य योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम 112 क.रा.बी. अस्पतालों के संबंध में आधुनिक उपकरणों के प्रावधान पर पहले ही विचार कर चुका है/ उनका अनुमोदन कर चुका है। जिन मामलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा सुविधाएं घटिया किस्म की हैं उनमें अन्य स्थानीय अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित किए गए हैं तथा बीमित व्यक्तियों को विशिष्ट इलाज सुलभ कराने के लिए ख्यातिप्राप्त चिकित्सा संस्थानों के साथ आवश्यक अनुबंध व्यवस्थाएं भी की गयी हैं।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम भिन्न–भिन्न राज्यों में 11 नए अस्पतालों का निर्माण करने पर भी सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है।

जलचर पालन संबंधी कार्यकलापों को विनियमित करने हेतु कानून बनाना

604. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के दल ने तटीय क्षेत्रों में जलचर पालन संबंधी कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने के बारे में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मंत्रियों के दल ने इस सिफारिश के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया है कि विधेयक में यह एक प्रावधान रखा जाए कि जलकृषि को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ऐसे नियम बनाए जिनमें सामान्य दिशानिर्देश शामिल हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। उसके बाद जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2000 28.2.2000 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और फिर इसे कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया।

लघु उद्योग संबंधी समिति

605. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों हेतु अलग से कानून सुझाने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

606. श्री रामजी लाल सुमन :
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999–2000 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 205.91 मिलियन टन होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न खाद्यान्नों का खाद्यान्न–वार कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में देश में राज्य–वार खाद्यान्नों का अनुमानतः कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। 29.6.2000 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1999–2000 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 205.91 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है जिसका ब्यौरा निम्नवत है :–

(उत्पादन मिलियन मी. टन में)

फसल	उत्पादन
चावल	88.25
गेहूं	74.25
मोटा अनाज	30.35
दलहन	13.06
कुल खाद्यान्न	205.91

(ग) देश में वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान राज्य–वार तथा अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों/परियोजना के तहत, उच्च पैदावार वाली बीजों की किस्मों के उपयोग, समेकित कीट प्रबंध के अनुप्रयोग, छोटी सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार–प्रसार तथा उन्नत कृषि उपस्करों के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के कारगर अंतरण के लिए किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के प्रशिक्षण सहित कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

कुल खाद्यान्न उत्पादन

(लाख मीटरी टन)

राज्य	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000 (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	136.75	108.22	143.95	134.99
असम	35.32	35.78	34.34	39.77
बिहार	144.18	140.93	129.09	134.08
गुजरात	52.09	57.10	55.67	40.10
हरियाणा	114.48	113.48	121.23	130.65
हिमाचल प्रदेश	12.89	14.41	14.91	13.45
जम्मू व कश्मीर	13.31	14.20	15.16	14.54
कर्नाटक	92.13	80.47	99.77	95.05
केरल	8.52	7.98	6.91	7.56
मध्य प्रदेश	194.88	173.62	197.98	210.25
महाराष्ट्र	146.02	96.64	127.53	124.48
उड़ीसा	48.31	66.38	58.07	56.01
पंजाब	215.53	211.43	229.07	251.36
राजस्थान	128.21	140.49	129.34	106.87
तमिलनाडु	69.30	81.04	101.41	87.92
उत्तर प्रदेश	423.85	415.89	401.45	439.92
पश्चिम बंगाल	137.56	143.53	143.67	151.01
अखिल भारत	1994.36	1922.59	2030.43	2059.12

[अनुवाद]

श्रमिकों में असंतोष

607. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में श्रमिकों में असंतोष के कारण सरकार को भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य श्रमिक असंतोष से अधिक प्रभावित हैं, उनके नामों सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे श्रमिक असंतोष को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए/किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हड़ताल और तालाबन्दी के परिणामस्वरूप नष्ट हुए श्रम दिवसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अत्यधिक नष्ट हुए श्रम दिवसों वाले राज्यों में से है।

(ग) सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने प्रबंधन और श्रमिकों के बीच निकट सहभागिता पर बल दिया है ताकि औद्योगिक संबंध के मुद्दे परामर्श और आम सहमति की प्रक्रिया के माध्यम ये शुरूआती चरणों में ही सुलझा लिए जाए।

विवरण

वर्ष 1997–99 (अनन्तिम) के दौरान चुनिन्दा राज्यों में हड़ताल और तालाबन्दी के कारण हुई श्रम दिवसों की क्षति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्रम दिवस जिनकी क्षति हुई (हजार रुपए में)		
	1997	1998	1999
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1357	5973	1370
बिहार	319	420	417
दिल्ली	***	7	62
गोवा दमन एव दीव	102	31	5
गुजरात	1019	1216	392
हरियाणा	830	522	300
कर्नाटक	429	837	526
केरल	838	551	2224
मध्य प्रदेश	108	162	400
महाराष्ट्र	1302	934	995
उड़ीसा	151	52	30
पांडिचेरी	0	0	0
पंजाब	212	248	423
राजस्थान	1321	965	767
तमिलनाडु	1925	3157	2631
उत्तर प्रदेश	101	824	629
प. बंगाल	5861	5973	15410
अन्य	1098	190	226
कुल योग	16971	22062	26798

*** उपलब्ध नहीं

0 = शून्य या 500 से कम

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

[हिन्दी]

दलितों की हत्या

608. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत छः महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्याओं की घटनाओं में अचानक वृद्धि की घटना से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को इस संबंध में जांच कराए जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है या तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा है या भेजने का विचार है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, (गृह मंत्रालय) से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्थिति निम्नलिखित है :

हत्याओं की संख्या

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1.	जनवरी, 99 से जून, 99	139	1	140
2.	जुलाई, 99 से दिसम्बर, 99	140	0	140
3.	वर्ष 1999 के लिए औसत प्रतिमाह	23	नगण्य	23
	जनवरी, 2000 से अप्रैल, 2000	83	2	85
5.	*2000 के चार महीनों का* औसत प्रति माह	21	–	21

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूचित किया है कि आयोग को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हत्या की घटनाओं में कोई अचानक वृद्धि नहीं हुई है।

सरकारी कर्मचारी

609. **डॉ. बलिराम :**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार मंत्रालय–वार, श्रेणी–वार कितने पद रिक्त हैं और उनमें से अनुसूचित जतियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रिक्तियों को चालू वर्ष के दौरान भरने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकयत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) : विभिन्न मंत्रालयों में रिक्त पड़े पदों की कुल संख्या के संबंध में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह संभव है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों सहित काफी संख्या में पद किसी समय विशेष में रिक्त रहते हों। विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों सहित रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है तथा भर्ती जहां कहीं आवश्यक होती है, भर्ती निकायों द्वारा की जाती है।

भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग

610. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इंडोनेशिया का विचार एक संयुक्त आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मार्च 2000 में व्यापार आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग से संबद्ध संयुक्त आयोग गठित करने संबंधी करार का प्रारूप इंडोनेशिया सरकार के पास भेजा गया था। वह सरकार इस प्रारूप की जांच कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निधियों का कुप्रबंधन

611. **श्री सुकदेव पासवान :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता अथवा कुप्रबंधन के कारण देश को 140 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) हालांकि भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट लोक लेखा समिति को प्रस्तुत कर दी है जिसके कुछ पैरे विदेश मंत्रालय से संबंधित हैं और जो इस समय लोक लेखा समिति के विचारधीन हैं।

(ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों की हानि

612. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम वर्षा, भू–जल के स्तर में कमी के कारण कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में धान, गन्ना और अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में धान, गन्ना, अन्य खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों की हानि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान चावल, गन्ना, खाद्यान्न तथा तिलहनों का राज्य–वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण I से IV में दिया गया है। यह देखा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्न तथा गन्ना उत्पादन में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति है। तथापि, फसलों की उत्पादन प्रवृत्ति अलग–अलग राज्यों में स्थानीय घटकों तथा कृषि जलवायु स्थितियों में भिन्न–भिन्न होती है।

विवरण-I

वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान चावल उत्पादन

(लाख मी. टन)

राज्य	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000 (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	106.86	85.10	114.34	104.90
असम	33.28	33.83	32.55	38.07
बिहार	72.81	71.33	66.33	67.39
गुजरात	9.46	10.42	10.16	9.85
हरियाणा	24.63	25.56	24.25	25.94
हिमाचल प्रदेश	1.09	1.20	1.18	1.20
जम्मू व कश्मीर	4.31	5.49	5.89	5.87
कर्नाटक	32.12	32.13	36.05	34.02
केरल	8.32	7.65	6.59	7.28
मध्य प्रदेश	59.39	45.28	53.74	63.77
महाराष्ट्र	26.14	23.95	24.68	25.36
उड़ीसा	44.38	62.05	53.92	51.52
पंजाब	73.34	79.04	79.40	87.16
राजस्थान	1.74	1.90	2.05	2.53
तमिलनाडु	58.05	68.94	82.15	71.56
उत्तर प्रदेश	117.71	121.65	116.16	129.12
पश्चिम बंगाल	126.37	132.37	133.17	139.41
अखिल भारत	817.37	825.35	859.95	882.50

विवरण-II

वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान गन्ना उत्पादन

(लाख मी. टन)

राज्य	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000 (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	150.30	139.55	166.85	184.80
असम	14.90	12.88	12.24	12.24
बिहार	58.43	49.60	52.19	53.39
गुजरात	114.04	118.36	135.66	140.70
हरियाणा	90.20	75.50	68.80	80.00
कर्नाटक	233.74	283.33	284.54	292.33
	5.48	5.48	4.06	4.29
मध्य प्रदेश	17.61	16.32	19.73	21.37
महाराष्ट्र	418.05	381.74	471.51	557.98
उड़ीसा	13.32	11.44	14.70	10.80
पंजाब	110.40	71.50	61.30	67.70
राजस्थान	12.90	11.59	10.78	7.87
तमिलनाडु	259.19	301.84	466.73	385.49
उत्तर प्रदेश	1253.48	1292.67	1163.03	1199.74
पश्चिम बंगाल	18.10	18.26	20.02	17.76
अखिल भारत	2775.60	2795.41	2957.26	3093.07

विवरण-III

वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान गन्ना उत्पादन

(लाख मी. टन)

राज्य	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000 (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	136.75	108.22	143.95	134.99
असम	35.32	35.78	34.34	39.77
बिहार	144.18	140.93	129.09	134.08
गुजरात	52.09	57.10	55.67	40.10
हरियाणा	114.48	113.48	121.23	130.65
हिमाचल प्रदेश	12.89	14.41	14.91	13.45,
जम्मू व कश्मीर	13.31	14.20	15.16	14.54
कर्नाटक	92.13	80.47	99.77	95.05
केरल	8.52	7.98	6.91	7.56
मध्य प्रदेश	194.88	173.62	197.98	210.25
महाराष्ट्र	146.02	96.64	127.53	124.48
उड़ीसा	48.31	66.38	58.07	56.01
पंजाब	215.53	211.43	229.07	251.36
राजस्थान	128.21	140.49	129.34	106.87
तमिलनाडु	69.30	81.04	101.41	87.92
उत्तर प्रदेश	423.85	415.89	401.45	439.92
पश्चिम बंगाल	137.56	143.53	143.67	151.01
अखिल भारत	1994.36	1922.59	2030.43	2059.12

विवरण-IV

वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान तिलहन उत्पादन

(लाख मी. टन)

राज्य	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000 (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	23.96	14.24	22.65	14.27
असम	1.60	1.74	1.55	1.54
बिहार	1.51	1.67	1.57	1.73
गुजरात	38.09	38.34	38.83	17.24
हरियाणा	10.05	4.23	7.14	5.70
कर्नाटक	17.56	11.99	18.14	14.80

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	50.94	56.88	56.15	58.80
महाराष्ट्र	23.96	16.82	26.51	26.28
उड़ीसा	1.67	1.91	1.77	1.48
पंजाब	2.84	2.19	2.11	1.11
राजस्थान	35.30	33.00	38.13	34.05
तमिलनाडु	15.15	14.77	20.82	15.04
उत्तर प्रदेश	15.39	10.06	11.36	13.02
पश्चिम बंगाल	4.30	3.88	3.82	5.58
अखिल भारत	243.85	213.25	252.10	211.76

जल प्रबंधन

613. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने इस बात का उल्लेख किया है कि जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबन्धन पर जोर देना अति आवश्यक है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या भू–जल उपयोग संबंधी एक विधेयक का प्रारूप राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति के संबंध में कब तक दिशा–निर्देश दिए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबन्धन की आवश्यकता के महत्त्व को स्वीकार किया है और राष्ट्रीय जल नीति, 1987 में इन पहलुओं पर उचित बल दिया है। इस नीति में बेहतर जल प्रबन्धन और संरक्षण के लिए अनेक उपायों का प्रावधान है जैसे कि :–

(i) सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में किसानों की सहभागिता।

(ii) सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार।

(iii) उपयोग की कुशलता में वृद्धि करते हुए जल का संरक्षण, और

(iv) सतही तथा भूजल संसाधनों का संयुक्त उपयोग।

भूजल संसाधनों के संरक्षण और प्रबन्ध में अनेक केन्द्रीय और राज्य अभिकरण लगे हुए हैं। इनमें भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन तथा जल संसाधनों के अधिकतम विकास और प्रबन्धन के लिए सतही तथा भूजल का संयुक्त उपयोग करना शामिल है।

(ग) जी हां, केन्द्र सरकार ने भूजल के नियन्त्रण और विनियमयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल बिल परिचालित किया है।

(घ) केवल गुजरात और महाराष्ट्र ने ही कानून लागू किए है।

(ङ) राष्ट्रीय जल नीति पर निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं:

(i) नदी–वेसिन–मास्टर योजना को तैयारी के लिए दिशा–निर्देश–1990

(ii) पेय जल आपूर्ति प्रणाली का एकीकरण–1991

(iii) सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग की आयोजना–1994

(iv) सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं प्रस्तुत, मूल्यांकन और स्वीकृत करना–1996

(v) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते मानव संसाधन विकास बोर्ड का गठन–1998

(vi) जल संसाधन परियोजनाओं की पर्यावरणीय मानीटरिंग–1998

(vii) बांध सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलू–22 संख्या

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

614. प्रो. उमारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के सनत नगर में ई.एस.आई.सी. का एक बड़ा अस्पताल चल रहा है;

(ख) इन अस्पतालों के कार्यकरण की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कितने दौरे किये गये;

(ग) इस अस्पताल के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या

कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने बीमाकृत व्यक्ति इस अस्पताल से सम्बद्ध हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) एक।

(ख) और (ग) : कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के कार्यकरण की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दौरे किए जाते हैं। पिछले वर्ष के दौरान, सनत नगर स्थित क.रा.बी. अस्पताल का तीन बार निरीक्षण किया गया था। सनत नगर स्थित क.रा.बी. अस्पताल के कार्यकरण में खामियों/कमियों को दूर करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने हेतु राज्य सरकार के प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया था। आन्ध्र प्रदेश में क.रा.बी. अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से क.रा.बी. निगम ने सनत नगर स्थित क.रा.बी. अस्पताल के लिए सेमी ऑटो एनालाइजर सहित अनेक आधुनिक उपकरणों की मंजूरी प्रदान की है।

(घ) 1,68,487 बीमित व्यक्ति सनत नगर स्थित क.रा.बी. अस्पताल से सम्बद्ध हैं।

नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां

615. **श्रीमती श्यामा सिंह :**

श्री अधीर चौधारी :

श्री एम वी चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन–कौन से मामले लिए गए;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) नेपाल सरकार आई एस आई एजेंटों की गतिविधियों को और सीमाओं पर भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने में किस सीमा तक सफल रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) 4 से 7 जुलाई, 2000 तक काठमाण्डू में गृह सचिव–स्तर की बातचीत हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवादियों, अपराधियों तथा अन्य अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों को रोकने में सहयोग संवर्धन करने के साथ–साथ भारत–नेपाल सीमा पर इसी प्रकार की गतिविधियों को रोकने के तौर–तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच सहयोग तथा भारत–नेपाल सीमा के संशोधित प्रबंधन पर भी चर्चा हुई।

(घ) दोनों पक्षों ने उपायों को संयुक्त रूप से समन्वित करने के प्रयास किए हैं जिसमें भारत तथा नेपाल की सीमा से लगे जिलों पर सतर्कता बढ़ाना, आई.एस.आई. सहित भारत के हितों के विरोधी अभिकरणों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का प्रतिकार करना शामिल है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा अभिव्यक्त निश्चय से इस मामले से सम्बद्ध साझी चिन्ता सुस्पष्ट होती है। नेपाल सरकार ने अपनी ओर से आश्वासन दिया है कि भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए उनके क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा।

ठेके पर काम करने वाले श्रमिक

616. **श्री अनंत गुडे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने कर कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न संगठित उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया संबंधी नियमित कार्यों के लिए भी ठेका श्रम की प्रवृत्ति में अचानक आई बढ़ोत्तरी की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संगठित उद्योगों में ठेके पर काम कर रहे लोगों की अनुमानित संख्या क्या थी और इनमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या ठेका श्रमिकों के लिए बने श्रम कानूनों के खुले उल्लंघन के कारण इनकी दशा बहुत खराब हो रही है; और

(घ) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य बड़े और मंझोले भारतीय उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सरकार देश में ठेका श्रम की बढ़ती घटनाओं और ठेका श्रमिकों की बढ़ती संख्या एवं उनकी बिगड़ती स्थिति पर बहुत अधिक चिंतित है। ठेका श्रम (विनिमय और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड अपनी बैठकों में अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा करता हैं और उनकी सलाह पर सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई के लिए सम्यक विचार किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों 1997, 1998 और 1999 के दौरान अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंसों के दायरे में शामिल ठेका श्रमिकों की संख्या क्रमशः 5,88,678, 6,64,216 और 5,43,982 (अनंतिम) थी।

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रवर्तन करता है। अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित निरीक्षण अधिकारियों द्वारा समय–समय पर प्रतिष्ठानों का

निरीक्षण किया जाता है। और जब कभी अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के उल्लंघन की घटनाएं उनकी जानकारी में आती है, ऐसे प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सरकार की जानकारी में लाई गई विशिष्ट घटनाएं के.औ.सं.तं. के संबंधित प्राधिकारियों को समुचित कार्रवाई हेतु संदर्भित कर दी जाती हैं।

(घ) जी, नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

617. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में पूर्णकालिक निदेशक (सतर्कता) नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पद को कब तक भरें जाने की संभावना है;

(ग) इस विभाग में कितने अनुशासनिक मामले लंबित हैं और वे कब से लंबित हैं; और

(घ) उन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पूर्ण–कालिक निदेशक (सतर्कता) नहीं है क्योंकि यहां निदेशक (सतर्कता) का पद स्वीकृत ही नहीं है। तथापि वित्त मंत्रालय के परामर्श से निदेशक (सतर्कता) का पद सृजित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है। जैसे ही निदेशक (सतर्कता) का पद स्वीकृत होता है, इसे भरने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।

(ग) कितने अनुशासनात्मक संबंधी मामले कब से लम्बित पड़े है, इसका विवरण नीचे दिया गया हैं :–

(i) अनुशासनात्मक मामले

जिस वर्ष से लम्बित हैं	लम्बित अनुशासनात्मक मामलों की संख्या
1	2
1995	पांच (05)
1996	एक (01)
1997	शन्यू
1998	पांच (05)
1999	नौ (09)
2000	छः (06)
	कुल छब्बीस (26) मामले

(ii) सतर्कता संबंधी मामले

जिस वर्ष से लम्बित हैं	लम्बित सतर्कता संबंधी मामलों की संख्या
1993	तीन (3)
1994	शन्यू
1995	दो (2)
1996	तीन (3)
1997	छः (6)
1998	एक (1)
1999	आठ (8)
2000	दो (2)
	कुल पच्चीस (25) मामले

(घ) लंबित अुनशासनात्मक मामलों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है तथा जांच अधिकारियों को शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया जा रहा है।

महिला अधिकारी

618. **डॉ. वी. सरोजा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न संगठनों यौन–शोषण के मामलों की जांच करने के लिए विशेष महिला अधिकारियों को नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) विसाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायलय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में, सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और अखिल भारतीय नियोक्ताओं और कर्मचारी संगठनों से कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत समितियां गठित करने

के लिए कहा है जिनकी अध्यक्ष महिलाएं होंगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार उपर्युक्त अधिकांश संगठनों ने अपने यहां शिकायत समितियों का गठन कर लिया है।

योजना निधि का अन्यत्र उपयोग

619. श्री सुबोध मोहिते :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 वर्ष की दीर्घावधि भविष्यगामी योजना तैयार करने के लिए परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों के लिए मूलभूत योजनाएं तैयार करने का निदेश दिया है और राज्यों को वार्षिक योजना के लिए दी गई निधियों का अन्यत्र प्रयोग न होने देने का सुनिश्चित करने के लिए नई रणनीति अपनाई है;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों के इस क्या विचार हैं;

(ङ) क्या प्रत्येक राज्य सरकार से निधियों के संबंध में जवाबदेही मांगी जाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) राज्य सरकारों द्वारा निधियों को अवैध रूप से अन्यत्र उपयोग में लाए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने, देश के लिए एक विज़न 2020 तैयार करने हेतु डा. एस.पी. गुप्ता, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति ने विचार-विर्मश प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि, नियत योजना परिव्ययों तथा वास्तविक खर्चों के बीच अंतरालों को कम करने के उद्देश्य से, इन बातों पर विचार करते हुए योजना आकार को और अधिक यथार्थपरक ढंग से निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग मांगा गया है, (i) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में राज्य की योजना हेतु कुल वास्तविक संसाधन जुटाव के रुझान, तथा (ii) योजना वित्त पोषण हेतु उपलब्ध संसाधनों के यथार्थपरक अनुमान। वर्ष 2000-2001 हेतु वार्षिक योजना परिचर्चाएं, अभी तक उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तथा पंजाब एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए आयोजित की जा चुकी हैं तथा उनके योजना परिव्ययों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। चूंकि इन राज्यों ने वार्षिक योजना परिचर्चाओं के आयोजन के पूर्व ही, अपेक्षाकृत उच्च योजना आकार का बजट पहले ही बना लिया था, पहचान किए गए संसाधनों पर आधारित एक अधिक यथार्थपरक योजना आकार, जिस पर उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार अंतिम रूप से सहमति हो गई, को "कोर प्लान" नाम दिया गया है। उन राज्यों ने, जिनके साथ परिचर्चाएं हुई, इस दृष्टिकोण की सामान्य तौर पर सराहना की है।

(ङ) और (च) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकारों के खर्चों की नियमित रूप से लेखा-परीक्षा करते हैं, और निधियों के उपयोग में जवाबदेही लाने हेतु यही संवैधानिक तंत्र है।

(छ) जबकि सामान्य केन्द्रीय सहायता राज्यों को उनकी हकदारी के अनुसार, सामूहिक रूप से दी जाती है, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के मामले में अनुमोदित योजना परिव्यय उद्दिष्ट किए जाते हैं। राज्य उद्दिष्ट परिव्ययों को आयोग के पूर्व-अनुमोदन के बिना दूसरे कार्यों में नहीं लगा सकते। इसके अलावा, राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा योजना आयोग में वार्षिक योजना परिचर्चाओं के समय की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए हो जिनके लिए उन्हें दिया गया है, भारत सरकार के विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग भी उनसे संबंधित राज्य योजना स्कीमों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करते हैं।

[हिन्दी]

रावी नदी का मार्ग परिवर्तन

602. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान सरकार की रावी नदी का भारत की ओर मार्ग परिवर्तन करने सम्बंधी चाल की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में पंजाब सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां, केन्द्र सरकार को पाकिस्तान द्वारा किए गए ऐसे कुछ कार्यों की जानकारी है जिससे रावी नदी का प्रवाह भारत की ओर मुड़ सकता है। तथा उससे सीमावर्ती क्षेत्रों को खतरा पैदा हो सकता है।

(ख) और (ग) पंजाब सरकार इन प्रभावों को रोकने के लिए सतलज और रावी नदियों पर बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के लिए, विशेष सुधारात्मक कार्यों संबंधी समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करती रही है। यह समिति इन प्रस्तावों की जांच करती है तथा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों की सिफारिश करती है।

(घ) पंजाब राज्य द्वारा अपने स्वंय के संसाधनों से किए जा रहे प्रति–सुरक्षा कार्यों के अलावा, केन्द्र सरकार, समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रति–सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए पंजाब सरकार को विशेष ऋण तथा अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देने के साथ–साथ तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

भारत-चीन संबंध

621. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

श्री रामजीवन सिंह :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के साथ गए एक उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल ने भारत–चीन द्विपक्षीय सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों में सुधार लाने हेतु समझौता ज्ञापनों और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत–चीन सीमा विवाद को सुलझाने के संबंध में कोई निर्णय भी लिया गया है तथा इस दिशा में वार्ता शुरू किए जाने से अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) राष्ट्रपति ने 28 मई से 3 जून, 2000 तक चीन की राजकीय यात्रा की। चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा परस्पर हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसले शामिल थे। दोनों पक्ष विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक संवर्धित करने तथा लोगों के आपसी सम्पर्कों को और अधिक विकसित करने के लिए सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान कोई समझौता ज्ञापन/करार सम्पन्न नहीं हुआ।

(ग) भारत–चीन संयुक्त कार्यदल के ढांचे के अन्तर्गत सीमा संबंधी विवाद पर विचार–विर्मश किया जा रहा है। दोनों पक्षों ने वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सीमा संबंधी विवाद का उचित, तार्किक एवं परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। भारत–चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और चैन कायम करने संबंधी करार (1993) और भारत–चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों संबंधी करार (1996) भारत–चीन सीमा क्षेत्र में अमन और चैन कायम करने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में लघु उद्योगों को दिये जा रहे प्रोत्साहन

622. **श्री उत्तमराव पाटील** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष देश में विशेषकर महाराष्ट्र में लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता/प्रोत्साहन प्रदान किए हैं; और

(ख) कितने व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिला ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) राज्य में लघु उद्योग के विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वर्ष 1999–2000 के दौरान प्रोत्साहनों की पैकेज़ स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिले–वार दिए गए विशेष पूंजीगत प्रोत्साहन और बिना ब्याज के प्रतिभूति रहित ऋण सम्बन्धी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वर्ष 1999–2000 के दौरान महाराष्ट्र में सहायता प्राप्त 409 लघु उद्योग इकाइयों में 5863 लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में वर्ष 1999–2000 के दौरान प्रोत्साहनों की पैकेज़ स्कीम के अन्तर्गत जिले वार दिए गए विशेष पूंजीगत प्रोत्साहन और बिना ब्याज के प्रतिभूति रहित ऋण

क्षेत्र का नाम	क्रम सं. और जिले का नाम	विशेष पूंजीगत प्रोत्साहन (रुपये लाख में)	बिना ब्याज के प्रतिभूति सहित ऋण (रुपए)
1	2	3	4
क. कोंकण क्षेत्र	1. ठाणे	404.63	
	2. रायगढ़	5.06	—
	3. रत्नागिरी	130.92	
	4. सिंहदुर्ग	33.94	
ख नासिक क्षेत्र	1. नासिक	254.92	—
	2. धले	58.27	—
	3. जलगांव	144.91	
	4. अहमदनगर	173.98	
ग. पुर्णे क्षेत्र	1. पुर्णे	17.41	
	2. सतारा	46.20	21,776/–
	3. संगली	13.13	
	4. सोलापुर	54.45	5,770/–
	5. कोल्हापुर	263.78	
घ. औरंगाबाद क्षेत्र	1. औरंगाबाद	315.00	9,41,490/–
	2. जालना	51.44	
	3. परभानी	55.47	
	4. बीड़	95.28	59,200/–
	5. नांदेड	52.53	
	6. उस्मांनाबाद	141.49	
	7. लातूर	282.77	
ङ अमरावती क्षेत्र	1. बुलधाना	20.01	
	2. अकोला	87.24	1,92,574/–
	3. अमरावती	24.50	75,563/–
	4. यावटमाल	6.91	
च. नागपुर क्षेत्र	1. वर्धा	17.44	–
	2. नागपुर	247.25	–
	3. भंडारा	15.07	
	4. चन्द्रपुर	68.71	
	5. गढ़चिरोली	49.85	
	कुल	3132.56	12,96,873/–

क्षेत्रीय विकास निगम

विकास निगम	(रु. लाख में)	रुपये
कोंकण विकास निगम	152.59	12,50,000/–
वेस्टर्न विकास निगम	418.37	12,22,454/–
मराठवाड़ा विकास डेवलेपमेंट निगम	62.56	2,49,310/–
विदर्भ विकास निगम	183.92	9,81,863/–
कुल	817.44	37,03,627/–

[अनुवाद]

भारत-पाक वार्ता

623. श्री आर.एल. भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राजनैमिक मामलों के विदेश उप–मंत्री (अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट फॉर पोलिटिकल अफेयर्स) ने मई, 2000 के तीसरे सप्ताह में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं की रिहाई के परिप्रेक्ष्य में भारत–पाक वार्ता शुरू होने के संबंध में चर्चा की थी; और

(ग) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के संबंध में भारत द्वारा अपनाए गए रुख पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां। श्री थामस पिकरिंग, राजनीतिक मामलों के अमरीकी अन्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट विदेश कार्यालय परामर्श और विदेश सचिव के साथ एंशिया सुरक्षा संवाद के लिए 24–25 मई, 2000 तक नई दिल्ली की यात्रा पर आए। ये दोनों संस्थागत तंत्र मार्च, 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति क्लिंटन के बीच सहमत व्यापक संवाद संरचना के भाग हैं।

(ख) दोनों पक्षों ने एशिया में सुरक्षा माहौल तैयार करने सहित आपसी हित–चिन्ता के बहुत से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। दक्षिण एशिया में घटते हुए तनावों के संदर्भ में, अमरीकी पक्ष ने भारत–पाक वार्ता बहाली की उम्मीद जाहिर की है।

(ग) जैसा कि राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा स्पष्ट किया, अमरीकी पक्ष ने अपना दृष्टिकोण दोहराया, अर्थात् संयम का अनुरोध, नियंत्रण रेखा का सम्मान, हिंसा का परिहार और संचार की नवीकृत लाइनें। दोनों पक्षों ने भारत के सीमा–पार आतंकवाद की सतत समस्या पर भी चर्चा की। अमरीकी पक्ष ने भारत के दृष्टिकोण के प्रति सहमति व्यक्त की और कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आंतकवाद और जम्मू तथा कश्मीर में हिंसा के लिए अपने समर्थन को बन्द कर दिया जाना चाहिए तथा वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें संवाद हो सके।

लाइसेंस जारी किया जाना

624. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में कितनी कम्पनियों को विदेशों में रोजगार दिलाने के लाइसेंस प्रदान किए गए;

(ख) क्या कुछ कम्पनियों ने अनियमितताएं की है और कानून का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों में, महाराष्ट्र की 96 और दिल्ली की 79 एजेन्सियों सहित विदेशों में रोजगार दिलाने वाली 356 एजेन्सियों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिए गए थे।

(ख) से (घ) भर्ती एजेन्टों/विदेशी नियोजकों के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत प्रावधान की गयी धनराशि से अधिक सेवा प्रभार वसूल करने, प्रवासियों से धन ऐंठने किन्तु उन्हें वास्तव में विदेशी नियोजन हेतु न भेजने, कुछ कामगारों को रोजगार उपलब्ध न होने वाले देशों में भेज देने, कुछ मामलों में, विदेश में कामगार के पहुंचने पर नियोजन संबंधी शर्तों में हेर–फेर करने से संबंधित छुट–पुट शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, भारतीय मिशनों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित नियोजक के साथी मामले को उठाएं तथा कामगारों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करें। अनेक मामलों में, ऐसी समस्याओं का निवारण कर दिया जाता है। साथ ही विदेशी नियोजकों के पास तैनाती हेतु ऐसे कामगारों की भर्ती करने वाले भर्ती एजेन्टों को भी यह निर्देश दिया जाता है कि वे कामगारों की शिकायतों के निराकरण के लिए अपने प्रायोजकों से सम्पर्क करें। इन एजैन्टों द्वारा उत्प्रवास महासंरक्षी/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के निदेशों का पालन न करने पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र के निलम्बन/निरसन तथा बैंक गारंटी को जब्त करने की कार्रवाई की जाती है।

सुरक्षा परिषद के लिए भारत की उम्मीदवारी

625. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की मांग का समर्थन करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों पक्षों द्वारा लिस्बन शिखर सम्मेलन में दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) यह महत्त्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार तथा उसके पुनर्गठन के प्रश्न पर यूरोपीय संघ का एकमत नहीं है। लिस्बन में यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 28 जून, 2000 को संयुक्त प्रैस सम्मेलन में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री एंटोनियो गुटेरस ने कहा था कि पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति संवेदनशील है और वह इसके लिए उसका समर्थन प्राप्त करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

626. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आबंटित किए जाने वाले वार्षिक योजना परिव्यय के क्या मानदंड हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान को कुल कितना वार्षिक योजना परिव्यय आबंटित किया गया;

(ग) इस आबंटित धन का मदवार ब्यौरा क्या है और इसमें से चालू वर्ष के दौरान राजस्थान को सहायता/अनुदान के रूप में कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी;

(घ) राज्यों द्वारा योजनाओं के लिए अपने हिस्से के संसाधन जुटाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार राज्यों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से जुटाई धनराशि और उनके द्वारा किए गए योगदान पर भी विचार करती

(च) इस संबंध में योजना आयोग और वित्त आयोग का क्या निदेश है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) राज्यों को वार्षिक योजना परिव्यय, उनके स्वयं के वित्तीय संसाधनों तथा योजना वित्तपोषण हेतु राज्य सरकार को उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के आधार पर आबंटित किया जाता है। राज्य के स्वयं के वित्तीय संसाधनों में शामिल हैं; चालू राजस्वों से शेष (बी सी आर), राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों के योगदान (एसएलपीई), राज्य भविष्य निधियां, लघु बचतों के आधार पर लिए गए ऋण, एसएलआर आधारित बाजार उधार, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त पराक्रमित ऋण, विविध पूंजीगत प्राप्तियां (एम सी आर), बांड/ऋण पत्र तथा अथशेष। केन्द्रीय सहायता में क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन सी ए) तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) ओर विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई ए पी) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) शामिल है। जबकि सामान्य केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटन, राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) द्वारा दिसम्बर, 1991 में अनुमोदित गाडगिल फार्मूले पर आधारित होता है, क्षेत्र कार्यक्रमों तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटन राज्यों की क्षेत्रक/परियोजना आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

(ख) और (ग) नौवीं योजना की विस्तृत सूचना देने वाला विवरण संलग्न है। चालू वर्ष के दौरान, राजस्थान को सहायता/अनुदान के रुप में संभवतः आबंटित की जाने वाली राशि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) इसमें शामिल हैं, राज्य कर एवं गैर–कर राजस्व स्रोतों को बढ़ा कर इनका संशोधन, जन–उपयोगिताओं अर्थात, विद्युत, परिवहन आदि के टैरिफ में संशोधन, व्यय में मितव्ययिता तथा अन्य बीसीआर सुधार एवं वित्तीय संस्थानों से उधार लेकर निधियां जुटाना, एसएलआर आधारित बाजार उधार, राज्य भविष्य निधियां और लघु बचतों के आधार पर ऋण/केन्द्रीय करों के राज्य अंश तथा वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले विभिन्न योजना एवं गैर–योजना अनुदान भी योजना वित्त–पोषण हेतु राज्य के स्वयं के संसाधनों में शामिल होते हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा दिए गए व्यापक निदेश नौवीं योजना दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए हैं, तथा वित्त आयोग के निदेश वित्त आयोग की सम्बन्धित रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान क्षेत्रक–वार, परिव्यय – राजस्थान

क्षेत्रक	1997–98 परिव्यय	1998–99 परिव्यय	1999–2000 परिव्यय
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	316.98	364.31	336.69
ग्रामीण विकास	287.25	301.93	338.32
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	27.80	28.42	38.62
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	523.25	658.34	643.47
विद्युत	755.24	805.32	897.56
उद्योग एवं खनिज	224.22	250.47	195.88
परिवहन	323.32	506.80	617.83
वैज्ञानिक सेवाएं	6.95	6.80	4.22
सामाजिक सेवाएं	901.74	1225.37	1563.41
सामान्य आर्थिक सेवाएं	26.23	25.30	75.24
सामान्य सेवाएं	121.44	126.94	38.76
कुल जोड़	3514.42	4300.00	4750.00

[अनुवाद]

दूर संवेदी आंकड़े संबंधी नीति

627. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकन स्पेस इमेजिंग कंपनी ने आन्ध्र प्रदेश स्थित परमाणु और रक्षा प्रतिष्ठानों की तस्वीरें लेकर पेंटागन भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये देश में विनियामक दूर सवेंदी आंकड़ों के संबंध में नीति का ब्यौरा क्या हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) अमेरिकन स्पेस इमेजिंग कम्पनी का इकोनोस उपग्रह 1999 के उत्तरार्ध में प्रमोचन के समय से ही विश्व के विविध भागों के चित्र लेता रहा है। एक वाणिज्यिक उद्यम होने के कारण, संयुक्त राष्ट्र की मुक्त आकाश नीति के अंतर्गत बहुत से प्रयोक्ता स्पेस इमेजिंग से आंकड़े प्राप्त करते रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश स्थित कुछ भारतीय स्थलों को शामिल करते हुए विश्व के विभिन्न भागों में नाभिकीय और रक्षा प्रतिष्ठानों सहित विविध प्रतिष्ठानों के इकोनोस से प्राप्त उपग्रह चित्रों को अमेरिकी वैज्ञानिकों के परिसंघ (एफ.ए.एस.) ने अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित किया है।

(ख) भारत सरकार ने संवेदनशील पहलुओं को उचित रूप में ध्यान में रखकर देश के अन्दर उच्च विभेदन उपग्रह आंकड़ों की प्राप्ति, भंडारण एवं प्रकीर्णन को नियंत्रित करने हेतु एक नीति बनाई है। इस नीति के अनुसार, उच्च विभेदन उपग्रह आंकड़ों की प्राप्ति और आपूर्ति हेतु अन्तरिक्ष विभाग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी की नोडल एजेंसी के रूप में पहचान की है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आंकडों की संवेदनशीलता को उचित रूप में ध्यान में रखने के पश्चात् प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली आंकड़ों की आपूर्ति अन्तरिक्ष विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी द्वारा नियंत्रित की जाती है।

बंगलादेश से अवैध प्रवास

628. श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश ने अप्रैल, 2000 में हुई बैठक के दौरान अवैध प्रवास पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान अन्य किसी मुददों पर भी चर्चा की गई;

(ग) उक्त चर्चा का क्या परिणाम निकला; और

(घ) बंगलादेश से भारत में अवैध प्रवास को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत–बंगलादेश गृह–सचिव स्तर की चौथी वार्ता अप्रैल, 2000 में नई दिल्ली में हुई। चर्चा में सीमा प्रबंधन से संबंधित अन्य बातों के साथ–साथ अवैध सीमा–पार गतिवधियां, सुरक्षा से संबंधित मसलों, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी और औरतों एवं बच्चों के गैरकानूनी व्यापार, सीमा से संबंधित मामलों और वीजा व्यवस्थाओं इत्यादि सहित अन्य सीमा–पार अपराधों जैसे विभिन्न मसलों को शामिल किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों की रोकथाम के लिए एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करने के अपने संकल्प को दोहराया।

(घ) भारत की सरकार बंगलादेश की सरकार के साथ राजनैतिक और राजनयिक स्तरों पर नियमित रूप से अवैध प्रवासियों के मसले को उठा रही है। दोनों पक्षों ने इस संबंध में पूर्व में सहमत प्रक्रियाओं का अनुसरण करने पर सहमति जतायी है। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आंतरिक स्तर पर भी अनेक कदम उठाये हैं। इनमें सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त बटालियनों का गठन, सीमा चौकियों के बीच अन्तराल में कमी, भूक्षेत्र और नदी सीमा दोनों पर गश्त में तेजी लाना तथा सीमा सड़कों का निर्माण और चारदीवारी करना शामिल हैं।

काठमांडू विमानपत्तन पर सुरक्षा संबंधी त्रुटियां

629. श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के काठमांडू विमानपत्तन पर अभी भी सुरक्षा संबंधी त्रुटियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मुद्दे को नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) हाल की विमान अपहरण की दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए काठमांडू में त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा एवं आप्रवासन नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए नेपाल के प्राधिकारियों के साथ विचार–विर्मश किया गया है। नेपाल के महाराजाधिराज की सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किए हैं। अपने विमान, यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंडियन एयर लाइन्स द्वारा अपेक्षित कतिपय अतिरिक्त उपायों को भी ध्यान में रखा गया है। हमारे विशेषज्ञों ने नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन किया है और वे इस बात से संतुष्ट हैं कि इन उपायों से हमारे एयर लाइन्स की आवश्यकताओं को पूर्ति हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन एअर लाइन्स ने 1 जून, 2000 से नेपाल के लिए अपनी उड़ानें पुनः शुरू कर दी हैं। पुख्ता प्रबंधों की सतत् आधार पर निरन्तर समीक्षा की जाती रहेगी।

कश्मीर के बारे में जेन रिपोर्ट

630. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जेन इंटेलिजेन्स डाइजेस्ट रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अमरीका कश्मीर मामले को हल करने के लिए भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के उग्रवादियों को बातचीत करने के लिए बुलाने हेतु गहरी गुप्त कूटनीति का प्रयोग कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां। सरकार को प्रश्न में वर्णित रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) सरकार विदेशी निजी मीडिया में आयी अटकलबाजी पर आधारित रिपोर्टों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। इस रिपोर्ट से संबंधित एक प्रश्न के प्रत्युत्तर में 7 जुलाई को अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता ने कहा, "मैनें इन रिपोर्टों को देखा है और मैं जानता हूं कि हम ऐसा करने वालों में से नहीं हैं और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है ..... अमरीका ने कश्मीर के संबंध में अपनी नीति नहीं बदली है। हम अपने आप को मध्यस्थ के रूप में नहीं देखते हैं।"

(ग) और (घ) अमरीकी सरकार की सरकार के इस दृष्टिकोण की जानकारी है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।

नारियल विकास बोर्ड

631. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल विकास बोर्ड को सक्रिय बनाने हेत अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारियल विकास बोर्ड ने देश में गैर–नारियल उत्पादक क्षेत्रों में कोमल नारियलों की बिक्री हेतु कोई विपणन अध्ययन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ड) क्या सरकार का विचार नारियल उत्पादन किसानों के लाभ हेतु नीवन विपणन योजनाओं को शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देशय हेतु उपलब्ध धनराशि कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। नारियल विकास बोर्ड ने दिल्ली मुम्बई, कलकत्ता, चैन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, अगरतला आदि जैसे प्रमुख केंद्रों में नारियल पानी की शीतल पेय के रूप में विपणन संभावना की पुष्टि करने के लिए एक उपभोक्ता स्वीकार्यता अध्ययन कराया है। अध्ययन से पता चलता है कि इस उत्पाद की विपणन संभावनाएं काफी अच्छी है।

(ड) और (च) नारियल विकास बोर्ड ने नौंवी योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु नई विपणन स्कीमें तैयार की हैं, जिनमें वित्तीय सहायता देकर खोपरा सुखाने वाली आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना आवश्यकतानुसार घरेलू तथा विदेशी विपणन को बढ़ावा देना, विपणन अनुसंधान अध्ययन तथा नारियल तथा इसके उत्पादों संबंधी विश्वसनीय मंडी आसूचना का प्रचार–प्रसार शामिल है।

नौवीं योजनावधि के दौरान विपणन संवर्द्धन गतिविधियों हेतु 107.82 लाख रु. की धनराशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 45.00 लाख रु. वर्ष 2000–2001 की वार्षिक योजना हेतु आबंटित किए गए है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

जून, 1997 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 85वें अधिवेशन में स्वीकृत किए गए निजी रोजगार एजेंसियों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कंवैंशन संख्या 181 और सिफारिश संख्या 188 के संबंध में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2061/2000]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(1) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा–शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2000 जो 6 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2062/2000]

(2) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा–शर्तें) संशोधन नियम, 2000 जो 5 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 587(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2063/2000]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं श्री संतोष कुमार गंगवार की तरफ से दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रख रहा हूं।

दसवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या सैंतीस दूसरा सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2064/2000]

(2) विवरण संख्या उनतालीस चौथा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2065/2000]

(3) विवरण संख्या अड़तीस छठा सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2066/2000]

(4) विवरण संख्या तैंतीस आठवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2067/2000]

(5) विवरण संख्या तीस नौवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2068/2000]

(6) विवरण संख्या अट्ठाईस ग्यारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2069/2000]

(7) विवरण संख्या चौबीस बारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2070/2000]

(8) विवरण संख्या चौबीस तेरहवां सत्र, 1995
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2071/2000]

(9) विवरण संख्या बाईस चौदहवां सत्र, 1995
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2072/2000]

(10) विवरण संख्या अट्ठारह पन्द्रहवां सत्र, 1995
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2073/2000]

ग्यारहवीं लोक सभा

(11) विवरण संख्या सत्रह दूसरा सत्र, 1996
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2074/2000]

(12) विवरण संख्या पन्द्रह तीसरा सत्र, 1996
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2075/2000]

(13) विवरण संख्या पन्द्रह चौथा सत्र, 1997
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2076/2000]

(14) विवरण संख्या तेरह पांचवां सत्र, 1997
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2077/2000]

(15) विवरण संख्या बारह छठा सत्र, 1997
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2078/2000]

बारहवीं लोक सभा

(16) विवरण संख्या ग्यारह दूसरा सत्र, 1998
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2079/2000]

(17) विवरण संख्या आठ तीसरा सत्र, 1998
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2080/2000]

(18) विवरण संख्या सात चौथा सत्र, 1999
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2081/2000]

तेरहवीं लोक सभा

(19) विवरण संख्या चार दूसरा सत्र, 1999
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2082/2000]

(20) विवरण संख्या तीन तीसरा सत्र, 2000
[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2083/2000]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2000 जो 8 अप्रैल, 2000 के भारत ... में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129 में प्रकाशित हुए थे, की (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रख रहा हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2084/2000]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) मुझे राज्य सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज 24 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक 1999 पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निम्न प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

"कि पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का समय राज्य सभा के 191 वें सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाए"।

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा दिनांक 24 जुलाई 2000 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.01½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति की दसवीं रिपोर्ट सभा-पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

गृह कार्य मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति

बासठवां और तिरसठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रख रहा हूं :

(1) उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन विधेयक, 1994 का बासठवां प्रतिवेदन, और

(2) दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन विधेयक, 1994 का तिरेसठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य नियम 254 के उपनियम (3) के अन्तर्गत लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से एक सदस्य को श्री राजेश पायलट के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए इसके सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य नियम 254 के उप–नियम (3) के अन्तर्गत लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप–नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से एक सदस्य को श्री राजेश पायलट के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए इसके सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए इस समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त हुए श्री वायालार रवि के स्थान पर नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए इस समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त हुए श्री वायालार रवि के स्थान पर नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में शून्य काल चलेगा। मैं बारी–बारी से बुलाऊंगी।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : मैंने बहुत महत्त्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है। भारतीय खाद्य निगम ने अब आन्ध्र प्रदेश से लेवी वाला चावल न खरीदने का आदेश पास कर दिया है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में स्थगन प्रस्ताव है श्री कृष्णदास, आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को अभी नहीं, बाद में उठा सकते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी.जोस (त्रिचूर) : हमने नारियल उत्पादन से संबंधित मामला उठाने के लिए सूचना दे रखी है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, मैंने आपका नोटिस पढ़ा है। यह मेरे विचाराधीन है। बाद में, आप वह मामला उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप द्वारा दी गई सूचना की विषय सूची पढ़ी है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वह अभी नहीं, बाद में कह सकते हैं। मैं आपको बाद में उसके लिए अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस समय, आप कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह मामला मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, मुझे बोलने दीजिए....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने नोटिस को भी पढ़ा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में शून्य काल चलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज मुझे 56 नोटिस मिले हैं। यदि आप अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करेंगे तो सभी नोटिसों पर विचार हो सकेगा। अन्यथा सभी नोटिसों पर शून्य काल में विचार करना अत्यन्त कठिन होगा। अनेकों माननीय सदस्य शून्य काल में मामला उठाने के लिए नोटिस देते रहते हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है यह अत्यन्त दुःखद है। कृपया इस बात को समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ रहे हैं कि नहीं ? मैं बोल रहा हूं। श्री थामस, कृपया बैठ जाएं। सभा में मुद्दे उठाने का यह उचित तरीका नहीं है। आज मुझे सभी नोटिसों को लेना है। 56 नोटिस मिले हैं। यदि मेरे साथ सहयोग करेंगे तो यह संभव हो सकेगा अन्यथा यह न्त कठिन होगा।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : हम सभी ने नोटिस दे रखा है कि ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, आपने कोकोनट मामले से संबंधित नोटिस दे रखा है। मैंने आपका नोटिस पढ़ा है। सबसे पहले, आपको सभा के प्रक्रियागत नियमों को समझना चाहिए। इस नोटिस पर मैं विचार कर रहा हूं। इस स्थिति में, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कृपया यह बात समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, मैंने श्री दासमुंशी को बुलाया है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सम्मानीय सदन मुख्यतः सत्ता पक्ष का ध्यान ....*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा मेरे, नोटिस पर विचार किए जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, कल भारतीय युवा कांग्रेस, ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल समुन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, जो नोटिस दिया जाता है क्या उसकी कोई प्रायोरिटी होती है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है मैंने श्री दासमुंशी को बुलाया है कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय कल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा, भारतीय युवा कांग्रेस जिसका कि 5 वर्षों तक अध्यक्ष रहने का मुझे गौरव प्राप्त है; के सदस्य तीन मूलभूत मुद्दों पर विरोध जताने के लिए सीमावर्ती राज्यों से राजधानी आये थे। पिछले 6 माह से ये मुद्दे उन्हें रोज परेशान करते रहे हैं ये मुद्दे धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषायीय अल्पसंख्यक और दलितों पर अत्याचार से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : राजस्थान में इनकी सरकार है वहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं...*(व्यवधान)* वे यह नहीं देख रहे हैं। राजस्थान में मालपुरा में भयंकर दंगा हुआ और हत्याकांड हुआ, यह स्वंय देखकर आये हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी एक बार अवसर दूंगा। आप इसका प्रतिवाद उसी समय कर सकते हैं, इस समय नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वे यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को ज्ञापन देने आए थे। जैसा कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने सूचना दी है कि हजारों की संख्या में आए हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्णतः शान्तिपूर्ण थे और वे प्रधानमंत्री को गरीबी निवारण के कार्यक्रमों की कमियों पर ध्यान दिलाने के लिए ज्ञापन देना चाहते थे। इन कार्यक्रमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भारी कटौती के कारण, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। जहां तक युवाओं से संबंधित कार्यक्रम का प्रश्न है, नौवीं पंचवर्षीय योजना या नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन में, किसी राष्ट्रीय युवा नीति में उनके लिए रोजगार के अवसरों के सृजन का संकेत नहीं दिया गया है। अपनी इन सभी मांगों के साथ वे प्रजातांत्रिक तरीके तथा शांतिपूर्ण ढंग से

राजधानी आए। लेकिन बिना किसी चेतावनी के, जैसा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों के साथ हुआ था, पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया और एक–एक को मारा। कृपया आप इन फोटों में देखें, पुलिस ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वे एक व्यक्ति को सिर पर मार रहे थे, तो दो व्यक्तियों ने चिल्लाना शुरू किया, उसके बावजूद पुलिस उस व्यक्ति को सड़क पर खींच लाई और उसको रौंदती हुई चली गई।

इसलिए, मैं मांग करता हूं कि गृहमंत्री सभा में इस पर वक्तव्य दें कि पुलिस युवा व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। जब आम मुद्दों पर ज्ञापन देने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से कोई जुलूस निकाला जाता है और गृह मंत्रालय की पुलिस इस तरह का वर्ताव करती है फिर भी सरकार चुप बैठे रहती है तो मैं आपको बता रहा हूं कि राजधानी मे शांति की कोई गारंटी नहीं हो सकती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के मुद्दे पर गृह मंत्री चुप बैठे हुए हैं। पूरे देश में दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर गृह मंत्रालय चुप बैठा हुआ है और जब युवा इसके खिलाफ विरोध जताने के लिए आते हैं तो क्या उनके साथ इसी प्रकार का वर्ताव किया जाना चाहिए ? इसलिए, हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस पर अनिवार्यतः वक्तव्य दें तथा सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ अविलम्ब अपराध का मामला दर्ज करें। महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा है, यह सब होने के बावजूद, गृह मंत्रालय का कोई भी मंत्री – न तो राज्य मंत्री न ही कैबिनेट मंत्री – इस सभा में उपस्थित है। अतः मैं यह कहना चाहूंगा जब तक कि गृह मंत्री दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज को सुनिश्चित करने का वक्तव्य नहीं देते और सब कुछ इसी तरह होता रहा तो हम लोग इस सभा के कार्य में सहयोग नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आपकी सरकार के समय में जब हम प्रदर्शन करते थे तो क्या हम नहीं पिटे...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद कोकोनट वाला मामला लेंगे।

(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हालत की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से राजस्थान में दलितों पर, महिलाओं पर और कमजोर वर्गों पर हत्या की, बलात्कार और मारपीट की 1200 से ज्यादा घटनाएं थानों में रजिस्टर हुई हैं। मैं स्वयं अजमेर का रहने वाला हूं। अजमेर दो दिन बंद रहा। एन.एस.यू.आई. का छात्र नेता जो अनुसूचित जाति का था, वह धर्मेन्द्र राजवंशी नाम का छात्र पुलिस की कस्टडी में मौत के घाट उतारा गया। जब हमने केन्द्र सरकार को कहा तो सीबीआई से उसकी जांच के आदेश हुए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत की बात के अलावा कुछ भी सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : इसी प्रकार से सीकर में चार हरिजनों की हत्या अभी चार दिन पहले हुई है। अलवर के अंदर एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई। चार आदमियों ने बलात्कार किया और पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी। उसके बाद जब लोग पहुंचे और जनता ने धरना दिया तब थाने में रिपोर्ट लिखी गई। हरिजनों के साथ, दलितों के साथ सामाजिक दुर्व्यवहार की शिकायतें बढ़ रही हैं। मालपुरा नाम का स्थान है जहां सोनिया जी जाकर आई हैं। सोनिया जी स्वयं जानती हैं कि वहां पर निर्दोषों की हत्या की गई है। लगभग छः आदमी मौत के घाट उतारे गए। आठ निर्दोष लोग जो एक बारात में जा रहे थे, पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे थे, गुण्डों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए दलितों और महिलाओं के कल्याण के लिए उचित प्रबंध किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, आपने शून्य काल के लिए नोटिस दे रखा है। इसीलिए मैं आपको बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। तभी हम शून्य काल में कार्य जारी रख सकेंगे। मैंने श्री कृष्णदास को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि वे आएं और वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की तरफ से कुछ कहा जाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बात समझें। सम्पूर्ण भारत के लोग सभा की कार्यवाही देख रहे हैं। यह क्या है ?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। यह क्या है ? हां, अब, श्री कृष्णदास।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, आप अपने सदन के सदस्यों को अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाने को कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कहने का यह उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ कहना है ?

(व्यवधान)

सुदीप **बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)** : अध्यक्ष महोदय, यह मामला श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उठाया है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : यह तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अप्रजातांत्रिक कार्रवाई की गई हैं। हमने नोटिस दे रखा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : जो लोग पहले नोटिस देते हैं, उनको आप क्या प्रयॉरिटी देते हैं ?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है। यह सब क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है ? यह शून्य काल में रोज का तमाशा बन गया है। इससे एक गलत परम्परा पड़ रही है।

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, यह एक अत्यन्त संवेदनशील मामला है। ....*(व्यवधान)* शांतिपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की गई। ....*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गृह मंत्री से बात करके हमें उत्तर देवें।

श्री राशिद अलवी : हमने नोटिस दे रखा है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिन्धिया : इसके विषय में उनका क्या करने का इरादा है ? इसके बाद हम देखेंगे कि हमें उनके द्वारा जवाब में की गई कार्रवाई पर कैसे कदम उठाने हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से विचार–विमर्श करूंगा और मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री कृष्णदास ने नोटिस दिया है, इसलिए मैनें उन्हें बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इनके बाद समय मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत जी, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपको पहले ही बोलने का समय दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, मुझे एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना है। भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश से खाद्यान्नों को नहीं खरीदता है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। पहले श्री कृष्णदास को बोलने दीजिए। मेरे पास सारे नोटिस हैं।

(व्यवधान)

श्री एन.एन.कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, देश में नारियल उत्पादक गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नारियल और नारियल उत्पादों के मूल्य में अत्यधिक कमी हुई है। ....*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इससे समूचे देश में साधारण नारियल उत्पादकों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक साल पहले, केरल में नारियल का मूल्य लगभग 6 रुपए से लेकर 7 रुपए तक था। मूल्य के इस प्रकार की गिरावट केरल में नारियल उत्पादकों का जीवन प्रभावति कर रही है अब यह 1.50 रुपए हो गया है। यह बड़ा ही गंभीर मामला है मूल्य में कमी का प्रमुख कारण भारत सरकार की उदारीकृत आयात नीति है, जो देश में जारी है। अब नारियल और पॉम तेल जैसे नारियल उत्पाद समूचे देश में बड़ी मात्रा में आयात किए जा रहे हैं। इससे समूचे देश में नारियल उत्पादकों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है।

महोदय, एक वर्ष पूर्व देश के सभी दक्षिणवर्त्ती राज्यों में नारियल की फसलों को कीड़ा लग गया था। उस समय, हमने इस मामले को इस सभा में उठाया था और हमने संबंधित मंत्री से इस पर चर्चा की थी। केरल सरकार के संबंधित मंत्री भी यहां आए थे और उन्होंने कृषि मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा की थी। परन्तु कीड़ा लगने की इस समस्या से निपटने के लिए केरल सरकार को एक रुपया भी नहीं दिया गया। नारियल के मूल्यों में अत्याधिक गिरावट बहुत गंभीर समस्या पैदा कर रही है।

भारत सरकार द्वारा नारियल के समर्थन मूल्य की घोषणा की गई, परन्तु यह अपर्याप्त था और मूल्य की घोषणा किए जाने में भी विलंब किया गया था। अतः केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों के एक भी किसान के लिए यह लाभप्रद नहीं था। ....*(व्यवधान)* अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम कुछ अवधि के लिए नारियल एवं नारियल उत्पादों के आयात पर रोक लगाई जाए। अन्यथा, सम्पूर्ण देश के नारियल उत्पादकों का जीवनयापन करना मुश्किल है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी विषय पर प्रो. ए. के. प्रमोजम, श्री सुरेश कुरूप, श्री टी. गोविन्दन, श्री रमेश चेन्नितला, श्री राधाकृष्णन्, श्री जी.एम. बनातवाला, श्री पी.एम. सुधीरन, श्री ए. सी. जोस एवं श्री ई. अहमद भी इस मुद्दे पर श्री कृष्णदास का समर्थन करते हैं। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल हमने कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया था कि किसी एक विषय पर एक सदस्य बोल सकता है और अन्य सदस्य उसका समर्थन कर सकते हैं। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा क्योंकि मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। यदि आपकी कोई शंकाएं है, तो मंत्री महोदय के जवाब के बाद उनसे पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कैसा बर्ताव है ? आप मंत्री जी को जवाब नहीं देने दे रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। अब मंत्री महोदय बोलेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. थामस, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आप उनको जवाब देने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा कही गई बातों के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सहमत हूं। नारियल उत्पादकों को कुछ कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। नारियल का मूल्य तेजी से गिरा है। सरकार ने पामोलिन पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। जहां तक हमारे मंत्रालय का संबंध है ....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस. : यह किया जाना चाहिए ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस जी, यह क्या हो रहा है ?

श्री नीतीश कुमार : जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, मैनें आयात शुल्क में और वृद्धि किए जाने की सिफारिश की है जिससे हमारे उत्पादकों को सहायता मिल सके। जहां तक खरीद का संबंध है, आप जानते हैं कि सरकार की मौजूदा नीति नारियल एवं गोले की खरीद की वर्तमान नीति है। ....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी.थामस (मुवत्तुपुजा) : अभी यह नहीं किया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह क्या हो रहा है ?

श्री नीतीश कुमार : खरीद का कार्य नाफेड के माध्यम से किया जाता है, जो केन्द्र सरकार का एक निर्दिष्ट अभिकरण है। वे नारियल और गोले की खरीद कर रहे हैं। मैने सुना था कि उसमें कुछ शिकायतें थीं और उन्होनें खरीद नहीं की। मैंने इस मामले पर तत्काल नाफेड अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। केरल में दो, तीन दिनों तक भंडारण की समस्या थी। उसका समाधान कर दिया गया था। मैने उनसे कहा कि वे खरीद को एक भी दिन के लिए न रोकें। अब उन्होंने खरीद आरंभ कर दी है।

दूसरी समस्या कीड़ा लगने से संबंधित है। जहां तक इस समस्या का संबंध है....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मंवेलीकारा) : मुख्य मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में है। ....*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : वे चाहते हैं कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करें। ....*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद मूल्यों से काफी कम है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : यह घोषित मूल्य है। ....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : यह बिल्कुल ही अपर्याप्त है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं। यह क्या हो रहा है ?

श्री नीतिश कुमार : वस्तुतः किसान नारियल की फसल लगाते हैं। सामान्यतया वे इसे संसाधित करने एवं इस सुखाने की स्थिति में नहीं होते। व्यापारी उनसे नारियल खरीदते है और वे यह सारे कार्य करते हैं। अतंतः इन व्यापारियों के माध्यम से खरीद की जाती है।... *(व्यवधान)* कुछ किसान संसाधन भी करते हैं और उन्हें भी लाभ प्राप्त होता है। यह एक स्थापित प्रक्रिया है।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

श्री नीतीश कुमार : केरल के कृषि मंत्री आए थे और मुझसे मिले थे। उन्होंने प्रस्ताव किया कि सरकार को विचार करना चाहिए .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, आपको माननीय मंत्री महोदय को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है ? आप मंत्री जी को उत्तर में व्यवधान डाल बाधित कर रहे हैं।

नीश कुमार : मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूं। कृपया मेरी *(व्यवधान)* केरल के कृषि मंत्री यहां आकर मुझसे मिले थे। उन्होंने सलाह दी थी कि कोपडा और गोले को प्राप्त करने के बजाय नारियल को प्राप्त किया जाना चाहिए।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारियल को प्राप्त करने में अनेक समस्याएं हैं। लाने ले जाने की समस्या तो है ही, भंडारण की भी समस्या है। नाफेड, जो एक निदिष्ट अभिकरण है, के पास भी संसाधन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पर नए सिरे से नीति निणय लेना होगा। मुझे बताया गया है कि माननीय सदस्यगण माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने जा रहे हैं और वे इन बातों पर उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। .... *(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : हम आपसे भी मिलने वाले हैं।.... *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मैं नारियल उत्पादकों की किसी भी सीमा तक सहायता करने का इच्छुक हूं। परसों, मै नारियल पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने चेन्नई गया था। मैने अपने विचार वहां व्यक्त किए। मैनें इन बातों पर कई लोगों के साथ चर्चा की थी। मैं आपके विचारों का समर्थन करने का इच्छुक हूं। मै नारियल उत्पादकों की सहायता करने का इच्छुक हूं। मैं उनकी समस्याओं से अवगत हूं।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उचित तरीका नहीं है। यह क्या हो रहा है ? मंत्री जी आपके विचारों का समर्थन कर रहे हैं और तब भी आप उन्हें जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है माननीय मंत्री महोदय ने इस मुद्दे पर बड़ा ही सख्त रवैया अपनाया है।

उनका कहना है कि जहां तक उनके मंत्रालय का संबंध है, उसने आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने की सिफारिश की है। आप एक केबिनेट मंत्री है। आप वहां के लोगों के कष्टों को देखिए। जब आपने इसे कर ही दिया है तो इसको शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की ओर ध्यान दें जब तक सिफारिश मानी नहीं जाती और इसे कार्यान्वित नहीं किया जाता, सिर्फ सिफारिश करना बेकार है। अतएव, नीतीश कुमार जी, यह देखना आपका कर्त्तव्य है। चूंकि आप फिर वापस आ गए हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। कम से कम आप लोगो के लिए कुछ करें। सिर्फ यह कहना कि आपने अपना कर्त्तव्य निभा दिया है, आपके मंत्रालय ने अपना काम कर दिया, बेकार ही है।.... *(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थांमस : मैं एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : और स्पष्टीकरण नहीं है कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइए, अब प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु बोलेगें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में चावल आन्दोलन धीमा पड़ता जा रहा है बल्कि यह ठप्प ही हो गया है। हमें इसके कारण मालूम नहीं है। जहां तक चावलों का संबंध है, तो आन्ध्र प्रदेश से भारतीय खाद्य निगम ने इनकी खरीद बंद कर दी है। इस बारे में भारतीय खाद्य निगम दो कारण बता रहा है, कि आन्ध्र प्रदेश में चावल खरीद लक्ष्य से अधिक की गई है और उसके पास गोदामों की कमी है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल चल रहा है, मैं मंत्रीजी को और सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आप जो कुछ भी मंत्रीजी से पूछेंगे वे उसका उत्तर देगें, यह क्या हो रहा है ?

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : सामान्यतः वे 46 लाख टन चावल की खरीद करते हैं। भारतीय खाद्य निगम ने 51 लाख टन चावलों की खरीद की। इस वर्ष वहां धान की अच्छी पैदावार हुई है .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, दक्षिणी राज्यों में यह एक गम्भीर समस्या है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, आप मुझे ही बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप बहुत चिल्ला रहे हैं, यह क्या है ?

श्री पी.सी. थामस : मै तो केवल सुझाव दे रहा था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने स्थान पर बैठिए, मै भी मंत्री जी से पूछे रहा हूं, कृपया अपने स्थान पर बैठिए, यह क्या हो रहा है।

श्री पी.सी. थामस : ....*(व्यवधान)* मैं बैठक की मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं भी मंत्रीजी से पूछ रहा हूं। आप अनावश्यक हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

मंत्रीजी, दक्षिणी राज्यों में यह गम्भीर समस्या है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी इस समस्या से ग्रस्त है। आप विशेष तौर पर कुछ चुने हुए सदस्यों की बैठक बुला सकते हैं और इस मुद्दे का समाधान कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : मैं ऐसा ही करने का इच्छुक हूं।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह सहमत हो गए है।

श्री नीतीश कुमार : मैं नारियल उत्पादन करने वाले सभी क्षेत्रों के सदस्यों को आमंत्रित करूंगा....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री नीतीश कुमार : मेरा सुझाव है कि बैठक आपके चैम्बर में आयोजित की जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी सुविधानुसार ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, भारतीय खाद्यान्न निगम ने आन्ध्र प्रदेश में खरीद अभियान रोक दिया है चावल की खरीद के संबंध में भारतीय खाद्य निगम ने दो समस्याओं का जिक्र किया है। निगम का कहना है कि इसने अपने सामान्य लक्ष्य 46 लाख टन से अधिक की खरीद कर ली है, इसने 51 लाख टन चावल की खरीद कर ली है। लेकिन निगम ने वादा किया था कि वह 56 लाख टन तक चावल खरीदेगा। 51 लाख टन की खरीद के बाद निगम ने और चावल नहीं खरीद रहा है। समस्या काफी बढ़ गई है, अन्ततः आन्ध्र प्रदेश में धान और चावल अभियान ठप्प पड़ गया है। अभी वहां किसानों और मिलमालिकों के पास 35 लाख टन धान और चावल पड़ा हुआ है। जब तक इसका निपटान नहीं हो जाता तब तक वर्तमान खरीद की फसल के लिए कृषि निवेश कर पाना दुष्कर काम है। इसलिए इस विषेश स्थिति की गम्भीरता को भांपते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्तमान प्रतिबधों में रियायत कर दी है।

अन्य राज्यों के लिए चावल निर्यात करने के लिए सरकार ने परमिट जारी किए हैं। दुर्भाग्यवश, केरल जैसे पडोसी राज्यों में भी धान अभियान जो कि पारबोइल्ड चावल से संबंधित है वह भी जैसा कि आन्ध्र प्रदेश को आशा थी ठीक नहीं रहा है, इसलिए जब तक और 10 लाख टन चावलों की खरीद भारतीय खाद्य निगम नहीं कर लेता तब तक आन्ध्र प्रदेश में किसानों की दशा में सुधार नहीं हो सकता है।

दूसरा पहलू यह है कि भारतीय खाद्य निगम का कहना है कि उसके पास भण्डारण सुविधाओं का अभाव है, इसलिए यदि भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदाम पूरे भरे हैं तो वह सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन आंफ इन्डिया के गोदामों या कृषि विपणन समितियों के गोदामों का उपयोग भी कर सकता है। वहां प्रचुर मात्रा में भन्डारण सुविधाएं उपलब्ध हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य की सरकार भारतीय खाद्य निगम को गोदाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आगे आ रही है। वह इन्हें भारतीय खाद्य निगम को भी सौंप सकती है....*(व्यवधान)*

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कम से कम 10 लाख टन चावलों की खरीद करके किसानों और चावल मिल मालिकों की तत्काल सहायता करे। भारतीय खाद्य निगम ने आगे की खरीद बंद कर दी है और जहां तक आन्ध्र प्रदेश के किसानों का संबंध है, वे चाहते हैं कि निगम को अधिक से अधिक चावलों की खरीद करनी चाहिए.. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी विषय पर श्री जयपाल रेड्डी, श्री चारी, श्री के. येरननायडू और श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी ने भी नोटिस दिया है। आप सब उनके साथ संबद्ध हो सकते हैं....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : इससे पहले कभी भी भारतीय खाद्य निगम ने लेवी–चावलों की खरीद नहीं रोकी, यह भयावह समस्या है, किसान दुःखद परिस्थितियों में हैं। मिल मालिकों के पास 30 लाख टन चावल पड़ा हुआ है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पहले ही बता दिया है।

श्री के. येरननायडू : कोपरा के बारे में मंत्री जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, संसदीय कार्य मंत्री को भी कुछ जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह मामला संसदीय कार्य

मंत्री से संबंधित है।

श्री येरननायडू : इसका संबंध किससे है ? यह राज्य का मामला है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय किया गया था कि शून्य काल में मुख्य मुद्दा उठाने वाले को बोलने की अनुमति दी जाएगी और बाकी के सदस्यों को उससे सम्बद्ध होने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्यथा यह चर्चा का रूप ले लेगा और अन्य लोगों को अपने मुद्दे रखने का मौका नहीं मिल पाएगा।

श्री के. येरननायडू : हम मंत्री जी से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ कहा गया मैंने उसे गौर से सुना। मैं इस मुद्दे पर संबंधित मंत्री से बात

स. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : मैं मिरयालगुडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। आन्ध्र प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मिरयालगुडा से उठाया जाना है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह समस्या भयानक और बड़े पैमाने पर है।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम ने खरीद को रोकने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, मंत्री जी को यह निदेश दिया ही जाना चाहिए कि वह आज इस पर वक्तव्य दें। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है लेकिन भारत सरकार अभी भी चुप है। हम इस संबंध में काफी हताश हैं और यह पक्षपात करने वाला मुद्दा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो नोटिस दिये हैं, उनका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राशिद अलवी को बुलाया है।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : मैं सरकार की तवज्जह देश के एक बहुत इम्पोर्टेंट मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक–एक करके सबको बोलने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

राशिद अलवी : पिछले कई महीनों से मैच फिक्सिंग इस देश के अखबारों के पहले सफे पर छपता रहा है। अभी सरकार ने बहुत सारे क्रिकेटर्स पर इन्कम टैक्स और सी.बी.आई. ने मिलकर रेड्स किये हैं।

हैरतअंगेज हद तक सौ–सौ करोड़ रुपए की एफ.डी. उनके घरों से बरामद हुई हैं। इस देश की नई जैनरेशन की सेंटीमेंट्स इन मैचेज़ से हमेशा जुड़ी रही हैं। जब भी दुनिया के किसी मुल्क में हमारी टीम खेलती है, इस देश का बड़ा हिस्सा नमाज पढ़ता है, मंदिरों में जाता है और दुआ करता है अपनी टीम के जीतने की, लेकिन यह इस देश की बदकिस्मती है कि यह कांड हुआ। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मेरी इत्तला के मुताबिक एक क्रिकेटर के घर पर इनकम टैक्स आफिसर्स रेड करना चाहते थे, सर्च वारंट इश्यू हो गया था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्च वारंट एक्ज़ीक्यूट न हुआ हो।

[अनुवाद]

यह पहली बार हुआ है कि सरकार के सहयोगी एक दल के अध्यक्ष के प्रभाव के कारण तलाशी वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सका ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह भी रक्षा मंत्री के घर से,

श्री राशिद अलवी : रक्षा मंत्री के घर से

[हिन्दी]

डिफेंस मिनिस्टर के घर में प्रैस कांफ्रेंस की गई। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपाल गंज) : ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ।

श्री राशिद अलवी : मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह उचित तरीका नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : यह उचित तरीका नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : बैठ जाऊंगा, लेकिन ये सही नहीं कह रहे हैं। ये क्या दूध के धुले हुए हैं ? ये इस सदन के सदस्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। इसका जवाब सरकार देगी, आप नहीं।

श्री रघुनाथ झा : ये सदन के सदस्य पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम भी मायावती जी पर हमला बोलेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : हम धमकियों में नहीं आने वाले ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, श्री विलास मुत्तेमवार, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री प्रियरंजन दासमुंशी भी श्री राशिद अलवी के साथ इस विषय पर सम्बद्ध हो सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : महोदय, मुझे पूरा कहने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक गम्भीर मामला है कि इस सरकार के मंत्रियों को सरकारी गठबंधन से संबंधित एक पार्टी की अध्यक्षा ने धमकी दी और जांच को रोकने के लिए दबाव डाला। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अमुक क्रिकेट खिलाड़ी अपराधी है या नहीं।

मैं ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन इसमें औचित्य और सरकार के काम काज के तरीकों का प्रश्न निहित है। सरकार के एक मंत्री के घर से आयकर प्राधिकारियों को कैसे रोका जा सकता है और उन्हें धमकी दी जा सकती है ? संबंधित पार्टी की अध्यक्षा ने कहा है कि यह सरकार मेरी है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये लोग इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। यहां तक कि अधिकारियों को भी धमकाया गया है। उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानून को अलग–अलग व्यक्तियों पर अलग–अलग तरह से लागू किया जाएगा। ... *(व्यवधान)*, क्या इस देश को इस तरीके से चलाया जाएगा ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : ये असत्य कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : हमें भी मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय।

(व्यवधान)

श्री राशि अलवी : महोदय, पहले मुझे पूरा बोलने दीजिए, महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने आपको श्री राशिद के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं क्योंकि छः या सात सदस्यों ने इसी विषय पर नोटिस दिए हैं। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कल यही विनिर्णय किया गया था। अब मैंने श्री सुदीप बंद्योपाध्याय को अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, पहले मुझे पूरा बोलने दीजिए। वे लोग मुझे बाधित करते रहे हैं और आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, महोदय, यह बात उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपको पांच मिनट से अधिक समय मिल गया है। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में बात होती है कि एक विषय पर एक ही आदमी बोलेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राशि अलवी : महोदय, यह अत्यन्त गंभीर विषय है, मुझे पूरी तरह से अपनी बात रखने दीजिए।

[हिन्दी]

ये लोग शोर मचाएगें और क्या आप हमें बोलने नहीं देगें ?
..(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने श्री बंद्योपाध्याय को बुलाया है।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने भी एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय भिन्न है। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। कृपया अभी नहीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका विषय भिन्न है तो मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : सर, मुझे कम्पलीट करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप मुझे अभी अनुमति दें क्योंकि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री बंद्योपाध्याय जो कुछ कहेंगे वही सम्मिलित होगा।

...*(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को प्रताड़ित और उनकी हत्या की जा रही है। वहां संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। लोक सभा उप–चुनाव और कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में हार जाने के बाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) मिदनापुर, बांकुरा और शहरों में धन–फिरौतियां करने लगी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, इनके बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री बंद्योपाध्याय कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुदीप बंद्योपाध्याय को अवसर दिया है। उनके बाद आपको दिया जाएगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, पश्चिम बंगाल में संसदीय जनत्रंत को दांव पर लगाया गया है। मात्र पिछले तीन महीनों में सैकडों अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों की हत्याएं की गई हैं। यह उचित समय है जबकि पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 356 लगाने की मांग की जाए। केशपुर, सबांग, गरबेटा, गोघाट, हुगली जिला तथा राज्य के चारों ओर प्रजातन्त्र दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री, कुमारी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। वहां सदन में पुलिस मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं कि कुमारी ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए। वहां ऐसी हालत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेगें।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, पश्चिम बंगाल में ऐसी हालत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगणों यदि आप लोग इस तरह से व्यवहार करेंगे तो, सभा की कार्यवाही चलानी बड़ी कठिन है।

मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से यह बात कह रहा हूं। पूरा राष्ट्र हमें देख रहा है। हम सभा में कैसा व्यवहार कर रहे हैं पूरा राष्ट्र देख रहा है। आपको किसी बात की चिन्ता नहीं है। यह क्या है ? मैं एक बारी में सभी सदस्यों को कैसे मौका दे सकता हूं? श्री आचार्य के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि आयकर अधिकारी समता पार्टी की अध्यक्षा के घर गये थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बसुदेव आचार्य को बुलाया है।

श्री बसुदेव आचार्य : इन आयकर अधिकारियों को वापस आने और छापे रोकने के लिए कहा गया था ... *(व्यवधान)*। समता पार्टी की अध्यक्षा के घर पर छापा न डाले जाने का आदेश किसने दिया ? इस प्रकार की घटना हमारे देश में कभी नहीं हुई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, समता पार्टी की अध्यक्षा ने प्रेस वक्तव्य जारी करने के लिए रक्षा मंत्री के आवास का उपयोग या दुर्पयोग किया। उन्होंने वित्त राज्य मंत्री श्री धनंजय कुमार तथा खेल मंत्री

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा को भी धमकी दी और कहा कि ये दो मंत्री मैच–फिक्सिंग मामले में की जा रही जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या रुख है। हम इस बारे में सरकार से वक्तव्य चाहते हैं। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, यह उचित तरीका नहीं है .... *(व्यवधान)* कृपया, मुझे अपना विषय पूरा करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज - बिहार) : अध्यक्ष महोदय, केलयरी स्कूलों के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पिछले 20 वर्षों से संघर्षरत हैं तथा दिसम्बर, 1993 से दिल्ली में जन्तर–मन्तर पर धरने पर बैठे हुए हैं।

राष्ट्रीयकरण से पहले कोयला मजदूरों व शिक्षकों को तनख्वाह व सारी सुविधायें एक जैसी थीं, किन्तु अनुदान पर चलने वाली शिक्षा नीति में कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा शिक्षा मद का दुरुपयोग किया जा रहा है। परिणामस्वरूप कोयला शिक्षकों को बहुत ही कम तनख्वाह दी जा रही है। कोयला क्षेत्र में स्कूल शिक्षकों की हालत बंधुआ मजदूरों की तरह है, एवं वे गरीबी की रेखा से नीचे की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है, नवम्बर, 1998 में बीसीसीएल ने अपने पत्रांक/डब्ल्यू–IV/ई डी यू/99/388 के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समिति ही भंग कर दी है। परिणामस्वरूप सितम्बर, 1997 से ही शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दी गई है।

मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि स्कूल प्रबंधन समिति पुनः बहाल किए जाने का आदेश दें, तथा शिक्षकों की तनख्वाह पर लगे प्रतिबंध को अविलम्ब समाप्त किया जाए। मंत्री जी इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप कर कोल इंडिया प्रबंधन को निर्देश दें कि कोयला क्षेत्र शिक्षकों को भी सरकारी स्कूलों/केन्द्रीय स्कूलों/अन्य राज्य सरकार के शिक्षा संस्थानों तथा रेलवे स्कूलों के शिक्षकों के बराबर वेतनमान दिया जाए।

मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि 20 वर्षों से चलने वाले मामले में हस्तक्षेप करें। शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री तरुण गोगोई अपनी बात कहेंगे।

श्री तरुण गोगोई (कालियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति और आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान असम के करबी अलांग पहाड़ी जिले की गंभीर स्थिति की ओर आर्कषित करता हूं। वहां आदिवासियों और गैर–आदिवासियों के बीच हो रहे जातीय झगड़ों के परिणामस्वरूप हाल ही में 25 व्यक्तियों से अधिक लोगों की हत्या की गई। वहां ये झगड़े पिछले दो महीनों से अनवरत रूप से चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तरुण गोगोई जो कुछ कहते हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री तरुण गोगोई : इन झगड़ों के परिणामस्वरूप 60 से अधिक लोग मारे गये हैं। सैकड़ों घरों को आग लगा दी गई और हजारों लोग घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है आप दूसरे सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री तरुण गोगोई : महोदय, ये झगड़े बढ़ती हुई उग्रवादी गतिविधियों के कारण चल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए। दोनों ही समूहों के पीड़ित लोगों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उसका उग्रवादियों से गुप्त समझौता हुआ है। मैंने स्वयं इन स्थानों का दौरान किया है। वहां मैं इस बात से प्रभावित हुआ हूं कि दोनों ही समूहों के लोगों में एक दूसरे के प्रति बुरी भावना नहीं थी। यहां तक कि आदिवासियों का यह शक भी नहीं है कि हिन्दी भाषी लोगों का इन झगड़ों में हाथ है। हिन्दी भाषी लोगों का भी ऐसा ही मानना है और वे नहीं मानते कि इसमें आदिवासियों की चाल रही है। यह सब आतंकवादी गतिविधियों के कारण हो रहा है।

महोदय, पीड़ित लोगों को खाद्यान्न और दवाइयों के रूप में कोई भी राहत नहीं दी गई, हजारों लोग बिना राहत के पड़े हैं ...*(व्यवधान)*

केन्द्र सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है और केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का जायज़ा लेने के लिए तुरंत एक केन्द्रीय टीम या संसदीय समिति वहां जाए। अन्यथा, स्थिति और खराब हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन सिंह घाटोवार, श्री नेपाल चन्द्र दास,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विजय हान्दिक और श्री माधव राजवंशी इनके साथ सहबद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : महोदय, मैं स्वयं को सहबद्ध करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिबरूगढ़) : महोदय, मैं भी स्वयं को सहबद्ध करता हूं। जब से यह सरकार बनी है जातिय संघर्ष हो रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती फूलन देवी

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती फूलन देवी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती फूलन देवी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप पैनल ऑफ चेयरमैन में हैं, आप वैल में नहीं आना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, आपने मुझे बुलाया और अन्य सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने महिला सदस्य को बुलाया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती फूलन देवी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, मिर्जापुर जिले में जब मैं अपने जिला–अधिकारी से मिलने के लिए टाइम लेती हूं और जब मिलने जाती हूं तो वे अपने चपरासी से कहलवा देते हैं कि साहब क्षेत्र में निकले हुए है। लगता है कि जिला अधिकारी बहुत बड़े नेता हैं। अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाती हूं तो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और कहलवा देते हैं कि डी.एम. साहब नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* डरते नहीं हैं बहुत ज्यादा चतुर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मक्खन लगाते हैं और कहते हैं कि तुमसे मिलूंगा तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा।

अपराह्न 1.00 बजे

वह कहते हैं कि यदि मैं आपसे मिलूंगा तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। जिलाधिकारी मेरे कहने से कोई भी काम नहीं करते। मैंने पहले भी सदन में यह मामला उठा कर निवेदन किया था और लिखा था कि मुझे सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जब मैंने उनसे इस बारे में निवेदन किया तो उन्होंने मुझे अपमानित किया और कहा कि आप सरकारी गाड़ी लोक सभा अध्यक्ष से लीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह प्रिवलेज का मामला बनता है।

श्रीमती फूलन देवी : मैं जिस विभाग को पैसा देने के बारे में कहती हूं तो जिलाधिकारी कहते हैं कि यह विभाग भ्रष्ट है। मैं जब 11वीं लोक सभा की एम.पी. थी, उस समय एक बार सांसद निधि का पैसा दिया गया था। हमारे यहां के आदिवासी और बनवासी पचास वर्षों से उपेक्षित हैं। वे तीन–चार किलोमीटर दूर जंगलों से पानी लाते हैं। मैंने गांवों में पहली बार हैंडपंप लगा कर दिया। जल निगम वाले माफिया गिरोह के हैं। मुझे उनके बारे में पहले ऐसी जानकारी नहीं थी। मैंने उन्हें पैसा दे दिया। जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों ने दो–दो हजार रुपए लेकर उन लोगों के घरों में हैंडपंप लगा दिए जिन के यहां भैंस और बकरियां थीं। मैंने जिन लोगों के यहां हैंडपंप लगाने के लिए सिफारिश की थी, उनके यहां हैंडपंप नहीं लगाया गया। परसों जिलाधिकारी ने मुझे कहा कि आप जाइए, आप एम.पी. हैं तो एम.पी. बन कर रहिए, हमें आदेश मत दीजिए, मैं जिस विभाग को पैसा दूंगा, वही विभाग काम करवाएगा। गरीब जनता जो हमें वोट देती है हमें उन्हें पानी, बिजली मुहैय्या कराएं या बड़े–बड़े माफिया लोगों को ये सब मुहैय्या कराएं। मैं विनती करती हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाए और उनसे पूछा जाए कि वह एक एम.पी. को मिलने से क्यों कतराते हैं और उनसे क्यों दूर भागते हैं? इसके अलावा 1998–99 और 2000 का एम.पी. एल.ए.डी. का पैसा दिल्ली में रुका पड़ा है। जिलाधिकारी प्रोजैक्ट बना कर भेज नहीं रहे हैं। वह हम से मिलते नहीं हैं और गलत

बोली बोलते हैं। मैं विनती करती हूं कि ऐसे जिलाधिकारी को दंडित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी, इस विषय पर मुझे कई शिकायतें मिली हैं। श्रीमती रेणुका चौधरी और कई अन्य सदस्यों ने इस पर नोटिस दिया है। मैं सोचता हूं कि इन चीज़ों के लिए सरकार को कोई तरीका इजाद करना चाहिए। क्या आप सरकार की ओर से कुछ कहेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांदोकर (सेरमपुर) : अध्यक्ष महोदय, वेस्ट बंगाल में भी यही कंडिशन है। हर प्रोग्राम में तृणमूल कांग्रेस का नाम कार्ड में लिखा नहीं जाता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बात नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम) : महोदय, इस मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपका केस मैं पहले ही मंत्री जी को भेज चुका हूं।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मुझे अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि यह मेरे साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है। इस मुद्दे पर हमें बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके मुद्दे पर भी सरकार को कहा है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : जैसा आपने निदेश दिया है, मैं इस मुद्दे को कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के साथ उठाऊंगा और यह देखूंगा कि यह भलीभांति कार्यान्वित हो रहा है। अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी और हम संबंधित मंत्री को भी कहेंगे कि वह मामले को देखें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्रीमती रेणुका चौधरी और अन्य सदस्यों से कई शिकायतें मिली हैं।

(व्यवधान)

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयंबटूर) : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में, वे नहीं चाहते कि जनता का प्रतिनिधि स्वतंत्रता से घूमे। वे मेरे विरुद्ध दस मामले दर्ज कर चुके हैं। राज्य के अधिकारी, जन प्रतिनिधि के स्वतंत्र विवरण में बाधक बन रहे हैं। जैसे कि वे चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, यह केवल उत्तर–प्रदेश, यह पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रहा है बल्कि यह हर जगह हो रहा है। आपको सांसदों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आप इस मुद्दे को गंभीरता से लें तथा हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्रीमती रेणुका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर दो भिन्न दलों की महिला सांसदों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव फाइल किया है ... *(व्यवधान)*। संबंधित अधिकारी अभी भी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका केस पहले ही माननीय मंत्री को भेज चुका हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय, माफ कीजिएगा, मुझे इए मुद्दे पर बोलने दें ... *(व्यवधान)* विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय दो महीनों से बाकी है ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, क्या श्री रेड्डी के बाद मुझे बोलने की अनुमति मिलेगी ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री जयपाल रेड्डी का नाम बुला चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री जयपाल रेड्डी : मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोलने के लिए आमंत्रित किया है। क्या मैं अब बोलना शुरू करूं ? *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी : केवल श्री जयपाल रेड्डी को ही बोलने की अनुमति है। महिलाओं को यह अनुमति नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं आज के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित सरकार द्वारा कल रात लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरी सभा और माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, यह निर्णय भारत से विदेशी चैनलों की आपलिकिंग से

संबंधित है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रमोद महाजन निश्चय ही इस निर्णय के महत्व की सराहना करेंगे। मैं विदेशी चैनलों का पूर्ण विरोध नहीं कर रहा हूं, किंतु इस निर्णय से कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न बाई–पास हो रहे हैं।

महोदय, हम प्रसारण से संबंधित एक रेग्यूलेटरी अथॉरिटी बनाने की वकालत करते रहे हैं। जब मैं मंत्री था मुझे अवसर मिला कि विधेयक सभा में प्रस्तुत कर सकूं। श्री शरद पवार की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट स्लैक्ट कमेटी गठित की गई थी। यह कमेटी इन सभी प्रश्नों को देखती थी।

अध्यक्ष महोदय, विदेशी चैनलों के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि फॉरेन इक्विटी की सीमा निर्धारित की जाए। मैं श्री प्रमोद महाजन को एन.डी.ए. का एजेंडा याद दिलाना चाहूंगा। इसके अनुसार 20 प्रतिशत की सीमा रखी जानी चाहिए। जब श्रीमती सुषमा स्वराज, सूचना और प्रसारण मंत्री थीं तब भारतीय मूल के सभी चैनलों की अप–लिंकिंग की गई थी। आपने फॉरेन इक्विटी की सीमा निर्धारण के लिए कोई निर्णय क्यों नहीं लिया ? आपने अर्द्ध–न्यायिक रेग्यूलेटरी अथॉरिटी के गठन की आवश्यकता पर कोई निर्णय क्यों आप ऐसे सभी निर्णयों को टालना क्यों चाहते हैं ? आप भारत से अप–लिंकिंड विदेशी चैनलों को किराए पर देने में इतने उत्सुक क्यों हैं ?

महोदय, मैं अप–लिंकिंग का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अप–लिंकिंग से पहले निर्णय ले लिए जाएं और आप इन निर्णयों की अनदेखी करना चाह रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप पर यह आरोप लगाता हूं कि आप इन प्रश्नों को टालना चाहते हैं। आप इस मुद्दे के निष्पन्न कार्य से देश से सामना करना चाहते हैं। नीतिगत निर्णयों को लेने का यह एक बड़ा ही गलत रास्ता है।

अध्यक्ष महोदय, संसद का सत्र चल रहा है। सरकार निर्णय लेती है और सरकार ही प्रैस को निर्णयों की सूचना देती है।

श्री प्रमोद महाजन : नहीं, महोदय, मुझे इनके बाद बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आखिर संसद का क्या औचित्य है ? मैं विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। यह शिष्टाचार हनन है। मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए और सरकार को अपने आपको, अपने भागीदारों और अपने अनुषंगी संगठनों, और अपने स्वदेशी जागरण मंच जो कि फॉरेन इक्विटी को 20 प्रतिशत तक रखना चाहता है, को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह 20 प्रतिशत होना चाहिए। मुद्दा तो यह है कि भले ही यह 20 प्रतिशत हो या 50 प्रतिशत और फिर शत–प्रतिशत किंतु सभा और देश को इसका पता होना चाहिए। हमें इस बारे में सोच–समझकर निर्णयकर लेना चाहिए। हमें इसे स्वीकृत नहीं समझना चाहिए। यही मुद्दा मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आधा मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सर, यह एक बहुत गंभीर मामला है। पहले इन्होंने शुरू किया था, अब यह खड़े हो गये, फिर तीसरे खड़े हो जायेंगे। जब हमारे मैम्बर्स बोलने लगते हैं तो उनमें से किसी को बोलने नहीं दिया जाता ...*(व्यवधान)* बंधोपाध्याय जी बोलना चाहते थे, आपने उन्हें बोलने के लिए अलाऊ भी किया। लेकिन जब यह बोलने लगे तो उस तरफ के मैम्बर्स ने उन्हें बोलने नहीं दिया ...*(व्यवधान)* हमने रेड्डी साहब को आराम से सुना, इन्हें आराम से सुना। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा और जब मैं बोलने लगा तो इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मैम्बर्स रिस्पांसिबिली बिहेव नहीं कर रहे हैं। अचानक खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें नेताओं का सम्मान करना चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय हो, हमें नेताओं को बोलने का अवसर देना होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : महोदय, मेरा विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे, पहले लीडर्स को बोलने का चान्स देना है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आधा मिनट लूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां एक व्यवस्था है और उदाहरण भी है। जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, नेताओं को ही पहले बोलने की अनुमति मिलेगी।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, आपने मेरा नाम बुलाया था मगर मुझे बोलने नहीं दिया गया।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : जब हम बोल रहे थे तब आपने हमारी बात कम्पलीट नहीं होने दी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, हम लोग भी इस हाउस के मैम्बर हैं, हम लोग भी नोटिस देते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, हम आप के मत से पूर्णतः सहमत हैं कि जब भी वरिष्ठ नेता चाहे सूचना के या बिना सूचना के सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं महान वरिष्ठ नेताओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उस समय इस बात पर ध्यान दें कि दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिल सके जब उनके अपने सदस्य दूसरे नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। उन्हें अपने सदस्यों को नियंत्रित रखना चाहिए। हम केवल इतना अनुरोध करना चाहते हैं। हम किसी को यहां बोलने से रोक नहीं रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहां हर व्यक्ति अब उपदेश देने लगा है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये इसी मंत्रालय के विषय हैं जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह ऐसा मुद्दा है जिसे केवल इतना कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता है कि इसे प्रेस को सूचित नहीं किया गया है। प्रत्येक समाचार पत्र ने यह समाचार दिया है। संसद को इसकी कोई जानकारी हुए बगैर उन्हें कैसे जानकारी हो गयी ? यह सामान्य मुद्दा नहीं है।

मंत्री महोदय ने जो अनुरोध किया है उसके विषय में मैं उनसे भी यह आशा करता हूं कि वे अपने पक्ष के सदस्यों के आचरण का भी ध्यान रखेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : मैं सदैव इस बात का ध्यान रखता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें अपने पक्ष के सदस्यों के आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों हम बड़ी मुश्किल से इस सभा में सही तरीके से काम कर सकते हैं। ..*(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि सदस्य यहां अध्यक्षपीठ की अनुमति के बगैर बोल सकता है। ...*(व्यवधान)* अब अध्यक्षपीठ को अप्रासंगिक बनाया जा रहा है। अतः केवल हम लोगों के ही ऊपर अंगुली नहीं उठायी जानी चाहिए। यहां सभा में क्या हो रहा है ? यह सभा कैसे चल रही है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, वे उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आप आपस में क्या बात कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या सुन रहे हैं ?

[अनुवाद]

बहुत हो गया। कोई भी व्यक्ति अध्यक्षपीठ के निर्देश की चिन्ता नहीं करता है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। यह सही है कि कल रात सरकार ने 'अपलिंकिंग पालिसी' को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने पहले ही दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारी को इस नीति पर वक्तव्य देने के लिए लिख रखा है। कल कैबिनेट के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने किसी भी नीति के बारे में प्रेस को कोई जानकारी नहीं दी। कल दो नीतियों के विषय में निर्णय लिए गये थे जिसमें एक अपलिंकिंग से संबंधित तथा दूसरी कृषि–नीति थी। दोनों विभागों के मंत्री इस विषय पर पीठासीन अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। जब उनको समय दिया जायेगा, ये नीतियां सभा–पटल पर रखी जायेंगी।

यदि सभा चाहे और महोदय आप अनुमति देवें तो उचित समय पर दोनों नीतियों पर विचार–विमर्श किया जा सकेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे प्रेस को किसने दिया। प्रेस को इस सारी बात का पता चल गया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय श्री जयपाल रेड्डी ने जो मुद्दे उठाये हैं उनमें से कुछ ही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जैसे कि नियामक प्राधिकारी (रेगुलेटरी अथारिटी)। इस पर हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। इसके पीछे निहित विज्ञान को न

समझना आश्चर्यजनक होगा। इस देश में 'डाउन लिंकिंग' निःशुल्क है। हर चैनल की सूचना आप तक पहुंचती है।

'अप लिंकिंग' की अनुमति प्रदान करके हम इन चैनलों को नियंत्रित कर सकते हैं जो कुछ भी सूचना वे कृत्रिम उपग्रह को भेजते हैं। अतः यदि सरकार 'अपलिंकिंग' की अनुमति प्रदान करती है तो मेरी समझ में इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जबकि इस देश में 'डाउन–लिंकिंग' की सुविधा भी निःशुल्क है। ...*(व्यवधान)*

श्री जयपाल रेड्डी : श्री प्रमोद महाजन, आपको विदेशी शेयर के विषय में निर्णय लेना है। आपको अपने ऐजेंडा के विषय में सोचना है। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आप अपने एजेंडे की उपेक्षा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यह अच्छा होगा कि आप मुझे अपने एजेंडा और 'परिवार' के बारे में अपने तरीके से सोचने दें। आप इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 2.20 बजे पुनः समवेत होने हेतु होती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.24 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.24 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब नियम 377 के अधीन मामलों पर कार्यवाही चलेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अगस्त क्रांति और राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को राजस्थान के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत पर्यटन की दृष्टि से संसार के बहुतायत देशों को लुभा रहा है। पर्यटन विकास की देश में बहुत गुंजाइश है। देश को आर्थिक दृष्टि से सबल करने में पर्यटन का विशेष महत्व है। इसी क्रम में मेरा संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर (राजस्थान) वन सम्पदा का धनी तो है ही इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर बाघ परियोजना भी इसी क्षेत्र में स्थित है। देश विदेशों से प्रति वर्ष लाखों सैलानी सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। यह स्टेशन दिल्ली–मुम्बई रेल मार्ग पर स्थित है। दिल्ली से जाने वाली अगस्त क्रान्ति जब प्रारंभ हुई तो सवाई माधोपुर में उसका ठहराव दिया गया, जो कि उचित था, लेकिन अचानक इसका ठहराव सवाई माधोपुर स्टेशन पर बंद कर दिया गया। जबकि यहां से सदैव निर्धारित सीटें आरक्षित होती रहती हैं। कुछ समय पूर्व सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ परियोजना को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन आये थे और बहुत आकर्षित हुए।

सवाई माधोपुर में पर्यटन विकास को अधिक सुगम बनाने के लिए इस स्टेशन पर अगस्त क्रान्ति और राजधानी गाड़ियों का ठहराव बहुत ही आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहती हूं कि अगस्त क्रान्ति एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव सवाई माधोपुर में करने के आदेश पारित करें ताकि देश, विदेश के सैलानी रणथंभौर बाघ परियोजना का आसानी से भ्रमण कर सकें। इससे रेलवे को अतिरिक्त आय तथा क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

(दो) इटावा-भिण्ड-मुरैना-श्योपुर और सवाई माधोपुर को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे जो कि इटावा, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर एवं राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंच मार्ग, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है और ठीक से देखरेख न हो पाने के कारण उस पर वाहनों का चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यदि इस स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित कर दिया जाये और इसके निर्माण हेतु धनराशि आबंटित क़र दी जाये तो तीनों राज्यों के लाखों नागरिकों को यातायात में सुविधा होगी तथा पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा और जो क्षेत्र डाकू समस्या से ग्रसित हैं, उसमें भी सुधार होगा।

मेरा केन्द्र सरकार से विशेष आग्रह है कि उक्त मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित करने का कष्ट करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो में हुए अग्निकांड की पूर्ण जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर स्थित सी.ओ.डी. में अभी हाल ही में भयंकर आग लग गई थी भरतपुर अग्निकांड के तुरंत पश्चात् कानपुर में सी.ओ.डी. अग्निकांड चिन्ता का विषय है। वहां पर लगी आग किसी लापरवाही का नतीजा न होकर के

जानबूझकर लगाई गई ज्यादा प्रतीत होती है क्योंकि सी.ओ.डी. के स्टोर आदि में अनेकों गड़बड़ियां पाई गई हैं। इस अग्निकांड की तह तक सरकार को जाने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करायी जानी चाहिए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्रवाई की जानी चाहिए।

(चार) उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में रह रहे आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राज सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित जिला चित्रकूट, बांदा,इलाहाबाद मिर्जापुर तथा सोनभद्र मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। ये सभी जिले विन्ध्य पर्वत के वन और पहाड़ियों से आच्छादित हैं। इन जंगलों, पहाड़ियों में आदित जनजाति के लोग काफी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। उनमें मुख्य रूप से कोल, मवैया, गोड आदि जातियां शामिल हैं। इनको अनुसूचित जातियों की श्रेणी (सूची) में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा शामिल किया गया है और अनुसूचित जातियों संबंधी सरकारी सुविधायें भी दी जाती हैं किन्तु उनको अनुसूचित जनजातियों की भारत सरकार तथा राज्य सरकार की सूची में शामिल नहीं किया गया जिससे वे लोग अनुसूचित जनजाति संबंधी सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं जबकि उक्त सभी जिलों की सीमा से सटे हुए मध्य प्रदेश के जिलों में उक्त जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है और अनुसूचित जनजाति संबंधित सभी सुविधाएं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही है।

दोनों राज्यों की उक्त जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक परिस्थितियां एक समान हैं। सीमावर्ती दोनों तरफ की उक्त जातियों में खून के रिश्ते हैं, वैवाहिक संबंध है और एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के उक्त सभी जिलों की उक्त जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाये तथा उनको भारत सरकार तथा राज्य सरकार की तत्संबंधी सभी सरकारी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें।

(पांच) उड़ीसा में फुलनखारा-नियाली-माधव-चानीछक-कोणार्क-पुरी और कटक-पारादीप सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगों (जगतसिंहपुर) : यह सुविदित तथ्य है कि कटक–पुरी कोणार्क की तिकोनी प्राचीन घाटी में स्थित विश्व प्रसिद्ध कोणार्क के आस–पास का क्षेत्र ललित कला के स्मारकों, वास्तुकला तथा पत्थर पर की गई खुदाई अर्थात मूर्तिकला का खजाना है तथा पर्यटकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा विश्वदाय स्मारकों के विद्यार्थियों के लिए स्वर्ग है। भारत सरकार के ध्यान में यह बात समय–समय पर लाई गयी है कि लगभग 80 किमी. की लम्बाई वाले फुलनाखारा, नियाल (सुवर्णेश्वर) मडहाब, चारीकहाक–गोप–कोर्णाक–पुरी मार्ग जो कि फुलनाखारा के रां.रा. संख्या 5 तथा पुरी के रा.रा. संख्या 203 को जोड़ता है, को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला जाए। मैं भूतल परिवहन मंत्रालय से चाहता हूं कि वह इस दिशा में तत्काल कार्रवाइ करे तथा इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे।

इसी तरह 90 किमी. लम्बा कटक पारादीप मार्ग जो कि कटक के रा.रा. संख्या 5 तथा पारादीप के विशाल पत्तन को जोड़ता है, को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना चाहिए।

(छह) तमिलनाडु में सेलम जिले में नामक्कल और थलईवसल संकरी में रसोई गैस के और अधिक बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. वी. सरोजा (रासीपुरम) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र रासीपुरम के लोग रसोई गैस आपूर्ति की उचित सुविधा के अभाव में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में रसोई गैस की आपूर्ति की केवल एक एजेन्सी होने के कारण, लोगों को हफ्तों तक रसोई गैस की आपूर्ति नहीं की जाती है। तमिलनाडु में 1,20,000 लोग रसोई गैस के नये कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र रासीपुरम के करीब 3 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं।

इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र; मुख्यतः सेलम जिले के नामक्कल और थलईवसल संकरी में रसोई गैस की दो और एजेन्सियां खोली जाएं।

(सात) नांदेड़ और हिंगोली जिलों में सड़कों की मरम्मत के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के नानदेड़ और हिंगोली जिले की सड़कों की दयनीय स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। जो पक्की सड़कें हैं, उनके अन्दर जगह–जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और जो गांवों से कच्ची सड़कें पक्की सड़कों तक भिजाई गई थी वो सालों से इसी तरह पड़ी हुई हैं। जिला प्रशासन धन के अभाव में इन सड़कों की मरम्मत करने तथा कच्ची सड़कों को पक्की सड़क में बदलने में असमर्थ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त कार्य हेतु तुरन्त 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की कृपा करें और इस बात को भी सुनिश्चित करें कि यह धन इसी कार्य पर खर्च किया जाए।

है। अभी के संसोधन को मिला कर इसमें चार संसोधन हो चुके हैं। आपने 1988 में इस बिल में संशोधन किया, फिर 1994 में किया और अब 2000 में फिर संशोधन करने के लिए इस बिल को लाए हैं। लेकिन नतीजा वही निकलता है—खोदा पहाड़, निकली चुहिया। आपने इसमें क्या किया है ? आपने क्लाज 52 के बदले 52 ही रखी है, लेकिन उसकी भाषा उसके शब्द बदल दिये है। अगर यही करना था तो संसोधन की जरूरत क्यों पड़ी। आपने इसमें दो बार परंतु, परंतु जोड़ा है। पृष्ठ दो में देखें, परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार ऐसे संपरिवर्तन किटों के लिए विनिर्देश, अनुमोदन, अनुरूपांतरण या अन्य सम्बन्धित विषयों के लिए शर्तें विहित कर सकेगी। शर्तें विहित कर सकेगी, यह बड़ी पुरानी परम्परा है। कानून वालो को लगता है कि हम ऐसा शब्द रखें कि जनसाधारण उसको समझ नहीं पाए। इसमें रूल बनाने का प्रोवीजन है। प्रायः देखा जाता है, विधि मंत्रालय समीक्षा करके देखे, आपने संसद में भी एक्ट पास किया होगा, लेकिन उसकी नियमावली नहीं बनी होगी। कहा है कि नियमावली में और संशोधन करेंगे। उसी में आपने दूसरा परंतु जोड़ दिया। परंतु यह और भी कि केन्द्रीय सरकार किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में यान में परिवर्तन के लिए छूट प्रदान कर सकेगी। यह बिल तो खत्म हो गया, आपने इसके आधार पर स्पेशल पावर ले ली है। आपने कह दिया कि गेट से कोई आदमी प्रवेश नहीं करेगा। इंजन बदलेंगे, नहीं बदल सकते हैं, प्रमाण पत्र देंगे, नहीं ले सकते हैं। एम.वी.आई. से जांच कराएंगे, हम वहां चैकिंग कराएंगे। लेकिन आपने कह दिया कि अगर कोई विशेष परिस्थिति होगी तो इसमें हम छूट दे सकते हैं, तो सीधे दरवाजा खोल दें आने दें, खिड़की से लोगों को प्रवेश करने की कोशिश क्यों करा रहें हैं। बड़ा गम्भीर मामला है।

आप सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले नेता हैं। आप कोई अफसरशाही नहीं हैं। अफसरशाही कानून बना देती है और उसको मंत्री जी सदन में ले आते हैं। यहां जो विशेषज्ञ हैं, पुराने सांसद हैं, जिनको इन बातों की जानकारी है, उनसे विचार करते और एक–दो बरस बाद अगर संशोधन की आवश्यकता होती तो एक सांगोपांग बिल लाते, तो मैं समझता कि सदन इसको अच्छा मानता और सारे देश को लाभ मिलता।

आपने कहा है कि हम प्रदूषण रोकेंगे। कहां–कहां प्रदूषण रोकेंगे। आपके उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें। हम लोगों को जब बनारस और विध्यांचल जाने का अवसर मिलता है, मुगलसराय से उतर कर वहां जो बसें मिलती हैं उनको देखने का अवसर शायद आपको मिला होगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता। आप धरती के नेता हैं, ऐसी मेरी मान्यता है, अगर वहां की बसों में चढ़ने का अवसर नहीं मिला तो देखने का जरूर मिला होगा।

क्या वहां धुआ नहीं निकलता है ? क्या वहां प्रदूषण नहीं होता है ? क्या उसका शीशा टूटा हुआ नहीं है ? क्या उसके ब्रेक फेल नहीं कर गए हैं ? ऐसी गाड़ियां रोड पर चल रही हैं। इसके लिए जवाबदेह कौन है ? सजा किसको मिलती है ? एक्सीडेंट रेलवे में होता है और रिजाइन नीतीश जी ने किया। क्या वह ट्रेन चला रहे थे ? दुनिया का दस्तूर बदल गया है। एक विक्रमादित्य का जमाना था जो सत्य बोलता था, उसकी रिहाई हो जाती थी। आज सत्य बोलने वाले को एक मिनट में कोर्ट में सजा हो जाएगी। अगर वह कह दे कि हमने मदद की है तो गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक मिलट में उसे सजा हो जाएगी। अब जमाना बदल गया है।

श्री रामदास आठवले (पंढ़रपुर) : जमाना बदल रहा है, सरकार भी बदलनी चाहिए।

श्री राजो सिंह : नहीं, सरकार नहीं बदलनी चाहिए। हम सरकार बदलने के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए कि चुनाव बार–बार लड़ना पड़ता है और बड़ी परेशानी होती है। बिल ठीक है। बिल के विपक्ष में हम नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस बिल को और विस्तार पूर्वक लाना चाहिए था और कठिनाई इस बिल में यह है कि राजनाथ बाबू, आपने एम.वी.आईज. को पॉवर दे दी है। हमारे बिहार में एक बड़े प्रोगेसिव ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ड्यूटी ज्वाइन करते ही दूसरे दिन सारे एम.वी.आईज. को बुलाया। उनका नाम एन.के.सिन्हा था। उन्होंने एम.वी.आईज. को कहा कि आप तो फिटनैस का सर्टिफिकेट देते हो कि यह गाड़ी ठीक है तब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन करता है। उन्होंने कहा कि जरा हमारे सामने गाड़ी चलाकर दिखा दो। आप मानिए कि तीन गाड़ी एक्सीडेंट्स कर गईं। सिर्फ एक ही एम.वी.आई. जो इंस्पेक्टर था, वह गाड़ी चला सका। उन्होंने उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आज जो एम.वी.आईज. हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी हैं, वे ही ड्राइवर को लाइसेंस देते हैं और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। किस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है ? आपने सारा प्रतिबंध लगा दिया। आपने कहा कि प्रदूषण होता है। आपने भी कहा और माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया कि प्रदूषण रोकने की व्यवस्था करिए। प्रदूषण रोकने की व्यवस्था कौन करेगा ? माननीय मंत्री महोदय बगल में बैठे हुए हैं। सारे काम तो आजकल ऊपर से आदेश आता है, उसके मुताबिक होते हैं। हम सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोई दूसरा है। उसके आदेश पर हम चलते हैं। हमारे आदेश पर चलना चाहिए था। आप गाड़ी का कानून बना रहे हैं और गाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए तो पीछे गाड़ी चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने सारे भारतवर्ष के लिए कानून बनाया है या दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता या चेन्नई के लिए बनाया है ? यह गाड़ी कहां चलेगी? क्या यह गाड़ी सिर्फ यहीं चलती है ? बच्चों के लिए इसमें आपने प्रोवीजन किया है लेकिन स्कूल दिल्ली में ही नहीं है, स्कूल आपके प्रखंड में भी है और जो प्रखंड में हैं और

[श्री राजो सिंह]

गांवों से जो बच्चे आते हैं, वे किस चीज से आते हैं ? आप गांव के रहने वाले हैं। वे तिपहिया से आते हैं या स्कूटर से आते हैं या आटो–रिक्शा से आते हैं और आटो–रिक्शा पेट्रोल से चलता है तथा उसमें भी मिलावट हो रही है। मैं कह रहा था कि पेट्रोलियम मिनिस्टर राम नाईक जी बगल में बैठे हैं। आप किस जगह की जानकारी करके आये हैं ? क्या यह सब कानून बनाने से ठीक हो जाएगा ? देश में कानून बनाया हुआ है कि 17–18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लड़का–लड़की की शादी होनी चाहिए लेकिन हममें से कितने आदमी हैं जो क्षेत्र के निमंत्रण में जाते हैं ? छोटे लड़के–लड़कियों की शादी होती रहती है और हम लोग मूक दर्शक की तरह वहां बैठे रहते हैं। कानून बना हुआ है, दरोगा जी वहां बैठे हुए हैं और सारे लोग भोज कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। कानून आप बना रहे हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियां चलेंगी और धुंआ निकलेगा। राजनाथ जी, कभी आपने सड़कों को देखा है, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए लोग मोटर चलाते हैं।

महोदय मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ...लावटी मिल रहा है। बज तक यह मिलावटी पैट्रोल ...तना ही कानून बना दें, तब तक गाड़ियों से धुंआ निकलेगा। इसके साथ आपको यह भी विचार करना चाहिए कि रोड किस तरह की होनी चाहिए। कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारा और इनका जिला बगल में है, लेकिन जिले के ये प्रतिनिधि नहीं है। वहां के प्रतिनिधि जार्ज साहब हैं। जब हम वहां जाते हैं, तो लोग गाली देते हैं और कहते हैं कि रोड को देखते जाइएगा कि रोड़ गाड़ी चलाने के लायक भी है या नहीं, पानी भरा रहता है। हम उनको कहते हैं कि आप जिनको वोट दिए हैं, उनसे कहिए। आप लोग हमको वोट कहां दिए हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। नेशनल हाई–वे रोड पर पानी का जमाव है, ऐसी स्थिति में तो वहां मछली पालन का इन्तजाम करना चाहिए। जब तक आप रोड को दुरस्त नहीं कराइएगा, तब तक गाड़ी नहीं चल सकती है। बेकारी की स्थिति में आदमी एक पुरानी बस खरीद लेता है और उसको चलाना चाहता है। आप कानून बनाकर काम करने से रोक रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसका खर्च बढ़ जाएगा। वह गाड़ी चलेगी, रोड आपकी खराब रहेगी, तो उसको आपके अधिकारियों को पैसा देना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट आफिसर, एमडीआई को पैसा देना पडेगा और जो रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। इस संबंध में मै आपको तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव है – आप यह निर्धारित कर दीजिए कि एक घन्टे में कितने किलोमीटर गाड़ी चलानी है। वह तेज गाड़ी चलाता है। शराब पीकर चलाता है और बच्चा या औरत जब सड़क पार करती है, तो एक्सीडेंट करता है। कहीं किसी ने कोई रिजाइन नहीं किया। नीतीश जी ने दिया, लेकिन रोड मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, जो दोषी है, उनको सजा होनी चाहिए। मैंने एक राहुल सांकृत्यायन की किताब में पढ़ा है – भागो नहीं, दुनिया को बदलो। नीतीश जी ने रिजाइन किया यह कोई अच्छी बात नहीं है और जो कमी थी, उसको दुरुस्त करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नेशनल हाई–वे बिहार के लिए जो स्वीकृत हुआ है, उसके लिए पैसा दीजिए। आप तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय लगा रहे हैं। आप छह बरस के लिए राज्य सभा में पहुंच गए हैं। एक कहावत है – रंग लगे न फिटकरी, माल हो जाए चोखा, हम को तो वोट मांगने जाना पड़ेगा। इसलिए आप मुस्तैदी से बिहार के नेशनल हाई–वे के काम को दुरुस्त करें और रोड्स को ठीक करें।

सड़क बन जाने के कारण टूटी–फूटी गाड़ियां भी चलती हैं। उनको अगर आप रोकना चाहते हैं और आप धुंए को, प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो गांव की आरे चलिये। यह संसद केवल मुम्बई और दिल्ली के लिए नहीं बैठी हुई है। हम लोग गांव से चुनकर आते हैं, 12–13 लाख वोट लेते हैं, लेकिन आप उनके लिए कोई प्रबंध नहीं करते हैं, आप लोग केवल तीन प्रतिशत लोगों की भलाई के लिए ही जवाबदेह हो जाते हैं और उन्हीं के लिए आप काम करते हैं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि आप कृपा करके एक अच्छा कानून बना लीजिए जिससे आपको 12–15 साल तक फिर उसमें संशोधन की कोई जरूरत न पड़े। मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि आप जो कानून को लागू करने वाले ऑफिसर्स हैं उनकी लगाम कसिये, आप इनको सुधारिये। ये समझते हैं कि ये कानून बना देंगे और मंत्री जी उस पर दस्तखत कर देंगे। आप इस परिपाटी को समाप्त कीजिए। आप अपने स्तर पर इनको सुधारिये। बिहार में जो नेशनल हाई–वे नीतीश कुमार जी ने स्वीकृत किया है, बिहार की सरकार ने जो परपोजल भेजा है और जिसको माना गया है। दिग्विजय बाबू यहां बैठे हैं, रेलवे के स्टेट–मिनिस्टर हैं। मेरा कहना है कि एक रोड बरबीघा से दुमका तक जाती है, वहां बस बहुत दिक्कत से चलती है। उसको बरबीघा से शेखपुरा सिकन्द्रा होते हुए, जमुई होते हुए, देवघर बैजनाथ धाम दुमका तक होते हुए नेशनल हाई–वे बना दीजिए। राजनाथ बाबू फिर आपकी और तरक्की होगी। बहुत–बहुत धन्यवाद।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : सभापति महोदया जी, मैं इस विधेयक की चर्चा में थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूं। माननीय राजो सिंह जी ने जो कहावत कही, वह मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि "देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर"। मैंने इसे कर दिया कि "देखन में छोटा लगे, लाभ पहुंचे भरपूर"। अब तक वाहन के ईंधन के रूप में पेट्रोलियम गैस एल.पी.जी. को पर्मिशन नहीं थी जिसके कारण कई प्रकार की असुविधा होती थी। इसमें जो संशोधन आये हैं उनके कारण जो चार–पहिया के वाहन हैं उनमें एल.पी.जी. का उपयोग हो सकेगा। यह मेरी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सुधार का काम है देश में आज एलपीजी भरपूर है। हमने करीब–करीब सारे लोगों की वैटिंग–लिस्ट समाप्त करते–करते इस वर्ष के अंत तक जो भी वैटिंग

लिस्ट बाकी है उसको समाप्त कर देंगे।

सभापति महोदय : रूरल एरिया में अभी भी बहुत ज्यादा वैटिंग लिस्ट है।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : गांव के वैटिंग लिस्ट समाप्त नहीं हुई है, केवल शहरों में हुई होगी।

श्री राम नाईक : मैंने कहा है कि वैटिंग लिस्ट समाप्त कर रहे हैं, समाप्त हो गयी है ऐसा मैंने नहीं कहा है। हमने नीतिगत फैसला किया है कि हम हर ब्लॉक स्तर पर एलपीजी की एजेंसी देंगे। इसलिए भविष्य में एलपीजी और अधिक उपलब्ध होगी। इससे पर्यावरण में शुद्धता आयेगी, प्रदूषण कम होगा तथा पेट्रोल और डीजल से इसकी कीमत भी कम होगी। मिलावट वाले पेट्रोल–डीजल से जो वाहन खराब होते हैं, उनमें भी इससे कमी आ सकती है

अपराह्न 3.00 बजे

ऐसा एक बहुगुणी ईंधन आएगा।

बिल पास होने के बाद आगे क्या होने वाला है, मैं यही बताना चाहता हूं। बिल पास होने के बाद एक्ट बन जाएगा तो आज तक एल.पी.जी. का वाहनों में उपयोग करने पर जो प्रतिबंध था, वह एक नोटिफिकेशन निकाल कर समाप्त हो जाएगा और इसका उपयोग प्रारम्भ हो सकेगा। इस समय हिन्दुस्तान के कई शहरों में गैर कानूनी ढंग से एल.पी.जी. का उपयोग हो रहा है। डोमैस्टिक काम के लिए जो सिलैंडर उपयोग किया जाता है और जिस पर सबसिडी दी जाती है, उसे वाहन पर लगाया जाता है। इस प्रकार कार वाले सबसिडी ले रहे हैं। एक्सीडैंट होने पर उन्हें इंश्योरेंस का कुछ नहीं मिलता है। इस भूमिका में यह जो परिवर्तन किया गया है, उसका लाभ भविष्य में मिल सकेगा।

देश के बड़े–बड़े महानगर दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई ही नहीं बल्कि हर प्रदेश में जो बड़ा महानगर है, हमने वहां एल.पी.जी. गैस की दृष्टि से तैयारी शुरु की दी है। हम पहले 212 स्थानों पर एल.पी.जी. के यूनिट्स खड़े करेंगे और जहां पेट्रोल पंप हैं, वहां इसे लगाएंगे। 92 की तैयारी सभी दृष्टि से पूरी हुई है।

इसमें सिलैंडर दूसरे साइज का होगा। घरेलू उपयोग वाली गैस इसी काम के लिए इस्तेमाल होने पर जैसा मैंने कहा कि इसका कमर्शियल इस्तेमाल करके सबसिडी का दुरुपयोग होगा लेकिन पेट्रोल से कुछ मात्रा में कम मूल्य पर ये सिलैंडर उपलब्ध होंगे और उसी प्रकार से हम काम करेंगे। यह प्रारम्भ में केवल चार पहिए वाली मोटर कार में उपयोग होगा। इस दृष्टि से सारा संसोधन और संरचनाएं पूरी हुई हैं।

इसकी दूसरी स्टेज यह है कि क्या ऑटोरिक्शा या स्कूटर, मोटर साइकिल जैसे दो पहिए वाले वाहनों पर इसका उपयोग किया जा सकता है? इसका उपयोग करने की दृष्टि से एक समिति 23 अप्रैल, 2000 को बनाई गई। उसमें आटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे जो एक बड़ी संस्था है, एल.पी.जी. इक्विपमैंट रिसर्च सैंटर बंगलौर और चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, नागपुर को सम्मिलित करके यह समिति बनाई गई ताकि ऑटोरिक्शा, स्कूटर और मोटर साइकिल वाले इसका उपयोग कर सकं। तुलनात्मक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से कम तबके के लोग इनका उपयोग कर सकें, इस दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं।

इसे बड़े शहरों के साथ–साथ लगभग सभी राज्यों में प्रारम्भ करने का विचार है। इसी भूमिका में मैंने सोचा कि एल.पी.जी. का उपयोग वाहनों के लिए होना एक बड़ी ऐतिहासिक बात होगी। इस दृष्टि से मैंने इस विधेयक में हस्तक्षेप किया। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक सब मिल कर एक राय से मंजूर करें। इन शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी) : क्या आप और कम मूल्य पर कार चलाने के लिए एल.पी.जी. की आपूर्ति कर सकेंगे ?

श्री रामनाईक : पेट्रोल की तुलना में कम मूल्य पर लेकिन सब्सिडी देकर नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : क्या आप हर ब्लाक में एल.पी.जी. दुकाने खोलने वाले हैं ? क्या सभी एम.पी.ज. की सिफारिशें स्वीकार करेंगे ?

सभापति महोदय : उसके लिए कमेटी बनाई गई है।

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं मोटरयान संशोधन विधेयक 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के जरिए चार मुख्य बातें हो रही हैं। इसके द्वारा सड़क, यात्रियों की सुरक्षा और प्रदूषण कम करना है। इसमें शैक्षिक संस्थाओं को भी इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। परमिट का नवीनीकरण करने का प्रावधान करके अच्छा काम किया है। यह एक अच्छा बिल है। जैसा पूर्ववक्ताओं ने कहा कि यह बिल पहले आना चाहिए था।

लेकिन मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, उसे ही दोहराते हुए कहूंगा कि हमारे पास कायदे–कानून बहुत हैं और आज आप एक नया कायदा यह भी बना रहे हैं। इसका आप इंपलीमेंटेशन कर सकेंगे, इसमें मुझे शंका रहती है। नये–नये कानून बनते रहते हैं लेकिन उनको इंपलीमेंट करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं होती है इस संदर्भ में हमारे पास बहुत से कायदे–कानून हैं। सड़क पर चलते हुये उनको न मानने का काम ज्यादा होता है और उन आदेशों का पालन बहुत कम होता

[मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूडी]

है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह अपने जवाब में बतायें कि किस प्रकार ऐसे नेय नियमों को लागू करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि पहले की तरह ही किये गये संशोधन कागजात पर ही रह जायें और जनता को उसका कोई फायदा न हो। इस प्रकार के कानून बनाने से जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। जनता इससे हतोत्साहित होती है। इससे पूरी संस्था पर एक किस्म की शंका पैदा होती है। मैं चाहूंगा कि आप इस दिशा में हम लोगों को ज्ञानवर्द्धन करें।

सभापति महोदय, इसमें क्लाज 52 में संशोधन करके कुछ नई बातें लिखी गई हैं। इसके क्लाज 52(2) में कहा गया है कि जिसके पास कम से कम 10 परिवहन का परमिट होगा, उनको अनुमति दिये बिना वह परिवर्तन कर सकेंगे। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी ने यह क्लाज क्यों रखा है। जैसा श्री राजो सिंह जी ने कहा कि छूटें बीच में आ जाती हैं क्योंकि जिस व्यक्ति के पास 100 गाड़ियां हैं, वह 10 आदमी के नाम कराकर अपना काम चला लेगा, मैं नहीं जानता इस प्रकार की छूट देने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार की छूट क्यों होनी चाहिये कि किसी के पास एक गाड़ी है या दस गाड़ियां हैं, हम अलग–अलग कायदे–कानून क्यों बनाना चाहते हैं? मैं जानना चाहूंगा कि इसकी क्या जरूरत थी कि आप छूट दें कि उनकी दस से कम गाड़ियां हैं, उन्हें परमिट देने में क्या मुश्किल पड़ेगी अगर सारे कायदे–कानून उन पर लागू करें। आपने क्लाज 52(3) में लिखा है कि अगर कोई आदमी बिना इजाजत काम करता है और आदेश का उल्लंघन होने के 14 दिन के अंदर वह फिर इजाजत ले ले तो आपने उसकी व्यवस्था की है। उसकी कोई सजा या फाइन नहीं लेकिन फीस जमा करनी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है कि पहले हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, कि कानून का उल्लंघन कीजिये और फिर कहते हैं कि 14 दिन के अंदर आप इनको ठीक कर लें, इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि वैसे ही हमारे पास कायदे–कानून बहुत है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं कि ट्रक ओवर–लोडेड होते हैं। जितनी ट्रक की ऊंचाई होती है, उसकी ऊचाई से ज्यादा सामान उसमें भरा रहता है। उसमें स्टील की बड़ी बड़ी छड़ें, स्टील के रोल्स, राड्स या दूसरी चीजें होती हैं, वे 8–10 फुट बाहर निकली हुई होती हैं। हमारे पास उसके लिए कानून बने हुये हैं लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है मैं जानना चाहता हूं कि आप उन नियमों का पालन किस प्रकार से करवायेंगे ?

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दो–तीन जरूरी बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। ट्रकों के प्रैशर हार्न्स पर काबू नहीं पाया जा रहा है। वे इतने खतरनाक और ध्यान इधर–उधर करने वाले होते हैं कि उनसे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। इस पर आप काबू नहीं पा सके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई ट्रकों की हैडलाइट्स काफी तेज होती हैं क्योंकि वे हाई वाल्टेज की बैटरीज इस्तेमाल करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिये इस विधेयक में कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस खतरे को देखते हुए विचार करें और कोई व्यवस्था कर सकें तो अच्छा होगा।

अक्सर हम लोगों के भाषण कागज पर ही रहते हैं, परंतु कभी–कभी मंत्रीजी का ध्यान हो जाए तो शायद कोई चीज रजिस्टर हो जाए।

मैडम, चेयरपर्सन, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी यहां बैठे हैं और इस बारे में अक्सर हम उनसे कहते हैं कि पहाड़ों में बहुत दूर–दूर तक पेट्रोल पम्प नहीं मिलते और हमें अपने साथ केन आदि में पेट्रोल और डीजल ले जाना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था कुछ गाड़ियां और ट्रक्स आदि भी करते हैं और वे एडीशनल टैंक लगाते हैं। मुझे मालूम है कि इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि पहाड़ी इलाकों में जहां पेट्रोल पम्प्स नहीं हैं, ऐसा मैदानी क्षेत्रों में भी हो सकता है, मुझे कभी–कभी अपने क्षेत्र से सौ किलोमीटर दूर सिर्फ डीजल लेने के लिए जाना पड़ता है। यदि डीजल हमारे पास नहीं होता है तो सिर्फ डीजल के लिए ही हमें जाना पड़ता है। खासकर हम फौज में इस प्रकार की व्यवस्था करते थे कि एडीशनल टैंक गाड़ी में लगाते थे, ताकि हमें इस प्रकार की कठिनाई न हो। क्या आप इसके ऊपर विचार करके ऐसे क्षेत्रों में कुछ सुविधाएं देंगे, कुछ छूट देंगे। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यह बिल लाये हैं और प्रार्थना करता हूं कि इसके इम्पलीमेंटेशन के लिए आप कुछ सख्त तरीका निकालें, ताकि इसका सदुपयोग हो। इतना कहकर इस बिल का समर्थन करते हुए मैं बैठता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य अत्यंत सराहनीय हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने मोटरयान प्रदूषण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे और मार्ग पर चलते समय सुरक्षा के प्रति अपनी चिन्ता जतायी है। यह विधेयक दो उद्देश्यों प्रथम मोटरयान प्रदूषण नियंत्रण तथा दूसरा मार्ग पर चलते समय सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लाया गया है।

शुरू में, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि केवल कानून बना देना ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सी बाते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बातों पर दिलाना चाहता हूं। उदाहरणार्थ, 1993 से ही राज्यों को प्रदूषण की जाचं से संबंधी उपकरण खरीदने के लिए उनको 100% अनुदान देने संबंधी एक योजना चली आ रही है। राज्यों को प्रदूषण की जांच के लिए कृत्रिम उपकरण खरीदने मं सहायता देने

वाली एक अच्छी योजना है। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें कटौती कर दी गई तथा 1 जून 1998 से 100% अनुदान की राशि को घटाकर 75% कर दिया गया। अतः हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए चिन्तित हैं वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण नियंत्रण योजना की अनुदान राशि में कटौती की जा रही है।

इसके अलावा आप देखेंगी कि प्रदूषण की जांच से संबंधित उपकरण के लिए बजट–आबंटन; वर्ष 1999–2000 के लिए बजट का अनुमान 100 लाख या एक करोड़ रुपये था लेकिन संशोधित अनुमान में इसमें 50% की कटौती कर दी गई। इसे घटाकर मात्र 50 लाख रुपये कर दिया गया।

मैं आबंटित की गई धनराशि की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ प्रदूषण नियंत्रण के लिए हम कानून बना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किए गए बजट आबंटन में 50% की कटौती कर रहे हैं इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।

इस 50% की कटौती का क्या असर हुआ ? वर्तमान स्थिति यह है कि वर्ष 1998–99 के दौरान राज्यवार निधि का जो वितरण किया गया, वह धनराशि मात्र 64 करोड़ रुपये थी। और सभी राज्यों में से मात्र चार राज्यों केरल, असम, मिजोरम और गोवा को अनुदान दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित किए गए हैं।

इसी प्रकार, मोटरयान प्रदूषण के लिए दूसरी योजनाएं भी हैं। हमें बताया गया है कि जानकारी से संबंधित गतिविधियां चलाई जाती हैं। लेकिन जानकारी के लिए चलाई गई ये गतिविधियां किस काम की ? पूरे देश में कर्मचारियों को प्रदूषण नियंत्रण के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षित करने के लिए केवल दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। मैं बल देकर यह बात कहना चाहूंगा कि इस मामले में भी आबंटित किए गए बजट में कटौती की गई तथा इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। इन दो कार्यशालाओं के लिए मुश्किल से दस लाख रुपये दिए गए।

हमें सड़क मार्ग पर सुरक्षा के विषय पर भी बताया जाता है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। सारी कार्य–प्रणाली के चुस्त–दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है तथा सड़क मार्ग की दशा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दुर्घटना के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे, राष्ट्रीय राजमार्गों का ही उदाहरण लें। हमारे किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति उन मानको के अनुरूप नहीं है जो कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए स्वीकार किए गए हैं। मुझे मालूम है कि इसके लिए बहुत ज्यादा धन खर्च होगा लेकिन फिर भी हमें इस पर विचार करना है। भारत में कोई भी राजमार्ग ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए स्वीकार किए गये मानकों के अनरूप हो।

अब यह विशेष प्रश्न उठता है कि एक तरफ तो, ये राष्ट्रीय राजमार्ग निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है तो फिर इन राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के ऊपर क्या ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव के लिए आबंटित निधि आवश्यकता से बहुत कम है। बजट के कागजों को देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 1997–98 के दौरान सड़क मार्गों के रख–रखाव के लिए आबंटित निधि आवश्यकता से 34% कम थी। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुरूप आवश्यकता की गणना नहीं की गई है। वर्ष 1981–82 में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव के लिए आवश्यक निधि में 15.39% की कमी थी और 15% की यह कमी बढ़ते–बढ़ते 34% तक पहुंच गई। हमें इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

वास्तव में, संसाधनों की कमी है। लेकिन यहां मैं कहना चाहता था कि सरकार द्वारा मात्र कानून बनाने के ऊपर ही नहीं बल्कि सरकारी पद्धति के चुस्त–दुरुस्त, किए जाने, विभिन्न योजनाओं के कड़ाई से लागू किए जाने, विशाल संसाधनों के ऊपर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। वास्तव में, मैंने सरकार को धन्यवाद दिया है कि उसने इस विधेयक को लाया जिसकी जरूरत थी। यह एक अलग बात है कि इस विधेयक में अभी भी एक या दो कमियां हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब, अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी.एम. बनातवाला : सभापति महोदय, वास्तव में, मैंने तो अभी विधेयक के ऊपर बोलना शुरू ही नहीं किया।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, आपने 10 मिनट तो केवल विधेयक की प्रस्तावना में ही लगा दिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैडम, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जो कि सड़क मार्ग की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय : आप कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। इस विधेयक के लिए मात्र एक घंटा का समय दिया गया है। आपको मेरी समस्या समझनी चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : मुझे नहीं मालूम किसने इस तरह की समय–सीमा का सुझाव दिया है।

सभापति महोदय : यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय था।

श्री जी.एम. बनातवाला : मेरे पास कार्य मंत्रणा समिति का कोई प्रतिवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

[श्री जी.एम. बनातवाला]

सभापति महोदय, अब मैं विधेयक पर आता हूं। स्थिति क्या है ? वर्तमान स्थिति यह है कि मोटरयान में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए पंजीयन प्राधिकारी के यहां प्रार्थनापत्र देना होता है। अब किसी प्रार्थना पत्र की जरूरत नहीं होगी। अब इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इंजन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए पंजीयन अधिकरी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। केवल कुछ निश्चित शर्तें निर्धारित कर दी जाएंगी और उन शर्तों को केवल पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की पूर्व–मंजूरी के लिए किसी पंजीयन प्राधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। अब, जबकि पूर्व मंजूरी आवश्यक होती थी तो मोटरयानों से इतना अधिक प्रदूषण होता था। मुझे आशा है, कि इंजन में परिवर्तन करने के लिए केवल कुछ शर्तें विहित करके, पंजीयन अधिकारी की मंजूरी के बिना सारा कुछ संबंधित व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ देने से क्या प्रदूषण में और वृद्धि नहीं होगी। वास्तव में, मैं यह बात समझ रहा हूं कि विधेयक में यह प्रावधान है कि इंजन में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 14 दिन के अन्दर पंजीयन प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी है। लेकिन इसका क्या मतलब है ? इसका उद्देश्य केवल

तथा किए गए परिवर्तन को पंजीयन प्रमाणपत्र में दर्ज

विचार है कि इस पर और बल देने की जरूरत है।

मैं इस विशेष धारा के विषय में यही सुझाव देना चाहता हूं।

मोटरयान के इंजन में किए जाने वाले परिवर्तन से संबंधित विहित की गई शर्तों के मामले में सारा अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। राज्य सरकार अपनी समस्याओं, अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ इस बीच कहीं नहीं आती है। मेरा विचार है कि विकेन्द्रीकरण के इस युग में इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

अब मैं अंतिम बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। यह विधेयक बहुत ठीक है लेकिन और भी समस्याएं हैं जिन पर विचार किए जाने की जरूरत है। हमें पता है कि मिलावटी ईंधन भी प्रदूषण के अनेक कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है। अभी हमने सुना कि माननीय मंत्री महोदय, श्री रामनाईक जी हमें एल.पी.जी. के विषय में बता रहे थे। इसके अलावा उन सामान्य यंत्रों के विषय में भी सोचना है जो कि उस मिलावटी तेल की पहचान करते हैं जो कि न केवल पुराने कैबों एवं कारों में बल्कि नयों में भी अनेक प्रकार की समस्यायें पैदा करते हैं।

मैंने अभी–अभी पुरानी टैक्सियों की बात की। उच्चतम न्यायालय के आदेश से दिल्ली में टैक्सियों के ऊपर प्रतिबंध है लेकिन टैक्सीवाले भी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके लिए कुछ किए जाने की जरूरत है। दस साल से अधिक की टैक्सी, हां दस साल, आप नहीं चला सकते हैं। यह न्यायालय का आदेश है। लेकिन यदि आप बाहर निकलकर, स्थिति को देखें, जमीनी हकीकत को देखें तो आप पायेंगे कि ये टैक्सीचालक अत्यन्त कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार से यह अपील करुंगा कि वह देखें कि इन टैक्सी चालकों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सभी प्रयास किये जाएं, परन्तु यह आधे मन से नहीं होना चाहिए।

महोदया, मैं आपकी व्याकुलता का सम्मान करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, मोटर व्हीकल अमेंडमैंट बिल, 2000 सुरक्षा और पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए लाया गया है। सबसे पहले यह कानून 1939 में बना था। उसके बाद इसमें पहला संशोधन 1988 में हुआ और दूसरा संशोधन 1994 में हुआ। 1939 में जब यह कानून बना तब से लेकर 1998 तक भारत वर्ष में काफी एक्सीडैंट हुए। सुरक्षा व्यवस्था खतरनाक अवस्था में पहुंच गई थी। इसके साथ–साथ पर्यावरण की स्थिति भी बहुत बिगडती जा रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि इन 49 सालों में सरकार ने इसमें अमेंडमैंट करने के बारे में क्यों नहीं विचार किया ? सुरक्षा के बारे में तो हर बार कानून बनते हैं और कानून बनाने वाले बहुत आते हैं लेकिन कानून को मानने वाले लोगों की संख्या काफी कम होती जा रही है इसलिए कानून बनाने से जितना परिवर्तन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है।

इसी तरह रोड्स पर चलने वाली जो लारियां हैं, उनमें साढ़े बारह या चौदह टन तक का लोड ले जा सकते हैं। मेरा कहना है कि इस तरह का कानून होने के बावजूद हरेक लारी में 16, 18 या 20 टन का सामान ढोया जाता है। जिस तरह हम इसमें कानून बनाने का काम करते हैं, उसी तरह करप्शन भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। यदि आप 20 टन सामान लाते हैं तो आर.टी.ओ. को कुछ पैसा देने के बाद ही वह गाड़ी आगे जा सकती है। यह बहुत खतरनाक अवस्था है और इसकी वजह से काफी एक्सीडैंट होते हैं।

मेरा कहना है कि कानून तो बनने चाहिए मगर इनको सख्त बनाने से उनमें करप्शन भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। आर.टी.ओ. को भी थोड़ा सुधारने के बारे में हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। आर.टी.ओ. डिपार्टमैंट पैसा खाने वाला डिपार्टमैंट है। जब तक उनको देने वाले लोग हैं तब तक वे खाने वाले हैं। जिस तरह राजमार्ग पर गाड़ी चलती है, उसी तरह आपका नाम भी राजनाथ सिंह है। आप राजमार्ग को सुधारने के लिए जो बिल लाये हैं, उनमें मेरा इतना ही सुझाव है कि हमें आर.टी.ओ. डिपार्टमैंट को भी थोड़ा सुधारने के लिए विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आजकल एक्सीडैंट्स की संख्या बढ़ती जा रही

है। इस संबंध में मेरा कहना है कि वनवे सड़क होनी चाहिए। जब हम हाईवे बनाते हैं तो वे हमें इंटरनेशनल हाईवे की तरह बनाने चाहिए। एक गाड़ी जब इधर से जाती है और दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो हमारी गाड़ी उसे ओवरटेक नहीं कर सकती। इसी तरह से श्री राजेश पायलट जी का एक्सीडैंट हुआ। एक गाड़ी उधर से जाती है और दूसरी गाड़ी इधर से जाती है तो उसके लिए रोड भी चौड़े करने की आवश्यकता है। वन–वे सिस्टम होना चाहिए। ऐक्सीडैंट्स सिर्फ रोड्स पर होते हैं, ऐसा नहीं है। रोड्स पर तो एक्सीडैंट्स होते हैं लेकिन सरकार का भी बहुत बड़ा एक्सीडैंट होता है जैसे अभी शिव सेना ने हंगामा मचाया था। जब एन.डी.ए. इधर से आएगी और शिव सेना उधर से आएगी तो एक्सीडैंट होना ही है। जिस तरह गाड़ी को चलाते हैं उसी तरह सरकार को चलाने के लिए ज्यादा मैम्बर होने चाहिए। यदि मैम्बर कम होंगे तो एक दिन ऐक्सीडैंट हो जाएगा। वह ऐक्सीडैंट कब होगा, यह मैं नहीं बताऊंगा।

इस बिल के बारे में मेरा एक सुझाव है। श्री राज नाईक अभी बैठे नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पर्यावरण को सुधारने के लिए डीजल और पेट्रोल में मिलावट को कम करना होगा। पेट्रोल पम्पों के मालिकों का कहना है कि हम मिक्सिंग नहीं करेंगे। पेट्रोल और डीजल देने वाले लोगों के कमीशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे मिक्सिंग कम होगी। ...*(व्यवधान)*

कई ड्राईवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। कुछ लोग शराब पिए बिना गाडी नहीं चला सकते। जिस तरह ड्राईवर शराब पीकर गाड़ी चलाता है उसी तरह आपकी सरकार भी चल रही है। सरकार को भी चलना है और गाड़ी को भी चलना है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वहां भी मिक्सिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है।

श्री रामदास आठवले : मेरा कहना है कि ड्राईवर पर पाबन्दी होनी चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राईवर का लाइसेंस यदि एक बार कैंसिल कर दिया तो उसे दुबारा लाईसैंस नहीं देना चाहिए। इस तरह का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

एल.पी.जी. गैस लगाकर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इससे इंजन जल्दी खराब हो जाता है। इस बारे में संशोधन करने की आवश्यकता है। आप इसके लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन पहले से ही बहुत सी गाड़ियां और टैक्सियां गैस सिलेंडर से चल रही हैं। इस बारे में इन्क्वारी करने की आवश्यकता है। यदि गैस सिलेंडर लगाने से गाड़ी का इंजन जल्दी खराब होंगा तो उसे गाड़ी में लगाने की आवश्यकता नहीं है।

हर साल साठ–सत्तर हजार लोग ऐक्सीडैंट में मरते हैं। ऐक्सीडैंट्स को कम करने के बारे में सबको विचार करना होगा। इसके लिए मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज को वन वे बनाने की आवश्यकता है। जब तक आप वन वे रोड्स नहीं बनाएंगे तब तक सरकार भी पांच साल तक नहीं चलेगी।

मैं इस बिल का समर्थन इसलिए नहीं करता क्योंकि कानून बनते तो हैं लेकिन कानून को मानने वाले लोग बहुत कम हैं। यह कानून ज्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा ठीक है। इस बिल में आप ज्यादा से ज्यादा सुधार करने के बारे में प्रयत्न करें। जो कानून बने, अधिकारियों को उस कानून की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कानून बनता है और रोज अधिकारी उस कानून को तोड़ते हैं। लोग थोड़ा सा कानून तोड़ते हैं उनको सजा दी जाती है लेकिन जो अधिकारी कानून तोड़ते हैं, उनको अंदर करने के बारे में भी इसमें प्रावधान करने की आवश्यकता है।

जब तक आप सब लोग राज से बाहर नहीं होंगे, तब तक राज चलने वाला नहीं है। राजनाथ सिंह साहब, अगर इसमें सुधार होने वाला है तो मैं बैठूंगा। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : माननीय सभापति जी, मोटर व्हिकल एमेंडमेंट बिल, 2000 का मैं समर्थन करता हूं।

लेकिन इसके साथ–साथ माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ आवश्यक एमेंडमेंट इसमें रह गये हैं। मोटर व्हिकल एक्ट, 1988 के कानून में कई पहलू हैं। एक पहलू तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, गाड़ी चलाने के नियम का हो गया और दूसरा पहलू कम्पेंसेशन का है। मोटरयान अधिनियम, 1988 में कम्पेंसेशन देने में विसंगति है। कोई व्यक्ति रोड पर मर जाता है तो उसको कम्पेंसेशन देने के लिए आपके यहां कई धाराएं आपके कानून में बनी हुई हैं। धारा 161 में एक प्रोवीजन है, एक आदमी रोड पर जा रहा है, वह सामने की गाड़ी से टकरा गया, यदि गाड़ी का नम्बर मालूम है कि किस गाड़ी ने उस आदमी को मारा है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कम्पेंसेशन 50 हजार रुपये देने का प्रोवीजन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सड़क पर पैदल चला जा रहा है या साइकिल से चला जा रहा है, उसको कोई गाड़ी अगर टक्कर मारकर चली गई तो ऐसी स्थिति में उसको केवल 25 हजार रुपये कम्पेंसेशन देने का प्रोवीजन इस एक्ट में है। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री जी, कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाये। मेरा निवेदन है कि यह भिन्नता क्यों है। जिस आदमी को चोट लगी है, वह आहत हुआ है, जो आदमी एक्सीडैंट में आहत हो गया, मर गया तो दोनों लोगों के परिवारों को कम्पेंसेशन दिया जाता है और दोनों स्थितियों में दोनों परिवारों को कम्पेंसेशन की बराबर की आवश्यकता है। मैं सैक्शन 140 के सैकिण्ड पार्ट में पढ़कर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा सैक्शन तो काफी लम्बा है :

[श्री सुन्दर लाल तिवारी]

[अनुवाद]

त्रुटि न होने के सिद्धांत पर कतिपय मामलों में प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व : "ऐसे प्रतिकर की रकम, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उपधारा (1) के अधीन संदेय होगी, पचास हजार रुपयों की नियत राशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के बारे में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम पच्चीस हजार रुपये की नियत राशि होगी।"

[हिन्दी]

यह क्लियर है कि सैक्शन 140 से 50 हजार रुपये की लायबिलिटी है, 50 हजार रुपया इंश्योरेंसे कम्पनी देती है।

[अनुवाद]

धारा 161 में कहा गया है : "टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबन्ध — (1) इस धारा, धारा 163 के प्रयोजनों के लिए ...."

यह प्रोवीजन है हिट एंड रन, जो मार कर चला गया, ऐसी परिस्थिति में आपने 161 (3) (ए) में कहा है :

[अनुवाद]

"टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में पच्चीस हजार रुपये की नियत राशि"

[हिन्दी]

यहां पर केवल 25,000 रुपए दिए हैं। यह भिन्नता कानून में क्यों है। मेरा निवेदन है कि दोनों स्थितियों में धारा 140 और 161 में मुआवजा दिया जाता है जो व्यक्ति अपाहिज हो गया हो या जिसकी मृत्यु हो गई हो उसके परिवार वालों को। अगर मुआवजे का प्रावधान रखा है तो भिन्नता क्यों है। एक में आप 25,000 रुपए दे रहे हैं और दूसरे केस में 50,000 रुपए दे रहे हैं।

[अनुवाद]

"टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर अदायगी संबंधी योजना"

[हिन्दी]

आपने एक स्कीम बनाई है। जिसके तहत कलेक्टर को जिले में अधिकृत किया है और एक कमेटी है जिसको कानून के माध्यम से अधिकृत किया है कि वह परीक्षण करने के बाद 25,000 रुपए देती है। मोटर व्हीकल एक्ट में आपने एक सीमा रखी थी कि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना से मर जाता है तो उसके परिजन छः महीने के अंदर अदालत में क्लेम दायर कर सकते हैं, लेकिन उस सीमा को आपने खत्म कर दिया है। अब मृतक का कोई भी परिजन मुआवजे के लिए कभी भी आवेदन पत्र दे सकता है और उसको मुआवजा मिलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब कोई वाहन टक्कर मार कर चला जाए और जिसका नम्बर मालूम नहीं हो, उसमें आज भी आपने छः महीने की सीमा रखी है कि अगर इस अवधि में आवेदन पत्र नहीं देता तो उसके परिजन मुआवजे के अधिकारी नहीं होंगे। अगर एक सीमा एक परिस्थिति में खत्म कर दी है तो दूसरी में रख कर दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। वहां भी यह खत्म होनी चाहिए। आहत या मृतक के परिवार के लोग कभी भी आवेदन पत्र दे सकते हैं।

सभापति महोदय, मैंने दो बिंदुओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। आपको जिन लोगों ने इस कानून के संशोधन के बारे में राय दी हो या आपने जानकारी प्राप्त की हो, आपने इस बिल में मानव जाति को सहयोग करने वाली इस बात को छोड़ दिया है। अगर आज भी यह संशोधन रह जाएगा तो एक लम्बा समूह इस लाभ से वंचित रहेगा। इंशोरेंस कम्पनीज इसका लाभ उठाती रहेंगी, क्योंकि वे नहीं चाहतीं कि इस तरह का संशोधन हो।

मैं आपके मूल संशोधन का समर्थन करता हूं, लेकिन यह भी चाहता हूं कि मेरे बताए दो बिंदुओं को अपनाकर आप इस बिल को ठीक करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय : राशिद अलवी जी, आपको पांच मिनट का समय दिया जा रहा है, उसके बाद मंत्री जी को रिप्लाई देना है और समय कम है।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा) : मंत्री जी का जवाब लम्बा होना चाहिए, बिल के अनुरूप होना चाहिए।

सभापति महोदय : सबने बिल का समर्थन किया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : मैडम चेयरपरसन, मोटर वैहिकल एक्ट, 2000 जो सदन में पेश किया गया है, उसके बारे में मेरा निश्चित मत है कि यह बिल बहुत जल्दी में लाया गया है, बहुत जल्दी में ड्राफ्ट किया गया है। आब्जैक्ट एंड रीजन्स को पढ़ने से लगता है कि इस बिल का एक ही मकसद है कि मोटर और कारों के अन्दर एलपीजी के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाए। सरकार को मालूम होगा कि पहले से ही नजायज तौर पर, गैरकानूनी तरीके के खुल्लम–खुल्ला एलपीजी का इस्तेमाल गाड़ियों के अन्दर हो रहा है। शायद सरकार अब उसको लीगलाइज करना चाहती है। अगर सरकार काम्प्रिहैंसिव तरीके से, सोच–विचार करके इस बिल में अमेंडमेंट लाती, तो ज्यादा बेहतर होता। मोटर वैहिकल एक्ट में बड़ी तबदीली की जरूरत है, लेकिन

एलपीजी से संबंधित यह बहुत ही छोटा संशोधन प्रस्तुत किया गया है। दिन प्रतिदिन ऐक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। लोग मोटर बैहिकिल की इज्जत नहीं करते है। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस इसको नजरअन्दाज करती है। दिल्ली के अन्दर ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जहां जीरो–टालरैंस लिखा होता है, लेकिन वहां पर लोग अधिक आर्फैसेस करते हैं। इस कानून को लागू करने के लिए सरकार के पास विल की जरूरत है। जब तक सरकार के पास विल नहीं होगी, तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। मैं इस बिल के बारे में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मुझे जानकारी है, गाड़ी में एलपीजी लगवाने से गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। गाड़ियां स्पीड से नहीं चल सकती हैं, जिस स्पीड से पेट्रोल या डीजल से चलती है। उनकी स्पीड बहुत हद तक कम हो जाएगी। 70–80 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा गाड़ियां नहीं चल पायेंगी। मुझे मालूम नहीं है, सरकार ने इस बारे में एक्सपर्ट्स से राय ली है या नहीं, अगर राय ली होती, तो बेहतर होता या एक्सपर्ट्स की कोई कमेटी बना दी जाती, तो बेहतर होता। एलपीजी को लगाने से कितना पोल्युशन कम होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। दिल्ली के अन्दर जितना पोल्युशन है, उतना पोल्युशन दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है। सरकार ने कम्पलसरी किया है कि हम मोटर वाले को पोल्युशन सर्टिफिकेट लेना होगा। मैं आपको हाल ही की एक पेट्रोल पम्प की घटना सुनता हूं। एक बहुत पुरानी कार पोल्युशन चैक कराने के लिए आई। मशीन की सुई आखिरी हिस्से तक पहुंच गई, लेकिन उस व्यक्ति ने दुगुना पैसा देकर सर्टिफिकेट ले लिया। मैं इस बात को सरकार की नोटिस में लाना चाहता हूं। आप एलपीजी को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थी। अगर आप राय नहीं लेंगे, तो मुझे खतरा है कि एक्सीडैंट्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। मोटर वैहिकल एक्ट में कम्पैंसेशन का एक प्रोवीजन है, जिसको इम्मिडिएट बदलने की जरूरत है। तीन–चार–पांच साल तक लोगों को कम्पैंसेशन नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में कनसिक्वैंसेस बहुत बड़े होने वाले हैं।

मैडम, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, दो–तीन बिन्दुओं पर अपने विचार रखना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैडम, बिल में एक प्रोवीजन किया गया है कि जिनके पास दस गाड़ियां होंगी, उनको परमीशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यह शर्त इसलिए लगाई गई कि जिनकी दस बसें होंगी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इस सभा का संचालन सभापति द्वारा होता है अथवा संसदीय कार्यमंत्री द्वारा ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप बोलने वाले अंतिम व्यक्ति हैं, क्योंकि मंत्री जी को 4 बजे से पहले उत्तर देना है और उसके बाद जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित संकल्प पर चर्चा शुरू होनी है।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं सभा का संचालन नहीं करता हूं। मूलरूप से, दो घंटे का समय दिया गया था। हमने पहले ही तीन घंटे का समय ले लिया है।

श्री राशिद अलवी : मुझे दुःख है कि मैं अंतिम वक्ता हूं। आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री प्रमोद महाजन : हमें चार बजे दूसरी चर्चा शुरू करनी है। अन्यथा, हमें इस चर्चा को समाप्त करने में एक और दिन लगेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अलवी साहब, मैंने आपको एकोमोडेट कर दिया, आपका नाम ओरिजनली नहीं था। अब आप जल्दी खत्म करिए।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : ठीक है, मेरी आवाज तो जीरो ऑवर में भी चिल्लाते–चिल्लाते बैठ गई, मुझे इन लोगों ने बोलने नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप डिस्टर्ब मत करिए, इन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए।

श्री राशिद अलवी : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो दस बसों का प्रोविजन है, मैं उसे समझने से कासिर हूं, इसे रीथिंक करना चाहिए। दूसरी बात आपने यह कही है कि आप 14 दिन की एप्रूवल के लिए कंडीशन रखेंगे, वह 14 दिन के अंदर–अंदर आथोरिटीस को बता दी जाए। इसके अंदर भी कुछ शर्त लगानी चाहिए, वरना लोग इसका नाजायज़ फायदा उठाएंगे।

इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बहुत सारे व्हीकल्स बगैर परमिट और इजाजत के चलते हैं। आप तो जानते होंगे कि वहां जुगाड़, नाम का एक व्हीकल चलता है, जिसके ऊपर कोई नम्बर नहीं होता, उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं होती। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर खास तौर से तवज्जो दें और इस तरीके के कानून बनाएं।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : सभापति महोदय, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बिल पर जब चर्चा हो रही थी तो मैं सुन रहा था। हमने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं उन्होंने केवल उसी पर विचार व्यक्त नहीं किए हैं बल्कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल में एक कॉम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट लाने की बात भी माननीय सदस्यों ने कही है। वैसे तो इस चर्चा में लगभग 13 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन

[श्री राजनाथ सिंह]

मेरे समक्ष सबसे बड़ा संकट यह है कि चार बजे ही मुझे अपना भाषण समाप्त करना है और माननीय सदस्यों ने कई प्रमुख बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इतने कम समय में सभी माननीय सदस्यों का अलग–अलग उत्तर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे दूं।

यहां स्कूल बसों के परमिट की व्यवस्था के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। उनका कहना है कि स्कूल बसों के लिए परमिट की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। लेनि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कई ऐसी गंभीर दुर्घटनाएं हो गई हैं, जिनमें काफी संख्या में बच्चे आहत हुए हैं। दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमारे मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। लोगों ने कहा है कि यह परमिट निःशुल्क होना चाहिए। यह स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिकशन है, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी शुल्क निर्धारित करना चाहती है, उतना कर सकती है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कुछ माननीय

ह भी सुझाव दिया कि जो स्कूल बसें हैं, उनका एक विशेष

ग होना चाहिए। यह तो स्कूलों पर निर्भर करता है कि वे अपना स्कूल की बसों का कौन सा रंग रखना चाहते हैं। वे जो भी रंग रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे तो विद्यालयों के लिए एक प्रकार का कलर प्रेसक्राइब कर सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूल और कालेजों की चार्टर्ड बसों के लिए जो व्यवस्था है, उन बसों के लिए हम कोई स्पेसिफिक कलर प्रेसक्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय है, जिनकी अपनी बसें नहीं है लेकिन वे चार्टर्ड बसें रखते हैं।

सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम जो 58(4) डिलीट कर रहे हैं, उसे डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसे इसलिए डिलीट कर रहे हैं ताकि छोटी गाड़ियों में बड़ी केपेसिटी के टायर लगा कर ज्यादा लोड केरी करने के कारण सड़कों की जो क्षति हो रही है और यातायात असुरक्षित हो रहा है, उसे रोका जा सके।

इस अमेंडमेंट के कारण मोटर–वाहन रूल्स में और इस नोटिफिकेशन में जो भी चेंज करने की आवश्यकता होगी, जिससे इस अमेंडमेंट का उद्देश्य पूरा हो सके, हम उसी प्रकार के रूल्स बनाएंगे, यह मैं संसद को आश्वासन देना चाहता हूं।

कुछ सम्मानित सदस्यों ने आशंका जाहिर की है कि इसका पूरा इंफोर्समेंट नहीं हो पायेगा। यह ठीक है कि पॉलिसी हम बनाते हैं लेकिन इसका इंफोर्समेंट राज्य सरकारें करती हैं। पहले भी देखने में आया है कि कानून और नियम तो बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, वह समुचित रूप से नहीं हो पाता है। हम मोटर–वाहन एक्ट के माध्यम से देश में रोड ट्रांसपोर्ट को रैगूलेट करने का काम करते हैं, लेकिन इंफोर्समेंट तो राज्य सरकारें ही करती हैं। अभी जून में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की सभा हुई थी जिसमें उन्होंने भी बहुत सारी कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था और सबकी सहमति बनी थी कि एक सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं उनको भी सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो हमें क्या करना है, परमिट लेना है तो क्या करना है और कितने दिनों में हमें लाइसेंस और परमिट प्राप्त हो जायेगा। हमने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स से आग्रह भी किया है कि वे सिटीजन चार्टर की व्यवस्था को अपने–अपने राज्यों में लागू करें। हम ऐसा इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि लाइसेंस और परमिट देने में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कुछ सम्मानीय सदस्यों ने शिकायत की है कि ड्राइविंग लाइसेंस जितनी जांच पड़ताल के बाद दिये जाने चाहिए, उतनी जांच पड़ताल के बाद नहीं दिये जाते। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को तो ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे–बैठे ब्रोकरों के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। हम में से भी बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जिनको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं हुई होगी बल्कि घर बैठे–बैठे ही उनको वह प्राप्त हो गया होगा। इसके लिए कुछ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है और इस पर भी हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

कुछ सम्माननीय सदस्यों ने कहा है कि जिनके पास दस वाहन से ज्यादा हैं उनके लिए तो आपने आल्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है लेकिन जिनके पास दस वाहन से कम हैं उनके लिए यह सुविधा मुहैया आपने नहीं कराई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का भेद–भाव हमने नहीं किया। सैक्शन 52(1) के अन्तर्गत जो रूल्स बनाए जायेंगे, उनमें पर्मिशन आदि की व्यवस्था की जायेगी, ऐसा मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। जब सेम–मेक और सेम–टाइप के इंजन को रिप्लेस किया जायेगा, तब सूचना देने की व्यवस्था है और यही इस संशोधित बिल में मैंने व्यवस्था की है। जब इस संबंध में रूल्स बनाए जायेंगे तब उसमें यह व्यवस्था अवश्य करेंगे कि इस सुविधा का किसी भी सूरत में दुरुपयोग ने होने पाये। अभी माननीय खंडूड़ी जी जब अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 14 दिन का समय रूल्स के उल्लंघन को रैगूलराइज करने के लिए आपने दिया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने नियम का उल्लंघन करने वालों को कोई विशेष सुविधा मुहैया नहीं कराई है बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि यह राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये रूल्स के अन्तर्गत जो सबसे अधिक वाहनों के मालिक हैं वे अपनी गाड़ियों में सेम–टाइप और सेम–मेक के इंजन से बदलाव करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

और इसका विवरण, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के रिकॉर्ड के लिए वह 14 दिन में उस रजिस्ट्रिंग एथॉरिटी को सूचित कर देंगे। इसी उद्देश्य से ही हमने 14 दिन में रजिस्ट्रिंग एथॉरिटी को सूचना देने की बात इस विधेयक में की है।

रोड एक्सीडैंट के बारे में सम्मानित सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। हम सभी जानते हैं कि खराब रोड के कारण दुर्घटनाएं होती हैं जबकि ऐसी बात नहीं है। विकसित देशों में सड़कों की अच्छी हालत होने के कारण भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं पिछले दिनों मलेशिया में था। मुझे बताया गया कि जब से वहां की सड़कों की हालत अच्छी हो गई, तब से दुर्घटनाओं की संख्या गाड़ियों के तेज चलने के कारण बढ़ गई। मैं इस बात को समझता हूं कि ट्रैफिक सैंस लोगों में डेवलप करना चाहिए। सड़कों की हालत सुधारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है। मै राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा जो स्टेट हाइवेज हैं, वे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न करें।

श्री राजो सिंह जी ने बिहार की सड़कों के सम्बन्ध में अपनी चिंता व्यक्त की। मैं उन्हें जानकारी देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने जितनी धनराशि बिहार को मुहैया कराई, उसका उपयोग पिछले वित्त वर्ष में सड़कों के निर्माण, सड़कों की स्थिति सुधारने में नहीं हो पाया। ट्रैफिक सैंस लोगों का किस प्रकार बढ़े, हम इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमने इस बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में एक यूनिफाइड एथॉरिटी बनाने पर विचार किया है। उसमें स्टेट पुलिस के लोग होंगे, ट्रांसपोर्ट एथॉरिटी के लोग होंगे और नेशनल हाइवे एथॉरिटी के लोग होंगे। इसकी मॉडैलिटी का वर्क आउट करने के लिए हमने अपने राज्य मंत्री श्री हुक्मदेव नारायण यादव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी और यूनिफाइड एथॉरिटी का गठन हो जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि क्राइम और एक्सीडैंट को कैसे कम किया जाए? जो मॉडैलिटी वर्क आउट की जाएगी, वह उसमें सामने आ सकेगी।

इसके अतिरिक्त सम्मानित सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि यह बिल पारित हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा लेकिन रूल जल्दी नहीं बन पाएंगे। किसी सम्मानित सदस्य ने यह भी कहा कि 1988 में एक्ट बन गया लेकिन रूल बन नहीं पाया। मैं उस सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1988 में एक्ट बनने के छः महीने में रूल बन गया था। हम यहां जो अमैंडमैंट कर रहे हैं, उसके बाद दो–ढ़ाई महीने में रूल बन जाएगा। रूल इस बात को ध्यान में रख कर बनाया जाएगा ताकि इस संशोधन का जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो सके।

सबसे महत्वपूर्ण बात प्रदूषण को कम करने की है। इस संसोधन विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी कि हम पेट्रोल की जगह एल.पी.जी. फ्यूल का प्रयोग कर सकेंगे। राम नाइक जी ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है कि एल.पी.जी. फ्यूल का उपयोग सस्ता होगा और प्रदूषण कम होगा।

इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से बिन्दु हैं लेकिन समय अभाव है। एक महत्वपूर्ण बिन्दु जो सुन्दर लाल जी द्वारा उठाया गया है, उसका जिक्र करना चाहता हूं। सैक्शन 140 और सैक्शन 161 की विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी बात कही। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इंश्योरेंस कम्पनी और वित्त मंत्रालय से विचार–विमर्श करके जो भी आवश्यक होगा, हम इसके बारे में निर्णय करेंगे।

हिट ऐंड रन के मामले में केस दायर करने की जो समय सीमा होती है, वह समय सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस संशोधन बिल पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें चार बजे जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा स्वायत्तता के सम्बंध में पारित संकल्प पर नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करनी थी। यदि सभा की अनुमति हो, तो इस पर चर्चा, विधेयक पारित होने के बाद शुरू की जा सकती है।

अनेक माननीय सदस्य : हम सहमत हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटरयान विधेयक 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड–वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.07 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू कश्मीर विधान सभा द्वारा स्वायत्तता के लिए पारित संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इससे पहले कि सभा यह चर्चा शुरू करे, मुझे एक घोषणा करनी है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : (रत्नागिरी)। सभापति महोदय, मैंने इस विषय पर नियम 184 के अंतर्गत नोटिस दिया है। मेरे नोटिस का क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूं ?

सभापति महोदय : अभी तो रूल 193 के अंतर्गत चर्चा हो रही है। मुझे पता नहीं, मैं पता करूंगी।

[अनुवाद]

मैं सभा को यह सूचित कर दूं कि श्री विलास मुत्तेमवार, जिनके नाम से आज की कार्य सूची में यह मद सूचीबद्ध है, ने आज अपने पत्र में यह अनुरोध किया है कि श्री माधवराव सिंधिया को उनके स्थान पर, इस विषय पर चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए तथा अध्यक्ष महोदय ने श्री मुत्तेमवार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदया, मुझे श्री माधवराव सिंधिया के बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरा अनुरोध हैं कि इसे भविष्य में पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे इस समय उनके बोलने पर एक अपवाद के रूप में कोई आपत्ति नहीं है।

सभापित महोदय : यह निर्णय अध्यक्ष ने लिया है।

अपराह्न 4.08 बजे

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए।

श्री वैको (शिवकाशी) : जब कार्य सूची में किसी सदस्य का नाम अंकित होता है, तो सामान्य प्रक्रिया यह है कि उसी सदस्य को चर्चा शुरू करनी चाहिए। यदि वह ऐसी स्थिति में नहीं है, तो दूसरा नाम पुकारा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि इसे भविष्य में चर्चा के लिए पूर्वोदाहरण नहीं माना जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, आप नियम 193 के अधीन चर्चा करवा रहे हैं। मैंने इसी विषय पर नियम 184 के अंतर्गत नोटिस दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे नोटिस का क्या हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में पता करने दीजिए।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, 27 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरिसिंह ने अधिमिलन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जिससे जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना था। महोदय मैं कह सकता हूं कि यह एक अपरिवर्तनीय और आकट्य तथ्य है। इस तिथि के बाद की संवैधानिक घटनाएं भी अच्छी तरह से अभिलेखित हैं — 1948 में शेख अब्दुल्ला की आयात प्रशासन के प्रमुख के रूप में नियुक्ति, 1949 में युवराज कर्णसिंह की रीजेंट के रूप में नियुक्ति; रीजेंट द्वारा 1951 में संविधान सभा की बैठक बुलाना; 1952 में कर्ण सिंह का सदर–ए–रियासत के रूप में चयन तथा शेखअब्दुल्ला का प्रधानमंत्री के रूप में चयन, बाद में उनकी बर्खास्तगी तथा गिरफ्तारी; बक्शी गुलाम मोहम्मद की नियुक्ति; 1956 में संविधान सभा की समाप्ति; कश्मीर संविधान का लागू होना तथा बाद में 1963 में ख्वाज़ा शमशुद्दीन और जी॰एम॰सादिक के शासन।

इसलिए, मैं यह कहने की कोशिश कह रहा हूं कि इस अवधि के दौरान कई केन्द्रीय अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान लागू हुए तथा जम्मू और कश्मीर विधानसभा की पूर्ण सहमति से इन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू किया गया।

इसकी शुरूआत संविधान आदेश, 1954 की उद्घोषणा के साथ हुई तथा इसके बाद सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डाक एवं तार का क्षेत्राधिकार भी वहां तक बढ़ाया गया। 1960 में उच्चतम न्यायालय को, विशेष अनुमति याचिकाओं को स्वीकार करने की अनुमति दी गई; तथा निर्वाचन आयोग को चुनाव के जरिए पर्यवेक्षण संबंधी भूमिका की अनुमति दी गई; यद्यपि चुनाव राज्य के कानूनों के अंतर्गत ही रहे। 1964 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 लागू किए गए तथा कुछ केन्द्रीय श्रम कानून भी लागू किए गए। श्रीमती गांधी और शेख अब्दुल्ला द्वारा नामांकित अधिकारियों के बीच 1975 के समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, 1947 और 1975 तथा तब 1953 और 1975 के बीच हुई घटनाओं को ध्यान में रखा गया। तद्उपरान्त श्रीमती गांधी ने 24 फरवरी 1975 को उक्त स्थिति संसद के समक्ष रखी। इन चीजों को उद्धत करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इन उद्धरणों में समय की भावना प्रतिबिम्बित होती है। उस समय भी चिन्ता थी उसक समय भी अभिलाषाएं थीं। लेकिन विषय के हर पहलू पर विस्तृत चर्चा कर लेने के पश्चात् एक संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे। और मैं उसे उद्धत करता हूं जो श्रीमती गांधी ने 24 फरवरी 1975 को संसद में कहा था;

"फारूख अब्दुल्ला राज्य और केन्द्र के बीच संवैधानिक सम्बन्ध, जो कि 1953 में थे जब वह सत्ता में थे, को आरम्भ करने में अत्यन्त इच्छुक थे।"

"यह उन्हें स्पष्ट किया गया था कि समय की घड़ी को इस प्रकार से पीछे नहीं घुमाया जा सकता। मिर्जा अफज़ल वेंग ने राज्य के संविधान के मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधानों के हस्तांतरण राज्य विधानपालिका के चुनावों पर भारत के चुनाव आयोग के पर्वेक्षण और नियंत्रण को हटाना और अनुच्छेद 354 का संशोधन ताकि उस राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति अपेक्षित हो, के लिए दवाब डाला। इन प्रस्तावों में ये किसी पर भी सहमत होना सम्भव नहीं था।" आगे उन्होंने कहा :

"मैं शेख अब्दुल्ला को श्रेय देना चाहूंगी कि इन मुद्दों पर उनके कठोर रुख होने के वावजूद, उन्होंने किए गए निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया था।"

इस सन्धि के परिणामस्वरूप शेख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री बने। यह मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस दल राजनीतिक दल है लेकिन यह राजनीतिक दल है जो बेहतर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किसी भी सहायक पक्षपात में विश्वास रखती हैं।

इस सन्धि का अनुपालन अभूतपूर्व उदाहरण है। जब शेख अब्दुल्ला विधान सभा में नेशनल कांफ्रेंस के सदस्य विहीन होने पर मुख्य मंत्री बने। कांग्रेस मुख्य मंत्री, जिन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त था, इस सन्धि के अनुपालन में राष्ट्रीय हित में पदच्युत हुए और उन्होंने अपना पदभार उन्हें सौंपा और सभी कांग्रेस सदस्यों से शेख अब्दुल्ला का राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में समर्थन करने को कहा। मैं समझता हूं यह उत्कृष्ट उदाहरण है किस प्रकार सभी राजनीतिक दलों को विश्लेषण करना होगा। उन्हें उनके पक्षपातपूर्ण विचारों का परित्याग बेहतर राष्ट्रीय हित में करना होगा।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : 1975 की सन्धि कांग्रेस दल द्वारा तोड़ी गई थी।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि त्याग की भावना विद्यमान संकट को निपटाने में बिल्कुल अदृश्य रही है।

1975 के पश्चात् सभी संघीय कांग्रेस सरकारों ने यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया था और स्थिति सामान्य हुई थी। लेकिन यह स्थिति नवम्बर–दिसम्बर 1989 में राजीव गांधी सरकार के अपदस्थ होने के पश्चात् छिन्न–भिन्न हो गई। कश्मीर की सुन्दर घाटी में 1989 के शरत काल के दौरान सबसे अधिक संख्या में पर्यटक आए/बी पी सरकार के सत्ता में आने के एक सप्ताह के भीतर पूरी घाटी ज्वाला की लपटों में घिर गई। तत्कालीन गृह मंत्री की पुत्री रूबिया का अपहरण किया गया और आतंकवादियों और भ्रष्ट युवकों द्वारा कुछ वर्गों विशेषकर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किये गए जिससे उनका घाटी से कूच शुरू हुआ। इस समुदाय ने भी जम्मू और कश्मीर के विकास में अभूतपूर्व अंशदान किया है और यह दुख की बात है कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है उस समय सरकार स्थिति को सम्भाल न सकी। आज तक उनमें से कई पंडित दयनीय स्थिति में रह रहे हैं।

1991–96 की कांग्रेस सरकार ने सीमा पार से की गई बगावत का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया और 1995 में कांग्रेस–नेशनल कांफ्रेस समझौता कराने के लिए पर्याप्त सामान्य स्थिति बहाल करा सकी जहां नेशनल कांफ्रेस चुनावों में भाग लेने के लिए सहमत हुई। परवर्ती चुनावों में नेशनल कांफ्रेस को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ और उसने घोषणा की कि वे स्वायत्तता के लिए और प्रस्ताव का सुझाव देंगे।

लेकिन आप स्वायत्तता की परिभाषा किस प्रकार करते हैं ? यह परिरेखा व्यक्तियों में भिन्न–भिन्न होती है। यदि स्वायत्तता का अर्थ ह्रास, विकेन्द्रीकरण, अधिक वित्तीय शक्तियां अथवा पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति प्रदान करने से है तो हम स्वायत्तता पर बातचीत कर सकते हैं लेकिन वह स्वायत्तता नहीं है जो कि सीमाओं अथवा कहीं भी पृथकवादी को प्रेषित करता हो। हमने अपने विचार इस पर विल्कुल स्पष्ट किये हैं।

श्री अली मोहम्मद नायक : हम मात्र स्वायत्तता चाहते हैं ... *(व्यवधान)* हम स्वायत्तता के साथ भारत का अंग बने रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक कृपया बाधा मत डालिए।

श्री माधवराव सिंधिया : इसके अनुसरण में, राज्य सरकार ने दो समितियों — राज्य स्वायत्तता समिति और क्षेत्रीय स्वायत्तता समिति का गठन किया। दोनों समितियों की शुरूआत डा. कर्ण सिंह के एक समिति के चेयरमैन की हैसियत से और श्री बलराज पुरी के अन्य समिति के चेयरमैन की हैसियत से त्यागपत्र देते हुए शतरंजी कार्यकाल से हुई। निसन्देह उनकी जगह श्री मोइनुद्दीन शाह और प्रो. रियाज पंजाबी ने ली थी।

कल इस चर्चा में भाग लेते हुए मेरे अत्यन्त सम्मानीय और माननीय मित्र श्री मुलायम सिंह ने डा. कर्ण सिंह के बारे में कई मुद्दे उठाए थे। मुझे विश्वास है कि उन्हें स्वयं इस स्थिति के बारे में गलतफहमी है। मैं उन्हें सभा को भ्रामित करने के प्रयास के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। वह एक वरिष्ठ और सम्मानीय सदस्य हैं लेकिन मैं उस गलतफहमी को स्पष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि स्वायत्तता समिति के चेयरमैन डा. कर्ण सिंह — इस तथ्य की चर्चा किये बिना कि उन्होंने त्यागपत्र दिया और कांग्रेस दल में शामिल हुए — कांग्रेसी [illegible] इस कारण कांग्रेस दल के साथ, इस स्वायत्तता समिति के

मैं इस गलत अवधारणा को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह समिति 29 नवम्बर 1996 को गठित की गई थी डा. कर्ण सिंह ने महसूस किया कि पूरा रवैया अधिकतमवादी रिपोर्ट देना था। वहां विशेष प्रकार से रिपोर्ट देने पर दवाब डाला जा रहा था और इसीलिए उन्होंने — नियुक्ति के कुछ महीनों के भीतर–त्याग पत्र दे दिया। वह 29 नवम्बर, 1996 को नियुक्त किये गए थे और अपनी नियुक्ति के 7 महीनों के भीतर उन्होंने जुलाई 1997 को त्यागपत्र दे दिया। समिति की रिपोर्ट दो वर्ष के पश्चात् अप्रैल, 1999 में आई। डा. कर्ण सिंह ने 6 अगस्त, 1999 उसके भी बाद में कांग्रेस दल में शामिल हुए थे। तत्पश्चात् वह प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि उस समय समाजवादी दल ने लखनऊ में प्रधान मंत्री श्री बाजपेयी के विरुद्ध सीधे मुकाबले को कराने के लिए अपने उम्मीदवार को घटाने से इंकार कर दिया था। मैं रिकार्ड ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री फारूख अब्दुल्ला ने कई बार अपनी विचारधारा बदली है। एक दिन वह कुछ कहते हैं और अगले ही दिन वह कुछ और कहते हैं। वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरे मन में उनके लिए काफी प्यार और आदर है। कभी वह कहते हैं कि वह कश्मीर के लिए 1953 से पहले की स्थिति चाहते हैं और अगली ही बार वह कहते हैं कि वहां कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लेकिन यदि वह विस्तार में स्वायत्तता दस्तावेज पढ़ने का कष्ट करें तो जिसको पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए वह कह रहे हैं तो उसके प्रभावस्वरूप कई पहलुओं में वह आपको 1953 से पहले की स्थिति में ले जाती है।

सिफारिशें क्या हैं? सिफारिशों में से, संघ सूची के मामलों में रक्षा, विदेशी मामले और संचार और अथवा इससे सम्बद्ध मामलों को राज्य सूची में से बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले 30—40 वर्षों में किये जा रहे कार्यों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इस राज्य के सम्बन्ध में 1950 के आदेश के पश्चात् अध्यादेश 246 में किये गए संशोधनों को रद्द किया जाना चाहिए। यह बात पहले पैराग्राफ में कही गई है जहां पर कहा गया है कि इस स्तर पर यह बताना उचित होगा कि अनुच्छेद 246 में इसके मूल रूप में स्पष्ट कहा गया है कि जम्मू व कश्मीर राज्य के बारे में खण्ड 2 और 3 के सम्बन्ध में खण्ड 1, 2, 3 और 4 लागू नहीं होगा। इसने राज्य के अस्तित्व और समवर्ती सूची को हमारे राज्य के लिए केवल सिद्धान्त मात्र हित का मामला बना दिया है।" महोदय, यह हमेशा उपयुक्त माना गया है और संशोधन राज्य विधानसभा की पूर्ण सहमति के साथ प्रभावी किये जाते थे कि समवर्ती सूची में ऐसी असुधार्य स्थिति हो जहां दो मतों में समझौता करना असम्भव हो तो ऐसी स्थिति में संसद की बात राज्य विधान सभा के ऊपर सर्वमान्य लागू होगी। यहां पर फिर पुरानी स्थिति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह न केवल 1953 से पहले की स्थिति पर ले जाएगी बल्कि 1950 की स्थिति पर पहुंचा देगी। यहां अनुच्छेद 355, 356 और 358 की बात हो रही है कि जैसाकि 1954 में वहां स्थिति की वैसी ही स्थिति राज्य में लागू नहीं की जानी चाहिए। संसद में संवैधानिक संशोधन राज्य विधान सभा की पूर्ण सहमति से किये गए हैं। हम 1953 से पहले की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री अब्दुल्ला को कुछ कहने से पहले कि वह 1953 से पूर्व की स्थिति के बारे में नहीं कह रहे हैं। उन स्वायत्तता सिफारिशों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए क्योंकि उनमें से कुछ अत्यन्त मौलिक और महत्व पूर्ण सिफारिशें राज्य और केन्द्र से इस प्रकार सम्बन्धित है कि वह 1953 की स्थिति से पूर्व ले जाएगी। किसी भी हालत में 1953 से पूर्व की स्थिति में भी जाया जा सकता है और सब कुछ मिटाया नहीं जा सकता है क्या हम अनुच्छेद 370 को हटाने अतिक्रमण करने और निरसन का प्रयास नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 के प्रति वचनबद्ध है। आज भी और पहले भी ऐसे दल हैं जो अनुच्छेद 370 को हटाने की बात करते रहते थे। कांग्रेस दल का मत है कि अनुच्छेद 370 बना रहना चाहिए। लेकिन जब आप 1953 से पूर्व की स्थिति में जाने की बात करते हैं तो आप स्वयं अनुच्छेद 370 का अतिक्रमण कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 क्या कहता है? ...*(व्यवधान)* मैं प्रावधान के भावार्थ के बारे में कहूंगा। अनुच्छेद 370 में कहा है कि अधिमिलनपत्र में दिये गए सभी विषयों जैसे रक्षा, विदेशी मामले संचार और अपशिष्ट मामलों को जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात्

क्रियान्वित किया जा सकेगा। संसद उन्हें परामर्श के पश्चात् ही कार्यान्वित कर सकेगी। अनुच्छेद 370 में इस प्रकार कहा गया है कि जहां तक शेष मामलों का सम्बन्ध है आपको जम्मू और कश्मीर विधानसभा की पूर्ण सहमति से किया जाना चाहिए।

संविधान में यह स्पष्ट रूप से विहित किया गया है। जहां तक विलय–पत्र के तीनों मदों का सवाल है, जम्मू–कश्मीर में जब भी कोई अधिनियम या उपबंध लागू किया गया है, वहां परामर्श के दोनों सिद्धांतों को तथा जहां तक बाकी संबंधित है उनकी सकारात्मक सहमति हमेशा ली गई है। मैं यह दोहरा नहीं रहा हूं। शेख अब्दुल्ला द्वारा, 1975 में हस्ताक्षर की गई यह संधि इसकी पूर्ण पुष्टि करती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ....*(व्यवधान)* मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि नेशनल कांफ्रेस और फारूख अब्दुल्ला इसे चुपचाप हटाना चाहते हैं और अप्रत्यक्ष ढंग से वे अनुच्छेद 370 पर आघात कर रहे हैं।

वे ऐसा कर रहे हैं जिससे कि विगत 30–40 सालों में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो भी कानून बने हैं उन्हें हटा दिया जाए। इसे दोबारा शुरू करें। इस तरह वे स्वयं अनुच्छेद 370 का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस पर थोड़ा ध्यान दें। वास्तव में, वर्तमान श्री अब्दुल्ला अनेक मुद्दों पर अपने पिता से कहीं अधिक मांग कर रहे हैं। यह तो संभव नहीं है कि हम टाईम कैप्सूल में बैठकर समय के अंतरिक्ष में जाएं और वह सब मिटा दें जो कि पहले हो चुका है।

महोदय, इसी तरह, इस घड़ी में एन.डी.ए. सरकार का बेढंगा प्रवेश हुआ। जैसा कि विदित है कि यह सरकार हमेशा से ही धमाकेदार आरम्भ और बेकार अंत में विश्वास करती रही है। पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया था जिसका अंत सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर कर क्रदन के रूप में होगा। जब प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, अब जब भी विदेश जाते हैं तो वे न्यूनतम परमाणु निरोधक की बात के बजाए सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने की बात करते। जब प्रधान मंत्री लाहौर गए तो उन्होंने इस यात्रा को 'दक्षिण एशिया के इतिहास का यादगार मोड़' कहा किंतु जब हमारे प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ को गले लगा रहे थे उस समय पाकिस्तानी सेना कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में हमारे बंकरों को हथिया रही थी। 1998 में ही अपने गुप्तचरों द्वारा सचेत करने के बावजूद भी हमारी सरकार इसी भ्रम में थी कि वे अपने पड़ोसी देशों की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं और पेचीदगियों से भलीभांति अवगत है।

महोदय, इस घड़ी में, मैं आज सुबह आपके द्वारा व्यक्त भावनाओं के साथ, अपने दल की सहमति व्यक्त करना चाहूंगा। हमें बड़ी ही श्रदा के साथ अपने कारगिल वीरों को याद करते हैं। हम उनके इस सर्वोच्च बलिदान को हमेशा ही याद रखेंगे जो कि भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण होगा। आज, हम उनके शोकसंतप्त परिवारों को भी याद करते हैं जिन्हें देश के लिए अपने प्यारों को बलिदान करना पड़ा। महोदय, मैं अपने दल की ओर से कारगिल के उन वीरों को अपनी श्रंदाजलि, और अपनी वंदना अर्पित करता हूं जिन्होंने हमारे लिए सरकार को कारगिल की पहाड़ियों पर विजय दिलाई।

"दक्षिण एशिया के इतिहास का यादगार मोड़" के बाद इंडियन एयर लाइंस के विमान के अपहरण की घटना घटी। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री द्वारा स्वयं उन हत्यारों और आंतकवादियों को स्वतंत्र करने का वह हैरतपूर्ण घटना थी जो कि बेकसूर लोगों की जान के जिम्मेदार थे। "यादगार मोड़" से ऐसी परिस्थितियां बनी कि पाकिस्तान में तख्ता–पलट की घटना घटी और जिसके फलस्वरूप सरकार ने सोचा कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी चाहिए। जम्मू–कश्मीर समस्या को भी भारत सरकार उसी ढंग से निपटा रही है। यह वही धमाकेदार आरम्भ और वही बेकार अंत है। सदस्यों को याद होगा कि 18 मई, 1998 को सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद गृह मंत्री ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी "प्रो–एक्टिव स्ट्रेटेजी" उजागर की थी। 17 जनवरी, 2000 को एक उच्च–स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और हम सभी अधिक प्रोएक्टिव हो गये। मैं "इंडिया–टुडे" में दूसरी उच्च–स्तरीय बैठक और प्रो–एक्शन के दूसरे भाग के बारे में लिखी टिप्पणियों को उद्धृत करता हूं।

"सेना सुसज्जित करना। अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती। कुछ और वादे करना। आई.एस.आई. प्रायोजित छद्म युद्ध को विफल करने की बातें और यहां एकदम नई कार्यवाही योजना है। 'प्रो–एक्टिव पहुंच वाला नया सूत्र। आंतकवादियों के प्रत्येक घातक हमले के बाद केन्द्र, जम्मू–कश्मीर में हमलों की आशंका को देखते हुए तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाता है जिनका अंत हमेशा की तरह बेअसर होता है।"

महोदय, स्थिति और खराब हो चुकी है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन हमारे देश में आए थे तब चट्टीसिंहपुरा में सिक्खों की निर्मम हत्याएं हुई थीं इस तरह एक और प्रो–एक्टिव धमाके की हवा निकल गई।

श्री क्लिंटन की यात्रा के बाद जम्मू–कश्मीर में कुछ विशेष हो रहा है। भारत सरकार ने अचानक हुर्रियत कांफ्रेंस के सदस्यों को रिहा कर दिया। वास्तविक तौर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आंतक बदस्तूर जारी है। सरकारी अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्ध–सैनिक बलों, सेना पोस्ट, जम्मू–कश्मीर सेना को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है तथा उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तब अचानक हुर्रियत नेताओं की रिहाई पर बल क्यों दिया जा रहा है ? सरकार इंकार कर सकती है कि यह किसी दवाब में किया गया। किंतु इसका उद्देश्य तो हुर्रियत को वार्ता के लिए तैयार करना था। हालांकि उस समय–आप मना करते रहे हैं। तब हुर्रियत ही क्यूं ? क्या वे ही विगत में जन–प्रतिनिधि थे ? क्या राज्य में चुनी गई सरकार नहीं थी ? मैं तो कहूंगा कि आपने

[श्री माधवराव सिंधिया]

यह एक अजीब और अकारण कार्यवाही करी है और इस स्वायत्ता मुद्दे को आपने अपने एन.डी.ए. के सहयोगी दलों के माध्यम से ही उठाया है। 10 जुलाई, 2000 को डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने कहा था, और मैं फिर से 'इंडिया–टुडे को उद्धृत करूंगा।

प्रश्न यह था!

" .... किंतु आपने केन्द्र को नोटिस में रखा।"

उनका उत्तर था :

"कि यह विरोध की भाषा है, किंतु मैं मतैक्य में विश्वास करता हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे बौना बनाने का प्रयास न करें क्योंकि हमी हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है। कम से कम, मैं हुर्रियत कांफ्रेस की तरह जेहाद या अज़ादी की बात नहीं कर रहा हूं।"

खैर, डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने 10 जुलाई को ये भावनाएं प्रकट [illegible] वक्तव्य से क्या पता चलता है ? कई तरह से वे सही थे। [illegible] क और घोषणा की गई है। हालांकि हमने हिजबुल [illegible] के अब्दुल मजीद डार के तीन माह के युद्ध विराम का स्वागत किया है, किंतु मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अपने सुरक्षा बलों को हटाने से पहले वह पूरी चौकसी बरत ले। इस युद्ध विराम के बाद भी आंतकवादी, श्रीनगर में तैनात सीमा सुरक्षा बलों पर हमले करते रहे हैं और आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान रह रहे नेता सईद सलाहुद्दीन ने इस युद्ध–विराम की पुष्टि करते हुए कहा कि यदि भारत सरकार अपना जवाब नहीं देती है तो वे युद्ध विराम को एक सप्ताह के भीतर हटा लेंगे।

अब मैं जानना चाहूंगा कि वह उत्तर क्या है जिसकी आशा की जा रही है। भारत सरकार हमें बताए कि वह इस पर क्या कार्यवाही करेगी और किस प्रकार करेगी ? क्योंकि आपके पास असल में इतना समय है ही नहीं।

दूसरे शब्दों में, जहां तक जम्मू–कश्मीर का प्रश्न है तो मेरा मानना है कि सरकार की नीति ऐसी रही है कि इसे 'फ्लिप–फ्लॉप' कहा जा सकता है। क्योंकि किसी भी समय हुर्रियत या हिजबुल मुजाहिद्दीन ने यह नहीं कहा है कि वे भारतीय संविधान को मानेंगे। उन्होंने हमेशा ही जेहाद, आज़ादी और भारतीय साम्राज्यवाद की बात की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें शर्तों पर वार्ता स्वीकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, उनके लिए संविधान के दायरे में रहकर वार्ता करना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि श्री फारूख अब्दुल्ला भी नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अलग–थलग किया जा रहा है। वे केवल जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं बल्कि वे आपके मित्र भी हैं। उनके पुत्र आपकी सरकार में मंत्री हैं।

खैर, यह संकल्प पारित हो गया है। अब कुछ और अशुभ होने वाला है ऐसा लगता है। जब यह संकल्प पारित किया गया था, प्रधान मंत्री लिस्बन में थे। ऐसी अफवाह थी कि नेशनल कांफ्रेस एन.डी.ए. की सरकार से अलग हो जाएगी। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने फारूख अब्दुल्ला को मनाने का प्रयत्न किया। मैं कोट करता हूं, उन्होंने क्या कहा :

"सरकार संकल्प पर विचार करेगी और संसद उसका भाग्य निर्धारित करेगा।"

माननीय गृहमंत्री ने संकल्प को अस्वीकार नहीं किया। वे कहते हैं कि संसद इसके भाग्य का निर्णय लेगी। मगर जो कुछ हुआ उससे इसमें समानता नहीं है।

प्रधानमंत्री ने लिस्बन से लौटते हुए संभवत् हवाई जहाज में कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि "उनकी मांगें संविधान के भीतर ही हैं।" प्रधानमंत्री का संविधान में और उसके अधीन से क्या तात्पर्य है ? क्या भारत सरकार ने संकल्प को स्वीकार एवं उसका क्रियान्वयन कर लिया है ? और इसके क्या परिणाम होंगे ?

विशेषतः स्वायत्ता संकल्प का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है– अन्य चीजों के साथ और महत्वपूर्ण उपबंध भी – जैसे अनुच्छेद 356 जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होगा। किंतु प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह संविधान के भीतर है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जम्मू–कश्मीर विधान सभा, आंतरिक आपत्तिकाल के मामलों में ही नहीं बल्कि वाह्य आपत्तिकाल के मामलों में भी केन्द्र की भूमिका पर अंतिम निर्णय ले सकती है। किंतु प्रधान मंत्री कहते हैं कि यह संविधन को भीतर है। जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति और उसकी भूमिका कम हो जाएगी क्योंकि वे अनुच्छेद 358 और 359 के साथ अनुच्छेद 246, 254, 355 और 356 की बात करते हैं। संसद राज्य के किसी भी संवैधानिक उपबंध में संशोधन नहीं कर पाएगी। उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग कश्मीर पर कुछ कह नहीं पांएगे और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक राज्य के वित्त की संमीक्षा नहीं कर पाएंगे, किंतु प्रधान मंत्री यह घोषणा कर चुके हैं कि जो भी मांगें हैं वे संविधान के भीतर हैं।

किसी ने इसे पढ़ा नहीं। किसी ने इसे विस्तार से नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री ने प्रधान मंत्री को भलीभांति स्पष्ट किया है। इस समय जब प्रधान मंत्री लौटे तब एन.डी.ए. को भाजपा खण्ड का विरोधाभास एक बार फिर स्पष्ट हो गया है। अचानक संघ परिवार की निद्रा भंग होती है। उन्हें अचानक याद आता है कि कोई गुप्त एजेंडा भी है। वे इसे विस्तृत एजेंडा भी बनने नहीं देंगे। इसलिए कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री और गृह मंत्री पर अपनें दिए वक्तव्यों के पूरी तरह विरुद्ध जाने के लिए अत्यंत दवाब पड़ रहा है। और मंत्रीमण्डल ने इस

स्वायत्तता को अस्वीकार कर दिया जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए खुला राग अलापने लगा है जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए सुखद नहीं है। हमें पूरी बात को समझना होगा क्योंकि भारत सरकार चोर से कहो चोरी कर, शाह से कहो जागते रहो की नीति अपना रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते खासकर जब आप भारत सरकार की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हों।

इसमें पहली खामी दबाव में आना था। भारत सरकार ने इसके तहत ही हुर्रियत की रिहाई कर दी। दूसरी विफलता यह है कि डॉ. फारुख अब्दुल्ला स्वायत्तता के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया और हुर्रियत को हत्तोत्साहित, उनका कहना है कि यह मांग संविधान के अन्दर है और इसके बारे में निर्णय संसद को लेना है। 4 जुलाई को जब मंत्रीपरिषद ने जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित स्वायत्तता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने डॉ. फारुख अब्दुल्ला के बारे में क्या कहा ? भा.ज.पा. के वरिष्ठ नेता श्री जे.पी. माथुर ने डॉ. फारुख़ अब्दुल्ला को कश्मीर घाटी के कट्टरपंथी मुसलमानों का प्रतिनिधि बताया, और उन पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आज भी वैंकय्या नायडू क्या कहते हैं ? वे तत्परता से कहते हैं कि डा. अब्दुल्ला राष्ट्रभक्त हैं और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का ही एक अंग है।

उनकी अगली विफलता है कि नेशनल कांफ्रेंस को प्रोत्साहित करने के बाद मंत्री परिषद ने उल्टी पारी खेली और इसे अस्वीकार कर दिया। मैं इस दुगली नीति को नहीं समझ पाया। क्या इस राजनीतिक आवश्यकता के पीछे की पहेली आपसी सूझबूझ पर आधारित है ? इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन इस प्रकार के व्यवहार ने इस प्रश्नों को पैदा किया है। पूछे जाने वाले प्रश्न कानूनन हैं। क्या इन्हें उठाए जाने का कारण कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस तथा जम्मू में भा.ज.पा. का पुनरुद्धार है क्योंकि चुनाव अब एक साल के अन्दर ही हो जाएंगे ? यदि ऐसी बात है तो यह दुर्भाग्य की बात है और इतिहास वर्तमान सरकार को उस राजनीतिक संवेदनशीलता के साथ खिलवाड़ करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा जिसका हमारे देश की एकता और अखण्डता और हमारे द्वारा स्थापित धर्मनिरपेक्षता पर दूरगामी प्रभाव है। यहां अर्न्तराष्ट्रीय विखण्डता की बात तो छोड़ ही देते हैं।

यह गलतफहमी सरकार की सही मंशा के बारे में सन्देह और आशंका प्रकट कर रही है। जम्मू एवं कश्मीर को साम्प्रादायिक आधार पर बांटने का भी यह प्रयास है। ये अत्यधिक चिंता की बातें हैं। मैं संसद में इन बातों को कहकर अपनी हैसियत नहीं बढ़ाना चाहता। ये वस्तुतः चिंता के विषय हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इन्हें शांत कर सकते हैं क्योंकि हाल ही में प्रेस रिपोर्टों में उन्हें उद्धृत किया गया है। यद्यपि उन्होंने कल स्पष्ट तो कर दिया था कि डॉ. फारुख़ अब्दुल्ला ने भी इस बात से इन्कार किया है कि उनके ऊपर गृहमंत्री का कोई दबाव था। इसलिए, रियाज़ पंजाबी रिपोर्ट की उन सिफारिशों के संबंध में अत्यधिक बैचेनी बनी हुई है जिसमें कि जम्मू को तीन और लद्दाख को दो भागों में पूर्णतः साम्प्रदायिक आधार पर बांटे जाने का ख़तरनाक और अस्वीकार्य प्रस्ताव है।

इस समिति की रिपोर्ट के बारे में वर्णन करते हुए एक अखबार की निम्न पंक्तियों को मैं उद्धृत करता हूं।

"श्री बलराजपुरी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को नकारने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला द्वारा गठित क्षेत्रीय स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट में जम्मू एवं कश्मीर को ऐतिहासिक, सामाजिक, जातीय और विकासात्मक कारकों के आधार पर बांटने की स्पष्ट सिफारिशें की हैं जिनका कि वह दावा करती है। रिपोर्ट इस स्पष्टीकरण के इर्द–गिर्द घूमती है कि राज्य के विशेष क्षेत्रों मे अवस्थित जातीय समूह क्षेत्रीय पहचान का दावा कर रहे हैं जो कि प्रजातंत्र में भागीदारी और विकास के उद्देश्यों को समझने के लिए अनिवार्य है।

इसका निराकरण राज्य को जातीय आधार पर बांटे जाने में निहित होना पाया गया है जो कि उस पहली रिपोर्ट के विपरीत है जहां कि बलराज पुरी ने ऐसे क्षेत्रों का पता आर्थिक आधार पर लगाया और उनके लिए विशेष वित्तीय उपबन्धों का सुझाव दिया था।"

इसलिए, बलराज पुरी समिति आर्थिक आधार पर चली। निसन्देह, उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने भी वही दबाव महसूस किया जो डॉ. करण सिंह ने किया था। उनके एवजी के रूप में रियाज़ पंजाबी को लाया गया जिन्होंने बाद में राज्य और इसके क्षेत्रों को जातीय और साम्प्रदायिक आधार पर बांटने की सिफारिश की है। इसलिए, मैं समझता हूं, कि यह बहुत ही भयानक प्रस्ताव है कांग्रेस हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष आधार को समाप्त करने वाले इस प्रयास का विरोध करती है। इसके साथ–साथ हमें यह भी मानना होगा कि नेशनल कांफ्रेंस सरकारों के कुशासनों ने जम्मू क्षेत्र तथा लद्दाख क्षेत्र में गम्भीर असन्तुष्टि की स्थिति ला खड़ी कर दी है। लद्दाख पर्वतीय परिषद को वास्तविक और वित्तीय शक्तियों की मनाही तथा नेशनल कांफ्रेंस द्वारा इस क्षेत्र में जनसंख्यकीय समीकरणों को बदलने के लिए किए गए सोचे समझे प्रयास ने लद्दाख के लोगों, खासकर बौद्ध समुदाय में विलगाव पैदा कर दिया और वे अब राज्य के बंटवारे और केन्द्र शासित क्षेत्र के लिए पुरजोर मांग कर रहे हैं। जम्मू में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसलिए, हमारे दृष्टिकोण में राज्य और केन्द्र के बीच राज्य के भविष्य के बारे में जो चर्चा हो रही है उसमें जम्मू और लद्दाख के लोगों की भागीदारी हो ताकि उनमें अस्मिता और विश्वास का भाव उत्पन्न हो सके कि राज्य को नेशनल कांफ्रेस के नेताओं के बंटवारे के हित और उनके वोट बैंक

[श्री माधवराव सिंधिया]

के रूप में ही नहीं चलाया जा रहा है। वस्तुतः फारुख अब्दुला सरकार को इस बात की जांच करानी चाहिए कि यदि वहां कुशासन है तो स्वायत्तता क्या इमदाद करेगी। वहां लोग जो चाहते हैं वह शुशासन है। ...*(व्यवधान)*। क्या नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने वहां सुशासन दिया है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य को बिहार से 14 गुना और तमिलनाडु से 11 गुना अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इसके बाद भी वहां विकास, मूलभूत अवसंरचना, उद्योग तथा सुआर्थिक व्यवस्था का नितांत अभाव है। इसके कारण ही वहां के लोग हताश और अलग थलग पड़ गए हैं। कोई युवा व्यक्ति क्या करेगा जबकि उसे भविष्य अन्धकार मयी लगे ? कोई क्या करे जब सुरंग के अंत में उसे आर्थिक उदारीकरण न दिखे ? इसलिए, स्वायत्तता वास्तविक मुद्दों से विपथन का विषय नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा जबाव है कि जम्मू एवं कश्मीर में विकास की सम्भावना और शेष भारत की तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। नेशनल कांफ्रेंस अच्छा शासन और कुशासन तथा भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था कैसे सुनिश्चित कर सकती है? इसी बात राज्य सरकार उच्च शिक्षा और अच्छे रोजगारों ती है? ये ही वास्तविक प्रश्न है जिनका नेशनल काफ्रेस का जवाब देना होगा। यही उग्रवाद के विरुद्ध यही कारगर नीति भी है क्योंकि युवा हताश मस्तिष्क उन ताकतों से आसानी से जुड़ जाता है जो कि हमारे देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं।

महोदय, इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह आग से न खेले। हम मानते हैं कि भारत संघ में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्ज़ा हासिल है किंतु इसके लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। हम सब इन समस्याओं का समाधान वार्ता के माध्यम से करना चाहते हैं न कि इस प्रकार से इस वार्ता को सुगठित होना चाहिए और पारदर्शी भी।

अतः, अन्त में, मैं कहूंगा कि एक तो कांग्रेस पार्टी मानती है कि इस वार्ता को नेशनल कांफ्रेंस या हुर्रियत या अन्य किसी पार्टी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें जम्मू एवं कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों, जिनमें उन सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होने ही चाहिए। जिनसे राज्य बना है। दूसरा यह कि 1975 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुआ समझौता किसी भी वार्ता के आरम्भिक आधार होना चाहिए। घड़ी को 1952–53 की ओर पीछे नहीं घुमाया जा सकता। ऐसा करने से संवैधानिक वाधाएं स्वतः ही उठ खड़ी होंगी।

वस्तुतः 1975 का समझौता 1977 के चुनावों में नेशनल कांफ्रेंस के लिए मुख्य मुद्दा था और इसके कारण ही उन्हें भारी जनमत प्राप्त हुआ। अतः यह वापस न जाने वाले जनप्रवाह के समान है।

तीसरा यह कि वार्ता को अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत और इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता के दायरे में ही होना चाहिए।

चौथा यह कि वार्ता को राज्य और इसके संघटक क्षेत्रों की पूरी राजनीतिक राय के साथ होना चाहिए। इसमें क्षेत्रों की शिकायतों का समावेश होना होगा और इसे ऐसी संस्थाओं और व्यवस्थाओं की ओर जाना होगा जहां से तीनों क्षेत्रों के लोगों में राज्य के कार्यों में भागीदारी की भावना जागे और उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सकें।

पांचवा यह कि इसका उद्देश्य जम्मू–कश्मीर के लिए सुशासन की नई व्यवस्था हो जो कि वहां के लोगों के कल्याण, राज्य के तीव्र विकास, राष्ट्र की सुरक्षा एवं प्रभुता की सुदृढ़ता और भारतीय संविधान की पवित्रता को बनाए रखने की ओर निर्देशित हो। इस खाके में और उस भारत संघ की प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता में छेड़छाड़ किए बिना जिसका पाक अधिकृत कश्मीर सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य एक संघटक भाग है के अन्तर्गत, जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में केन्द्र–राज्य संबंधों के ऐसे पुनर्समायोजन पर विचार किया जा सकता है जो कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति को सुकर बनाए जिन्हें कि मैंने अभी–अभी गिनाया है।

यद्यपि, इनकी प्राप्ति में सन्देह बना हुआ है क्योंकि केन्द्र सरकार ऐसी राजनीतिक पार्टी के तहत नेतृत्व में है जिसकी राजनीतिक विचार धारा का केन्द्र बिन्दु अनुच्छेद 370 और अल्प संख्यकों के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक उपबन्धों को हटाया जाना ही हो, एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इनकी मांग कर रहा है और मुझे इस बात को नहीं दुहराना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस संघ के गौरवशाली सदस्य हैं।

अंत में, जम्मू एवं कश्मीर में शांति और सद्भावना के प्रयास में, इसके आर्थिक विकास को ऐसे ढांचे के साथ गति दी जाए जो कि हमारे देश की प्रभुता एवं अखण्डता के सर्वोच्च हित में पूर्णतः राज्य की एकजुटता पर आधारित हो और हमारे समर्थन का आधार भी यही होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी।

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय, श्री विलास मुत्तेमवार का नाम बोलने वालों की सूची में पहला और मेरा नाम दूसरा था, प्रक्रिया के हिसाब से चर्चा को आरम्भ करने के लिए मुझे बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है उन्हें बोलने दीजिए। श्री माधवराव सिंधिया ने अच्छा भाषण दिया। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन प्रक्रिया यह है कि जब श्री मुत्तेमवार उपस्थित नहीं थे तो मुझे पहले अवसर दिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे सहमत हैं तो आप बोल सकते हैं, श्री वैको।

श्री वैको : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हम राज्य स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक गम्भीर और संवेदनशील मामला है।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे मित्र ने जोरदार भाषण दिया है। लेकिन मुझे उनकी बेहतरीन याददाशत पर आश्चर्य होता है और अनकही बातों को मैं अपने भाषण में कहने की कोशिश करूंगा। कश्मीर प्रकरण में उन्होंने 1947 से आज तक के राजनीतिक दृष्टिकोण और घटनाओं का जिक्र किया और यह सब कार्यक्रमानुसार था, लेकिन इनके साथ, वहां वास्तविक आधार पर भी कुछ घटनाएं रही हैं और मैं उन ही घटनाओं का जिक्र करूंगा क्योंकि इनके बिना इस रिपोर्ट पर चर्चा करना विषय के प्रति घोर अन्याय होगा। इनमें से एक बात यह थी कि विगत दो वर्षों में राज्य में विद्रोही गतिविधियों और आतंकवाद की घटनाओं में भारी वृद्धि और हमारे सुरक्षा बलों ने इसका डटकर मुकाबला किया है, जब विदेशों में प्रशिक्षित आतंकवादियों को लगा कि उनकी गतिविधियां ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं तो कारगिल का युद्ध हुआ। इसमें विजय हमारे हाथ लगी। मैं नहीं समझता कि इस बात को कोई अस्वीकार करेगा। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अलग–थलग पड़ गया था और उसे युद्ध के मैदान में भी मात खानी पड़ी थी, इसलिए उस एक इंच जमीन को खोये बिना हमने पूर्ण जीत पाई जिसे कि हम पहले खो चुके थे, यद्यपि हमारी सेना के पास इसे किसी भी समय वापस ले लेने की क्षमता रही है। पहले, के युद्ध में हमने कश्मीर में अपना क्षेत्र गवां दिया लेकिन कारगिल युद्ध में ऐसा नहीं हुआ।

हमने युद्ध के मैदान और अन्तर्राष्ट्रीय मंच दोनों में ही पूर्ण विजय प्राप्त की। इसलिए, उग्रवाद फिर से अपना भद्दा चेहरा दिखाने लगा है और फिर से वहां मार–धाड़ शुरू हो गई, यह बात स्वीकार्य है कि वहां और हत्याऐं हुई है, निश्चित रूप से दोनों ही तरफ से हत्याओं में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सच यह है कि हिजबुल मुजाहिद्दीन और अन्य उग्रवादी गुटों का एकपक्षीय युद्ध विराम की बात से पता चलता है कि हमने उन्हें थका दिया है और अब वे सुरक्षात्मक रुख की ओर हैं। उन्होंने कुछ हर छः माह पूर्व इस तरह की पहल की थी इसी संदर्भ में माननीय सदस्य ने भारतीय एअरलाइन्स के हर्वड जहाज के अपहरण का संदर्भ दिया था। इससे पूर्व उन्होंने उनसे पहल की। लेकिन अब हमने इसे वापस ले लियां है। अब वे भागने लगे हैं ओर यही बात है कि आज मैदानी भागों में पयर्टन उद्योग फलने–फूलने लगा है। यह जानने का भी यही मापदण्ड है कि क्या जम्मू एवं कश्मीर में शांति लौट रही है।

इसलिए, इसके विवरण में न जाते हुए मै कहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिद्दीन पाकिस्तान का समर्थक है और इसे पाकिस्तान सहायता देता है। जब ऐसा उग्रवादी संगठन हमारी सरकार को वार्ता का न्यौता देता है तो इसे सन्देह की नजर से ही देखा जाना चाहिए और हम इसे जानते भी है। हम यह भी जानते हैं कि अन्य उग्रवादी गुट भी हैं जो कि इसे धोखा बाली बात मानते हैं और उन्होंने कहा है कि एक पक्षीय युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हम इस बात का निचोड़ करें तो जो बात उभरकार आती है वह है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विभिन्न उग्रवादी गुटों में मतभेद है और वे भागने लगे है और उनका मनोबल टूट गया है। हम उन्हें टूटा हुआ मनोबल वालों के रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए मैं रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हमारी सरकार के अन्य उन घटकों को बधाई देता हूं जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं, इसमें किसी भी बात का सन्देह नहीं है।

अपराह्न 5.05 बजे

*(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

यदि इसमें कोई सन्देह है तो उसे दूर किया जा सकता है। आज, हमने इन पहलों को पुनः प्राप्त कर लिया है और उग्रवादियों ने सुरक्षात्मक रवैया अपना लिया है, अन्यथा वे इस तरह के लोग नहीं है जो कि शांति की बात करें और एकतरफा युद्ध विराम की बात करें। यही एक बात है जिसका मैं स्मरण दिलाना चाहता था। इस बात को भुला दिया गया था।

आठ उग्रवादी गुटों ने कहा है कि वे इसका अंग नहीं हैं और हिजबुल –मुजाहिद्दीन ने गलत काम किया है। जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा ने भी कहा है कि वे इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं वहां पर हर गुट अपना–अपना राग अलाप रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर घाटी में सन्देह का वातावरण बना हुआ है। यह सन्देह दूसरी ओर है। हमारी तरफ उग्रवाद से जूझने में किसी तरह का सन्देह नहीं है। इस विशेष प्रस्ताव के समय इस पहलू को ध्यान में रखना जरूरी है।

श्री माधवराव सिंधिया ने इस बात का उल्लेख किया कि हमें नेशनल कांफ्रेंस से ही बात नहीं करनी चाहिए इत्यादि। यह कश्मीर विधान सभा का प्रस्ताव है। यह नेशनल कांफ्रेंस का प्रस्ताव नहीं है। जिस प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं वह कश्मीर की विधान सभा का है। इसलिए, कश्मीर में स्थिति के बारे में हमारी चिंता पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : आपने एक घंटे तक भाषण दिया, कृपया मुझे बोलने दीजिए।

श्री माधवराव सिंधिया : इसे ध्वनि मत से पारित किया गया था। यह सर्वसम्मत प्रस्ताव नहीं था।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : चाहे कुछ भी हो, यह विधान सभा का प्रस्ताव है....*(व्यवधान)* विभिन्न उद्धरणों को बताया गया, किसने यह कहा, किसने वह कहा पढ़ा गया। उस समय क्या हुआ जब प्रधानमंत्री हवाई जहाज में थे ? लेकिन मूल बात और सच यह है कि इसमें कोई सन्देह नहीं था कि पर्याप्त विचार–विमर्श करने के बाद मंत्रिमंडल ने इसे अस्वीकार कर दिया था यह स्वतः सच्चाई है। इसलिए 'उसने ये कहा' 'उसने वो कहा' जैसी बातें यहां उठ रही है। यह राष्ट्रीय महत्व की बात है। विभिन्न लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, यदि किसी सन्देह की गुंजाइश हो तो इसी विषय पर अलग–अलग समयों में अलग–अलग स्थानों में की गई लोगों की टिप्पणी को उद्धृत कर दो और कह दो कि "उसने यह कहा। उसने वह कहा"। लेकिन वास्तविकता क्या है ? वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल ने इस मांग को पूर्णतः अस्वीकार करने का निर्णय सोच–विचार कर लिया है।

कहा है ? संदेह से संबंधित बात कहां है ?

. बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैं सोचता हूं कि व्यापक परमाणु परीक्षण सीधा हस्ताक्षर और लाहौर यात्रा की बातों से पहले इस बात का जिक्र करना जरूरी है। अपने आप में, लाहौर की यात्रा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए जाने के औचित्य पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और यह किसी प्रकार की रिरियाहट नहीं है। हमने दोस्ती का हाथ हमेशा ही बढ़ाया है। यदि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दूसरा पक्ष आगे आता है तो हम आम राय की बात करते हैं। और यदि इस सहमति पर लोगों की स्वीकारोक्ति नहीं है तो फिर यह आप पर निर्भर है। परन्तु वास्तविक रिरियाहट 1974 में परमाणु विस्फोट किया जाना और विस्फोट किए जाने एवं घोषित किए जाने तक इसकी घोषणा न किया जाना था और तब कोई रिरियाहट नहीं थी। परमाणु बम विस्फोट करने में सक्षम होने के बावजूद भी इसके विस्फोट का निर्णय न ले पाना ही रिरियाहट है। हस्ताक्षर किया जाना कोई रिरियाहट नहीं है। किसी कार्रवाई को करने के संबंध में रिरियाहट है। जब हम रिरियाहटों की बात कर ही रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि 30 वर्षों तक इसका विस्फोट क्यों नहीं किया जा सका।

ये सारी बातें रिरियाहट के संबंध में हैं, बम–विस्फोट के समय के बारे में नहीं।

मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूं कि जैसा श्री माधव राव सिंधिया ने संकेत दिया है, 29 तारीख को एक आयोग का गठन किया गया था। यह सत्य है कि विचार–विमर्श के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने घुटन सा महसूस किया। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉ. कर्ण सिंह ने समय से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया। परन्तु उससे बहुत पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने यह वक्तव्य दिया था, 'कि हम स्वायत्तता प्रदान करेंगे।' वह स्वतंत्रता के बराबर ही है। उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। यह वक्तव्य के बारे में सभी जानते हैं। यह कोई नया वक्तव्य नहीं है। इतना ही नहीं, 29 नवम्बर, 1996 को जब इस समिति का गठन किया गया था, उस दौरान श्री एच. डी. देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और जब इस आयोग का गठन हुआ था तब यहां उपस्थित अनेक सदस्य उसमें शामिल थे। ऐसा जानबूझ कर किया गया था और इस सुविचारित कार्य के दौरान श्री देवेगौड़ा ने स्वंय ऐसा कहा है कि, 'हम अत्याधिक स्वायत्तता के पक्ष में हैं।' ये सारी बातें सभा की कार्यवाही–वृतांत में शामिल हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब इससे स्वायतता की परिभाषा का सार ही निकालना है।

हम सब सरकारिया आयोग और राज्यों को शक्ति के हस्तांतरण की बात करते रहे हैं। यदि यह स्वायत्तता अर्थ संबंधी मामलों तक ही सीमित होने जा रही है तो यह एक अलग बात है। यदि इस स्वायत्तता पर उस संकल्प में किए गए विशिष्ट उपबंधों के संबंध में विचार किया जाने वाला है तो यह एक अलग बात है इसे मंत्रिमंडल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि उन चीजों में से कुछ का, जैसे चुनाव की कार्यविधि का उल्लेख नहीं किया गया है। हम लोकतंत्र के उस ढांचे को मानते हैं जिसका हमारे देश में एक समान लक्ष्यार्थ है और इसके विरुद्ध कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सिफारिश की है कि हमारे निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य लोगों द्वारा उनके चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं किया जाएगा, जोकि स्वीकार्य नहीं हैं। और भी कई चीजें हैं जो स्वीकार्य नहीं है।

मौलिक अधिकारों जैसे विषयों पर भी प्रश्न उठाया गया है। यह कहा गया है। यह कहा गया है कि मूलभूत अधिकारों को बदला जाना चाहिए। इसे उनके रिवाजों, परंपराओं एवं प्रथाओं के अनुसार होना चाहिए। यह स्वीकार्य नहीं है। आपात संबंधी उपबंधों में परिवर्तन भी स्वीकार्य नही है।

वे उस अवस्था को मन में लिए बैठे हैं, जब 1953 या उससे पहले के समय में उनके लिए संविधान सभा होती थी और उन्हें अपना कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। यही वह मूलभूत मुद्दा है जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं और मेरे विचार से इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे देश के अन्तर्गत देश नहीं हो सकता। इस मत के बारे में कोई शंका नहीं है।

कुछ और तथ्य हैं जिन्हें मैं सभा के ध्यान में रखना चाहता हूं। उनमें से एक यह है कि हमें कश्मीर की समस्या पर दो तरीकों से विचार करना होगा। सिर्फ यह कहना कि अच्छा शासन समस्या का समाधान कर सकता है, मात्र तथ्यों का अति सरलीकरण ही है। यदि किसी समस्या के समाधान का पैमाना मात्र एक अच्छा शासन होता, तो अब तक बिहार संभवत भारत से अलग हो गया होता। सिर्फ यही बात ही नहीं है। हमें स्थिति को आधारभूत तरीके से देखना है। यह एक सच्चाई है कि हम 52 वर्ष से एक युद्ध लड़ते रहे हैं और वास्तविक स्थिति, आम लोगों की स्थिति बेहतर हुई है। हमें उन्हें शांति प्रदान करना है। सौभाग्य से, आज हमारे प्रयासों के बल पर कश्मीर में लोग युद्धविराम, शांति की बात कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि वार्ता केवल हुर्रियत से ही क्यों या वार्ता केवल मुजाहिद्दिन से ही क्यों या फिर केवल 'क' अथवा 'ख' से ही वार्ता क्यों। हमारा अनुभव यह है कि आप उसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपको समझे। आप विश्वसनीय वार्ता आरंभ कर सकते हैं। किसी से बात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें सभी से बात करनी चाहिए। यही वह प्रथम मुद्दा है जिसको मैं बताना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से 50 वर्षों से नहीं बल्कि पिछले 500 वर्षों से कश्मीर हमेशा एक कड़ाही बना हुआ है। इस पर हमेशा ही किसी न किसी ने आक्रमण किया, उसे रखा और छोड़ा है। काफी लंबे समय से कश्मीर का यही इतिहास रहा है। पिछले 150 या 200 वर्षों से ही ऐसी स्थिरता रही है जब से राजा गुलाब सिंह किसी प्रकार की स्थिरता यहां लाए। ऐसा होते हुए, सिर्फ धन उड़ेलना ही काफी नहीं है। मनः स्थिति को बदलना होगा। मेरा कश्मीर के बारे में अनुभव 1953 से ही है। लोगों की मनःस्थिति में कुछ परिवर्तन हुए हैं पर पर्याप्त बदलाव नहीं आया है। उनमें से कुछ इस संकल्प में प्रतिबंधित हैं।

मैं यही कहना चाहता हूं कि जम्मू एवं कश्मीर के विधायक थोड़े क्रुद्ध हैं कि क्यों हमने इस संकल्प को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। हम पूरी तरह क्रुद्ध इसलिए हैं कि वे अचानक ही इस स्वायत्ता संकल्प को लेकर उपस्थित हैं और इस संदर्भ में गृह मंत्री का यह वक्तव्य कि हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें इस पर बात करनी चाहिए, और हमें वार्ता आरंभ करनी चाहिए, मेरे विचार से बहुत अच्छी बात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें जितनी अधिक शक्ति संभव हो सके, उन्हें देनी चाहिए और जितना अधिक संभव हो सके उन्हें धन प्रदान करना चाहिए।

यह सच है और मैं श्री माधव राव सिंधियां जी से पूरी तरह सहमत हूं कि कश्मीर में जितनी राशि का निवेश हुआ है उससे उनका जीवन स्तर, व्यापार एवं सभी बातों में उत्थान होना चाहिए परन्तु उन्होंने अपने आप को सिर्फ पर्यटन एवं हस्तशिल्प पर आश्रित रखा है। यह पर्याप्त नहीं है और अतएव, मुख्य भूमि से इसे जोड़े जाने का कोई भी प्रयास बहुत ही आवश्यक है।

मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता। परन्तु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसे भावुक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। लोग भावनात्मक रूप से इस विषय से जुड़े हुए हैं परन्तु इसे भावनात्मक विषय का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। हमें इस पर ठंडे दिमाग से एवं सोची हुई मनोदशा के साथ गौर करना चाहिए। यही मेरा प्रथम मुद्दा है जिसे मैं कहना चाहता हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि जिन लोगों को घाटी से बाहर कर दिया गया है उन्हें पहले दृष्टांत के रूप में उनके स्थानों पर वापस लिया जाए उन्हें पहले दृष्टांत के रूप में उनके स्थानों को वापस दिया जाए, और प्राथमिकता पर वहां बसाए जाएं। मेरे द्वारा उल्लेख किए गए मुद्दों के अलावा देश की प्रादेशिक अखंडता के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाना है, और वे सभी अस्वीकार्य हैं और मेरे विचार से उन पर वाद–विवाद किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को विस्थापित किया गया है उन्हें उनके स्थानों में अवश्य वापस भेजा जाए। व्यवस्था और नीति संबंधी मामले के रूप में उन्हें उनके स्थानों में अवश्य वापस बसाया जाए। इसे जरूर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यह सत्य है कि हम उनकी सिफारिशों के उपबंधों से सहमत नहीं हैं।

परन्तु यह भी सत्य है कि हम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर वार्ता करने के लिए तैयार हैं और इसे एक ढीली–ढाली व्यवस्था नहीं समझा जाना चाहिए। क्योंकि हमेशा ही ये वार्ताएं ढीली–ढाली होती हैं। कभी, वे वार्ता आरंभ करते हैं; कभी वार्त्ता समाप्त हो जाती है, परन्तु वार्त्ता अवश्य जारी रहनी चाहिए। हमें इस सभा के माध्यम से यह संदेश अवश्य देना चाहिए कि जम्मू एवं कश्मीर की भलाई ही हमारे दिलों की प्रमुख भावना है और यह कि वे हमारे साथ रहते हुए सभी परिस्थितियों में सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। साथ ही साथ, हम उन पर आने वाले किसी भी दुख में उनके साथ हैं। जैसाकि, सभी जानते हैं, भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल पिछले 52 वर्षों से यहां लड़ते रहे हैं। करीब 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। संप्रेषण के मार्ग को खुला रखते हुए, उनकी नियंत्रण रेखा को खुला रखते हुए, हम सभी रूपों में उनके साथ हैं। परन्तु उनतक यह संदेश अवश्य पहुंचना चाहिए कि बात–चीत के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा अनुमति दे तो माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री एक वक्तव्य देना चाहेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : मैंने सूचना दी है और यदि सभा सहमत है तो मैं एक वक्तव्य दूंगा। हालांकि सरकार ने कल शाम ही निर्णय लिया है, केवल मनगढ़न्त कहानियां ही प्रकाशित की जा रही थीं और सबसे पहले सभा को सूचित किया जाना सभा का अधिकार है, मैं नई नीति के संबंध में आज सभा में एक वक्तव्य देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, अनुमति दी जाती है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यह प्रातः पहले से ही प्रिंट मीडिया में था। मामले पर विचार किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अभी शाम के पांच बजकर बीस मिनट हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में पहले से ही जानकारी है। यदि आप प्रतियां परिचालित करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, उन्हें वक्तव्य देने दीजिए।

श्री अरूण जेटली : समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, वह सही नहीं है। वे केवल मनगढ़न्त कहानियां हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितने पृष्ठ हैं ?

श्री अरूण जेटली : यह दो पृष्ठ का वक्तव्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है।

अपराह्न 5.23 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

नई "अपलिंकिंग नीति"

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : पूर्व में, उपग्रह टेलीविजन चैनलों को उनके कार्यक्रम भारत से अपलिंक करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तथापि, माननीय सदस्यों को याद होगा कि नब्बे के दशक के शुरू से उपग्रह प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप, उपग्रह आधारित टेलीविजन चैनलों ने अपने चैनल को विदेशों में स्थित केन्द्रों (हब्स) से अपलिंक करके अपने कार्यक्रम भारत में प्रसारित करने शुरू कर दिए हैं। इसके फलस्वरूप, वे भारतीय क्षेत्राधिकार से बाहर रहे। उन्हें भारतीय कानूनों की परिधि में लाने के लिए अपलिंकिंग नीति में पहली बार 9.6.1998 को छूट दी गई थी और कम से कम 80% भारतीय भागीदारी और भारतीय प्रबंध नियंत्रण वाली भारतीय प्रसारण कम्पनियों को केवल विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से अपने चैनल भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति केवल उन भारतीय कम्पनियों के मामले में दी गई थी जिन्हें विदेश से अपलिंक करने हेतु विदेशी मुद्रा जारी की जा रही थी। इस नीति को पुनः 26.3.1999 को और उदार बनाया गया और 80% भारतीय भागीदारी एवं भारतीय प्रबंध नियंत्रण वाली सभी प्रसारक कम्पनियों को उनके स्वयं के भू–केन्द्र से भी अपने चैनल अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी।

मंत्रिमंडल ने अपनी 25.7.2000 को हुई बैठक में अपलिंकिंग नीति को और उदार बनाने का निर्णय लिया है। नई नीति के अनुसार, किसी भी भारतीय कम्पनी जिसका प्रसारक होना जरूरी नहीं है, को आवश्यक सुरक्षा संबंधी स्वीकृति के अधीन अपलिंकिंग केन्द्र (हब्स) या टेलीपोर्ट सुविधाओं को इन्हें प्रसारकों को किराए पर देने हेतु स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा कम्पनियों में भारतीय प्रबंध नियंत्रण के साथ अनुमन्य विदेशी इक्वीटी, टेलीकाम सेक्टर के समान होगी जो कि वर्तमान में एन.आर.आई./ओ.सी.बी. के निवेश को मिलाकर 49% है। इन कम्पनियों को सरकार द्वारा अनुमोदित या अनुमति प्राप्त टीवी चैनलों को ही अपलिंक करने की अनुमति दी जाएगी। सभी टीवी चैनलों को आवश्यक सुरक्षा संबंधी स्वीकृति पर निर्भर करते हुए, उनकी इक्वीटी, स्वामित्व या प्रबंध नियंत्रण पर विचार किए बिना भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वे हमारी प्रसारण संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्ध हों। इस नीति से अधिसंख्य टीवी चैनल हमारी प्रसारण संहिता के कार्य क्षेत्र के अधीन ही नहीं आ जाएंगे बल्कि भारत अपलिंकिंग के लिए एक अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला केन्द्र बन जाने के कारण रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सृजित होंगे।

हमारी समाचार एजेंसियों को समाचार एकत्र करने तथा इनके वितरण के लिए उपग्रह समाचार संग्रहण (एस.एन.जी.) की आधुनिक प्रौद्योगिकी से वंचित रखा गया है। अतः वे स्वयं को अपने विदेशी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अक्षम पाते हैं। इन अक्षमताओं के कारण भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया को भेजे गए समाचार देर से प्राप्त होते हैं और इस मध्यवर्ती अवधि में विश्व समाचार जगत में विरोधी दृष्टिकोणों को कोई चुनौती नहीं मिलती। भारत सरकार की नई अपलिंकिंग नीति से यह अक्षमता दूर होगी तथा भारतीय समाचार एजेंसियों को समाचार एकत्र करने तथा अन्य एजेंसियों/प्रसारकों को समाचार भेजने के लिए अपलिंकिंग की

अनुमति प्राप्त होगी। इस प्रयोजनार्थ, भारतीय समाचार एजेन्सी का अर्थ उनसे होगा जो भारत में निगमित तथा पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित हो और जिसमें भारतीय प्रबंध नियंत्रण सहित भारतीयों का 100% स्वामित्व हो। इससे भारतीय समाचार एजेन्सियों को विदेशी समाचार एजेन्सियों के साथ यथा अपेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा मिलेगी।

पूर्व नीति के मामले में ऐसी अपलिंकिंग सुविधा की अनुमति भारतीय एवं विदेशी दोनों उपग्रहों को दी जाएंगी। तथापि, भारतीय उपग्रहों के लिए परिकल्पित प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. ए. संगमा।

श्री जी.एम. बनातवाला : यह शिष्टाचार का उल्लंघन है। यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन उस समय यह मामला पहले से ही इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो चुका था। आपके द्वारा मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए जाने चाहिए थे कि नीति संबंधी मामलों के बारे में इस तरफ से पता न चले जबकि संसद का सत्र चल रहा हो। कृपया इस तरह के शिष्टाचार के उल्लंघन का ध्यान रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैनें सुना है।

श्री जी. एम. बनातवाला : आइए इस बारे में जानें कि आप इस संबंध में क्या सोचते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यहां किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन आप शिष्टाचार के उल्लंघन के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री कोडीकुन्नेल सुरेश (अडूर) : इसका निष्कर्ष भी यही है कि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, कृपया संकोच न करें। कहिए कि यह शिष्टाचार का उल्लंघन है। आप संकोच क्यों कर रहे हैं ? सभा का सम्मान तथा शिष्टता बनाए रखें। क्या हम मंत्री महोदय से ऐसी बासी खबरें सुनने के लिए यहां बैठे हैं ? ये बासी खबरें लेकर यहां पर आते हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इसे 12 बजे लाया जाना चाहिए था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। इस तरह से निश्चय ही शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने समाचार पत्र वालों को संक्षिप्त जानकारी नहीं दी है। माननीय सदस्यों, माननीय मंत्री महोदय अथवा उनके मंत्रालय ने यह जानकारी समाचार पत्रों को नहीं दी है।

श्री जी.एम. बनातवाला : संसद का सत्र चल रहा है ओर यह सरकार कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती है। यहां ऐसी सरकार सत्ता में है जिसमें कुछ भी गोपनीय नहीं रहता है कृपया उन्हें मामले की जांच करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह जानकारी मीडिया को नहीं दी है। मैं उन्हें जिम्मेदार नही ठहरा सकता हूं।

श्री संगमा।

श्री जी.एम.बनातवाला : कृपया माननीय मंत्री महोदय को इस पूरे मामले की जांच करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय; मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि अखबारों से...*(व्यवधान)* अगर ये स्टेटमैंट में कुछ चीजों को जानते हैं तो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूडी : कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, समाचार–पत्रों में अनेक बातें प्रकाशित होती हैं, लेकिन हम केन्द्रीय मंत्रियों को उसके लिए जिम्मेदार नही ठहरा सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? श्री संगमा। अब हमें सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय .... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री जी. एम. बनातवाला : यहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हम यहां यही देख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां 12 बजे आना चाहिए था। ....*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.29 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू-कश्मीर विधान सभा द्वारा स्वायत्तता के लिए पारित संकल्प-जारी

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि यह चर्चा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे है जो जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा स्वायत्तता संबंधी संकल्प पारित करने के बाद और संवेदनशील हो गया है।

दुर्भाग्य से, इस संकल्प के बारे में केन्द्रीय नेतृत्व के कथनों को स्पष्ट अस्थिरचित्तता रही है। आरम्भ में माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि इस मामले पर संसद में चर्चा की जाएगी और संसद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आरम्भ में जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री का पक्ष लेते हुए कहा था कि "यदि यह भारत के संविधान की रूपरेखा के भीतर है तो इसमे कोई गलत नहीं है। "इन दो महत्त्वपूर्ण वक्तव्यों के दिये जाने के पश्चात् मंत्रिमंडल ने इस मामले पर निर्णय करने में जल्दबाजी की और इस संकल्प को पूरी तरह नकार दिया। मैं नहीं जानता कि जम्मू व कश्मीर विधान सभा द्वारा की गई प्रत्येक मांग, जो राज्य स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी, का केविनेट द्वारा वास्तव में विश्लेषण किया गया और इस पर विचार–विर्मश किया गया क्योंकि सरकार के पास समय–सीमा उपलब्ध थी और मुझे सन्देह है कि क्या संकल्प में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर मंत्रिमंडल द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया था या नहीं ?

मैंने राज्य स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है और मुख्य रूप से मांगों को दस शीर्षों के अन्तर्गत संक्षेप में दिया जा सकता है। इसमें कम से कम दस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को समाहित किया जाता है और उन सभी क्षेत्रों में जो मुद्दे हैं उन पर 1952 में ही चर्चा की गई थी और किसी समझौतों पर नहीं पहुंचा जा सकता था। उस समय इस मामले को छोड़ दिया गया था वह सब तो ठीक है लेकिन हमें देखना होगा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं अथवा नहीं। मुद्दों को 1952 में मुल्तबी किया गया था।

मेरा कहना है कि जब माननीय गृह मंत्री इसके लिए सहमत थे और उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि मामले पर संसद में विचार किया जाएगा तब सरकार के लिए क्या अवश्यकता थी कि वह इस पर अन्तिम निर्णय ले और इसे अस्वीकार करे ? सरकार द्वारा इसे अस्वीकार करने का निर्णय लेने के बाद में नहीं समझता कि संसद में यह चर्चा वास्तव में सार्थक होगी अथवा जब तक माननीय गृह मंत्री स्पष्ट रूप से यह नहीं कहते कि "हां", हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है और जो कुछ संसद में चर्चा की जाएगी उसके आधार पर हम इस मामले की छानबीन करेंगे।"

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : किसी को गुस्सा आया, इसीलिए कर दिया।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं नही समझता यहां इस पर विचार–विमर्श करना सार्थक है। हालांकि संसद में इस पर चर्चा करने का निर्णय के पश्चात् मैंने सोचा मैं कुछ मुद्दों पर कुछ कहूं। मैं लम्बा भाषण नहीं देने जा रहा हूं। महोदय, जैसा कि सभा को पता है मैं इसके पूरे इतिहास पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं मैं सभा को यह याद कराना चाहता हूं कि अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। अब हम अधिमिलन दस्तावेज की बात करते हैं जो 1947 में की गई थी हालांकि कुछ लोगों का मत है कि महाराजा हरिसिंह द्वारा किया गया अधिमिलन दस्तावेजों से भिन्न था। यह भिन्न नहीं था।

अन्य राजाओं के लिए उपयोग किये गए उसी प्रकार के दस्तावेज अथवा अधिमिलन के दस्तावेज जम्मू और कश्मीर के लिए प्रयोग किये गये थे। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष रूप से कोई पृथक प्रपत्र नहीं था। यह भारत सरकार में विलय का सामान्य प्रकार था। यह ध्यान देने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। अतः 1947 में ही अधिमिलन दस्तावेज द्वारा जम्मू व कश्मीर विधिवत रूप से भारत का एक अंग बना। इस संबंध में कोई शंका नहीं है।

तत्पश्चात् 1950 में जब हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया तो जम्मू और कश्मीर को भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में भाग–ख राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 1957 में जब जम्मू व कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया गया तो राज्य के संविधान ने जम्मू व कश्मीर को भारत संघ के अभिन्न अंग के रूप से घोषित किया था। इसलिए इसी आधार पर हमने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मंचों पर इस बात पर बल दिया कि जम्मू व कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। मेरा विचार है कि इस पर कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

जम्मू व कश्मीर में उस समय विधमान स्थिति को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने तब सोचा कि जम्मू व कश्मीर का मामला शेष भारत से कुछ भिन्न है इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षोपाय, विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए इसलिए अनुच्छेद 370 बनाया गया। सब कुछ अब अनुच्छेद 370 पर निर्भर है। अनुच्छेद 370 को शामिल किए जाने से जम्मू और कश्मीर को पहले ही स्वायत्तता मिली हुई है। उनका पृथक संविधान है उनका पृथक झंडा है और भारत की संसद को जम्मू व कश्मीर पर सीमित क्षेत्राधिकार हैं। ये सभी स्वायत्तताएं उन्हें अनुच्छेद 370 द्वारा दी गई थी। इसके बाद भिन्न–भिन्न राष्ट्रपति के ओदशों द्वारा इसमें कई संशोधन और सुधार किये गये थे। मैं हैरान हूं कि

अभी यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा था और जम्मू व कश्मीर के लोगों के क्या विचार है। मैं समझता हूं हमें अनुच्छेद 370 के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी अथवा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटकों की राय का पता है। यह मांग की जाती रही है कि अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। इससे निसन्देह जम्मू व कश्मीर के लोगों के दिमाग में पर्याप्त आशंकाए उठती हैं मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार सत्ता पक्ष और इसके घटकों को स्पष्ट रूप से यह बात समझ ली जानी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी जब यह उत्तर दें तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अनुच्छेद 370 की स्थिति पर क्या दृष्टिकोण है। यदि आप स्थिति स्पष्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि जम्मू व कश्मीर के लोगों की अधिकतर शंकाओं को दूर किया जा सकेगा। जम्मू व कश्मीर के लोगों ने स्वयं को भारत का अंग माना हुआ है। हमने जम्मू व कश्मीर विधान सभा के लिए पिछले चुनाव में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया था। उस चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल ने भाग लिया था और यह हम सभी के लिए संतोष की बात थी। आज जम्मू व कश्मीर में चुनी हुई सरकार है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं।

नैशनल कांफ्रेंस, एन.डी.ए. सरकार का एक हिस्सा हैं स्वंय शेख अब्दुल्ला के पौत्र मंत्री परिषद् के सदस्य हैं। महाराजा हरि सिंह का पौत्र जम्मू–कश्मीर की मंत्री परिषद् का सदस्य है। डॉ. फारुख अब्दुल्ला पूरी तरह से भारतीय हैं और एक सच्चे देशभक्त व्यक्ति हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। जब ये सभी हमारे समक्ष हैं – राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में एक देशभक्त का होना, चुनाव होना और एन. डी. ए. सरकार में नैशनल कांफ्रेंस की भागीदारी–हम स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से विचारों का आदान–प्रदान कर सकते हैं।

जम्मू–कश्मीर के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि राज्य स्वायत्ता समिति की वह रिपोर्ट जिसे अप्रैल, 1999 में जम्मू–कश्मीर विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था उसे केन्द्रीय सरकार की राय जानने के लिए, भारत सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए तुरंत भेज दिया गया। मुझे नहीं पता, शायद केन्द्र सरकार ने उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया। यह एक संस्करण है। मुझे इस पर स्पष्टीकरण चाहिए।

दूसरी ओर, मिडिया की बातों से यह लगता हैं कि जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री ने न केवल गृह मंत्री की बल्कि प्रधानमंत्री को भी यह आश्वासन दिया है कि विधान सभा में इस रिपोर्ट पर केवल चर्चा ही होगी और कोई भी संकल्प स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मिडिया से पता चला है कि डॉ. फारुख अब्दुल्ला ने यह आश्वासन गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को दिया था, और अब वे विधान–सभा में संकल्प पारित भी कर चुके हैं। क्यों ? गलतफहमी कहां है ?

आखिरकार मंत्री–मंडल ने यह निर्णय लिया : 'नहीं, डॉ. फारुख अब्दुल्ला की इस पर प्रतिक्रिया के बिना ही इस रिपोर्ट को पूरी तरह से अस्वीकृत किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं किंतु मिडिया की रिपोर्ट कहती है कि —' डॉ. फारुख अब्दुल्ला यह निर्णय ले सकते हैं कि वे एन.डी.ए. सरकार का साथ दें या नहीं। वे इस सरकार के साथ रहने या इसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।' मुझे लगता है कि केन्द्र और जम्मू–कश्मीर के नेतृत्व के बीच कहीं कोई संप्रेषण का अभाव है।

मैं जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इन उत्तेजनाओं के बावजूद भी वे शांत हैं और उन्होंने एन.डी.ए. सरकार से अपना समर्थन वापिस नहीं लिया है। वे अभी भी कह रहे हैं : "मैं चर्चा और वार्ता के लिए तैयार हूं।" मेरे ख्याल से ये अत्याधिक साकारात्मक चिन्ह हैं और सभा को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें एक दम यह नहीं मान लेना चाहिए कि उन्होंने शत–प्रतिशत गलत किया है। मेरे ख्याल से यह संसद और शायद सरकार के लिए भी सही रहेगा कि वे देखें कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस प्रकार कार्यरत था। आखिकार, हमें उन्हें जो भी स्वायत्ता देनी थी, हम दे चुके हैं।

संभवतः, जम्मू–कश्मीर से बाहर के विशेषज्ञों की टीम द्वारा एक विशेष अध्ययन कराया जा सकता है — एक स्वतंत्र निकाय होगा जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 की पूरी कार्यप्रणाली का अध्ययन करेगा और यह देखेगा कि इसमें और परिवर्तनों की आवश्यकता है या नहीं।

हालांकि मैं यह बता चुका हूं कि कुछ मामलों पर 1952 में चर्चा हुई थी मगर इन मांगों के गहन अध्ययन से मुझे यह लगा कि जम्मू–कश्मीर विधानसभा अपनी 1952 से पहले की स्थिति में लौटना चाहती है। स्पष्ट है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि हम स्वायत्तता की बात क्यों कर रहे हैं और यह शब्द 'स्वायत्ता' इतना आकर्षक क्यों है ? मैं सोचता हूं कि जम्मू–कश्मीर की जनता जो कुछ भी प्राप्त करना चाहती है वह इस शब्द 'स्वायत्ता' को प्रयोग किए बिना भी प्राप्त कर सकती है।

मेरे विचार से मंत्री–मण्डल ने इस पर जरूर ध्यान दिया है और संकल्प को अस्वीकृत करते हुए यह विकल्प भी रखा है कि कुछ समस्याओं को हल करने का मार्ग भी निकाला जाए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आप जब भी बोलें तो यह भी ध्यान रखें कि आप संविधान समीक्षा आयोग के सदस्य हैं। आप कई चीजें और विचार व्यक्त कर चुके हैं।

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं यह जानता हूं। इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूं। मैं केवल अनुच्छेद 370 के बारे में ही नहीं सोच रहा हूं बल्कि मैं अनुच्छेद 371 के बारे में भी सोच रहा हूं जो कि उत्तर–पूर्वी राज्यों पर लागू है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता हूं कि आयोग के सदस्य के रूप में, मैं असम के भविष्य के बारे

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

में भी सोच रहा हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह इन विशेष महत्व के मामलों को किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को सौंपे जो कि निष्पक्ष हों और अनुच्छेद विशेष के लिए कार्य कर सकें। यह आयोग संपूर्ण संविधान के कार्यों को देखने के लिए है।

मैं अनुच्छेद 370 पर बल दे रहा हूं। मंत्री–मण्डल, एन.डी.ए. के घोषणापत्र को कोट कर शक्ति प्रदान करने की बात कर रहा था, कि यह इस रूप में ही स्वायत्ता का मामला नहीं है; यह शक्ति प्रदान करने का मामला है। मंत्रिमण्डल द्वारा संकल्प अस्वीकृत करने के निर्णय में यही कहा गया है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : हमने 'अस्वीकार' शब्द का प्रयोग नहीं किया।

श्री पूर्णो ए.संगमा : जी हां, उन्होंने 'अस्वीकार' शब्द का प्रयोग तो नहीं किया किंतु उसका सारांश 'अस्वीकृति' ही है।

लालकृष्ण आडवाणी : हमने कहा था कि "हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं।"

श्री पूर्णो ए. संगमा : इसलिए मैं कह रहा हूं कि शक्ति प्रदान करने के बारे में, ये बड़े ही हिसाब और समझदारी से बोले हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इनके पास मंत्री–मण्डल के निर्णय की प्रति है ?

श्री पूर्णो ए. संगमा : जी नहीं। मैं समाचार–पत्रों में छपी रिपोर्टों के आधार पर बात कर रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह प्रैस में छप चुका है।

श्री पूर्णो ए. संगमा : जी हां, समाचार पत्रों में यह छपा है कि यह केवल स्वायत्ता ही नहीं बल्कि शक्ति–प्रदान करने का मुद्दा भी है। और निर्णय का सारांश भी यही है।

इसलिए मेरे विचार से शक्ति प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है और जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि इसका आधार सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट होनी चाहिए। यह रिपोर्ट सहकारी परिसंघवाद की बात करती है। हालांकि यह एक नया शब्द है किंतु यह काफी प्रचलित हो गया है। इसका रास्ता हो सकता है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सहकारी पारिसंघवाद बाकी भारत पर लागू किया जा सकता है किंतु जहां तक जम्मू–कश्मीर और उत्तर–पूर्वी राज्यों का संबंध है, मैं सोचता हूं कि अनुच्छेद 370 और 371 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें यह देखना होगा कि इन अनुच्छेदों को किस प्रकार अधिक कारगर और प्रभावी बनाया जा सके।

मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां अत्यधिक अशांति है। इस तरह हमें जम्मू–कश्मीर की जनता की ही तरह के अनुभव हैं। एक ओर आतंकवादी और उग्रवादी हैं और दूसरी ओर सुरक्षा बल। हम जानते हैं, जिस तरह से सुरक्षा–बल उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में व्यवहार करते हैं।

मेरे विचार से जम्मू–कश्मीर की जनता वहां की परिस्थितियों से तंग आ चुकी है। वे, आतंकवादियों और सुरक्षा–बलों के बीच फंस गए हैं। मैं जम्मू–कश्मीर की जनता से कई बार बातें कर चुका हूं। जनता, समाधान खोज रही है। यही समय है समस्या के समाधान का क्योंकि स्वयं जनता यही चाहती है। मेरे विचार से 52 सालों के कड़वे अनुभवों से तंग आकर जनता अब समाधान चाहती है। इसलिए, मैं नहीं सोचता कि हमें हर रास्ता बंद कर देना चाहिए। मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं ऐसी किसी भी स्वायत्ता से सहमत नहीं हूं जो 1953 से पहले की है। मगर मुद्दा यह है कि क्या हम संविधान के दायरे में रहकर और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में रहकर जनता के लिए कुछ और अधिक नहीं कर सकते?

मैं एक पत्रिका में एक लेख पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि, "जम्मू–कश्मीर के लगभग 8 से 10 हजार विद्यार्थी कर्नाटक के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 5 से 7 लाख रु. 'कैपीटेशन शुल्क' देकर पढ़ रहे हैं। यहीं के करीब चार से छः हजार विद्यार्थी महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं; काफी गुजरात में और भारत के अन्य भागों में पढ़ रहे हैं।" उनकी दशा का अनुमान लगाएं; अनुमान लगाएं कि वह किन–किन कठिनाइयों को झेल रहे हैं। इसलिए, मैं सोचता हूं कि आर्थिक विकास का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है; रोजगार पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता को वहां रोजगार नहीं मिल रहा है।

मैं श्री माधवराव सिंधिया के उस बिंदु का समर्थन करना चाहूंगा कि जब हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कश्मीर घाटी की ओर जाता है। इस प्रक्रिया में हम जम्मू की जनता को भूल जाते हैं, इस प्रक्रिया में हम लद्दाख की जनता को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से यह उनके साथ अन्याय है। पिछले कुछ महीनों पहले जब मैं जम्मू गया तो वहां की जनता ने सीधे मुझसे यह पूछा कि, "क्या हम भी आतंकवादी बन जाएं ? क्या हम भी हथियार उठा लें ? क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, सरकार हम पर ध्यान नहीं देगी। जो लोग हथियारों से बात करते हैं, और जो भूमिगत हो जाते हैं उन्हीं लोगों को प्रत्येक सहायता मिलती है; उन्हीं को सभी संसाधन मिलते हैं और उन्हीं को सब सुविधाएं मिलती हैं। क्योंकि हम शांतिप्रिय और साधारण लोग हैं इसलिए हम उपेक्षित हैं।" मेरे ख्याल से यह प्वाइंट नोट करना चाहिए। श्री माधवराव सिंधिया इस प्वाइंट को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर चुके हैं।

आखिरकार, लद्दाख ने स्वायत्ता का विरोध किया है और उन्होंने 'ना' कहा है। जम्मू की जनता ने 'ना' कहा है। इसका क्या अर्थ है ?

जम्मू–कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित स्वायत्ता की मांग को लद्दाख और जम्मू की जनता अस्वीकार कर चुकी है। मैं सोचता हूं कि हमें इस बात को भी मान्यता देनी चाहिए और उनके लिए कुछ विशेष करना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को बड़े ही ध्यान से और गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। इसे बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। मुझे खुशी है कि भारत सरकार हुर्रियत के नेताओं के साथ बातचीत करने वाली है और युद्ध विराम हो चुका है। यह काफी सकारात्मक विकास है। मैं सरकार को बधाई देता हूं। मैंने कहीं पढ़ा है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की सितम्बर, 2000 की अमेरिका की यात्रा से इसका कोई संबंध तो नहीं है, जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलेंगे। इस पर प्रश्नचिन्ह है। हमें नहीं पता कि पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और प्रधान मंत्री बाजपेयी के बीच क्या हुआ था। वे सितम्बर, 2000 में मिलने वाले हैं और हमें पता है कि अमेरिका इस बारे में क्या सोचता है। अतः कुछ आशंकाएं हैं। मैं इसे एक ओर रखता हूं किंतु उनसे बातचीत की शुरूआत और युद्ध विराम स्वागत योग्य है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं।

मैं सोचता हूं, जब हम बातचीत की बात करते हैं तो हमें लोकतांत्रिक तरीके से वहां बातचीत करनी चाहिए जहां जनता वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निःसन्देह, हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की विधान सभा ने इस पर एक संकल्प पारित कर दिया है जिसका संबंध जम्मू और कश्मीर की जनता से है। लेकिन हम इस मुद्दे पर जो बहस कर रहे हैं उससे संबंधित सूचना हमें मात्र पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त हुई है। जहां तक सरकार का संबंध है उसमें संसद में इस विषय पर कोई बयान नहीं दिया है। इस मुद्दे पर सरकार के विचार की हमें प्रतीक्षा है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर भी मतभेद है। यहां तक कि श्री संगमा जिनके कि कुछ मामलों को लेकर उनसे अच्छे तालमेल हैं, को भी पूर्ण विश्वास में नहीं लिया गया है। हमें यह नहीं मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हवाई जहाज में या उससे उतरते समय क्या कहा है। हमें नहीं मालूम कि प्रवक्ता के विचार क्या हैं क्योंकि अब तो कुछ कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल के प्रवक्ता हो गए हैं। उनके अपने कुछ विशेष विचार हैं।

महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह कोई हल्की बात नहीं है। मेरे विचार से, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह बहस जिसमें कि सभा के अधिकांश सदस्य भाग ले रहे हैं, का प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए था। इस बहस से जैसे मैं जुड़ा हुआ हूं उसी तरह श्री वाइको भी जुड़े हुए हैं। यह बात अलग है कि वे वर्तमान में इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहस की शुरूआत स्वयं गृह मंत्री द्वारा की जानी चाहिए तब हम सरकार के दृष्टिकोण पर अपने विचार भी आसानी से व्यक्त कर पाये होते। इस समय तो हम सरकार के दृष्टिकोण का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, और यदि वह प्रासंगिक तरीके से सोच सकती। ...*(व्यवधान)*

अलबत्ता, जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में हमारे मित्रों ने जो संकल्प पारित किया है उससे हमें उस जीवंत मुद्दे पर बहस करने का अवसर मिला है जो कि इस देश के मानस को आज ही नहीं बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही मथता रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में अर्द्धसंघीय शासन का जो ढांचा है उसमें इतनी अधिक कमियां हैं कि वर्तमान सरकार को इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक उच्चस्तरीय आयोग गठित करना होगा।

अपराह्न 5.59 बजे

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष महोदय : आज सभा की बैठक अपराह्न 7.30 तक चलेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे विश्वास है कि केन्द्र–राज्य संबंध पर मेरी पार्टी के विचार सबको अच्छी तरह ज्ञात हैं। इसी प्रकार श्री वाइको, श्री करूणानिधि और अकाली दल ने हमारे मित्रों के विचार और दूसरे अन्य जैसे कि श्री चन्द्रबाबू नायडू के विचार यदि उन्होंने जल्दी में बदले नहीं तो जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, सबको अच्छी तरह ज्ञात हैं।

महोदय, प्रत्येक इसके लिए क्यों शोर मचा रहा है। हर राज्य की सरकार अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए फरियाद कर रही है। यह कोई अचानक की गई मांग नहीं है। यह मांग जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के संकल्प से नहीं उठ खड़ी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस देश में भाषा, धर्म, संस्कृति, मांग, समस्या और मुद्दा जैसे विषयों की इतनी अधिक विविधता तो देश के विभिन्न भागों में विकास से संबंधित अनेक समस्याओं का होना स्वाभाविक है।

सांय 6.00 बजे

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि स्वतन्त्रता के 52 वर्षों में पूरे देश का विकास संतुलित एवं समान रूप से नहीं हुआ है। देश में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई है परन्तु उनको धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रत्येक बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री सर्वानुमति से – शक्ति

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

और संसाधनों के और अधिक बंटवारा की मांग करते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि शरद जी भी मुख्यमंत्री रहते हुए, देश की वित्तीय राजधानी के मुख्यमंत्री होते हुए भी, यह मांग किए थे। इसलिए ये बेकार के मुद्दे नहीं हैं ये इस प्रकार के बेकार के मुद्दे नहीं हैं जो कि जम्मू और कश्मीर की विधान सभा द्वारा पारित स्वायत्तता संकल्प को लेकर उठाए गए हैं।

मेरे मित्र श्री संगमा को डॉ. फारुक अब्दुल्ला के विषय में अच्छी बातें कहनी है। मुझे डॉ. अब्दुल्ला से कोई शिकायत नहीं है। निःसंदेह वे देशभक्त हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे अपने प्रदेश की जनता की पूरी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे दिल्ली के अपने साथियों से यह आशा कैसे करते हैं कि जिस स्वायत्तता के विषय में वे सोच रहे हैं उसको पूर्णतः या अंशतः प्राप्त कर लेंगे ? यह उन्हें कौन देगा ? सत्ताधारी गठबंधन का मुख्य घटक भाजपा है जो कि संविधान के अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. अब्दुल्ला इस दिशा में कुछ प्राप्त करने की [illegible] करते हैं जबकि वे सुधार–विरोधी, यथार्थवादी और [illegible] ताकतों के साथ खड़े हो गए हैं। ये ताकतें संविधान के उस महत्वपूर्ण अनुच्छेद के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हैं जो कि जम्मू और कश्मीर को कुछ विशेष शक्तियां और दर्जा प्रदान करता है। मैं संगमा द्वारा जम्मू और कश्मीर की तुलना कुछ अन्य राज्यों से किए जाने से सहमत नहीं हूं। दूसरे राज्य संघ में विलीन हो गए और अपनी पहचान समाप्त कर दिए जबकि जम्मू और कश्मीर संघ में सम्मिलित हुआ तथा अपनी पहचान बरकरार रखा। इसी कारण से भारत के संविधान में जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया। वास्तव में, संविधान के लागू हो जाने पर इसका अपना प्रभाव हो जाता है। अतः डॉ. अब्दुल्ला को यह दृढ़ विश्वास कैसे है कि वह सरकार जिसका एक घटक उनका दल भी है — भले ही छोटा घटक हो — जो कुछ वह चाहते हैं वह उन्हें दे देगी।

महोदय, शेख अब्दुल्ला द्वारा 1951 में दिए गए वक्तव्य से एक उद्धरण मेरे पास है और मैं इसको पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। उनका निजी बोध था। वे समय विशेष पर भारत सरकार की तरफ से आने वाले खतरे को समझते थे। उन्होंने यह अनुभव किया था कि कहीं सरकार की सोच में परिवर्तन हुआ तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कहा था :

"भारत में इस तरह की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जिनकी वजह से भविष्य में यह धर्मप्रधान देश बन सकता है जहां मुस्लिमों के हित पर खतरे की संभावना होगी। ऐसा तब होगा जबकि किसी धार्मिक संगठन का सरकार में महत्वपूर्ण हाथ हो जाएगा तथा कांग्रेस को सभी वर्गों को समानता का विचार धार्मिक असहिष्णुता के समक्ष हथियार डाल देगा। भारत में कश्मीर के सतत् विलय की प्रक्रिया से इस प्रवृत्ति को समाप्त करने में मदद मिल सकती है।"

शेख अब्दुल्ला ने जो कहा था, यही है।

यह उनकी आशंका थी जो उन्होंने व्यक्त की थी और आज उनकी बात सत्य सिद्ध हो रही है। आज, वे भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 'संघ परिवार' के साथ रहकर कश्मीर के विकास की आशा कर रहे हैं।

महोदय, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर गौर करें। अत्यंत समझदार नेता लालकृष्ण आडवाणी की महिमा देखें। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ? मुझे विश्वास है कि उन्होंने ठीक कहा था, 'इस मुद्दे पर संसद को निर्णय लेना है। यह महत्वपूर्ण निर्णय है।' उन्होंने समाचार पत्रों में भी कुछ कहा था। मुझे समाचारपत्र द्वारा दी गई सूचना को पढ़ना है क्योंकि वे अपने कथन की प्रतियां हमें नहीं भेज रहे हैं जैसे कि इन्होंने श्री पी.ए. संगमा को भेजा है !

श्री लालकृष्ण आडवाणी : प्रत्येक यही कह रहा है। मैं इजरायल और अन्य दूसरे देशों को गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो इस संकल्प के बारे में जाना। मैं प्रेसवालों से दूसरे विषय पर बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा। तो, मैंने कहा'

"इस विषय पर मेरा अपना दृष्टिकोण है। मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन सामान्यतः यह किसी विधान सभा द्वारा पारित संकल्प है, अतः मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सरकार कोई विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाए। और, यह प्रधानमंत्री के वापस आने पर ही हो सकता है (उस समय, प्रधान मंत्री बाहर गए हुए थे)।"

और मैंने अगला वाक्य कहा था :

"यदि इस संकल्प के विषय में कुछ किया जाना है तो वह केवल संसद द्वारा किया जा सकेगा।"

मैनें यह नहीं कहा था कि संसद में इस बहस होगी। मैंने कहा था :

"सरकार इस पर समग्र रूप से विचार करेगी और यदि इस संकल्प के विषय में कुछ किया जाना होगा तो वह संसद द्वारा किया जाएगा।"

यही है जो मैंने कहा है। लेकिन इसे बार–बार इस तरह उद्धृत किया गया है मानो मैंने कहा हो कि इस पर संसद बहस करेगी तथा निर्णय लेगी। मेरे विचार से इस तरह के प्रत्येक मामले पर सरकार निर्णय लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस स्थिति में मेरा कर्तव्य बनता कि मैं सभा में उचित प्रस्ताव या उचित संकल्प लेकर आता। लेकिन इस विशेष मामले पर बहस करते समय हम अत्यन्त सतर्क थे। पूछा गया, "क्या इस पर संसद में बहस होगी ?' मैंने कहा, "किसी सदस्य को इस मामले को उठाने का अधिकार है। यह अलग

बात है कि हम इसे स्वीकार करें या न करें। लेकिन इस मुद्दे पर हमने कुछ विशेष निर्णय ले लिया है। हमने इस संकल्प को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, कोई सदस्य हमसे यह प्रश्न कर सकता है 'आपने इसे क्यों स्वीकार नहीं किया।' जो कुछ हो रहा है उसका सारांश यही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम विनम्र जीव हैं। हमने केवल समाचार पत्र की सूचना पढ़ी है। मुझे उनके कथन की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)*। उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : नहीं मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कैसे मिलेगा, हम तो नहीं बैठे। हम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं गये।

[अनुवाद]

महोदय, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 28 जून के अंक में जो कुछ छपा है, वह कोई बहुत अलग नहीं है ....*(व्यवधान)* कृपया 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे अपने उस कथन को हमें समझने दीजिए जिसकी व्याख्या आपके पक्ष में की गई है ...*(व्यवधान)*

मैं उस बात को उद्धृत करना चाहूंगा जो कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 28 जून, 2000 के अंक में कह रखी है।

उन्होंने कहा है :

"जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा राज्य के लिए और अधिक स्वायत्तता की मांग संबंधी पारित किए गए संकल्प पर अंतिम निर्णय संसद द्वारा लिया जाएगा।"

वस्तुतः, स्वायत्तता के मुद्दे पर अपनी पार्टी के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है :

"इस संकल्प पर जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, वह संसद द्वारा किया जाना है। प्रत्येक को इसकी संरचना और इसको संगठित करने वालों के दृष्टिकोण की जानकारी है।"

महोदय, हम इस पर कार्यवाही करते रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। परन्तु अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, और उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे स्वीकार करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है, मैं उनको कई वर्षों से जानता हूं लेकिन वे उनके साथ कैसे हैं, मुझे नहीं पता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या जम्मू एवं कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति गंभीरता से यह विश्वास कर सकता है कि इस सरकार द्वारा स्वायत्तता के इस संकल्प पर गंभीरता से विचार किया जाएगा ? यह वह दल है जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समर्थन कर रहा है।

इसने अपनी कार्यसूची से अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने की मांग को छोड़ा नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें सरकारिया आयोग के समक्ष की गई प्रमुख मांगों में से एक अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत विशेष उपबंध का निराकरण किया जाना था। अब वे कहते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रयोजनों के कारण वे इस पर जोर नहीं दे रहे थे। जितनी जल्दी वे ऐसा करेंगे, देश के लिए अच्छा होगा। परन्तु एक बार अगर वो आगे बढ़ते हैं तो वे अनुच्छेद 370 के निराकरण की ही मांग करेंगे। वे आपको परेशानी में डाल देंगे।

वे अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनका वास्तविक योगदान क्या है। मुझे यह बात थोड़ी–बहुत बुरी लगी कि मेरे अच्छे मित्र वहां गए हैं। मुझे उनसे इतना स्नेह है कि मैं अच्छाई के सिवा उनके लिए कुछ भी कामना नहीं कर सकता।

श्री पूर्णो ए. संगमा : धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सरकार पूरे एक वर्ष से इस प्रतिवेदन को दबा कर रखे हुए है। विधानसभा ने इसे पहले ही औपचारिक रूप से अग्रेषित कर दिया है। एक साल तक कुछ भी नहीं किया गया। अपने एक घटक को यह महत्व दिया गया है – राज्य मंत्री का एक पद नेशनल कांफ्रेंस को चुप रखने के लिए पर्याप्त है। अब उनको सभा में एक संकल्प लाने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने पाया कि प्रतिवेदन अर्थहीन था और सरकार, मिश्र ने स्फिन्कस की तरह जड़ हो गई थी।

डॉ. अब्दुल्ला जम्मू एवं कश्मीर में समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में फंसते चले जा रहे हैं क्योंकि दुर्भाग्यवश जन समर्थन खो रहे हैं। लोग स्वंय को अलग–थलग महसूस कर रहे हैं। अतः वे अब यह मानते हैं कि उन्हें स्वयं को कश्मीर का उद्धारक सिद्ध करने का अवसर मिल गया है। वे कश्मीर की स्थिति को इस मुकाम पर लाना चाहते हैं कि कोई निर्णय लिया जा सके। वे जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता के लिए लड़ेंगे। सरकार ने एक साल तक रिपोर्ट को अपने पास लंबित रखा। इसके प्रमुख घटक ने अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने की अपनी मांग को नहीं छोड़ा है और इसने कहा है कि इसने प्रतिवेदन को 'अस्वीकृत' किया है। शायद, आक्सफोर्ड शब्दकोश

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

में 'रीजेक्शन' की परिभाषा 'अस्वीकार करना' है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां मौजूद नहीं है और मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, 'यह लगभग विश्वासघात के जैसा है। इसे तत्काल अस्वीकार किया जाना चाहिए'। संघ परिवार लट्ठ उठाकर कहता 'आसमान गिर पड़ेगा'। कल जिन महानुभाव को रिहा किया गया था तब या तो उन्होंने अपना अंगूठा दिखाया या फिर 'विजय' संकेत दिखाया। शायद मेरे दोस्त 'विजय' संकेत प्रदर्शित कर रहे थे। उनके नेता अंगूठा दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह 'विश्वासघाती' था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक की प्रतिक्रिया है।

आज, हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू एवं कश्मीर के साथ क्या होगा। शीघ्र ही हम श्री एम. करूणानिधि की प्रतिक्रिया पाते हैं उन्होंने कहा है, 'यह बहुत अच्छा है। इसका समर्थन किया जाना चाहिए' श्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा, 'इसका समर्थन किया जाना ष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में गड़गड़ाहट शुरू हो गई है। न्द्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसकी अब और उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्हें 29 लोगों के विचारों को सुनना है जिन्होंने अपना समर्थन उन्हें दिया है। इसलिए, प्रधानमंत्री कहते हैं, 'हम चर्चा करें।' क्या यह राजनीतिक मिथ्याचार नहीं है? हम किसकी चर्चा करें ? राष्ट्रीय जनतांत्रिक के सभी दलों से बनी हुई मंत्रिमंडल ने कहा है, 'नहीं'। अब हम क्यों चर्चा करें ? हुर्रियत नेताओं को रिहा करके आप वहां क्या कर रहे हैं ? डॉ. फारुख अब्दुल्लाह इसके विरुद्ध हैं। वे ऐसा महसूस करते हैं कि हुर्रियत एवं सरकार के बीच की वार्त्ता उनके हित में नहीं है। वे संकल्प को आगे लाते हैं और अब, सरकार कहती है, "बहुत बढ़िया, हम चर्चा करेंगे।" हमें किस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं बड़ी गंभीरता के साथ माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि क्या वे इसके किसी भाग को मान रही है ? मैंने कहा है और मेरे दल ने भी कहा है कि निश्चित रूप से हम 1953 के पूर्व की स्थिति में वापस जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस देश का कोई राज्य, रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के तीन विषयों के अलावा सभी चीजों से निपटेगा। काफी समय बीत चुका है जब 1950 का समझौता किया गया था। यह सत्य है कि अनुच्छेद 370 वहां विद्यमान है। इसमें उस राज्य के लिए एक विशिष्ट स्थिति पर विचार किया गया। परन्तु तब से, राष्ट्रपति के आदेशों ने उन्हें कुतर कर रख दिया है। मेरे दायीं ओर का दल इसके लिए जिम्मेदार रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व द्वारा किए गए समझौते पर भी कभी वास्तविक रूप से अमल नहीं किया गया था। 1975 के समझौते को भी कार्यान्वित नहीं किया गया था। कम से कम, कागजों पर शेख अब्दुल्लाह और श्रीमती गांधी को यह स्वीकार्य था। इससे कई विषयों पर खुले दिमाग से उचित चर्चा करने का आधार बन सकता है। हम इसे न भूलें।

महोदय, मुझे विश्वास है, आप मुझसे सहमत होंगे कि यदि इस देश को एकजुट रखना है तो राज्य सरकारों को शक्तियों का उचित हस्तांतरण किया जाना अनिवार्य है। आप केन्द्रिकृत शक्ति के रूप में सभी चीजों को नियंत्रण में रखते हुए नहीं चल सकते। आज, आर्थिक नीति को लोगों पर जबरन थोपा जा रहा है। किसी देश में ऐसी आर्थिक नीति नहीं है जिसमें देश के हितों को विदेशियों के हाथों बेचा जाता हो। मेरे राज्य में महत्वपूर्ण कंपनियों को बेचा एवं बंद किया जा रहा है और मैं कुछ नहीं कह सकता। उत्तरप्रदेश में भी, एक बड़ी कंपनी को बंद किया जा चुका था और कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैं जनता हूं कि भारी उद्योग मंत्री के रूप में श्री मनोहर जोशी, जो कुछ हो रहा है उससे खुश नहीं हैं। मुझे विश्वास है, वे मुझसे सहमत होंगे श्री राम नाईक भी इससे प्रसन्न नहीं हैं।

अब, राज्य सरकारें भी इसी तरह से बैठीं हुई हैं। आप यहां सब कुछ करें और हम कुछ कह भी नहीं सकते। परन्तु लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। केन्द्रिकृत शक्ति होने के कारण, आप यहां अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहें हैं और आप राज्यों की बात मान ले रहे हैं। परंतु मेरी कुछ आकांक्षा है। श्री संगमा की अपनी आकांक्षाएं हैं। विभिन्न राज्यों के लोगों की अलग–अलग समस्याएं हैं और उनके विशेष मुद्दे हैं। इसके लिए क्या किया जाए ? राज्यों को जबर्दस्तीपूर्वक यह समझाया जा रहा है कि राज्यों के लिए कुछ भी धन नहीं है और कुछ भी संसाधन नहीं है।

स्थिति इतनी हास्यास्पद हो गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों को केन्द्र सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है और वह राज्य सरकारों को इसे खरीदने और चलाने के लिए कह रही है। स्थिति इतनी हास्यास्पद है। क्या यह मजाक है ? ....*(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : उनके भाषण का संकल्प से क्या संबद्धता है ? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : पूरे आदर के साथ मैं यह कहूंगा कि शायद वे सो रहे थे।

अतः आप चाहे इसे स्वायत्तता कहें, चाहे आप इसे उचित केन्द्र–राज्य संबंध कहें, चाहे आप इसे उचित विकेन्द्रीकरण कहें या आप इसे जो कुछ कहें – उचित हस्तांतरण किया जाना महत्वपूर्ण है। इसका पूर्णतः विरोध नहीं किया जा सकता है।

अतः पहले मैं जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं परन्तु, उन्हें भी वे मांगें नहीं करनी चाहिए जिनको पूरा किया जाना संभव नहीं है यह देश के हित में नहीं होगा और उनके

लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि कम से कम इस पर उचित रूप से चर्चा की जाए। सरकार द्वारा संसद को काफी पहले ही विश्वास में ले लिया जाना चाहिए। इस संबंध में एक गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए।

हम नहीं जानते कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किस प्रकार की चर्चा के बारे में सोचा गया है। परन्तु हम ऐसा महसूस करते हैं कि 1975 का समझौता सूत्रपात करने हेतु एक अच्छा आधार उपलब्ध करा सकता है। सरकार को यह दोहराना चाहिए कि अनुच्छेद 370 पूरी सक्रियता के साथ लागू रहेगा। जम्मू एवं कश्मीर के अधिमिलन का यही आधार है। इस पर जो भी चर्चा हो और जैसी भी स्वायत्तता दी जाए, वह भारत संघ के अन्तर्गत एवं भारतीय संविधान के तहत होनी चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जम्मू एवं कश्मीर के विकास से संबंधित है। राज्य के विकास की गति तीव्र की जानी चाहिए। यही मामले का मूल प्रश्न है। लोग स्वायत्तता के लिए स्वायत्तता नहीं चाहते। वे ऐसा इसलिए चाहते हैं कि यह राज्य के विकास में उनकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति में और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा। वे स्वायत्तता के लिए शोर मचा रहे हैं, महज कुछ विधिक उपबंधों के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि इस राज्य को समान अवसर प्रदान किए जाएं। यहां तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी उचित तरीके से कार्य नहीं कर रही है। रोजगार के अवसर सृजित किए जाने हैं। विकास की गति तीव्र करने हेतु उपाय करना है। हम इसे स्वर्ग कहते हैं परन्तु उपेक्षा की वजह से पयर्टन प्रभावित हुआ है। अवसंरचना जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं। जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, आप सभी यह जानते हैं।

हम उनके संकल्प में की गई मांगों का पूरी तरह समर्थन नहीं करते हैं। हम 1953 से पूर्व की स्थिति को बहाल करने के विरुद्ध हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इसने समूचे देश में केन्द्र–राज्य संबंधों के प्रश्न पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान किया है। ऐसा हो सकता कि अन्य राज्यों की समस्याएं जम्मू एवं कश्मीर की समस्याओं से थोड़ी भिन्न हो। हम यह मान रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को जारी रहना चाहिए। यह उन्हें विशेष स्थिति प्रदान करता है। इसमें पारदर्शिता के साथ–साथ दृष्टिकोण होना चाहिए तथा यह केवल जन उपयोगी न हो। यदि यह सरकार इसमें विश्वास करती है तो वह इसका उचित अध्ययन करे। वे सरकारिया आयोग की बात किया करते थे। उसका क्या हुआ ? अब वे सरकारिया आयोग और उसकी सिफारिशों की बात नहीं कर रहे हैं। सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में भी कई कमियां हैं। हम उस प्रतिवेदन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। परन्तु एक शुरूआत की जा सकती है। यह अनुच्छेद 356, वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण की बात करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी राज्य थोड़ी बहुत वित्तीय स्वायत्तता चाहते हैं। यदि आप मेहरबानी कर के योजना आयोग एवं वित्त आयोग को राज्य सरकारों, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या शिव सेना की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या वाम मोर्चे की सरकार हो, द्वारा दिए अभ्यावेदनों का अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि न केवल उनकी मांगें समान हैं बल्कि भाषा भी एक जैसी है। ये सभी बहुत गंभीर मामले हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। मुझे श्री एल. के. आडवाणी को पिछले तीस सालों से जानने का विशेष लाभ प्राप्त है। मुझे विश्वास है कि पुराने आर एस एस संपर्कों या जारी आर.एस.एस. संपर्कों से प्रभावित हुए बगैर श्री एल. के. आडवाणी जैसे लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति इस संबंध में उचित प्रतिक्रिया देंगे। ... *(व्यवधान)* राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति श्री आडवाणी जी संवेदनशील नहीं हैं फिर आप इतने संवेदनशील क्यों हैं ? वे संवेदनशील नहीं हैं। वे इसका आनंद ले रहे हैं। आप इससे क्षुब्ध क्यों हैं ? उन्होंने यह नहीं कहा बल्कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी आत्मा में रची बसी है। माननीय मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा। मुझे विश्वास है कि उस आत्मा का अंश उनमें भी है। वे आत्मा–विहीन गृह मंत्री नहीं होना चाहते हैं।

इसलिए, महोदय, यही वह मामला है जिसके संबंध में हम सरकार से उचित जवाब की अपेक्षा करते हैं। मैं एक बार फिर इस तथ्य पर अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज करूंगा कि सरकार स्वयं अपने प्रस्ताव और स्वतः वक्तव्य के साथ सभा में नहीं आई, अगर ऐसा होता तो चर्चा और भी अधिक अर्थपूर्ण होती। हम यहां सरकार की प्रतिक्रिया को जाने बगैर सिर्फ अपने विचार रख रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी–अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी पहुंच चुके हैं। हम ऐसा विश्वास करें कि कल समाचार पत्रों में गुमराह करने वाला कोई प्रतिवेदन मौजूद नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव।

अनेक माननीय सदस्य गण : महोदय, हमें इस पर अब कल चर्चा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल हम नियम 193 के तहत सूचीवद्ध अन्य विषय पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया और यहां सभी ने एक अच्छी बहस आरंभ की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए मैं इसे मुद्दा नहीं बना रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बड़े दलों को पहले मौका दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। ... *(व्यवधान)* आप इनको बोलने का जल्दी मौका दीजिए।

[अनुवाद]

श्री वैको : सभा की प्रक्रिया अनुसार, मुझे मौका दिया जाना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगली बारी आपकी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जम्मू–कश्मीर का मुद्दा वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और इसे जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया गया है। अब यह किस सरकार की गलती है, किसकी भूल है, किसकी गलत नीति है, इस बहस पर हम आज के अवसर पर नहीं जाना चाहते। स्वायत्तता का प्रस्ताव क्यों आया, इसका संकेत हमारे कुछ नेताओं ने दिया है। अभी सोमनाथ चटर्जी ने भी दिया है और भी हमारे बहुत से साथियों ने दिया है। उसकी स्वायत्तता का मुद्दा जो 1953 की पहली मांग है कि हमारा संविधान अलग हो, हमारा न्यायालय अलग हो, वहां राज्यपाल की नियुक्ति न हो या अपना प्रधान मंत्री हो आदि कुछ विषयों को छोड़कर पूरे अधिकार कश्मीर को मिलें, गृह मंत्री जी क्या इस सवाल पर वास्तव में गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी एन.डी.ए. का एक घटक है जिसने यह प्रस्ताव पास किया है। श्री फारुख अब्दुल्ला साहब देशभक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। वे हिन्दुस्तान के साथ हैं। उनके बयान की आपने तारीफ की है लेकिन विधान सभा की कार्यवाही आप पढ़ें तो उनके मन में कैसे यह बात उठी? श्री फारुख अब्दुल्ला जो केवल कश्मीर के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि यदि हम पाकिस्तान में होते तो प्रधानमंत्री बन जाते। यह बात वे भावुकता में आकर कैसे कह गये ? यह बात उनके मन में क्यों आई, इस पर क्या आप विचार नहीं करेंगे ? हां, फारुख अब्दुल्ला साहब को हम समझाना चाहेंगे कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का हाल क्या होता है ? पहले के एक प्रधान मंत्री का क्या हाल हुआ और अभी के प्रधान मंत्री का हाल क्या हुआ, यह सब जानते हैं। लेकिन उनके मन में यह बात क्यों उठी कि अगर हम पाकिस्तान में होते तो प्रधान मंत्री बन जाते। हम तो समझते हैं कि फारुख अब्दुल्ला साहब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री हो सकते हैं।

हमारी दुआएं हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बनें। लेकिन यह भावना क्यों हुई। यह भावना इसलिए हुई क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि एन.डी.ए. का प्रस्ताव है कि धारा 370 खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन जब–जब संघ परिवार या आपकी पार्टी के प्रमुख नेता कहीं भी बोले हैं तो यह बोले हैं कि जब स्पष्ट बहुमत हो जाएगा तो धारा 370 समाप्त की जाएगी। जब आप उत्तर दें तो स्पष्ट कर दें क्योंकि यह मामला अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा तो पाकिस्तान को बहस करने और भारत पर दबाव डालने का अच्छा मौका मिलेगा कि कश्मीर की जनता या कश्मीर के लोग भारत में नहीं रहना चाहते। एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ है जो आज तो लोक सभा में हो रहा है लेकिन यह बहस अंतर्राष्ट्रीय बहस हो सकती है। इससे बचाने के लिए आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे दल की हमेशा के लिए यह मांग खत्म की जाती है कि धारा 370 को नहीं छुएंगे, वह ज्यों की त्यों बरकरार रहेगी। यह आपको अपने जवाब में देना चाहिए।

कई मंत्रियों, कई नेताओं के अलग–अलग विचार हुए हैं। अभी माननीय त्रिपाठी जी कह रहे थे, यह तो अपना–अपना विचार है। हमारा सुझाव और राय है कि कश्मीर के मामले को राजनैतिक प्रयोगशाला मत बनाइए। देश में राजनैतिक प्रयोगशाला बनाने के बहुत स्थान हैं। यह प्रयोगशाला मत बनाइए कि कश्मीर की स्वायत्तता के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी की क्या राय है, गृह मंत्री जी ने क्या कहा। हम न हों तो अखबार पढ़कर उसे कह सकते हैं। आपकी अंदरूनी बात क्या हुई। लेकिन यह शंका यूं उठती है कि जब श्री फारुख अब्दुल्ला साहब 20 जून को विधान सभा में प्रस्ताव लाए और बहस शुरु हुई। 22 तारीख को वे दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी से जरूर बात हुई होगी। उस वक्त क्या बात हुई और यहां लौटने के बाद प्रस्ताव कैसे पास हो गया। एन.डी.ए. में कहीं न कहीं तो यह चर्चा आई होगी और यदि नहीं आई तो क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ वहां उग्रवादियों के एक नहीं बल्कि चार घटक हैं। एक घटक को तो आपने रिहा कर दिया और दूसरे घटक ने युद्धविराम कर दिया। जब आप उत्तर दें तो हम यह जरूर पूछना चाहेंगे कि स्वागत करने की क्या जरूरत थी। इसके मायने यह हुए कि स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि हमारी फौज, हमारी सेना या यह सरकार कश्मीर की सुरक्षा करने में नाकामयाब है। यह बात स्पष्ट करें। अगर उन्होंने हथियार डाल दिए हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कश्मीर को जितना उग्रवादियों से डर नहीं है उतना हमारी सरकार से है। हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं क्योंकि समस्या पैदा की जा रही है, ऐसी भावनाएं पैदा की जा रही हैं। कल भी आप भाषण में कह रहे थे कि जो विधान सभा पास कर देगी उसकी भावना का आदर करेंगे तो

तत्काल हमने पूछा था कि यदि विधान सभा राज्य विभाजन का प्रस्ताव पारित करेगी तो क्या आप उसका स्वागत करते हैं, उसे मानेंगे। क्या आप विधान सभा का प्रस्ताव मानेंगे? जहां तक 1953 से पहले की स्वायत्तता का सवाल है, उसमें समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर तैयार नहीं है और स्वीकार नहीं करती। लेकिन जैसा श्री सोमनाथ जी ने कहा कि अगर कश्मीर की जनता की भावनाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, अन्य प्रदेशों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए देश की एकता को ध्यान में रखते हुए और संविधान के अंतर्गत उनको स्वतंत्रता मिले जिससे देश का विकास कर सकें।

इसलिए हम चाहते हैं कि आप 2–3 सवालों के बारे में बताएं, एक तो संघ परिवार कहता है कि कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटेंगे। आपने कहा कि हमने नहीं कहा। अगर कल आपने जवाब दे दिया होता कि संघ परिवार ऐसा नहीं करेगा तो हम आज नहीं बोलते। जैसा अभी चटर्जी बाबू ने कहा कि आप संघ परिवार के दबाव में काम न कर जाएं क्योंकि जैसी खबर है कि संघ परिवार ने कहा है कि तीन हिस्सों में जम्मू कश्मीर को बांटना चाहिए।

आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है तो संघ परिवार की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दें कि जम्मू–कश्मीर के तीन हिस्से नहीं होंगे और न उनकी मांग है। ये गलतफहमियां जो पैदा हो रही हैं, हम लोगों के बीच में भी हो रही हैं और देश के अन्दर भी हो रही हैं, उनका खंडन आपकी तरफ से आ जाये, स्पष्टीकरण आ जाये तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जहां तक फारुख अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि सरकार कोई तो बात करे, हमारी कोई बात तो सुने तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप सरकार के एक घटक हैं और वे घटक के नेता हैं और घटक ने नेता होते हुए भी उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं, यह शिकायत अब फारुख अब्दुल्ला को है। क्या आप समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि एकदम कई सूबों से यह आवाज आई, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, उसके बारे में सिंधिया साहब, संगमा साहब और सोमनाथ जी ने भी कहा है, कई सूबों की आवाज आई कि स्वायत्तता मिलनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। किसी न किसी तरह उन्होंने उसका समर्थन किया, लेकिन हम लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। हमने इतना जरूर समर्थन किया है कि कश्मीर के विकास के लिए या तमिलनाडु, असम, पंजाब या अन्य सूबों के विकास के लिए अगर उनको कुछ स्वायत्तता मिले या कुछ अधिकार मिलें, उनको कुछ फाइनेंशियल आजादी मिले तो उससे हम सहमत हैं।

संगमा साहब ने सवाल उठाया, इसमें हमें भी शंका है कि प्रधान मंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, ऐसी खबर है कि जम्मू–कश्मीर समस्या का कुछ समाधान निकलेगा। अगर समाधान निकलेगा तो लोक सभा चल रही है, लोक सभा के चलते हम लोगों की भी राय लेनी चाहिए। अगर उनका एजेण्डा है तो लोगों के समाने, देश के सामने उस एजेण्डा को रखना चाहिए कि जम्मू–कश्मीर की समस्या हल होने जा रही है, सीमा की समस्या हल होने जा रही है। हम यह चाहते हैं कि लोक सभा के चलते यह स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे हमने यह भी सुना है कि सी.टी.बी.टी. पर हम दस्तखत करेंगे। अभी नहीं करेंगे तो अभी क्लिंटन साहब से आप मिलेंगे, वहां प्रधान मंत्री वायदा करेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी आशंकाएं हैं। हम चाहते हैं कि लोक सभा के चलते अगर उसका प्रधान मंत्री भी जवाब दें और आप भी दे दें कि सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। जम्मू–कश्मीर की सीमा या भारत की सीमा के बारे में कुछ बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, क्या रास्ता निकाला है। चर्चा यह भी है कि क्लिंटन साहब ने सितम्बर तक का मौका दिया है कि सितम्बर तक इस समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है, जवाब दीजिए। इस तरह की जवाबतलबी भारत से की जा रही है। अगर नहीं की जा रही है तो आज विजय दिवस है, हम भी उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने सीमा की रक्षा की है। लेकिन वहां पर हमें अफसोस होता है कि अभी तक सरकार की तरफ से यह खंडन नहीं आया है। जब 22 मार्च को पूरे सांसदों के बीच क्लिंटन साहब ने कहा कि अगर कश्मीर की सीमाओं से फौजें हटाई हैं तो पाकिस्तान की सेनाएं हमारे कहने से हटी हैं। आपके जवाब में इसका खंडन आना चाहिए कि आपकी फौजों ने पाकिस्तान की सेना को हटाया है या अमेरिका के कहने पर फौजें हटी हैं। हम सब लोग डरते हैं कि कहीं न कहीं दबाव है, चाहे संघ परिवार का दबाव हो या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव हो। इसलिए जब आप उत्तर दें तो इन मुद्दों को आप साफ करें। साथ ही साथ बातचीत का दौर शुरू करके यह खेल बहुत दिनों तक नहीं खेला जाना चाहिए, यह हमारी राय है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वैको : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संसद में इतने महत्वपूर्ण और सार्थक विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह उल्लेखनीय और अद्वितीय चर्चा है। जम्मू एवं कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि समस्त भारत के लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि इस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा में 27 जून को पारित प्रस्ताव पर यहां चर्चा की जा रही है।

महोदय, जम्मू–कश्मीर के लोगों के मन में अलगाव की भावना तेजी से पनपी है। डॉ. फारुख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 8 जुलाई को मैंने राज्य स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया था। मुझे वहां डल झील के आस–पास के कुछ दुकानदारों और

[श्री वैको]

लोगों से मिलने का भी अवसर मिला। वहां उन लोगों के मन में निराशा और कुंठा की वेदना को पाकर मुझे अत्यधिक दुःख हुआ जो कि किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं है। मुझे आशंका है कि जब तक हम इस समस्या के जड़ तक नहीं जाते तब तक कश्मीर घाटी में गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, निःसन्देह, आज हम उन जवानों की बहादुरी और अद्वितीय बलिदान से नतमस्तक हैं, जिन्होंने कारगिल में हिमालय की ऊंची चोटियों की रक्षा की है। महोदय, जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के मन में पनप रही इस अलगाव की भावना का क्या कारण है? कुछ लोग 'राज्य स्वायत्तता' शब्द की घोषणा के कटु आलोचक हैं। मेरा सम्बंध द्रविड़ आन्दोलन से रहा है। हम राज्य स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण की संकल्पना का मान–सम्मान करते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस सरकार की आलोचना की थी कि सरकार सरकारिया आयोग के बारे में तनिक भी चिंतित नहीं है। महोदय, हमारा घोषणापत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घोषणापत्र हैं इस घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यही सही समय है जबकि हम भारत के संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग गठित करेंगे जो कि 1996 के बाद के अनुभवों और घटनाओं के आलोक्य में ही नहीं बल्कि आजादी के बाद की पूरी अवधि के आलोक्य में संविधान की समीक्षा करेगा और उपयुक्त सिफारिशें देगा। हमें विश्वास है कि राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार और प्रकार्यों को दिए जाने की जरूरत है। हम सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आलोक्य में केन्द्र–राज्य संम्बन्धों की मधुरता को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे और पंचायतों और स्थानीय निकायों को सक्रिय और सहयोजित करते हुए एकदम निचले स्तर पर विकेन्द्रीकरण को प्रभावी बनाएंगे। इसलिए, सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आलोक्य में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विकेन्द्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है।

26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसे तत्कालीन गवर्नर–जनरल लार्ड मांउटवेटेन ने अधिस्वीकृत किया था। चार दिन बाद 30 अक्टूबर, 1947 को उन्होंने शेख मुहदम अब्दुल्ला को आपात प्रशासन के प्रधान के रूप में नियुक्ति आदेश जारी किया था। उनके साथ ही जब तक अन्तरिम सरकार का गठन नहीं हो जाता। उन्होंने 23 सदस्यीय आपात आयोग का भी गठन किया, 5 मार्च को दूसरी उद्घोषणा को जारी करके, महाराजा ने लोकप्रिय अन्तरिम सरकार द्वारा आपात–प्रशासन को समाप्त कर दिया और एक पूर्णतः प्रजातांत्रिक स्थिति का निर्माण करने के लिए इसे शक्तियां, कर्त्तव्य और प्रकार्यों को दिए जाने की बात कही।

शेक्ष मुहम्मद अब्दुल्ला को प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया। 26 अक्टूबर, 1947 से पहले शेख मुहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर छोड़ो जन आन्दोलन चला रहे थे। उस समय उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। उन्हें जेल भेज दिया गया। वह जेल में ही थे कि महाराजा हरि सिंह को लगा कि जब तक शेख अब्दुल्ला इस प्रस्ताव का फैसला और उसका समर्थन नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब उन्होंने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उस समय शेख अब्दुल्ला कश्मीरियों के सबसे कदवान और जन नेता थे। इसी कारण शेख अब्दुल्ला को प्रधान मंत्री बनाया गया। शेख अब्दुल्ला ने वेहिचक अपना भाग्य भारत सरकार से जोड़ दिया। मैं, जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा में 1951 में दिए गए उनके शानदार उद्घाटन भाषण को उद्धृत करता हूं। जो शेख अब्दुल्ला ने कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"मुझे माफ कर दिया जाए यदि मैं गौरव महसूस करता हूं कि राज्य के इतिहास में एक बार फिर हम उपलब्धियों की पराकाष्टा पर पहुंच गए हैं, इसका माध्यम जो है उसे मैं संश्लेषण, सहलशीलता और आपसी सम्मान के लिए उत्पन्न कश्मीरी विवेकशीलता ही कहूंगा। हमारे पूरे इतिहास की लम्बी दास्तान में उपलब्धि की पराकष्टा पर हम उस समय पहुंचे जब धार्मिक कट्टरता और असहनशीलता के बंधन खुल गए और हमने भाई–चारे और आपसी सूझ–बूझ की व्यापक हवा में सांस ली।"

"अपने विगत चार वर्षों के अनुभव से, यह मेरा सुविचारित निर्णय है कि भारत संघ में कश्मीर की विद्यमानता, भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच आपसी संबंधों को स्थापित करने वाली बड़ी घटक रही है। गांधी जी ने अपने निधन से पूर्व ठीक ही कहा था "कि जब मैं इन पर्वतों की ओर देखता हूं तो मुझे आशा की किरण दिखाई देती है ?"

इसलिए, महोदय, शेक्ष अब्दुल्ला ऐसी महान हस्ती थे इस देश के लिए ऐसी हितैषी सद्भावना प्रदर्शन के लिए उन्हें क्या पुरस्कार मिला? निःसन्देह 26 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रपति ने पहला संवैधानिक आदेश, 1950 जारी किया, भारत के संविधान के अर्न्तगत अनुच्छेद 370 अधिमिलन पत्र की पुरजोर पुष्टि करता है। तत्पश्चात् जुलाई 1952 को एक समझौता किया गया। तब क्या हुआ ? यह 8 अगस्त, 1953 का दिन जम्मू एवं कश्मीर के इतिहास में सर्वाधिक काला दिवस था। इस दिन शेख़ अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें बीस वर्षों तक जेल में कष्ट उठाने पड़े। इसलिए, जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के मन में इस अलगाव की भावना का मुख्य कारण क्या है ? उनकी सरकार बर्खास्त की गई। जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्हें जेल में रखा गया। उन्हें कैद दी गई। इसके बाद लगभग 22 वर्षों बाद जब केन्द्र सरकार को लगा कि कश्मीर घाटी में जो कठपुतली सरकार उसने गठित की है उससे गुजारा नहीं होगा तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को

आमंत्रित किया, और तब ही शेख अब्दुल्ला आमंत्रित किए गए. 1975 में एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। श्री माधवराव सिंधिया ने इसे उद्धृत किया है। शेख अब्दुल्ला ने 11 फरवरी, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्द्रा गाँधी को पत्र लिखा।

शेख अब्दुल्ला ने उसमें कहा।

"मेरा दृष्टिकोण है कि केन्द्र और जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बीच का संवैधानिक संबंध ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि यह 1953 में था। इसके बावजूद भी, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजनीतिक स्तर पर और केन्द्र–राज्य संबंधों के लिए मेरे सहयोग के लिए स्वीकृत निर्णय अच्छे आधार हैं।

"यह सुनिश्चित करना मेरा निरन्तर प्रयास रहेगा कि देश की प्रभुता, अखण्डता और प्रगति के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य निरन्तर योगदान करता रहे। उसी ढंग से, मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा प्रगति और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहें उपायों के संबंध में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को भारत के अभिन्न अंग के रूप में पूर्ण सहयोग देगी"

शेख अब्दुल्ला ने 11 फरवरी, 1975 को यही पत्र लिखा था। कश्मीर समझौते की स्वीकृत शर्तें हैं :

"जम्मू एवं कश्मीर राज्य, जो कि भारत संघ का एक इकाई घटक है, संघ के साथ अपने सहयोग के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा शासित किया जाता रहेगा।

"विधान की अवशिष्ट शक्तियां – यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं– राज्य के पास ही रहेंगी।

"चुनाओं से संबंधित निम्न मामलों में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के अधीक्षण निर्देशन, और नियंत्रण, मतदाता सूची में बिना भेदभाव के नाम शामिल करने की पात्रता, व्यस्क मताधिकार और विधान परिषद का गठन के मामले जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संविधान की धारा 138, 139, 140 और 50 में विनिर्दिष्ट है"

महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी, 1975 को सभा में भाषण दिया। वहां पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्द्रा गांधी ने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को बधाई दी और कहा था :

"माननीय सदस्य जानते हैं कि शेक्ष अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता के संघर्ष में और भारतीय संघ में जम्मू–कश्मीर राज्य के विलय में महत्वपूर्ण भूमि का अदा की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय संघ में राज्य का विलय अंतिम और अपरिवर्तनीय है। अगस्त, 1953 के बाद हुए विधिक और संवैधानिक परिवर्तन, उनकी चिंता के मुख्य कारण थे।"

इस मांग पर मैं अपनी और अपने दल की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं 1953 में लौटने या उससे पहले की स्थिति बनाए रखने की मांग से सहमत नहीं हूं। इसके लिए मैं शेख अब्दुल्ला के शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगा। मैं पूर्व प्रधानमंत्री के वक्तव्य से कोट करूंगा :

"जब शेख अब्दुल्ला सत्ता में थे तो इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि राज्य व केन्द्र के संवैधानिक संबंध 1953 जैसे हों। लेकिन उन्हें यह बताया गया कि इस तरह से समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता है। मिर्ज़ा अफज़लबेग ने राज्य के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंधों के हस्तांतरण, राज्य विधायिका के चुनावों पर भारतीय निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को समाप्त करने, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन करने के लिए दबाव डाला। इन प्रस्तावों को स्वीकार करना संभव ही नहीं था। मैं शेख अब्दुल्ला को यह श्रेय दूंगा कि इन मुद्दों पर अपने दृढ़ मत के बावजूद भी उन्होंने उस सहमत निर्णय को स्वीकार किया।

"जिस ढंग से शेख अब्दुल्ला के साथ मतभेदों को सुलझाया गया उससे हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की शक्ति का पता चलता है।"

महोदय, मैं सरकार को चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि 1974 में तमिलनाडु विधान सभा ने डॉ. करूणानिधि के नेतृत्व में डी.एम.के. सरकार ने राज्य की स्वायत्ता से संबंधित संकल्प पारित किया था। उस संकल्प को तमिलनाडु विधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। वह संकल्प यहां भेजा गया था। उससे पहले तमिलनाडु सरकार ने न्यायमूर्ति राजामन्नार, न्यायमूर्ति चंद्रा रेड्डी और चेन्नई विश्वविद्यालय के कुलपति, ए.एल. मुदालियर की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्यों के साथ एक समिति को नियुक्त किया था। महोदय, वह रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी गई थी। हालांकि वह संकल्प यहां भेजा तो गया था किंतु उसे मंत्री–मण्डल के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया था।

यह था कांग्रेस सरकार का रवैया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य विधान सभा के उस संकल्प को मंत्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया था। संसद में इस पर चर्चा भी नहीं की गई थी, किंतु आज हम यहां जम्मू–कश्मीर विधान सभा के संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं।

महोदय, मैं अपने मित्रों के विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं श्री माधवराव सिंधिया या श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा वयक्त विचारों से भी सहमत नहीं हूं किंतु वाल्टेयर ने कहा है कि प्रजातंत्र का अर्थ है" हो सकता है मैं उससे सहमत नहीं हूं। किंतु मैं अपने विपक्षी के अभिव्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा।"

[श्री वैको]

चर्चा लोकतंत्र का मूल आधार है। तीनों 'डी' यानि 'डिस्कशन' 'डिबेट' और 'डायलॉग' चौथे 'डी' — डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए हम यहां जम्मू–कश्मीर विधान सभा द्वारा अंगीकृत संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, यह काफी गंभीर मुद्दा है। हम राज्य स्वायत्ता तथा अधिक शक्ति की बात कर रहे हैं किंतु समय बदल चुका है। इसलिए मैं नेशनल कांफ्रेंस के अपने मित्रों से अपील करूंगा कि वे 1953 से पहले की स्थिति में लौटने की मांग न करें। मैं ऐसे आंदोलन से संबंधित हूं जिसने अलग राष्ट्र की मांग की थी। मैं ऐसे आंदोलन से संबंधित हूं जिसने अरिगनार अन्ना के नेतृत्व में अलग द्रविड़नाडू की मांग की थी। उस आंदोलन में मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में भाग लिया था। किंतु जब चीनी तोपें हिमालय की सीमा पर गरज रही थीं तब यही हमारे नेता स्वर्गीय अरिगनार अन्ना थे, जिन्होंने कहा था : "हम अपनी पृथकतावादी मांगे छोड़ते हैं; हम अपनी अलगाववादी मांगें छोड़ते हैं।" हमने 1960 और 1961 में पृथक राष्ट्र की मांग करी और तत्पश्चात् हमने ये मांगे छोड़ भी दीं। अब हमें भारत के नागरिक होन पर गर्व है। मुझे भारतीय नागरिक होने पर गर्व है। भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्रों की अभिलाषाओं को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। भारत बहुत बड़ा देश है। किंतु हमें अपनी पहचान, अपनी विशेषता, और अपनी अलग–अलग भाषाओं, संस्कृतियों और सभ्यताओं की मूलता को सुरक्षित रखना होगा।

महोदय, हमारे स्वर्गीय नेता अरिगनार अन्ना जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था : "और न मैं संविधान के अधीन अपने राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में खुश हूं जो कागज़ों पर तो संघीय हैं किंतु असल में यह केन्द्रीकरण की ओर अधिक है ...

यह सही है कि एक स्तर पर दृढ़–विश्वास होना महत्वपूर्ण होता है, किंतु इससे पहले जनता को संघवाद की शिक्षा देनी चाहिए।

यदि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सत्ता में रहती है तो वह समझदार लोगों के ध्यान में यह बात ला सकती है कि वर्तमान संविधान पिछले दरवाजे से एक द्वैधशासन जैसा ही है। यह, असल में राजनैतिक संसार को सशक्त योगदान होगा।

हमारे पास संघीय ढ़ांचा है। संविधान निर्माताओं के केन्द्रीय ढ़ांचे के बजाए संघीय ढ़ाचे को इसलिए चुना क्योंकि कई राजनैतिक दार्शनिकों ने यह मुद्दा उठाया था कि भारत इतना विशाल देश है कि इसे उप–महाद्वीप के रूप में वर्णित किया गया है — यहां मानसिक स्वास्थ्य में इतनी विविधता है, विविध परंपराएं हैं, और इतिहास भी विविध प्रकार के हैं इसलिए यहां मजबूत केन्द्रीय ढांचा बन ही नहीं सकता ...."

उन्होंने आगे फिर कहा :

"इसे सर्वोच्च राजनैतिक कार्यक्षेत्र तक उठाएं और इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दें; संघ को वास्तविक संघ बनाएं।"

श्री संतोष मोहन देव : मगर जिस पुस्तक से आप यह सब कोट कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी फोटो है।

श्री वैको : यह राज्य स्वायत्ता पर हमारा दस्तावेज है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : क्या यह भाजपा के लिए उपदेश हैं ?

श्री वैको : जी नहीं; यह उपदेश नहीं है। समय बदल चुका है। यही प्वाइंट है। हम अपनी अवधारणाएं बदल चुके हैं। हम अपनी विचारधारा बदल चुके हैं। इसलिए मैं इस सभा में, नेशनल कांफ्रेंस में अपने मित्रों और डॉ॰ फारुख़ अब्दुल्ला से यह अपील करता हूं कि वे 1953 से पहले की स्थिति में लौटने की मांग न करें।

महोदय, यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ राजनैतिक दलों ने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, सरकार की आलोचना की है। ये वही हैं, जिन्होंने डॉ॰ फारुख़ अब्दुल्ला को इस संकल्प को अंगीकृत करने के लिए उकसाया था। यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है ...*(व्यवधान)* यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। तब उन्हीं लोगों ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि उसनें संकल्प अस्वीकृत कर दिया है।

सांय 7.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, समय का ध्यान रखें।

श्री वैको : महोदय, मैंने पूरी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया है। मैंने रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ा है। यह वास्तव में गंभीर चर्चा है। यह रिपोर्ट की ही चर्चा है क्योंकि रिपोर्ट को जम्मू–कश्मीर विधानसभा ने अंगीकृत किया था और उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर ही संकल्प अंगीकृत किया।

अध्यक्ष महोदय : हमने दो घण्टे का समय दिया था और अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है, वरना मुश्किल हो जाएगी।

श्री वैको : यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं ... *(व्यवधान)* सभी राज्य अधिक शक्तियों की दुहाई दे रहे हैं। मैं अपने मित्रों, विशेषकर श्री सोमनाथ चटर्जी को बताना चाहूंगा जो यह कहते हैं कि इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। इस सरकार ने वित्तीय शक्तियां प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद, संगृहित करों का

29 प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा। ग्यारवें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। अब 4 प्रतिशत की और वृद्धि हो गई है। हम इससे भी संतुष्ट नहीं हैं किंतु सरकार ने सही दिशा में सही कदम उठाए हैं।

सरकारिया आयोग की सिफारिशों के मद्देनज़र सरकार ने एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया है ...*(व्यवधान)* उसमें क्या खतरा है ? मुझे तो कोई खतरा नज़र नहीं आता। लगभग 45 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी जम्मू–कश्मीर की जनता के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। इस सभी समस्याओं की मूल जड़ यही है। 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। 31 साल के बाद जब डॉ. फारुख अब्दुल्ला सुबह की चाय पी रहे थे, तब कुछ घण्टों पहले उन्हें यह पता चला कि उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई है। यह पुरुस्कार मिला था उन्हें। मुझे याद है 1980 में जब मैं शेख अब्दुल्ला से मिला था तब मैं नया सांसद था। मैं उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। उन दिनों, जब वे जेल में थे हम उन्हें बड़े उत्साह से प्रेरित किया करते थे। उन्हें शेर–ए–कश्मीर कहा जाता था।

हालांकि मैं एक नया सदस्य था, किंतु मैं उनसे मिलने गया। उन्होंन मेरे प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया। उनके उस समय कहे शब्दों को मैं भूल नहीं सकता हूं। उन्होंने कहा था, मेरे प्रिय युवा मित्र, एक बात का ध्यान रखना कि कांग्रेस के शब्दकोश में मित्रता या कृतज्ञता के लिए कोई स्थान नहीं है।" यह कहा था उन्होंने। 1975 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। छः माह के भीतर कांग्रेस पार्टी ने शेख अब्दुल्ला सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और तब क्या हुआ था ? राज्यपाल सहमत नहीं हुए थे। विधानसभा भंग हो गई थी। चुनाव हुए और वे चुने गए।

अब, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको उन लोगों का विश्वास जीतना होगा। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र से मांग है। जम्मू–कश्मीर से एक मांग है। जम्मू–कश्मीर राज्य में क्षेत्रीय स्वायत्ता होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं किंतु हम 1953 से पहले की स्थिति में लौटने की मांग से सहमत नहीं हैं। यहां कई संस्तुतियां हैं। मैं इस रिपोर्ट के पृष्ठ 73 से उद्घृत करना चाहूंगा :

"उपर्युक्त विवरण से हमें यह विदित होता है कि घनिष्ठ संबंधों को सुदृढ़ करने की छवि बनाने की आतुरता में 1954 से अब तक संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेशों की शृंखला अर्थात् 42 ऐसे आदेश जारी किए जा चुके हैं जिनके बारे में पहले कभी अर्थात् न तो 1950 में, न 1952 में और न उसके बाद मई, 1954 में सोचा तक नहीं गया था।"

"लाए गए इन परिवर्तनों में जो सबसे महत्वपूर्ण थे, वे थे–राज्य विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाना संघ की संसद की शक्तियों का विस्तार, भारतीय संविधान के वित्तीय उपबंधों को राज्य पर लागू करना; आपतकाल संबंधी उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य विधायिका के चुनावों का निर्देशन, पर्यवेक्षण और उनका नियंत्रण और अन्य कई मामले।"

1954 से 1975 के बीच केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए अनेक राष्ट्रपतिय आदेश जारी किए गए। यह भय कांग्रेस सरकार द्वारा पैदा किया गया है। इसी वजह से जम्मू और कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद की भावना पनपी है। 1954 में शेख अब्दुल्ला सरकार बर्खास्त किए जाने के बाद, 1954 से 1975 के बीच केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए अनेकों आदेश जारी किए गए। यही मुख्य कारण है।

मैं इस रिपोर्ट की सभी मांगों और संस्तुतियों से सहमत नहीं हूं। मैं इनमें से अधिकतर संस्तुतियों को स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन, निश्चय ही, यह बहस लायक मामला है। हम दरवाजों को जोर से उनके सिर पर नहीं बंद कर सकते (अर्थात हम रिपोर्ट को ज्यों का त्यों उन्हें नहीं लौटा सकते।) बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पुनः विचार किया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ आदेशें पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, वित्त व्यापार और वाणिज्य के अधीन सभी मामलों पर विचार करना चाहिए। यहां तक कि वित्तीय स्वायतत्ता का मूल सिद्वान्त भी पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है। यही सत्य है।

इसी के साथ, अनुच्छेद 249 के विशेष प्रावधान जो कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाए जाने की शक्ति से संबंधित हैं; अनुच्छेद 370 की गलत एवं मनमानी व्याख्या करके जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर प्रच्छन्न रूप से लागू किए गए। यह किसके द्वारा किया गया ? यह केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार द्वारा किया गया; जो कि उस समय सत्ता में थी।

महोदय, मैं कुछ संस्तुतियों से सहमत नहीं हूं। लेकिन रिपोर्ट के पृष्ठ 94 पर कहा गया है।

1954 से आगे के परिवर्तन :

"मुख्यतः 60 के दशक में, इतनी तेजी से परिवर्तन किए गए कि वस्तु स्थिति की पहचान करना भी मुश्किल हो गया। राज्य के क्षेत्राधिकार में दखलंदाजी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, इससे राज्य को दी गई स्वायतत्ता उपहास का विषय बन गई थी।" यह सब किसने किया ? यह भाजपा सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ने किया। उनके पीठ में छुरा घोंपा गया। उन्हें धोखा दिया गया। शेख अब्दुल्ला को धोखा दिया गया। इसी कारण से जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद की भावना बढ़ रही है।

[श्री वैको]

महोदय, मैं जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की उन मांगों से सहमत नहीं हूं जो कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। इस संकल्प की संस्तुतियों के सारांश में उन्होंने यह मांग की है। कि तीन विषयों रक्षा, विदेश और संचार तथा उनसे संबंधित अन्य सहायक विषयों को छोड़कर अन्य विषय जिन पर कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, इस राज्य पर लागू नहीं होना चाहिए। यह बहस का मुद्दा है।

मैं यह नहीं कहता हूं कि केवल रक्षा, विदेश और संचार के विषय ही केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में होने चाहिए। आपातकाल के दौरान जबकि मीसा की नजरबन्दी में हमें जेलों में डाल दिया गया, अनेक राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार ने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया। केंद्र सरकार ने उनको अपने अधिकार में ले लिया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जैसे शिक्षा और होने मांग की है कि 1950 के बाद में जारी आदेश द्वारा राज्य में लागू होने वाले अनुच्छेद 246 में किए गए सभी परिवर्तनों को रद्द किया जाए। यह संसद एवं विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित है।

उन्होंने मांग की है कि मूलाधिकारों वाले भाग को हटा दिया जाए, जिसे मैं स्वीकार नहीं करता। वे कहते हैं कि राज्य के संविधान में मूलाधिकारों से संबंधित एक अलग अध्याय जोड़ा जाए।

महोदय, इस पर बहस करने में कोई गलती नहीं है। पुनः उन्होंने संघ से संबंधित प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने मांग की है कि अनुच्छेद 72(1) को इस राज्य पर न लागू किया जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी को दी गई सजा को क्षमा करना, कुछ दिनों के लिए निलम्बित करना, घटाना या दूसरे में बदलने का अधिकार दिया गया है। यह शक्ति अनुच्छेद 72 के अधीन दी गई है। अब, वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति के ये अधिकार उस राज्य पर नहीं लागू होने चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

इसी तरह से वे संविधान के अनुच्छेद 72(3), 133, 134, 135, 136 और 138 को खत्म करना चाहते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और न्यायलयों के नियमों से संबंधित हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसी के साथ, वित्त, सम्पत्ति, संविदा और मुकदमों से संबंधित विषयों पर राज्य के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होनी चाहिए, जैसा कि 1952 में हुई बातचीत के दौरान सहमति बनी थी। लेकिन केंद्र एवं राज्य की सेवाओं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में उनकी मांग से मैं सहमत नहीं था। और कुछ धाराओं के विषय में विशेष उपबंध के विषय में ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, आपने 30 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है।

श्री वैको : महोदय, अब मैं केवल तीन या चार मिनट का समय लूंगा।

महोदय, वे चाहते हैं कि उस राज्य में अनुच्छेद 338, 339, 340, 341 और 342 न लागू किए जाएं तथा तत्स्थानी प्रावधान उनके राज्य के संविधान में किए जाएं।

वे चाहते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 लागू न किया जाए। यह उनकी मांग है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन, महोदय, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन पर आपसी समझ एवं सहमति होनी चाहिए। अतः बहस अत्यंत अनिवार्य है।

महोदय, जम्मू एवं कश्मीर के लोग देश की एकता और अखण्ड़ता के लिए आगे आये हैं। डॉ. फारुक अब्दुल्ला उस समय जबकि सीमापार से आतंकवाद चरम पर था तथा आई.एस.आई. के आदमी राजद्रोह की भावना भड़का रहे थे, अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमारे देश के लिए खड़े हो गए थे तथा कहा था, "पूरे जीवन भर मैं भारतीय बना रहूंगा। मैं भारत के लिए हूं।" लेकिन इन वर्षों में क्या हुआ, चार दशकों तक ? इसलिए जब वे बोलते हैं तो यह केवल डॉ. फारुक अब्दुल्ला की अकेली आवाज नहीं होती है। ऐसा मेरा सोचना हैं यह जम्मू एवं कश्मीर की जनता, विशेषतः मुस्लिमों की आवाज है।

इसलिए उन्होंने जब कोई मांग की है तो हम भले ही उनसे सहमत न हों लेकिन प्रजातंत्र में बहस अत्यंत अनिवार्य होती है। संसद में बहस शुरू हो गई है। अब, लोक सभा में बहस शुरू हो गई है। बहस चलने दीजिए। महोदय, मैं नेशनल कांफ्रेस के अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपना दृष्टिकोण संविधान समीक्षा आयोग के समक्ष रख सकते हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया जा सकता है। इस मुद्दे पर अंतरराज्यीय परिषद में भी बहस की जा सकती है। अनेको मंच हैं। इसलिए बहस की यह शुरूआत एक उचित संकेत है। जब जम्मू एवं कश्मीर की जनता आतंकवादियों के बंदूक के निशाने पर भी अपने जीवन को जोखिम में डालकर देश की एकता के लिए खड़ी हो सकती है तो हमें भी जम्मू एवं कश्मीर की जनता की भावनाओं, राज्यारोहण दस्तावेज में दिए गए वचन और अनुच्छेद 370 का आदर एवं सम्मान करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया-उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष जी, मुझे इस बहस पर केवल 5–10 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करनी हैं यहां बहुत से भाषण दिये गये लेकिन उन भाषणों से मुझे बहुत निराशा हुई।

समस्या की गंभीरता को परखने में हम असफल रहे हैं। हम लोगों को दो बातें याद रखनी चाहिये कि केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है और श्री लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हैं। यही इस समस्या को सुलझाने या उलझाने में मददगार हो सकते हैं या उसे उलझा सकते हैं। श्रीनगर में डा. फारुख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं। इन लोगों के आस्तित्व को इनकार करके कोई बात करने का महत्व नहीं रह जायेगा। इसलिये हमने यह कहा कि आर.एस.एस. की क्या धारणा है या श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, उससे समस्या नहीं सुलझेगी।

लेकिन दो–तीन बातों का मुझे दुख है। हमारे मित्र श्री माधवराव सिंधिया नहीं हैं। उन्होंने इस बात को शुरू किया। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस के जमाने में सब कुछ अच्छा था, अचानक यह सब बुराइयां इस सरकार ने पैदा कर दी। मैं कोई गुप्त बातें नहीं कह रहा हूं । जिस समय 1991 से 1996 तक आपकी सरकार थी, उस समय कश्मीर को बांटने का प्रस्ताव आया था। वाशिंगटन के पास एक कान्फ्रेन्स हुई थी, जिसे स्टेट डिपार्टमैंट ने स्पान्सर किया था। यहां सैन्टर फॉर पालिसी रिसर्च एक संस्था है, उसमें हिन्दुस्तान के कुछ लोग, उसके नुमाइंदे सरकार से सलाह करके गये थे और आजाद कश्मीर के लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे और अमरीका के कुछ विद्वान लोग थे। उसमें यह कहा गया कि कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटा जाए। उस समय हमारे एक मित्र थे, जिन्होंने मुझसे कहा कि कश्मीर पर चर्चा करनी है। मैंने कहा वहां कौन रहेंगे, उन्होंने एक और मित्र का नाम बताया। मैं जब उनके यहां गया तो दो मित्र मौजूद थे। आडवाणी जी, आपको जानकर हैरत होगी, वे आपकी पार्टी के थे और आज भी वे महतवपूर्ण पदों पर हैं। इन तीन लोगों से जब मेरी वार्ता हुई, वह प्रस्ताव सरकार की ओर से रखा गया। प्रियरंजन दास जी, जब आपकी सरकार थी तो इन दोनों मित्रों ने उसका तुरंत अनुमोदन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप भी इससे सहमत हैं, आप इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ होगा सैल्फ डिटरमिनेशन को मानना, इसका अर्थ होगा टू नेशन थ्योरी को मानना, इसका अर्थ होगा इस देश से मुसलमानों को हमेशा के लिए बाहर कर देना। फिर वह बात वहीं पर बंद हो गई। उस समय के मंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट नहीं मिली। आडवाणी जी बुरा मत मानियेगा, आर.एस.एस. ने अनायास की मांग का समर्थन नहीं किया है। आर.एस.एय. की एक योजना है, उसकी एक मंजिल है, उसका एक अभीष्ट है और उस तक पहुंचने के लिए उनके लिए जरूरी है कि देश में टू नेशन थ्योरी की बात लोग स्वीकार कर लें। जहां टू नेशन थ्योरी की बात स्वीकार करके पाकिस्तान बना, वहां इस्लामिक स्टेट बन गई। अगर हिंदुस्तान में टू नेशन थ्योरी नहीं मानी जायेगी तो यहां हिंदू स्टेट नहीं बनेगी। आपकी धारणा यह नहीं हो सकती है। आप क्षमा करें, मैं राजनीतिशास्त्र का एक विद्यार्थी होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि आर.एस.एस के वरिष्ठ लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात का समर्थन किया और वह रिपोर्ट आज दिल्ली में लिमिटेड सर्कुलेशन में है। वह रिपोर्ट छपकर कुछ लोगों के पास बंट रहीं है। जो लोग रिपोर्ट छाप रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि उस रिपोर्ट की एक कापी हमें दे दो, कहा गया कि वह रिपोर्ट अंडर प्रिंट है। उस रिपोर्ट को मैंने एक वरिष्ठ मित्र के पास खुद देखा है और उसमें किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं लिखा हैं, नाम लिखा है — स्टडी ग्रुप ऑन कश्मीर और उसमें सारे अमेरिकन्स का नाम है। वे लोग हिंदुस्तान आये हैं, आपकी सरकार के लोगों से मिले हैं। फारुख अब्दुल्ला से मिले हैं, कुछ वरिष्ठ लोगों से मिले हैं।

हमारे मित्र श्री मुलायम सिंह ने जो शंका प्रकट की, भाषा उनकी चाहे जितनी आक्षेपपूर्ण रही हो लेकिन वह आंशका अपनी जगह पर अपना अस्तित्व रखती है। गृह मंत्री जी मैं आपसे कहूंगा, आप मेरी बात को अन्यथा न लें, इसको सोच लें, इसके बाद में फर्क कर लें। आज ऐसी संस्थाओं के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के एडीटोरियल पेज पर एक आर्टीकल निकली हैं, मैं उसमें से कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जिसकी हैडिंग है – राइज ऑफ दि रॉबर इंटेलेक्चुअल्स। ये रॉबर इंटेलेक्टुअल्स लोग इन रिपोर्टों को इस देश में फैला रहे हैं। यह अनायास नहीं हो रहा है। माफ कीजिएगा प्रियरंजन दास जी, 1981 में जब आप लिबरेलाइजेशन कर रहे थे, उस समय इसी संसद में मैंने कहा था – आज आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार कर रहे हो, कल राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। आज हिंदुस्तान ऐसी जगह पर पहुंच गया है, जब राजनीतिक मामलों में खुलआम हस्तक्षेप हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी अदब से, बड़ी नम्रता से कहूंगा कि अगर इसमें हम विवाद और झगड़े करते रहे तो हम इन शक्तियों के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं कर सकते, कोई विरोध नहीं कर सकते, बड़े बुरे संकट में हम लोग फंसे हुए हैं। फारुख अब्दुल्ला को मैं जानता हूं। फारुख अब्दुल्ला को आप लोगों ने विवश किया है। फारुख अब्दुल्ला के रहते हुए हुर्रियत से बात करने का प्रस्ताव बिना उनकी जानकारी में उन्हें छोड़ देना, उनसे यह वायदा भी नहीं लेना कि संविधान के अंदर काम करेंगे, यह सही बात नहीं थी। मैं आपके या अटल जी के बयान में कोई दोष नहीं देखता, दोष केवल इतना ही है कि आपको यह कह देना चाहिए था कि जो भी अलगाव की प्रवृत्तियां इस प्रस्ताव में हैं, उनसे हम पूर्णतः असहमत हैं, आप लोगों ने यह नहीं कहा। जब कहा कि इस प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे तो जब वैकों साहब जैसा आदमी आज कह रहा है कि इनसे असहमत नहीं हैं, उसकी कोई ध्वनि आप लोगों के बयानों से नहीं निकलती। मामला पेचीदा है और इस पेचीदा मामले में गृह मंत्री और प्रधान मंत्री का बयान और पेचीदगी पैदा कर

[श्री चन्द्रशेखर]

सकता है, और उससे पेचीदगी पैदा हुई है। मैं यह भी कहूंगा कि कुछ ध्वनि निकली चंडीगढ़ से। वैको साहब माफ करियेगा, कुछ बातें चेन्नई से भी निकलीं, असम के गोहाटी से उठीं। ये सारी बातें हैं और सोमनाथ जी कहने के लिए आपका मैं बड़ा आदर करता हूं, क्षमा कीजिएगा, स्टेट ऑटोनॉमी के नाम पर, इकोनॉमिक स्वायत्तता के नाम पर इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बार–बार कहा जाता है और मैं जानता हूं, इसके लिए मेरी बड़ी आलोचना होगी, कहां से फेडरल गवर्नमेंट हो गई ? यह तो यूनीटरी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट वहां होती है जहां स्टेट ऑटोनॉमस हों और अपने को फेडेरेशन में जोड़ें। अचानक हमारे बुद्धिजीवियों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने फेडरेशन की बात कही। रोज फेडरेशन की बातें मैं सुनता रहा हूं, लेकिन आज इन बातों को कहते समय शब्दों को इस्तेमाल करते समय हमें अधिक सचेत और सजग होना चाहिए, कल ये हमारे गले की फांसी बन सकते हैं, यह बात याद रखिये।

वैकों साहब, मैं आपसे सहमत हूं। राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए वित्तीय मामलों में लेकिन आज राज्य विदेशी सरकारों से धन ले रहे हैं और केन्द्र की सरकार पर रोज दबाव डाल रहे हैं कि इसमें आप काउंटर गारंटी दें। काउंटर गारंटी आप केन्द्र सरकार से लेंगे और बाहर जाकर पैसा लेने का अधिकार आपको होगा और मांग करेंगे कि देश एक नहीं रह सकता, देश तक नहीं चल सकता। जो गरीब राज्य हैं, उनके लिए कहां से पैसा आएगा ? मैं आपसे पूछता हूं कि तमिलनाडु के गरीब इलाकों के लिए आप प्लानिंग कमीशन के पास जाएंगे तो प्लानिंग कमीशन कहां से पैसा देगा ? क्या होगा लेह–लद्दाख का, क्या होगा जैसलमेर, बाड़मेर का ? संगमा जी चले गए, वे भी उन्हीं भावनाओं को कह रहे थे और रोज कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अधिक से अधिक पैसा मिलना चाहिए। मैं जानता हूं बहुत सारी कमजोरियों हो सकती हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन में। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। उसके लिए हम सब लोग अपराधी हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर यह संविधान बना था बहुत सोच समझकर संविधान को पचास वर्षें तक लागू किया गया है। कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। अपने सीमित स्वार्थों के लिए हम संविधान को बदलने की कोशिश न करें, भावनाओं को भड़काने की कोशिश न करें।

एक उदाहरण मैं देता हूं, कहीं मेरे मित्र यह न कह दें कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं। एक बात सरकार ने बहुत पहले कही कि नेचुरल कैलैमिटी फंड बनेगा। अगर कहीं भी प्राकृतिक आपदा होगी तो वहां केन्द्र सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा। सरकारों ने कहा कि पैसा केन्द्र के पास कैसे रहेगा। वह तो राज्य सरकारें शुरू में ही आपस में बांट लेती हैं और जब नैचुरल कैलामिटी होती है तो वहां पर केन्द्र सरकार कहती है कि आप लोन के रूप में पैसा ले जाओ। फिर हल्ला मचता है कि आपदा आई हुई है, ये तो ऋण दे रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। एक ओर पैसा बांट लोगे दूसरी ओर केन्द्र से कहेंगे कि हमें पैसा नहीं देते, यह देश का चलाने का रास्ता नहीं है, सह देश को बरबादी की ओर ले जाने का रास्ता है। मै आपसे कहना चाहता हूं कि इन सारे भाषणों में एक दो को छोड़कर हर सवाल वह उठाए गए जिनसे हममें अपासी मतभेद, आपसी दुराव पैदा हों। मैं ऐसा कहता हूं कि दुख का समय है, बड़े अंधेरे का समय है, ऐसे समय में अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर काम करना चाहिए। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि याद रखिये अगर फारुख अब्दुल्ला से आप बात नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बात करने वाला आपको कश्मीर में नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी नहीं कि हम उनसे असहमत हों। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बात नहीं करेंगे तो मैं चाहते हुए भी सोमनाथ चटर्जी, मुलायम सिंह और दासमुंशी जी को इस काम के लिए नहीं भेज सकता। आज राजनीति वास्तविकताओं पर आधारित है, यथार्थ पर आधारित है। यथार्थ को भूलकर लंबे भाषणों का समय आज नहीं है। यह अत्यंत दुरभि संयोग हैं। मैं फिराक के एक शेर से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं :—

"इन खंडहरों में कही कुछ दिये हैं टूटे हुए
इन्हीं से काम चलाओं बड़ी उदास है रात।"

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 27 जुलाई, 2000 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 27 जुलाई, 2000/5 श्रावण, 1922(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।